

43 वीं वार्षिक रिपोर्ट



2018-19



निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और नवाचारी मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के धारणीय विकास हेतु एक वैश्विक स्तर से अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- ♦ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- ♦ परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन एक कुशल तथा दक्ष संविदा प्रबंधन और नवाचारी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- ♦ मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- ♦ एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- ♦ प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करना।



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (बीच में), श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (बाएँ से दूसरे), श्री एन. के. जैन, निदेशक (कार्मिक) (दाएँ से दूसरे), श्री एम. के. मित्तल, निदेशक (वित्त) (सबसे बाएँ) एवं श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (सबसे दाएँ) 30 मई, 2019 को मुंबई में आयोजित विश्लेषक बैठक के दौरान।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल	2
संदर्भ सूचना	3
महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (5 वर्ष)	4
अध्यक्षीय वक्तव्य	7
निदेशकों की प्रोफाइल	11
निदेशकों की रिपोर्ट	17
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	31
कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अनुपालन प्रमाण-पत्र	61
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	63
ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी आमेहन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	79
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	81
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	90
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	96
लाभांश वितरण नीति	107
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	110
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	115
वित्तीय विवरण	126

समेकित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	251
वित्तीय विवरण	260
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर	388

निदेशक मंडल



श्री बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



श्री रतीश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)



श्री महेश कुमार मिश्र
निदेशक (वित्त)



श्री जनार्दन चौधरी
निदेशक (तकनीकी)



श्री अनिरुद्ध कुमार
सरकारी नामित निदेशक



श्री सत्यप्रकाश मंगल
स्वतंत्र निदेशक



श्री. अरुण कुमार
स्वतंत्र निदेशक



श्री. कनिका टी. भाल
स्वतंत्र निदेशक



श्री जुगल किशोर महापात्रा
स्वतंत्र निदेशक



श्री भागवत प्रसाद
स्वतंत्र निदेशक



श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, + 91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2278018
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, चैतन्य काम्प्लेक्स, प्रेम भवन,
रेसीडेंसी रोड, जम्मू तवी - 180001
जम्मू एवं कश्मीर

मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार, 783, देश बंधु गुप्ता रोड,
निकट फेज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005

मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार,
14, गर्वमेंट प्लेस ईस्ट,
कोलकाता - 700069

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र वधवा एंड कंपनी
1305 और 1306, विजया बिल्डिंग,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली -110001

मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स

एफ -125, फेज 8-बी, इंडस्ट्रियल एरिया,
सेक्टर 74, मोहाली, पंजाब - 160071

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110058

मैसर्स के.एल. जयसिंह एंड कंपनी

जे -7, सेक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा,
उत्तर प्रदेश - 201301

मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स

289, महावीर नगर-2, महाराणी फार्मस, दुर्गापुरा,
जयपुर, राजस्थान - 302018

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी

1011, पल्ले बेस्ट हाइट्स-2,
सी -9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा
दिल्ली - 110034

मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स

64, बीबी गांगुली स्ट्रीट, दूसरा तल,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700012

मैसर्स नीरान एंड कंपनी

मोहित काली अपार्टमेंट, ब्लॉक-ए, फ्लैट-2 डी,
161, सबर्णपारा रोड, पीओ - बरिशा,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700008

सचिवालयीन लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव
डी-427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री दीपांकर चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
ज्युश बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक
येस बैंक
आईडीएफसी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
कैनरा बैंक
एयू स्माल फाइनेन्स बैंक

रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :

मैसर्स कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,

(पूर्व में मैसर्स कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड)

कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली फाइनेन्शियल, डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा,

हैदराबाद- 500 032

दूरभाष नं.: 040 67161500, 67162222

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

वेबसाइट : karvycomputershare.com

अन्य बांड हेतु

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.

बी-25/1, प्रथम तल

ओखला फेज - II

नई दिल्ली - 110020

दूरभाष सं.: 011-26387320

ई-मेल : investor.services@rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री अनुज कपूर, महाप्रबंधक (वित्त)

प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होना

शेयर और कर मुक्त बांड:

बीएसई लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बांड (शोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

'वी', 'वी2' और 'डब्ल्यू' श्रृंखला बाण्ड - बीएसई लिमिटेड

अन्य सभी बाण्ड - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोजिटरी

नेशनल सिक्कुरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड

सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

9 प्रतिशत पी श्रृंखला बांड, 9.25 प्रतिशत क्यू
श्रृंखला बांड, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013
(8.18 प्रतिशत श्रृंखला 1ए, 8.43 प्रतिशत श्रृंखला
1बी, 8.54 प्रतिशत 2ए श्रृंखला, 8.79 प्रतिशत
2बी श्रृंखला, 8.67 प्रतिशत 3ए श्रृंखला और 8.92
प्रतिशत 3बी श्रृंखला) और 8.49 प्रतिशत एस1
श्रृंखला बाण्ड, 8.54 प्रतिशत एस2 श्रृंखला बाण्ड,
8.50 प्रतिशत टी श्रृंखला बाण्ड, 6.84 प्रतिशत वी
श्रृंखला बाण्ड, 7.52 प्रतिशत वी2 श्रृंखला बाण्ड,
6.91 प्रतिशत डब्ल्यू1 श्रृंखला बाण्ड और 7.35
प्रतिशत डब्ल्यू2 श्रृंखला बाण्ड, 8.65 प्रतिशत
एक्स श्रृंखला बाण्ड और 8.12 प्रतिशत भारत
सरकार पूर्णतः सेवित बाण्ड।

8.70 प्रतिशत आर1,

8.85 प्रतिशत आर2 और 8.78 प्रतिशत आर3,

8.24 प्रतिशत यू एवं, 8.17 प्रतिशत यू1 श्रृंखला
बाण्ड

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.

एशियन बिल्डिंग, भूतल,

17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,

मुंबई-400001

टेलीफोन :+91 22 40807000

ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि.

एपीजे हाउस, 6वां तल, 3

दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट,

मुंबई-400020

टेलीफोन :+91 22 43025553/55/56

ई-मेल : helpdesk@sbicaprtrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (एकल लेखा)

	(करोड़ रुपए में)				
वित्तीय	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
ए ऊर्जा की बिक्री	8,095.13	6,868.64	7,139.46	7,265.71	6,736.64
बी अन्य प्रचालन आय विद्युत व्यापार से राजस्व और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	66.05	69.58	131.71	87.29	65.61
सी अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	924.78	1,420.55	1,457.67	992.07	861.33
डी कुल आय (ए)+(बी)+(सी)	9,085.96	8,358.77	8,728.84	8,345.07	7,663.58
ई विद्युत की खरीद - व्यापार	12.68	-	-	-	-
एफ उत्पादन व्यय	796.85	716.39	773.67	790.87	778.91
जी कर्मचारी लाभ व्यय	1,704.65	1,535.89	1,574.84	1,158.36	1,149.23
एच मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,589.99	1,395.51	1,388.40	1,359.07	1,425.87
आई वित्त लागत	894.88	922.32	1,073.22	1,072.10	1,179.77
जे अन्य व्यय	1,165.53	972.36	1,158.10	1,335.07	825.58
के कुल व्यय (ई) + (एफ) + (जी) + (एच) + (आई) + (जे)	6,164.58	5,542.47	5,968.23	5,715.47	5,359.36
एल कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ (डी) - (के)	2,921.38	2,816.30	2,760.61	2,629.60	2,304.22
एम वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	76.78	331.39	365.32	396.22	406.83
एन अन्य के कारण दर विनियमित आय	746.62	(269.06)	659.53	312.53	107.41
ओ कुल दर विनियमित आय/व्यय (एम) + (एन)	823.40	62.33	1,024.85	708.75	514.24
पी कर पूर्व लाभ (एल) + (ओ)	3,744.78	2,878.63	3,785.46	3,338.35	2,818.46
क्यू आयकर व्यय	1,114.23	109.60	989.87	908.46	693.99
आर कर उपरान्त लाभ (पी) - (क्यू)	2,630.55	2,769.03	2,795.59	2,429.89	2,124.47
एस अन्य व्यापक आय	(12.41)	5.88	7.67	3.24	-
टी कुल व्यापक आय (आर) + (एस)	2,618.14	2,774.91	2,803.26	2,433.13	2,124.47
यू प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
वी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,259.32	10,259.32	11,070.67	11,070.67
डब्ल्यू अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	19,169.70	18,092.50	16,682.81	18,690.48	17,215.72
एक्स दीर्घावधि/गैर-वर्तमान ऋण	17,044.63	16,728.20	17,245.64	18,181.08	18,171.03
वाई अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	3,910.44	1,688.94	1,985.03	1,829.95	2,224.12
जेड आस्थागित कर देयताएं	3,610.63	3,145.39	3,664.73	3,277.31	3,040.87
एए निवेश संपत्ति सहित निवल मूल्य तथा अमूल्य स्थायी परिसंपत्तियां	23,851.84	20,017.98	20,977.21	21,303.90	22,695.16
एबी चालू पूंजीगत कार्य	14,898.11	18,813.96	17,350.13	16,578.71	16,054.72
एसी निवेश (गैर-वर्तमान)	2,361.66	2,209.56	2,100.32	1,683.01	1,977.75
एडी अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6,428.38	4,418.92	3,424.21	3,645.30	1,978.10
एई नियामक आस्थागित लेखा डेबिट शेष	6,492.61	5,669.21	5,630.56	4,596.66	3,860.82
एएफ कार्यशील पूंजी	(252.17)	(1,215.28)	355.10	5,241.91	5,155.86
एजी सकल नियोजित पूंजी (एए)+(एबी) + (एसी) + (एडी) + (एई) + (एएफ)	53,780.43	49,914.35	49,837.53	53,049.49	51,722.41
एएच दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	1,605.16	1,593.91	1,678.59	1,757.14	1,665.31
एआई भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय राशि	2,017.20	-	-	-	-
एजे निवल मूल्य (वी)+(डब्ल्यू)	29,214.73	28,351.82	26,942.13	29,761.15	28,286.39
एके अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	1000.46	1,251.65	2,524.13	1,461.33	553.55
अनुपात	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((पी)+(आई)-(एम))/(एजी)	8.48%	6.95%	9.02%	7.57%	6.94%
निवल मूल्य पर प्रतिफल (आर)/(एएजी)	9.00%	9.77%	10.38%	8.16%	7.51%
ऊर्जा की निवल बिक्री पर निवल लाभ (आर)/(ए)	32.50%	40.31%	39.16%	33.44%	31.54%
प्रति शेयर बही मूल्य	29.08	27.64	26.26	26.88	25.55
प्रति शेयर अर्जन	2.57	2.70	2.53	2.19	1.92
प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम + वर्ष हेतु प्रस्तावित)	1.46	1.40	1.80	1.50	0.60
ऋण तथा इक्विटी अनुपात (एक्स) + (एच)/(एआई) / (एजे)	0.71	0.65	0.70	0.67	0.70
वर्तमान अनुपात	0.96	0.79	1.07	2.10	2.08
प्रचालन कार्य-निष्पादन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उत्पादन (एमयू)	24,193.00	22,625.00	23,948.00	23,404.00	22,038.00
क्षमता (मेगावाट में)	5,551.20	5,551.20	5,171.20	5,041.20	4,961.20
संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	84.97	85.32	83.41	81.60	77.30
जनशक्ति (संख्या)	6753	7351	8009	8654	9211

टिप्पणी 1 : वित्तीय वर्ष 2014-15 तक आंकड़े आईजीएपी के अनुसार हैं और वित्तीय वर्ष 2015-16 से आंकड़े इंड एस के अनुसार हैं।

टिप्पणी 2 : क्रम सं. "एके" पर लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणी 3 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी 4 : उत्पादन में चुटक और निम्नो बाजगो पावर स्टेशनों का उत्पादन शामिल नहीं है।



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी 6 मार्च 2019 को श्री आर.के. सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार को श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत), श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं), श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) और श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) की उपस्थिति में लाभांश बैंक एडवाइस सौंपते हुए।



माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर. के. सिंह, एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी की उपस्थिति में एनएचपीसी लिमिटेड के 44 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य



देवियों और सज्जनों,

मुझे आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज एनएचपीसी की जो स्थिति है वह पिछले कई वर्षों से हमारे हितधारकों द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग का परिणाम है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में दो वर्ष की सेवा सहित 36 वर्षों से अधिक एनएचपीसी की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

भारत का विद्युत क्षेत्र : सामान्य रूपरेखा व सरकारी पहलें

भारत का विद्युत क्षेत्र विश्व में सबसे विविध विद्युत क्षेत्रों में से एक है। कोयला, जलविद्युत, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों से लेकर गैर-पारंपरिक स्रोत जैसे पवन, सौर, कृषि व घरेलू कचरा विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2022 तक, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1894.7 टीडब्ल्यूएच होने की संभावना है। देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित उत्पादन क्षमता में बड़े स्तर पर अभिवृद्धि करना अपेक्षित है।

भारत सरकार और विनियामक प्राधिकरण - सभी के लिए स्वच्छ व सस्ती विद्युत प्रदान करने के वास्ते विद्युत क्षेत्र में समावेशी वृद्धि प्राप्त करने की विभिन्न पहल कर रहे हैं। ऐसी पहलों में से एक नई जलविद्युत नीति है, जिसमें भारत सरकार ने कई उपायों के अनुमोदन के साथ-साथ बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं अर्थात् 25 मेगावाट क्षमता से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत घोषित किया है अर्थात् इससे ऐसी परियोजनाएं, नवीकरणीय क्रय दायित्व का अंश बन गई हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन आदि पर निर्भरता में कटौती करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित मात्रा को खरीदना डिस्कॉम के लिए आवश्यक होगा। इन उपायों से जलविद्युत परियोजनाओं को भी वे सभी प्रोत्साहन और लाभ मिलेंगे जो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के लिए मिलते हैं और वैश्विक संस्थाओं से सस्ते हरित वित्त पोषण के रास्ते खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए 2019-24 के लिए नई टैरिफ नीति भी जारी की है जिसमें परियोजनाओं के संबंध में सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाली उस देरी को शामिल किया गया है, जिसमें अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना विकासकर्ता जिम्मेदार नहीं होता है, साथ ही द्वितीयक ऊर्जा की ऊपरी सीमा में वृद्धि को शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए रोडमैप जारी किया है, जिसमें सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 60 गीगावाट और शेष अन्य स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को शामिल करके, भारत 2022 तक 225 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकारी पहलों द्वारा समर्थित उद्योग के प्रयासों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-‘गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी’ रैंकिंग में भारत की रैंक 2014 में 137 थी जो 2018 में सुधर कर 24 हो गई है। इसके अतिरिक्त, हमारी ऊर्जा कमी वित्त

वर्ष 2014 में 4.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2018 में 0.7 प्रतिशत रह गई है और हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है।

कंपनी का निष्पादन : उपलब्धियां व लक्ष्य

पिछले वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने प्रचालन में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और व्यापारिक मोर्चों पर विभिन्न विकास कार्यों का साक्षी रहा है। इन उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

इससे पहले वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, सबसे अधिक विद्युत उत्पादन 23,404 मि.यू. को पार करते हुए अभी तक का सबसे अधिक विद्युत उत्पादन 24,193 मि.यू. किया। कुल राजस्व और प्रचालन (शुद्ध) से राजस्व क्रमशः 9,086 करोड़ रूपए और 8,161 करोड़ रूपए प्राप्त किया। विद्युत मंत्रालय द्वारा पायलट स्कीम- II के तहत नोडल एजेंसी ‘पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड’ के माध्यम से तीन वर्षों के लिए 2500 मेगावाट की समेकित विद्युत की खरीद करने के लिए ‘एग्रीगेटर’ के रूप में नियुक्त किया। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2,880 मेगावाट) के लिए विभिन्न मंजूरीयों और पूर्व निवेश गतिविधियों पर व्यय करने के लिए 1600 करोड़ रूपए हेतु सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा जम्मू व कश्मीर में कीरू जल विद्युत परियोजना (624 मे.वा.) के निर्माण के लिए सीसीईए से निवेश मंजूरी प्राप्त की।

निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए :

संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से जम्मू व कश्मीर में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मे.वा.) के कार्यान्वयन के लिए जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडी) और जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के साथ। विद्युत ट्रेडिंग के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी और एनएलसीआईएल उत्तरी और उत्तरी-पूर्व क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष विद्युत, देश के दक्षिणी क्षेत्र में थोक उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उपलब्ध कराएंगे।

जलविद्युत परियोजनाओं में परामर्श और सहयोग के लिए बीएचईएल के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी और बीएचईएल दोनों परामर्शी कार्यों तथा जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त बोली में सहयोग करेंगे, जिसमें एनएचपीसी सिविल कार्यों और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए और बीएचईएल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्तमान वर्ष में हुए विकास के संबंध में आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सिविकम में तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के विकासकर्ता लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के लिए प्रस्तुत हमारी संकल्प योजना को स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के गठन को माननीय एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच ने बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही तक, आपकी कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 19% बढ़कर 881.14 करोड़ रूपए हो गया है। सिविकम में आपकी कंपनी के तीस्ता-V (510 मेगावाट)

पावर स्टेशन को इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) के मान्यता प्राप्त निर्धारक द्वारा जलविद्युत संधारणीयता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कार्यप्रणाली के उदाहरण के रूप में चिह्नित किया है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का लक्ष्य है:

विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए 26,000 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना।

देश की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना यानी दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के लिए निवेश-पूर्व गतिविधियों और मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित कार्यों की शुरुआत करना।

सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के कार्य को पुनः आरंभ करना।

एलटीएचपीएल के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करना और तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन की शुरुआत करना।

हम पावर ट्रेडिंग के अपने नए कार्य को अधिक विकसित करने तथा नई परियोजनाओं को शामिल करने और विद्युत क्षेत्र में निष्क्रिय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करके अपने पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि करने की योजना भी बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) कार्यान्वित होंगे तथा हमें अपने हितधारकों का महत्व बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे।

कार्य विस्तार : भविष्य की तैयारी

निकट भविष्य में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है। मेरा मानना है कि जलविद्युत वर्तमान समय की माँग है और ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। आपकी कंपनी जलविद्युत के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य स्रोतों से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आपकी कंपनी की 2,800 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली दो जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। एनएचपीसी की 5,945 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली विभिन्न अन्य जलविद्युत परियोजनाएँ मंजूरी या अनुमोदन चरण में हैं। उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी शीघ्र ही तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) का निर्माण कार्य शुरू करेगी।

इसके अतिरिक्त, सौर तथा पवन ऊर्जा में संवर्धन के लिए, आपकी कंपनी उपलब्ध विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसी के संदर्भ में, केरल के पलक्कड़ जिले में 72 मेगावाट (10±%) क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना और केरल के कल्लदा में 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने भारत में कहीं भी स्थापित की जा सकने वाली 2000 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी परियोजनाओं के चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) आमंत्रित किए हैं।

एनएचपीसी सहायक और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 2,258 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की कई अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य कर रही है। ये परियोजनाएँ मंजूरी/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करेंगे।

भावी योजनाएँ : सामर्थ्य और क्षमताओं का उपयोग करना

एनएचपीसी कई वर्षों से व्यापक तौर पर प्रभावशाली कार्य क्षमता को विकसित एवं पोषित करने में सक्षम रही है। इन कार्य क्षमताओं में जलविद्युत परियोजनाओं, इन-हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताएँ, निर्माण व प्रचालन में व्यापक अनुभव और मजबूत प्रचालन व वित्तीय निष्पादन शामिल हैं।

आपकी कंपनी की क्षमता एनएचपीसी को अद्वितीय प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती है जो इसे व्यावसायिक अवसर खोजने एवं नए अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस तरह की क्षमता व अनुभव तेजी से आगे बढ़ने, विस्तार करने, उत्पादकता बढ़ाने में, कार्य निष्पादन व परिचालन प्रभावशीलता तथा दक्षता के साथ कंपनी को उत्कृष्टता बनाए रखने में समर्थ बनाते हैं। आपकी कंपनी की ताकत और क्षमताएँ इस बात से भी सिद्ध होती हैं कि निजी विकासकर्ताओं की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाएँ, जो विभिन्न कारणों से रूकी हुई हैं, क्रियान्वयन के लिए आपकी कंपनी को दी जा रही हैं।

आपकी कंपनी की ताकत और बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों के संयोजन ने आपकी कंपनी को उत्कृष्ट और बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए और सशक्त बना दिया है।

राष्ट्र और समाज के लिए मूल्यों का निर्माण करना

आपकी कंपनी का मानना है कि अपने प्रचालन कार्यों को जारी रखने के साथ-साथ, राष्ट्र, हितधारकों और व्यापक रूप से समाज के लिए मूल्य का सृजन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास रहा है कि परियोजना प्रभावित परिवार और हमारी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग परियोजना से आर्थिक लाभ प्राप्त करें। इसे कार्यान्वित करने के लिए, हमने स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के आधार पर अवार्ड किए जाने वाले कार्यों के आरक्षण के लिए एक नीति लागू की है ताकि परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजनाओं के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को वह कार्य अवार्ड किया जा सके। यह उन्हें आर्थिक अवसर प्रदान करेगा और वित्तीय व सामाजिक उत्थान के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।

आपकी कंपनी व्यापक रूप से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और एक सुव्यवस्थित और संरचित सीएसआर और धारणीयता नीति के माध्यम से इसे पूरा करने का प्रयास करती है। एनएचपीसी इस बात का ध्यान रखती है कि उसकी सीएसआर पहलों का सकारात्मक, दीर्घ और व्यापक प्रभाव हो, जिससे अधिकतम व्यक्तियों को लाभ मिल सके। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा है। कंपनी की सीएसआर पहल में कौशल विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, महिला सशक्तीकरण, क्षमता निर्माण, सामाजिक बुनियादी ढाँचा निर्माण आदि के क्षेत्र में गतिविधियाँ शामिल

हैं। मुझे यकीन है कि आप परियोजना क्षेत्रों के निकट लोगों के जीवन में सुधार और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने में एनएचपीसी की भूमिका को स्वीकार करेंगे और उसे सराहेंगे।

अपने शेरशर्धारकों को लाभ प्रदान करने के अपने प्रयासों में, आपकी कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष 2018-19 के लिए 1.46/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर (लामांश वितरण कर को छोड़कर) के लामांश की सिफारिश की है। इस लामांश में मार्च, 2019 में भुगतान किया गया 0.71/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लामांश शामिल है। इसके अलावा, कंपनी ने जनवरी, 2019 में 28/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर की राशि पर शेरशर्धारकों से शेयर भी वापस खरीदे थे।

कारपोरेट अभिशासन : जिम्मेदार नागरिकता

आपकी कंपनी एक नैतिक, पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से व्यापार प्रबंधन की संस्कृति की विरासत में विश्वास करती है। एनएचपीसी ने उपयुक्त शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जो कंपनी के मिशन का एक हिस्सा है अर्थात् "एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्तियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।" कंपनी सामान्यतः कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्ट्रिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट्स) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट में कारपोरेट शासन पर एक अलग खंड शामिल है।

पुरस्कार और प्रशस्ति:

आपकी कंपनी के प्रयासों और कार्य-प्रणाली को विभिन्न मंचों पर पहचान मिली है। एनएचपीसी को प्रदान पुरस्कारों में से कुछ प्रमुख हैं- सीबीआईपी अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मिंग यूटिलिटी इन हाइड्रोपावर सेक्टर अवार्ड, किशनगंगा जलविद्युत परियोजना में सुरंगों के निष्पादन के लिए, टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 'टीएआई टनलिंग प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड' और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में आरोग्य वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित वर्ल्ड हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड 2018 में "सिल्वर" स्तर की मान्यता, वर्ष 2017-18 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एनएचपीसी द्वारा उत्कृष्ट कार्य को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र में 'द्वितीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

प्रतिभाशाली जनशक्ति: सफलता की कुंजी

किसी भी संगठन की सफलता के लिए प्रतिभाशाली जनशक्ति का उपार्जन, उसे बनाए रखना और उसका पोषण करना महत्वपूर्ण है। एनएचपीसी अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी अपने कर्मचारियों को पर्याप्त और समय पर प्रशिक्षण प्रदान करके, व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके, विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से उनके कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आपकी कंपनी अपने समर्पित कार्यबल के प्रयासों की कदर करती है जो कंपनी के समग्र विकास में भागीदार हैं। कंपनी अपनी मौजूदा जनशक्ति को संपोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि एनएचपीसी में अपने 36 वर्षों के करियर में मैंने कंपनी को गुणात्मक विकास करते देखा है और सौभाग्यवश मैं इसका हिस्सा रहा हूँ। एनएचपीसी के साथ मेरी यह यात्रा इस साल दिसंबर में समाप्त हो जाएगी और यह मेरे लिए बेहद सुखद व गौरवपूर्ण यात्रा रही है।

मैंने हमेशा एनएचपीसी और उसके विकास की क्षमताओं में विश्वास किया है। मैं बहुत आशान्वित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी आने वाले समय में एनएचपीसी के तीव्र विकास के गवाह बनेंगे। अंत में, मैं बोर्ड की ओर से, हमारे बहुमूल्य शेरशर्धारकों को उनके विश्वास और उदार समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके इस विश्वास और समर्थन की बदौलत ही हम एक मूल्यवान संगठन बनने के लिए दृढ़ता से निरंतर कार्य करते रहे। बोर्ड की ओर से, मैं भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कार्यालय, लेखापरीक्षकों, बैंकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। यह आपका समर्थन और मार्गदर्शन है जो हमें "सक्षम, जिम्मेदार और नवीन मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के सतत विकास के लिए एक वैश्विक अग्रणी संगठन" बनने के हमारे दृष्टिकोण पर निरंतर अडिग रहने को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

बोर्ड की ओर से, मैं एनएचपीसी के विजन और मिशन को प्राप्त करने के लिए 6000 से अधिक कर्मचारियों की हमारी टीम द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूँ।

जय हिन्द!

आपका,



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07449990

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 23.09.2019



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी, श्री आर. के. सिंह, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से दिनांक 04 जनवरी 2019 को एनएचपीसी के लिए “जलविद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूटीलिटी के लिए सीबीआईपी अवार्ड” प्राप्त करते हुए।



एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी 12 अक्टूबर 2018 को शिमला में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चेक भेंट करते हुए ।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07449990

श्री बलराज जोशी (59 वर्ष) एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और एनएचडीसी लिमिटेड तथा लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री जोशी हाइड्रो पावर विकास के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वह जलविद्युत विकास के सभी पहलुओं से भली-भांति परिचित हैं और नॉर्वेजियन तकनीकी संस्थान से जल विद्युत विकास और आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च (एनआईसीएमएआर), पुणे से निर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी है। श्री जोशी ने अपना व्यावसायिक जीवन वर्ष 1982 में एनएचपीसी की सलाल जल विद्युत परियोजना में एक परिवीक्षा अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। दुलहस्ती परियोजना, कुरीचू परियोजना (भूटान) और बकरेश्वर परियोजना में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण पर कार्य करने के लगभग 17 वर्षों का समृद्ध क्षेत्र अनुभव प्राप्त करने के पश्चात, उन्होंने कारपोरेट कार्यालय में डिजाइन और अभियांत्रिकी

विभाग में कार्यभार ग्रहण किया और एनएचपीसी की तीस्ता-5, तीस्ता लो डैम-3, तीस्ता लो डैम-4 और पार्वती-3 और कई अन्य परियोजनाओं के डिजाइन कार्य का नेतृत्व किया। वह भारत तथा विदेश में कई परामर्शी कार्यों हेतु टीम लीडर भी रहे हैं, जिसमें मांगदेचु जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट), भूटान और तमांथी परियोजना (1200 मेगावाट), म्यानमार प्रमुख है। एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के साथ संगठन में अपनी सेवाएं प्रदान की। जल विद्युत के विकास में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए, निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) ने उन्हें उद्योग डोयेन पुरस्कार प्रदान किया है। इंडियन वाटर रिसोर्सेज सोसाइटी (आईडब्ल्यूआरएस), रूढ़ी में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें “प्रख्यात जल संसाधन अभियंता पुरस्कार” से सम्मानित किया है।

उन्होंने बेहतर परिणामों के लिए प्रक्रियाओं पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ टीम एप्रोच पर बल दिया है। उनकी प्रक्रिया संचालित एप्रोच ने किशनगंगा परियोजना हेतु अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ न्यायालय में अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वह कर्मचारी सशक्तिकरण में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते हैं और संगठन के कार्यबल में तकनीकी ज्ञान के तीव्र विकास को वृद्धि की कुंजी मानने के पक्षधर हैं।

श्री बलराज जोशी 22 सितंबर, 2017 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएन 06852735

श्री रतीश कुमार (58 वर्ष) ने 6 जनवरी, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। वह जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तराखंड) से इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में बी.टेक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उनके पास जलविद्युत के क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह अक्टूबर, 1982 से एनएचपीसी लिमिटेड से संबद्ध हैं और उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपर के सोपान पर पहुंचे। उनकी जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा स्थापना, ई एण्ड एम उपकरणों के डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता तथा ईष्टतम अध्ययनों, जल विद्युत परियोजनाओं के विन्यास, विस्तृत पूर्व अर्हता को तैयार करने और जल विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य सभी पहलुओं सहित आईसीबी या एनसीबी के माध्यम से जल विद्युत की बड़ी संविदाओं को देने पर उत्कृष्ट पकड़ है।

निदेशक (परियोजनाएं) के अपने वर्तमान कार्य में श्री रतीश कुमार सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन

तथा निर्माण-पूर्व चरणों में हैं। इसमें हाइड्रो तथा साथ ही साथ सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। वह कंपनी द्वारा लिए जा रहे संयुक्त उद्यमों तथा परामर्शी कार्यों हेतु भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख कार्य अर्थात् संविदाएं, परियोजना निगरानी और समर्थन समूह तथा डिजाइन (ई एण्ड एम) भी उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री रतीश कुमार ने एनएचपीसी में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें कार्यकारी निदेशक (डिजाइन-ई-एण्ड एम) शामिल है। उनके प्रमुख योगदानों में एनएचपीसी के कई पावर स्टेशनों के नियंत्रण को चालू करना, कश्मीर घाटी में अशांति और कठिन जलवायु स्थितियों के बावजूद जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2018 में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को चालू करना, 9 माह की निर्धारित समयावधि के भीतर तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना को चालू करना, टीएलडीपी-4 पीएस को समय से पहले चालू करना, धौलीगंगा और उड़ी-2 पावर स्टेशन का पुनरुद्धार शामिल है। इसमें आगे कई परियोजनाओं यथा पार्वती-2, पार्वती-3, सुबानसिरी लोअर, तीस्ता-5, सेवा-2, चमेरा-3, धौलीगंगा आदि के ई एण्ड एम पैकेज का डिजाइन तथा अभियांत्रिकी

निदेशकों की प्रोफाइल

शामिल है। वे म्यानमार में तमांथी और शेवेजाय तथा भूटान में कुरी-गोंगरी, चमखरचू तथा मांगदेचु की डीपीआर तैयार करने सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यों से भी संबद्ध रहे हैं।

श्री रतीश कुमार भारतीय मानक ब्यूरो के इलेक्ट्रो-तकनीकी खंड परिषद (ईटीडीसी) में एक योगदानकर्ता सदस्य के स्तर में कार्य कर रहे हैं और हाई वोल्टेज स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर के क्षेत्र में भारतीय मानकों के निरूपण हेतु तकनीकी समिति के एक सदस्य भी रहे हैं। वह कई राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों, जीआईएस, बस डक्ट और ट्रांसफार्मर आदि संबंधी सीबीआईपी मैनुअल में एक विशेषज्ञ सदस्य भी रहे हैं।

श्री रतीश कुमार 24.3.2014 से 8.2.2016 तक नेशनल हाईपावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में एक नामिति निदेशक भी रहे हैं। वर्तमान में वे बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के बोर्ड पर नामिति निदेशक-अध्यक्ष के स्तर में भी कार्य कर रहे हैं।



श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन संख्या : 05332456

श्री निखिल कुमार जैन (57 वर्ष) आईआईटी रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्रीधारक है।

एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जैन एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे। श्री जैन का सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में लगभग तीन दशक से अधिक का व्यापक तथा प्रचुर अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेलवे में वर्ष 1988 में भारतीय रेल कार्मिक सेवा अधिकारी के स्तर में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है तथा रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (संयुक्त सचिव) के पद पर भी रहे हैं।

श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)

डीआईएन सं. 02889021

श्री महेश कुमार मित्तल (58 वर्ष) की एक विशिष्ट शैक्षणिक अकादमिक पृष्ठभूमि रही है और वह एम.कॉम (स्वर्ण पदक के साथ) और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (प्रोवियस) है। वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक फेलो सदस्य है और भारतीय कंपनी सचिव संस्था के भी फेलो सदस्य है।

श्री मित्तल के पास वित्त, लेखांकन, कराधान और नियामक मामलों के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का व्यापक अनुभव है। एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री मित्तल डेडिकेटेड फ्राइट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में निदेशक (वित्त) के स्तर में कार्यरत थे। उन्होंने स्मल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मुख्य लेखाधिकारी तथा कंपनी सचिव के स्तर में भी कार्य किया है।

वर्तमान में, वे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामिति निदेशक के स्तर में कार्य कर रहे हैं।

श्री महेश कुमार मित्तल ने 1 मार्च, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन 07871968

श्री जनार्दन चौधरी (59 वर्ष) बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी (झारखंड) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारक हैं। उन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड की टनकपुर परियोजना से दिसम्बर, 1984 में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में अपना व्यावसायिक करियर प्रारंभ किया।

श्री जनार्दन चौधरी के पास जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें जल विद्युत विकास के सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से लेकर चालू किए जाने और प्रचालन तथा रखरखाव शामिल है। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक (ओ एंड एम) के पद पर आसीन थे और नियामक ढांचे के भीतर पावर स्टेशनों के प्रचालनात्मक निष्पादन को ईष्टतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह बैरास्यूल और लोकतक पावर स्टेशनों के आर एंड एम (जीवनकाल विस्तार) के लिए डीपीआर को अंतिम रूप देने से संबद्ध थे। श्री चौधरी रंगित, पार्वती-3, सेवा-2, ओमकारेश्वर, चमेरा-3, पार्वती-2, सुबानसिरी लोअर और दिबांग जैसी कई परियोजनाओं के विस्तृत डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता और ईष्टतम अध्ययनों को तैयार करना, और ई एंड एम उपकरणों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वह टनकपुर, रंगित और कुरिचु परियोजनाओं के स्थापन, परीक्षण और चालू करने के क्रियाकलापों में शामिल थे और म्यान्मार में 1,200 मेगावाट की तमांथी, 720 मेगावाट की मांगदेचु और भूटान में 60 मेगावाट की कुरिचु जैसी कई परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी के परामर्शी कार्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने टनकपुर और उड़ी जैसे पावर स्टेशनों पर विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया और चमेरा-1 और चमेरा-2 के संयंत्र प्रमुख के रूप में भी कार्य किया।

श्री जनार्दन चौधरी ने 5 जुलाई, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री अनिरुद्ध कुमार, सरकारी नामित निदेशक

डीआईएन 07325440

श्री अनिरुद्ध कुमार (57 वर्ष) 1987 बैच, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 1984 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आनर्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने एनटीपीसी के साथ अपना करियर शुरू किया जहां उन्होंने 1984 से 1987 तक सिंगरोली थर्मल पावर स्टेशन में कार्य किया। इसके बाद, वह 1987 में वे भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए और 32 से अधिक वर्षों के अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान उन्होंने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के कर नीति स्कंध, आयकर विभाग में विभिन्न पदों, शहरी विकास मंत्रालय (2005 से 2009), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2009 से 2010) और आगरा में प्रधान आयकर आयुक्त जैसे विभिन्न प्रमुख विभागों में कार्य किया। श्री अनिरुद्ध कुमार ने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के

सदस्य के रूप में पूरी दुनिया में व्यापक रूप से यात्रा की है।

संयुक्त सचिव (हाइड्रो) का प्रभार लेने से पूर्व, वह विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (थर्मल) थे।

वर्तमान में वे एसजेवीएन लिमिटेड, खोलोंगचू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक परियोजना और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं।

श्री अनिरुद्ध कुमार ने 30 जुलाई, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



सीए सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 01052952

सीए सत्य प्रकाश मंगल (59 वर्ष) एक प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार और मैसर्स सत्य प्रकाश मंगल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली के संस्थापक भागीदार हैं। उनके पास कराधान तथा लेखापरीक्षा में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय अभियांत्रिकी तथा वित्तीय पुनर्संरचना तथा परियोजना के पुनरुद्धार हेतु ईष्टतम मार्ग निर्धारित करने में है। वह भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज एसोसिएशन, हैदराबाद के आजीवन सदस्य भी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) और यूको बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह बैंकिंग उद्योग हेतु "एएस-आस (आशा)" (अग्रिम चेतावनी प्रणाली) परियोजना पर कार्य कर रहे हैं जो एनपीए को रोकने हेतु निवारात्मक उपाय मुहैया करवाती है।

श्री मंगल के पास आश्वासन तथा अनुपालन, सेबी अनुपालन, जोखिम प्रबंधन का व्यापक ज्ञान है। उनके पास कारपोरेट अभिशासन और सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के श्रेष्ठ व्यवहारों संबंधी मार्गदर्शन की योग्यताएं हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को भी पूरा किया है। श्री मंगल भारत के वंचित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभिन्न संगठनों और परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। वे गौ संरक्षण और संवर्धन हेतु तथा पर्यावरण के बचाव के लिए एक योद्धा के रूप में भी कार्य करते हैं। उन्हें पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृष्ण सर्किट की राष्ट्रीय समिति (स्वदेश दर्शन) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

वर्तमान में वह एनएचपीसी लिमिटेड और एसपीएमसी बिजनेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और उन्हें 18 नवम्बर, 2018 से पुनर्नियुक्त किया गया था।



प्रोफेसर अरुण कुमार, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07346292

प्रो. अरुण कुमार (60 वर्ष) आईआईटी, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, आईआईएससी बंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईटी रुड़की से जल विद्युत विकास में पीएचडी धारक हैं। उन्होंने एनटीएच, ट्रंडेहम (नार्वे) से जल विद्युत विकास में डिप्लोमा अध्ययन किया है।

प्रो. कुमार के पास जल विद्युत विकास और नदियों तथा झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2009-11 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनाल हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष रिपोर्ट संबंधी जल विद्युत हेतु समन्वयक अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था। नदियों एवं झीलों के जल विद्युत विकास एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान को भारत एवं अंतराष्ट्रीय दोनों स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है। अपने

प्रतिष्ठित करियर के दौरान प्रो. कुमार को अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए थे जैसे कि वर्ष 1991 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कैश योर आइडिया पुरस्कार, 2001 में आईआईआरडीएसएस, नई दिल्ली से सूर्य पुरस्कार, इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड राज्य केन्द्र से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2015 और हिमालय पावर प्रोजेक्ट्स एसोसिएशन से उत्कृष्टता पुरस्कार और इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) रुड़की से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2017।

वे 1998 से 2011 तक वैकल्पिक जलीय ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी रुड़की के प्रमुख रहे थे और 2013-18 के दौरान एमएनआरई चेर प्रोफेसर (नवीकरणीय ऊर्जा) धारित किए हुए थे। प्रो. कुमार वर्तमान में जलीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (पूर्व में एएचईसी), आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हाइड्रोलिक टरबाइन आर एण्ड डी प्रयोगशाला, रियल टाइम हाइड्रो पावर सिमुलेटर, अवसाद निगरानी और प्रभाव विश्लेषण प्रयोगशाला और टरबाइन की फील्ड स्वीकृति प्रयोगशाला स्थापित की है।

श्री अरुण कुमार ने 26 नवम्बर, 2015 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें 18 नवम्बर, 2018 से पुनः नियुक्त किया गया था।

निदेशकों की प्रोफाइल



प्रो. कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 06944916

प्रो. कनिका टी. भाल (54 वर्ष) आईआईटी, दिल्ली में प्रबंधन अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। आईआईटी, कानपुर से पीएचडी धारक और स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग फेलो हैं। वह सामान्यतः व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से नेतृत्व में एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों तथा सम्मेलनों में 100 से अधिक लेख प्रकाशित करवाए हैं और कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के संपादक मंडल में शामिल हैं। वे नेतृत्व, संस्कृति एवं नैतिकता विषय पर पुस्तकों की लेखिका रही हैं। उन्होंने 100 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्त पोषित (फोरधम यूनिवर्सिटी तथा वहारटन बिजनेस स्कूल) परियोजनाओं हेतु प्रायोजित अनुसंधान किया है। विभिन्न संगठनों जैसे कि भारत के 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, डीआरडीओ, यूपीएससी, डीजीएस एण्ड डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसीडी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए परामर्शदाता होने के अतिरिक्त उन्हें सरकारी समितियों में एक

विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है और वह एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन एण्ड साइकोलॉजी तथा ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्लेक्सीबल सिस्टमस मैनेजमेंट की एक सदस्या हैं।

उन्हें हेडलाइन्स टुडे द्वारा 2013 में प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रोफेसर, आईईएस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, भोपाल द्वारा 2009 में प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु डा. हरी सिंह गौड़ पुरस्कार, आईआईटी, दिल्ली द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रो.भाल को शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा माननीय प्रोफेसर का सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका में प्रोफेसर का सम्मान दिया गया है। उन्हें 2017 में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, कनाडा में आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में आईआईटी, दिल्ली में इन्स्टीट्यूट ऑफ चेयर और डीन (आयोजना) में प्रबंधन की प्रोफेसर हैं।

वर्तमान में, वह एवाईई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड में भी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

प्रो. कनिका टी. भाल ने 26 नवम्बर, 2015 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें 18 नवम्बर, 2018 से पुनः नियुक्त किया गया था।



श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 03190289

श्री जुगल किशोर महापात्रा (63 वर्ष), दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर है, और उन्होंने 1979 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के ओडिशा कैडर में कार्यभार ग्रहण किया। बाद में, उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की। श्री महापात्रा के पास भारत सरकार और ओडिशा सरकार में व्यापक अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2014-16 के दौरान भारत सरकार के उर्वरक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। वह ओडिशा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव वित्त और मुख्य सचिव थे।

वर्तमान में, वे नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूल वेल्थ चेन्स में निदेशक और बोर्ड ऑफ अर्बन मास ट्राजिट कम्पनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

श्री जुगल किशोर महापात्रा ने 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री भागवत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07941795

श्री भागवत प्रसाद का जन्म 12 जुलाई 1968 को हुआ था। वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं।

वह ट्रेड यूनियनों से संबद्ध हैं और भारत के उत्तराखंड में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह पूर्व में उत्तराखंड सरकार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

श्री भागवत प्रसाद ने 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी और श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, एनएचपीसी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2019-20 के लिए 26 जून 2019 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, दस्तावेजों के साथ । इस अवसर पर श्री अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं), श्री एम .के. मित्तल , निदेशक (वित्त), श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी), डॉ. वेद प्रकाश, मुख्य सतर्कता अधिकारी व विद्युत मंत्रालय और एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे ।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल की ओर से, कंपनी के व्यापार तथा प्रचालनों पर 43वाँ वार्षिक रिपोर्ट तथा साथ में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा को प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यधिक हर्ष का विषय है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने नई उपलब्धियों को प्राप्त करना जारी रखा है।

पिछली रिपोर्ट के पश्चात से आपकी कंपनी की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

- पावर स्टेशनों ने 24193 मिलियन यूनिट (एमयू) का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त किए गए 23404 एमयू के पिछले अधिकतम उत्पादन को पार किया।
- कुल राजस्व और प्रचालनों से राजस्व (निवल) क्रमशः 9086 करोड़ रुपये और 8161 करोड़ रुपये थे। कुल व्यापक आय, कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) और अन्य व्यापक आय क्रमशः 2618 करोड़ रुपये, 2630 करोड़ रुपये और 12 करोड़ रुपये थी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभान्श, लाभान्श कर तथा आयकर के माध्यम से भारत सरकार के राजकोष में 1894 करोड़ रुपये का नकदी योगदान दिया गया।
- कंपनी ने 599.99 करोड़ रुपये की कुल राशि पर 28 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 21,42,85,714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है।
- 31 मार्च, 2019 को कंपनी का बाजार पूंजीकरण 24861.46 करोड़ रुपये था।
- लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) हेतु एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को 26 जुलाई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अनुसार कुछ राहतों के अधीन अनुमोदित किया गया है। एलटीएचपीएल सिक्किम में तीस्ता-6 जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) का डेवलपर है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पहले ही एलटीएचपीएल के अधिग्रहण और तीस्ता चरण-6 जल विद्युत परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी निवेश सहमति प्रदान की है।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ में 31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के गठन को सही ठहराया है और टिप्पणी की है कि परियोजना को जनहित में आगे बढ़ाया जाए।
- सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) हेतु निवेश पूर्व क्रियाकलापों और विभिन्न स्वीकृतियों पर व्यय किए जाने हेतु 1600 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदन प्रदान किया है।
- एनएचपीसी ने 3 फरवरी, 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रटले जल विद्युत परियोजना (850 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी तथा जेकेएसपीडीसी की इक्विटी भागीदारी प्रारंभ में 51:49 होगी।
- एनएचपीसी ने विद्युत के व्यापार हेतु 18 फरवरी, 2019 को एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध ज्ञापन के अनुसार एनएचपीसी और एनएलसीआईएल उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष विद्युत की पेशकश सस्ते मूल्य पर देश के दक्षिणी हिस्से में बल्क उपभोक्ताओं को करेंगे।
- एनएचपीसी को विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी "पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड के माध्यम से 3 वर्षों हेतु 2500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा पायलट योजना-2 के अंतर्गत "एग्रीगेटर" के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी ने एनएचपीसी चेंबर प्रोफेसरशिप को स्थापित करने और आर एण्ड डी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जल विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान तथा शिक्षा में सहयोग को सुकर बनाएगा।
- एनएचपीसी ने 3 सितम्बर, 2008 को परामर्शी कार्य और जल विद्युत परियोजनाओं में सहयोग हेतु बीएचईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार एनएचपीसी तथा बीएचईएल दोनों परामर्शी कार्यों तथा जल विद्युत परियोजनाओं हेतु संयुक्त बोली लगाने में सहयोग करेंगे जिसमें एनएचपीसी सिविल कार्यों तथा हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा और बीएचईएल इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों हेतु जिम्मेवार होगा।
- एनएचपीसी ने भारत में विभिन्न स्थानों पर अर्ध-भूमिगत बंकरों तथा पूर्णतः भूमिगत कैवर्नो के निर्माण के लिए अप्रैल, 2019 में भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सीसीईए ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में कीरु जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण हेतु निवेश स्वीकृति प्रदान की है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को तालिका 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय विशिष्टताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2017-18	2018-19
प्रचालनों से राजस्व	6,938.22	8,161.18
मूल्यहास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-पूर्व लाभ	5,134.13	5,406.25
मूल्यहास	1,395.51	1,589.99

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2017-18	2018-19
मूल्यहास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,738.62	3,816.26
ब्याज एवं वित्त प्रभार	922.32	894.88
मूल्यहास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,816.30	2,921.38
दर विनियमित आय	62.33	823.40
कर	109.60	1,114.23
मूल्यहास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-उपरान्त लाभ	2,769.03	2,630.55
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	5.88	(12.41)
कुल व्यापक आय (टीसीआई)	2,774.91	2,618.14
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखों के विवरण का अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	2,670.59	3,590.61
बांड विमोचन आरक्षित से अंतरण	148.17	244.98
आर एण्ड डी निधि से अंतरण	43.90	-
उप जोड़	5,637.57	6,453.73
घटाएं : विनियोजन		
बांड विमोचन आरक्षित को अंतरण	668.45	308.78
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	1,378.51	1,149.03
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित अर्जन का अंतिम शेष	3,590.61	4,995.92

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 9085.96 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित किया गया राजस्व 8358.77 करोड़ रुपये था।

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय 6164.58 करोड़ रुपये था जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसकी तुलना में कुल व्यय 5542.47 करोड़ रुपये था।

1.3 लाभ

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 2618.14 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (कुल व्यापक आय) अर्जित किया है जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यह 2774.91 करोड़ रुपये था।

1.4 निवल मूल्य

आपकी कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2019 को 29214.73 करोड़ रुपये था जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वर्ष 28351.82 करोड़ रुपये था।

2. शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में 28 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर शेयरधारकों से 10 रुपये प्रत्येक के 21,42,85,714 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है। शेयरों की पुनः खरीद हेतु कुल मूल्य 599.99 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2019 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 10,045.03 करोड़ रुपये थी जिसमें 10 रुपये प्रत्येक के 10,04,50,34,805 इक्विटी शेयर शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने क्रमशः जून, 2018 तथा फरवरी, 2019 में भारत 22 विनियम व्यापार निधि (ईटीएफ) को क्रमशः 2,93,54,564 तथा 4,98,89,622 शेयर अंतरित करके एनएचपीसी में अपनी धारिता का विनिवेश किया। भारत 22 ईटीएफ को शेयरों के अंतरण और पुनः खरीद के पश्चात एनएचपीसी में भारत सरकार की धारिता कम होकर 73.33 प्रतिशत रह गई है।

3. लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकार्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 0.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी राशि 753.38 करोड़ रुपये होती है। उक्त लाभांश मार्च, 2019 में अदा किए गए 0.71 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 713.20 करोड़ रुपये की राशि के कुल भुगतान (लाभांश वितरण कर के अतिरिक्त) वाले अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल लाभांश 1.46 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल लाभांश भुगतान (कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश के अनुमोदन के अधीन) 1466.58 करोड़ रुपये (लाभांश वितरण कर के अतिरिक्त) होगा जो, कर पश्चात लाभ का 56 प्रतिशत होता है जबकि पिछले वर्ष कुल लाभांश भुगतान 1436.31 करोड़ रुपये था जो कर पश्चात लाभ का 52 प्रतिशत था।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियम 43क की आवश्यकता के अनुपालन में आपकी कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति अपनाई है। लाभांश वितरण नीति को एक पृथक अनुबंध के रूप में दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

4. प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने **24193 एमयू** का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया (चुटक एवं निम्नो बाजगो पावर स्टेशनों से 279 एमयू के मानद उत्पादन के अतिरिक्त)। आपके निदेशक प्रसन्नतापूर्वक यह सूचित करते हैं कि 5 स्टेशनों यथा उड़ी-II, टीएलडीपी-III, टीएलडीपी-IV, निम्नो बाजगो और चुटक ने अपने प्रारंभ किए जाने से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया है। पाँडेज पावर स्टेशनों (रन ऑफ द रिवर तथा सीमित संयंत्रों के अतिरिक्त) ने 95 प्रतिशत का अब तक का सबसे अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया है। 5 पाँडेज पावर स्टेशनों यथा चमेरा-I, सेवा-II, तीस्ता-V, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV ने अब तक का अपना सबसे अधिक पीएएफ प्राप्त किया है। विद्युत-वार उत्पादन और पीएएफ **तालिका-2** में दिया गया है।

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पावर स्टेशन वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ)

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य* (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	पीएफ लक्ष्य* (%)	वास्तविक पीएफ (%)
पॉण्डेज पावर स्टेशन **				
लोकतक (105 मेगावाट)	650	603	94.00	97.87
चमेरा- I (540 मेगावाट)	2365	2485	96.50	99.49
रंगित (60 मेगावाट)	340	349	96.40	95.67
चमेरा-II (300 मेगावाट)	1470	1508	96.50	94.15
धौलीगंगा (280 मेगावाट)	1120	1106	94.50	91.39
दुलहस्ती (390 मेगावाट)	2210	2273	93.50	89.58
तीस्ता-V (510 मेगावाट)	2710	2701	94.50	98.23
सेवा-II (120 मेगावाट)	535	498	96.50	103.34
चमेरा-III (231 मेगावाट)	1065	1043	94.00	90.96
टीएलडीपी-III (132 मेगावाट)	550	572	91.80	95.71
टीएलडीपी-IV (160 मेगावाट)	700	709	91.85	93.64
उप जोड़ (क)	13715	13847	94.75	95.00
रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशन और सीमित संयंत्र				
बैरास्यूल (180 मेगावाट)	500	367	90.00	75.09
सलाल (690 मेगावाट)	3290	3412	77.00	84.05
टनकपुर (94.2 मेगावाट)	450	453	70.00	74.07
उड़ी (480 मेगावाट)	2630	3048	80.00	89.22
चुटक ¹ (44 मेगावाट)	40	49	49.00	51.45
निम्मो बाजगो ¹ (45 मेगावाट)	95	106	64.00	71.44
उड़ी-II (240 मेगावाट)	1400	1581	83.00	90.29
पार्बती-III (520 मेगावाट)	680	608	65.00	51.76
किशनगंगा (330 मेगावाट)	1450	529	85.00	44.85
पार्बती-II ² (800 मेगावाट)	300	42	30.00	0.00
उप जोड़ (ख)	10835	10195	73.35	73.12
कुल क+ख (जल विद्युत)	24550	24042	84.30	84.97
पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर (50 मेगावाट)	70	68	-	-
सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु (50 मेगावाट)	80	83	-	-
कुल	24700	24193	84.30	84.97

* दर्शाए गए लक्ष्य भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार 'बहुत अच्छा' रेटिंग हेतु है।

** वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पीएफ एमओयू लक्ष्य केवल पॉण्डेज पावर स्टेशनों से संबंधित हैं (अर्थात रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशनों तथा सीमित संयंत्रों को छोड़कर)।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पीएफ की वास्तविक उपलब्धि और एमओयू लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

बहुत अच्छा एमओयू लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18 वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2018-19 वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में पीएफ में सुधार
पिछले वर्ष की तुलना में पीएफ में 0.20 प्रतिशत सुधार (रन ऑफ रिवर तथा सीमित संयंत्रों के अतिरिक्त)	94.56%	95.00%	0.47%

टिप्पणी :

- उत्पादन में चुटक पावर स्टेशन (148.2 एमयू) और निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (131 एमयू) का मानद उत्पादन शामिल नहीं है।
- यूनिट-1 तथा 2 ने क्रमशः 14 सितम्बर, 2018 और 22 सितम्बर, 2018 से उत्पादन प्रारंभ किया। उत्पादन में अपुष्ट विद्युत शामिल है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने ग्रिड फ्रीक्वेंसी में दक्ष प्रचालन तथा परिवर्तनों के समय से प्रतिउत्तर के चलते 185.05 करोड़ रुपये के निवल विपथन प्रभार भी अर्जित किए हैं।

वर्तमान परिदृश्य में विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) को नई क्षमतावर्धन के साथ एक लागत प्रभावी विकल्प माना जाता है, क्योंकि इनकी प्रतीक्षा अवधि कम होती है तथा इसके लिए सभी स्वीकृतियां और लाभार्थी उपलब्ध होते हैं। एनएचपीसी 2 पावर स्टेशनों अर्थात बैरास्यूल (180 मेगावाट) और लोकतक (105 मेगावाट) के जीवन विस्तार हेतु आर एण्ड एम कार्य को निष्पादित कर रहा है। बैरास्यूल पावर स्टेशन (3 X 60 मेगावाट) ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक प्रचालन के अपने 35 वर्ष पूर्ण किए हैं। पावर स्टेशनों के आर एण्ड एम का कार्य अक्टूबर, 2018 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित पूर्णता के साथ प्रारंभ हुआ था। इस अवधि के दौरान 2 यूनिटें उत्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगी और एक यूनिट को आर एण्ड एम के अधीन रखा जाएगा ताकि लाभग्राहियों को विद्युत मिलना जारी रहे।

लोकतक पावर स्टेशन में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक प्रचालन के अपने 35 वर्ष पूरे किए हैं। आर.एण्ड.एम प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए याचिका पर अंतिम सुनवाई फरवरी, 2019 में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष पहले ही पूरी हो चुकी है और आदेश प्रतीक्षित हैं।

5. वाणिज्यिक निष्पादन

5.1 बिक्री तथा वसूली

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रचालनों से आपकी कंपनी की बिक्री 8161.18 करोड़ रुपये थी। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 6498.70 करोड़ रुपये की राशि को वसूल पाने में समर्थ हुई है जिसमें 190.74 करोड़ रुपये के अधिभार का एकत्रीकरण और पिछले वर्षों की बकाया राशि का परिसमापन शामिल है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार 1719.02 करोड़ रुपये के कुल बकाया देय (362.93 करोड़ रुपये के अधिभार सहित) 60 दिवस से अधिक हेतु लंबित थे। बकाया मुख्यतः विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर (707.19 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (640.74 करोड़ रुपये) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (219.10 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं।

आपकी कंपनी लगातार अनुवर्तन से बकाया देयों की वसूली के लिए प्रयास कर रही है।

5.2 विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित पावर स्टेशनों के संबंध में पीपीए निम्नलिखित राज्यों/वितरण कंपनियों के साथ वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 35 वर्ष हेतु नवीकृत किए गए हैं :

क्रम सं.	राज्य/वितरण कंपनी का नाम	पावर स्टेशन का नाम
1	हिमाचल प्रदेश	धौलीगंगा, चमेरा-II, सलाल, टनकपुर, चमेरा-I, उड़ी-I, चमेरा-III, बैरास्यूल और पार्वती-III

क्रम सं.	राज्य/वितरण कंपनी का नाम	पावर स्टेशन का नाम
2	उत्तर प्रदेश	किशनगंगा
3	राजस्थान	चमेरा-III, पार्वती-III
4	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) - दिल्ली	बैरास्यूल

पावर स्टेशनों के शेष उपयोगी जीवनकाल (अर्थात 35 वर्षों) हेतु समाप्त हो चुके पीपीए के संबंध में डिस्का के साथ पीपीए के नवीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रत्याशा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिकांश पीपीए का 35 वर्षों के लिए नवीकरण किया जाएगा।

6. चालू परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी वर्तमान में 2800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली दो जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यरत है। इन चालू परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

6.1 पार्वती-II जल विद्युत परियोजना 800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश :

पार्वती-II जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। बांध, इनटेक ढांचा, गाद हटाने के चेम्बर, प्रेशर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट, विद्युत गृह और जीवा नाला कार्यों जैसे प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। जल संचलन प्रणाली में 31.52 किलोमीटर लम्बी हेड रेस टनल (एचआरटी) शामिल है। इसमें मार्च, 2019 तक 28.47 किलोमीटर का उत्खनन और 26.58 किलोमीटर लम्बाई की कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर, 2015 में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा एचआरटी के उत्खनन की बहाली के पश्चात से 31 मार्च, 2019 तक 1671 मीटर टनल का उत्खनन किया जा चुका है। विद्युत गृह के ई एण्ड एम कार्य भी पूरे हो चुके हैं।

पहली और दूसरी यूनिट जीवा नाला से डिस्चार्ज का उपयोग करते हुए क्रमशः 14 सितम्बर, 2018 तथा 22 सितम्बर, 2018 को आंशिक लोड पर ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक समक्रमित की जा चुकी है। परियोजना दिसम्बर, 2021 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

6.2 सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट (8 x 250 मेगावाट), असम/अरुणाचल प्रदेश :

परियोजना का निर्माण जनवरी, 2005 में प्रारंभ हुआ था और 55 प्रतिशत कार्य (लगभग) पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता के निर्देशों के चलते परियोजना रोक दी गई है। माननीय एनजीटी के निर्णय के अनुसार, अक्टूबर, 2017 में परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक तीन सदस्य विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। तथापि, उक्त समिति के गठन पर आपत्ति उठाए जाने के कारण एनजीटी प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा समिति की बैठकों को स्थगित किया गया था। मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात माननीय एनजीटी की प्रधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को खारिज कर दिया है। तत्पश्चात विशेषज्ञ समिति ने कई बैठकें आयोजित की तथा स्थल दौरे किए और मार्च, 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने माननीय एनजीटी की प्रधान पीठ के आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले को ले गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय एनजीटी के आदेशों को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया है कि नए सिरे से निर्धारण हेतु अधिकरण के समक्ष जाए।

आवेदन पुनः दायर किए जाएं। माननीय एनजीटी की प्रधान पीठ ने 31 जुलाई, 2019 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन को सही ठहराया है और मत व्यक्त किया है कि जनहित में परियोजना को आगे बढ़ाया जाए।

7. नई परियोजनाएं

अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों सहित स्वीकृति/अनुमोदन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं की स्थिति को तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण में होने वाली परियोजनाएं :

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क.	एकल आधार पर		
(क)	जल विद्युत परियोजनाएं		
i	कोटली भेल I-ए *	उत्तराखंड	195
ii	तीस्ता-IV	सिक्किम	520
iii	दिबांग **	अरुणाचल प्रदेश	2,880
iv	तवांग-I		600
v	तवांग-II		800
vi	बरसर	जम्मू एवं कश्मीर	800
vii	गोरीगंगा-IIIए	उत्तराखंड	150
	उप-जोड़ (क)		5,945
(ख)	पवन विद्युत परियोजनाएं		
i	पवन विद्युत परियोजना, पलक्कड़	केरल	8
	उप-जोड़ (ख)		8
	कुल क (क+ख)		5,953
ख.	अनुषंगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम के माध्यम से		
(क)	जल विद्युत परियोजनाएं		
i	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना	मणिपुर	66
ii	क्वार (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी इंडिया लि. के साथ संयुक्त उद्यम)	जम्मू एवं कश्मीर	540
iii	भूटान में चमखरचू-I (ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम - अभी अधिनिगमित की जानी है)	-	770
	उप-जोड़ (क)		1,376
(ख)	सौर परियोजनाएं		
i	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम) के माध्यम से यूपी.के. जालौन जिले में परियोजना ***	उत्तर प्रदेश	32
	उप-जोड़ (ख)		32
	कुल ख (क+ख)		1,408
	सकल योग (क+ख)		7,361

टिप्पणी :

* परियोजना हेतु परियोजना निवेश बोर्ड (पीआईबी) अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति के अधीन है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य निर्माण क्रियाकलाप भी माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर हैं।

** सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निवेश पूर्व क्रियाकलापों और विभिन्न स्वीकृतियों पर व्यय किए जाने हेतु 1600 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदन प्रदान किया है।

*** उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए एनएचपीसी और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में केवल 32 मेगावाट के लिए भूमि उपलब्ध है।

आपके निदेशक सहर्ष यह सूचित करते हैं कि लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) हेतु एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को 26 जुलाई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ द्वारा आईबीसी के अनुसार कुछ राहतों के अधीन अनुमोदित किया गया है।

एलटीएचपीएल सिक्किम में तीस्ता-6 जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) का डेवलपर है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पहले ही एलटीएचपीएल के अधिग्रहण और तीस्ता चरण-6 जल विद्युत परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी निवेश सहमति प्रदान की है।

उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रटले जल विद्युत परियोजना (850 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एनएचपीसी तथा जेकेएसपीडीसी की इक्विटी भागीदारी प्रारंभ में 51:49 होगी। एनएचपीसी की इक्विटी को चालू होने की तिथि से 5 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जेकेएसपीडीसी द्वारा 15 वर्षों में समान किश्तों पर खरीदा जाएगा।

8. विविधीकरण

आपकी कंपनी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा पवन, सौर आदि की परियोजनाओं को लेकर अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के माध्यम से क्षमतावर्धन हेतु प्रयास कर रही है। ऐसी परियोजनाओं के स्थापन हेतु कंपनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

8.1 सौर विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने कलाडा, केरल में 10 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजना के विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की है। परियोजना हेतु बोलियां मूल्यांकन के अधीन हैं। कार्य सौंपे जाने का पत्र जारी किए जाने से पूर्व पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने में तेजी लाई जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व विभिन्न क्रियाकलाप प्रगतिधीन हैं।

अतिरिक्त आपकी कंपनी को मार्च, 2019 में नोडल एजेंसी पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड के माध्यम से 3 वर्षों हेतु 2500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा पायलट योजना-2 के अंतर्गत 'एग्रीगेटर' के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों का ब्यौरा

31 मार्च, 2019 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियां/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं :

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा (इक्विटी भागीदारी)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
अनुषंगी कंपनियां		
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	एनएचपीसी (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत)	एनएचडीसी लिमिटेड के मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील पावर स्टेशन हैं अर्थात् इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वर्ष के दौरान एनएचडीसी ने अपने पावर स्टेशनों से 1921.23 एमयू अर्थात् इंदिरा सागर पावर स्टेशन से 1309.22 एमयू तथा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन से 612.01 एमयू का उत्पादन किया था।
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	एनएचपीसी (74 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत)	एलडीएचसीएल वर्तमान में मणिपुर के तमंगलॉग जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ईपीसी पैकेजों हेतु निविदा दिया जाना प्रक्रियाधीन है। मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल बहुउद्देश्य योजना के जल विद्युत घटक (7.5 मेगावाट) को भी कंपनी को आवंटित किया है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना वर्तमान में अन्वेषण चरण के अधीन है।
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	एनएचपीसी (99.99 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीएनईडीए)	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के परासन गांव में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे सौंपी जाने वाली अन्य कोई परम्परागत या अपराम्परागत विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। परियोजना हेतु यूपीएनईडीए द्वारा पहले निर्दिष्ट की गई भूमि को वापिस ले लिया गया था। बाद में, यूपीएनईडीए ने को बीएसयूएल को परासन गांव में 63.491 हेक्टेयर भूमि अंतरित की थी। अब स्थल पर एक 32 मेगावाट सौर संयंत्र को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना कार्य हेतु बोलियां मूल्यांकन के अधीन है।

एनएचपीसी को उड़ीसा में 100 मेगावाट क्षमता के एक सौर पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सिद्धांततः अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। पहले चरण में गनजाम जिले में 40 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की जाएगी। भूमि के हस्तांतरण, पीपीए हस्ताक्षर किए जाने तथा ग्रिड कनेक्टिविटी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। ईपीसी संविदा हेतु बोलियां पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं। शेष क्षमता के विकास की संभावना भी तलाशी जा रही है।

8.2 पवन विद्युत परियोजनाएं

एनएचपीसी ने राज्य में उपलब्ध उच्च पवन विद्युत संभाव्यता के दोहन के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में 72 मेगावाट (± 10 प्रतिशत) क्षमता के विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की है। परियोजना की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है। पहले चरण में 8 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजना को उपलब्ध विद्युत निकासी आधारभूत ढांचे के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा। भूमि के आवंटन, पीपीए हस्ताक्षर किए जाने तथा ग्रिड कनेक्टिविटी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

8.3 विद्युत व्यापार लाइसेंस

एनएचपीसी ने विद्युत क्षेत्र में नए अवसरों में प्रवेश किया है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने समूचे भारत में विद्युत के अंतर राज्य व्यापार के लिए सीईआरसी से श्रेणी-1 लाइसेंस प्राप्त किया है। एनएचपीसी डीईईपी (डिस्कवरी ऑफ एफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) ई-बोली पोर्टल पर पंजीकृत है और इसने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) और भारतीय विद्युत एक्सचेंज लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में व्यापार सदस्यता प्राप्त की है। उपरोक्त के

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्योरा (इक्विटी भागीदारी)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड * (सीवीपीपीपीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड (51.94 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (47.77 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.29 प्रतिशत)	जम्मू एवं कश्मीर में 3 परियोजनाएं अर्थात पकलडुल जल विद्युत परियोजना (100 मेगावाट), कीरुजल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट) को सीवीपीपीपीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने परियोजनाओं के लिए आधारभूत ढांचा विकास कार्यो यथा सड़क, पुल, भवन आदि को विकसित करने का कार्य शुरू किया है। पकलडुल जल विद्युत परियोजना का निष्पादन प्रमुख घटकों यथा अपवर्तन टनल, एचआरटी-टीबीएम, बांध, विद्युत गृह, हाइड्रो-मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल के पैकेजों के माध्यम से किया जा रहा है। बांध और विद्युत गृह पैकेजों हेतु कार्य दिए जा चुके हैं। शेष पैकेजों हेतु बोलियां प्रक्रियाधीन हैं। कीरुजल विद्युत परियोजनाओं के सभी पैकेजों हेतु बोलियों का मूल्यांकन किया गया है और कार्य को दिया जाना प्रक्रियाधीन है। सीसीईए ने सीवीपीपीएल द्वारा कीरुजल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान की है। क्वार जल विद्युत परियोजना हेतु सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल पैकेजों हेतु बोलियां मूल्यांकन के अधीन हैं। इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज हेतु बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनी		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की शेयरधारिता 20 प्रतिशत है)	एनएचपीटीएल की स्थापना देश में शॉर्ट सर्किट जांच सुविधा के लिए एक ऑन लाइन हाई पावर जांच प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए की गई थी। 400 केवी स्तर और 765 केवी स्तर पर उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला पहले से ही बीना, मध्य प्रदेश में प्रचालनशील है। मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला अक्टूबर/नवम्बर, 2019 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

* चूंकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा अपेक्षित समान अंशदान का भुगतान नहीं किया गया था अतः 31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी की शेयरधारिता बढ़कर 51.94 प्रतिशत थी तथा इसलिए सीवीपीपीपीएल 31 मार्च, 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी बन गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक अनुषंगी, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में मुहैया करवाई गई है और इसलिए संक्षिप्तता के मद्देनजर उसे दोहराया नहीं गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी सचिव, एनएचपीसी लिमिटेड को लिख सकता है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

10. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुपालन में ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधी कार्य का निष्पादन कर रही है।

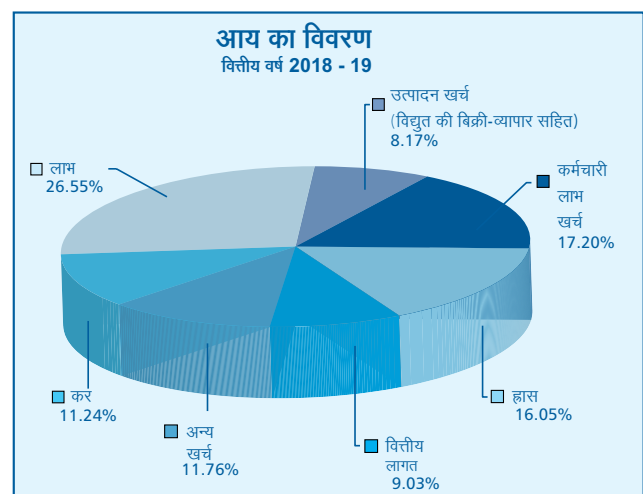
योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 1,725.65 करोड़ रुपए की लागत पर 758 सड़कों के निर्माण तथा निर्माण के पश्चात पांच वर्षों तक इसका रखरखाव करना था। 31 मार्च, 2019 तक 3084 किलोमीटर लम्बाई वाली 753 सड़कें पूरी हो चुकी है। वैशाली जिले में शेष 5 सड़कों का निर्माण प्रगतिधीन है। 2982 किलोमीटर सड़क लम्बाई कवर करने वाली 753 सड़कों हेतु 5 वर्षों की रख-रखाव की अवधि भी पूर्ण हो गई है।

11. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी का तकनीकी "ज्ञान और जानकारी", दक्षता और अनुभव इसे जल विद्युत तथा संबंधित कार्यो के क्षेत्र में "प्रचालन तथा अनुरक्षण के साथ परिकल्पना से संचालन तक" विश्व स्तरीय परामर्शी सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए एक अग्रणी स्थिति में रखता है। वर्तमान में आपकी कंपनी नदी बेसिन अध्ययनों, सर्वेक्षण कार्यो, डिजाइन और अभियांत्रिकी, जल वैज्ञानिक अध्ययनों, संविदा और निर्माण प्रबंधन आदि से संबंधित परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है। आपकी कंपनी के प्रमुख परामर्शी कार्यो में भूतान में मांगदेचु विद्युत परियोजना

के कार्यान्वयन हेतु अभियांत्रिकी और डिजाइन परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाना, जम्मू एवं कश्मीर में पकलडुल, कीरु तथा क्वार के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाना और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग पावर स्टेशन की ओवरहॉलिंग शामिल है।

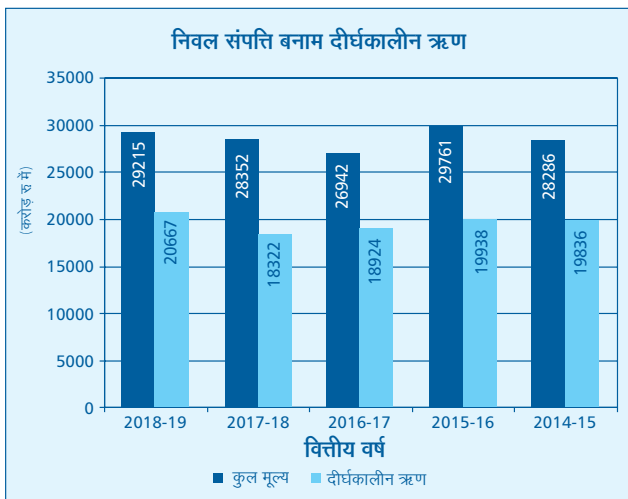
अन्य संगठनों द्वारा एनएचपीसी के ज्ञान का लाभ उठाए जाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से प्रतिभागियों को जल विद्युत परियोजनाओं के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिजाइन और अभियांत्रिकी पहलुओं के क्षेत्र में कार्यक्रमों की पेशकश की गई थी। बड़ी संख्या में भारतीय तथा विदेशी प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।



12. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की उपलब्ध आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी इसके निम्न गियर्ड पूंजीगत ढांचे तथा दृढ़ क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए सीआईआरसी के अनुसार अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है।

आपकी कंपनी योजित क्षमतावर्धन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों को तलाश रही है।



13. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

आपकी कंपनी व्यापार में धारणीय वृद्धि की प्राप्ति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। समूचे भारत में कंपनी की विभिन्न यूनिटें मल्टीमोड और विफलता से सुरक्षित संप्रेषण लिंक के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय से जुड़े हुए हैं। आपकी कंपनी के स्वामित्व वाली आईटी एवं सी परिसंपत्तियों के ईष्टतम एवं सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा नीति विद्यमान है। सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता तथा निर्णय लेने में सुधार करने के लिए एनएचपीसी में इसके सभी व्यापार कार्यों के एकीकरण के लिए उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) एप्लीकेशन कार्यान्वित किया गया है।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई-खरीद, सरकारी ई-बाजार (जीईएम) और ई-रिवर्स बोली प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया कंपनी में प्रचालनशील है। आपकी कंपनी घटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के मार्गदर्शन तथा निगरानी हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है। पेपरलेस कार्यालय बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस एप्लीकेशन के वृद्धित नियोजन हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान टी एंड एचआरडी ने सिविल एवं इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी, डिजाइन, मानव संसाधन, वित्त और अन्य कोर क्षेत्रों में दक्षता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि कंपनी

के कर्मचारी नवीनतम प्रौद्योगिकीय घटनाक्रमों से खुद को अवगत रख सकें। अधिगम तथा विकास के लिए नए सिरे से कल्पनाबद्ध तरीके में कंपनी को अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को 20744 श्रम दिवस का प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यपालकों को आईआईएम, आईआईटी, सीबीआईपी आदि जैसे भारत के अग्रणी संस्थानों द्वारा आयोजित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया था ताकि वे संगठन में उच्चतर उत्पादकता और दक्षता को प्राप्त करने के लिए अपने कौशलों में वृद्धि कर सकें। उक्त संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 583 कार्यपालकों को नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्यपालकों को एमबीए आदि जैसे उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रायोजित किया गया था और जल विद्युत विकास के क्षेत्र में वैश्विक व्यवहारों की जानकारी लेने के लिए उन्हें विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी भेजा गया था।

एनएचपीसी के 4 प्रशिक्षण केन्द्र यथा - सलाल (जम्मू एवं कश्मीर), उडी (जम्मू एवं कश्मीर), टनकपुर (उत्तराखंड) और चमेरा-1 (हिमाचल प्रदेश) हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र भी कर्मचारियों हेतु विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

एनएचपीसी ने देश में अग्रणी सीपीएसई के साथ अपनी प्रक्रिया को बैचमार्क करने के लिए संबंधित संगठनों में पालन किए जा रहे व्यवहारों को समझने के लिए विभिन्न अंतर क्षेत्रक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आयोजित किए गए कार्यक्रम "संविदाएं और माध्यस्थ कार्यवाही", "सौर विकास", "जल विद्युत विकास" आदि विषय पर थे।

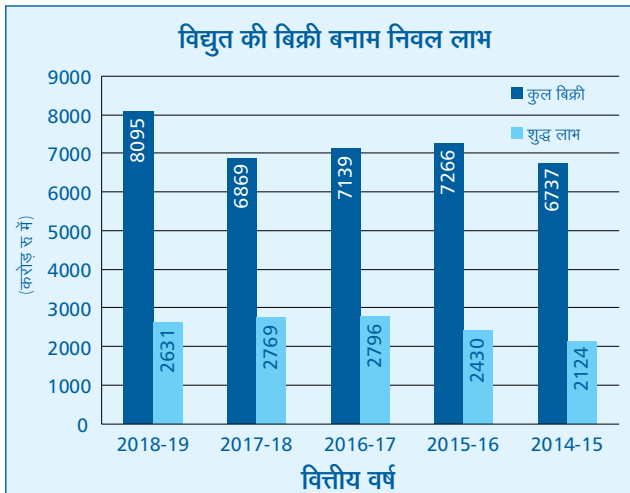
रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान कंपनी में बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों तथा कामगारों हेतु 1.1.2017 से संशोधित वेतनमान लागू किए गए थे। उक्त के अतिरिक्त मार्च, 2019 में बोर्ड स्तर के कार्यपालकों सहित कार्यपालकों के वेतनमान 1 जनवरी, 2007 से नियमित भी किए गए थे। कर्मचारियों ने कंपनी की वृद्धि हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

15. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों पर औद्योगिक संबंध मित्रवत और सौहार्द्रपूर्ण रहे। कर्मचारियों ने कंपनी की वृद्धि हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

16. पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर)

आपकी कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित जनसंख्या की कठिनाइयों को समझती है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं को "उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक धारणीयता मुहैया करवाने के लिए निरूपित किया जाता है। हाल ही में एनएचपीसी ने परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निकट निवास कर रहे स्थानीय लोगों हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यों के कुछ प्रकार को आरक्षित करने हेतु एक नीति निरूपित की है।



17. सतर्कता क्रियाकलाप

आपकी कंपनी में प्रणालियां, पद्धतियां और प्रक्रियाएं संगठन को एक पारदर्शी निकाय बनाने के लक्ष्य को रखे हुए हैं। सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी करने तथा उससे निपटने के लिए प्रणालियां प्रलेखित हैं। आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक सतर्कता विभाग है।

सतर्कता विभाग सीबीआई, सीबीसी तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 6 सतर्कता मामले को समाप्त किया गया। 31 मार्च, 2019 के अनुसार कदाचार, दुर्विनियोजन तथा आय से अधिक संपत्ति से संबंधित 3 सतर्कता मामले जांच के अधीन हैं।

निवारण सतर्कता के एक भाग के रूप में समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/गहन परीक्षणों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र तथा दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और नीति शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

18. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

19. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की जोखिमों के प्रति एक ढाचाबद्ध तथा अनुशासित एप्रोच के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

20. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए लोक प्रापण नीति अधिसूचित की है ताकि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता दी जा सके। इस नीति के अनुपालन में इसके अंतर्गत, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक

खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एमएसई को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव - पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अधीन है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 67.49 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाध्यकारी लक्ष्य 25 प्रतिशत का है। वर्ष के दौरान, 918 एमएसई लाभान्वित हुए हैं जिसमें से 45 एमएसई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबद्ध हैं और 23 एमएसई का स्वामित्व महिलाओं के पास था।

एनएचपीसी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्यों के वित्त पोषण हेतु व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरडीएस) प्लेटफॉर्म पर भी पंजीकृत है। टीआरडीएस प्लेटफॉर्म एमएसएमई के बीजकों को पृथक् करने को सुकर बना है जो उनके नियमित व्यापार प्रचालनों हेतु कार्यशील पूंजी को तुरंत उत्पन्न करने में परिणत होता है। आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 5 विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है/उनमें प्रतिभागिता की गई।

21. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और संगत नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदारी हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें गृह पत्रिका में लेख/आलेख देना, हिंदी पुस्तकों का पठन और हिंदी में टिप्पण तथा प्रारूपण करना आदि शामिल हैं।

एनएचपीसी ने वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। उक्त के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिंदी कार्यशालाओं तथा विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया था। हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए "राजभाषा ज्योति" और "नगर सौरभ" नामक राजभाषा पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की विभिन्न मंचों पर सराहना की गई थी। आपकी कंपनी की वेबसाइट में भी प्रचालन का एक द्विभाषी माध्यम है अर्थात् हिंदी तथा साथ-साथ अंग्रेजी दोनों में। वर्ष के दौरान एनएचपीसी द्वारा प्रचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से वर्ष 2017-18 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए "क" क्षेत्र में "द्वितीय पुरस्कार" प्राप्त हुआ था।

22. खेल कूल तथा अन्य क्रियाकलाप

वर्ष 2018-19 के दौरान, एनएचपीसी ने विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अंतर सीपीएसयू खेल

प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। एनएचपीसी द्वारा 26 से 28 फरवरी, 2019 के दौरान गुवाहाटी में अंतर सीपीएसयू कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। एनएचपीसी खेलकूद नीति के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4 युवा खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में स्कूली बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिताओं का समन्वय किया। श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन), लोकतक पावर स्टेशन को पिछले वर्ष की तुलना में छात्र भागीदारी में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्शाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'श्रेष्ठ नोडल अधिकारी' घोषित किया गया था।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की थी।

23. सामाजिक पहलें

आपकी कंपनी और इसके कर्मचारी आपदा के समय में देश को सहायता प्रदान करने की उदार परंपरा को जारी रखे हुए हैं। एनएचपीसी के कर्मचारियों ने केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1.61 करोड़ रुपये और पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाई गई निधि 'भारत के वीर' में 1.85 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त उनके जल विद्युत संयंत्रों को ठीक करने के लिए 2 ट्रांसफार्मर भी मुहैया करवाए हैं। एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान भी दिया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना के अंतर्गत निदेशक (कार्मिक) ने अगस्त, 2018 में टनकपुर पावर स्टेशन में एक पीएमबीजेपी केन्द्र का उद्घाटन सस्ती दरों पर जेनरिक दवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए किया था।

24. पर्यावरण बचाव और संरक्षण के प्रति की गई पहलें

आपकी कंपनी को पर्यावरण के संरक्षण तथा बचाव के अपने दायित्व की जानकारी है। अन्वेषण चरण के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन के समय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन और पहचान की जाती है। प्रबंधन योजनाओं को आवश्यक उपाय करके परियोजना द्वारा प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव तथा इसे क्रियान्वित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, भवन का निर्माण उन्हें पर्यावरण अनुकूल बनाने के अनुसूचित किया जाता है। हमें यह जानकारी साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि "नीर शक्ति सदन", एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फरीदाबाद को जून, 2019 में ग्रीहा परिषद द्वारा 4 सितारा ग्रीहा रेटिंग दी गई है। ग्रीहा (एकीकृत प्रवास आकलन हेतु हरित रेटिंग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और द एनर्जी एण्ड रिसोर्सिज इन्स्टीट्यूट (टेरी) का एक संयुक्त प्रयास है। 5 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन हेतु एनएचपीसी में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम किए गए थे। पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने के लिए परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के प्रमुखों द्वारा पर्यावरणीय पहलों पर चर्चा भी की गई थी। उक्त के अतिरिक्त कुछ पावर स्टेशनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्लोक प्रतियोगिताएं, जागरूकता रैली तथा स्थानीय लोगों को पौधे वितरण भी किए गए थे।

25. सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए ऑन लाइन आरटीआई पोर्टल

के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों पर केवल पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी ने आम जनता की व्यापक सूचना हेतु विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्डों को अपनी वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर रखा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 519 (266 ऑनलाइन) आवेदन और 65 (38 ऑनलाइन) प्रथम अपील प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्रमशः 517 (99.61 प्रतिशत) आवेदनों और 64 प्रथम अपीलों (98.46 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 5 द्वितीय अपीलों दायर की गई थी जिनका भी निपटान कर दिया गया था।

26. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आपकी कंपनी के व्यापार दर्शन का एक अभिन्न भाग है। आपकी कंपनी के सीएसआर क्रियाकलापों का उद्देश्य विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए आमतौर पर समाज पर एक गहरे सकारात्मक प्रभाव को स्थापित करना है, विशेष रूप से हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा कल्याण चिन्ताओं पर ध्यान देकर और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तीकरण के माध्यम से साम्य विकास द्वारा। आपकी कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण आदि के क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर क्रियाकलापों पर बाध्यकारी व्यय में कमी हेतु कारणों सहित आपकी कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में एक पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है। आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf पर उपलब्ध है।

27. सम्बन्धित पक्षों की संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार इसकी सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के साथ परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं मुहैया करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्ष संव्यवहार का फार्म एओसी-2 में प्रकटीकरण किया जाना लागू नहीं होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एनएचपीसी ने भारत सरकार की "विद्युत प्रणाली विकास निधि" योजना की प्रोदभूत देयताओं को पूरा करने के लिए 2017.20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के वित्त-पोषण के लिए अप्रतिभूत, मोचनयोग्य, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी तथा कर योग्य दीर्घावधि बॉण्ड की प्रकृति में "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" जुटाए हैं।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 8 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जो इंड एस-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करती है।

28. हिस्सल ब्लोअर तंत्र

आपकी कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों को नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाने हेतु निदेशकों, कर्मचारियों, वेंडरों तथा संविदाकारों को उचित अवसर मुहैया करवाने के लिए सतर्कता तंत्र के एक भाग के रूप में एक हिस्सल ब्लोअर नीति अपनाई है। यह

नीति प्रावधान करती है कि व्हिसल ग्लोअर की गोपनीयता बनाए रखी जाए और उसके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए। यह नीति अपवादजनक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच भी अनुमति करती है।

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, व्हिसल ग्लोअर नीति के अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी नीति के अंतर्गत प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई तथा उसे बंद किया गया। इसके अतिरिक्त, व्हिसल ग्लोअर नीति के संबंध में लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच हेतु किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया गया है।

29. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उनकी शिकायतों के समाधान मुहैया करवाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान हेतु कंपनी के विभिन्न स्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है।

महिला कर्मचारियों में उनके अधिकारों के संबंध में जागरूकता और कार्यस्थल पर सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। पुरुष कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु भी कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी। तथापि, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की एक शिकायत का निपटारा किया गया था।

30. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (एलओडीआर) की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट की संदर्भ सूचना में दिया गया है।

31. सांविधिक और अन्य जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) और सीपीएसई हेतु निर्गमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया जाने हेतु अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के निम्नानुसार संलग्न है :

विवरण	अनुबंध
कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	I
कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र	II
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	III
ऊर्जा संरक्षण, तकनोलॉजी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	IV
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	VII
लाभांश वितरण नीति	VIII

32. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

32.1 सचिवालयीन लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध-9** में दी गई है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24क के अनुपालन में एनएचडीसी लिमिटेड, जो एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी है, की सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी **अनुबंध-10** में दी गई है।

32.2 सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है :

1. मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली;
2. मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी कोलकाता; और
3. मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी, जम्मू

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट बिना किसी अर्हता के है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2103 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-11** में दिया गया है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-12** में दिया गया है।

32.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा लेखे की समीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां **अनुबंध-13** में दी गई हैं।

32.4 लागत लेखा-परीक्षा

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 की आवश्यकता के अनुसार आपकी कंपनी के सभी पावर स्टेशनों द्वारा लागत लेखाकन रिकार्डों को रखा जा रहा है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एक्सबीआरएल प्रारूप में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को 15 अक्टूबर, 2018 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पावर स्टेशनों के लागत लेखाकन रिकार्डों की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्म को नियुक्त किया गया था :

फर्म का नाम	पावर स्टेशन/ परियोजना का नाम
मैसर्स चन्द्र वधवा एण्ड कंपनी, दिल्ली (लीड लागत लेखापरीक्षक)	चुटक और निम्नो बाजगो
मैसर्स बलविन्दर एण्ड एसोसिएट्स, मोहाली - पंजाब	चमेरा-1, बैरास्यूल और पार्वती-3

फर्म का नाम	पावर स्टेशन/ परियोजना का नाम
मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, दिल्ली	चमेरा-II, चमेरा-III और पवन विद्युत परियोजना - जैसलमेर
मैसर्स के.एल. जयसिंह एण्ड कंपनी, नोएडा	दुलहस्ती, सलाल और सेवा-II
मैसर्स के.जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर	उड़ी-I, उड़ी-II और किशनगंगा
मैसर्स आर.जे. गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली	धौलीगंगा और टनकपुर
मैसर्स डीजीएम एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता	लोकतक, टीएलडीपी-IV और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना - तमिलनाडू
मैसर्स नीरन एण्ड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

33. ऋण और निवेश

आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 एनएचपीसी पर लागू नहीं होती है (सिवाय उप धारा (1) के)।

34. कर्मचारियों का ब्यौरा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

जहां तक कंपनी के प्रमुख प्रबंध कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी नीति का संबंध है, उनका वेतन ढांचा, भत्ते तथा अन्य लाभ संबंधित डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी का वेतन ढांचा और भत्ते वेबसाइट पर [http:// www.nhpcindia.com/writereaddata/ images/pdf/RTI%20 Corner%20Wages%20 UpdationENG_CAA_201905_1. pdf](http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/RTI%20Corner%20Wages%20UpdationENG_CAA_201905_1.pdf) पर भी उपलब्ध हैं।

35. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 10 बैठकों की। बोर्ड की बैठकों की तिथि तथा उनमें उपस्थिति के संबंध में ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति, हित धारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास संबंधी समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों की संरचना और बैठकों की संख्या का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जहां बोर्ड ने उसकी किसी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जो निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु समिति द्वारा संस्तुत किए अनुसार बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होती है।

36. निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े जाने वाले सेबी एलओडीआर के अनुसूच बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक नीति बनाई है। कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन पर निदेशक मंडल और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी। स्वतंत्र निदेशकों ने 11 जून, 2019 को हुई अपनी पृथक बैठक में प्रकार्यात्मक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन संगत डीपीई दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

37. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक उत्तरदायित्व के विवरण के संबंध में एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखों को एक अनवरत संबंध के आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और
- कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

38. सचिवालयीन मानक

निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवालयीन मानकों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

39. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संयवहार नहीं किए गए थे :

- लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के

साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।

2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।
3. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जो कंपनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।
4. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
5. अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत कवर किए गए सार्वजनिक जमा से संबंधित ब्यौरे।

40. कंपनी की विभिन्न नीतियों हेतु वेबसाइट लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं आदि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर प्रदर्शित किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना के लिए वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है :

विवरण	वेबसाइट लिंक
संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf
भौतिक अनुषंगी कंपनियों संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/wbp.pdf
निदेशको के लिए परिचय कार्यक्रम	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Familiarisation_programmes-E.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend-Policy-21062017.pdf
वार्षिक रिटर्न का सार	http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm

41. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मी

पिछली वार्षिक रिपोर्ट के पश्चात से निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

1. श्री नलिनी कांत झा, स्वतंत्र निदेशक 5 नवम्बर, 2018 को अचानक मृत्यु के कारण कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। बोर्ड निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय श्री एन.के. झा द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान और परामर्श हेतु अपनी अत्यधिक सराहना दर्ज करता है।
2. विद्युत मंत्रालय में 22 नवम्बर, 2018 के अपने आदेश के माध्यम से श्री सत्यप्रकाश मंगल, प्रो. कनिका टी. भाल और प्रो. अरुण कुमार को उनके कार्यकाल की समाप्ति की तिथि अर्थात् 17 नवम्बर, 2018 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, तक की

एक वर्ष की अवधि हेतु स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। तदनुसार, बोर्ड ने उन्हें 18 नवम्बर, 2018 से अगली एजीएम के समापन तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जब तक कि वे पुनर्नियुक्त नहीं हो जाते।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में मुहैया करवाया गया है।

31 मार्च, 2019 को सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं। उन्होंने आगे घोषणा की है कि उन्हें ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है जो मौजूद हो या तर्कसंगत रूप से प्रत्याशित हो, जिसके चलते एक निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय तथा बिना किसी बाहरी दबाव के उनके कर्तव्यों के निर्वाहन की उनकी क्षमता बाधित या प्रभावित न होती हो।

42. आभारोक्ति

बोर्ड भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लोक उद्यम मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, विद्युत हेतु अपीलीय अधिकरण, राज्य सरकारों, राज्य यूटिलिटीयों, विद्युत वितरण कंपनियों और परामर्शी कार्यों के मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड शेयरधारकों, बैंकरों तथा वित्तीय संस्थानों को भी उनके सतत समर्थन तथा कंपनी में व्यक्त किए जाने वाले विश्वास के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

हम कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदाकारों, वेंडरों तथा परामर्शदाताओं के प्रति हमारी विशेष सराहना को भी दर्ज करते हैं।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षकों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को भी स्वीकार करते हैं।

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कंपनी की वृद्धि तथा विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एनएचपीसी कर्मियों द्वारा किए गए अबाधित प्रयासों तथा समर्पित योगदानों हेतु भी अपनी सराहना दर्ज करने के इच्छुक हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 02 अगस्त, 2019

स्थान : फरीदाबाद



23 सितंबर, 2019 को फ़रीदाबाद में आयोजित एनएचपीसी की 43वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी के साथ निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), संयुक्त सचिव (हार्डिज़ो), विद्युत मंत्रालय, स्वतंत्र निदेशकगण व कंपनी सचिव, एनएचपीसी ।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शन :

एनएचपीसी प्रभावी, उचित, पारदर्शी और नैतिकतापूर्ण कारपोरेट अभिशासन व्यवहारों के एक स्थापित ढांचे के भीतर कार्यकरण द्वारा "दक्ष, जिम्मेवार और नवाचारी मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के धारणीय विकास हेतु एक वैश्विक अग्रणी संगठन" बनने के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एक पारदर्शी तरीके से कंपनी के कार्यों के संचालन को सुनिश्चित करती हैं जो विश्वास का एक परिवेश बनाता है और इसके सभी हितधारकों हेतु मूल्य को अधिकतम करता है।

एनएचपीसी के पास बदलती हुई सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार कारपोरेट अभिशासन व्यवहारों को अपनाने की एक मजबूत विरासत है। एनएचपीसी के कारपोरेट अभिशासन व्यवहार अपना सार कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों से प्राप्त करते हैं।

2. निदेशक मंडल

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर, संस्था के अंतर्नियम, डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और समय-समय पर कंपनी पर यथा लागू भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

(i) बोर्ड का आकार और संरचना :

एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में नीतिशास्त्र, लेखांकन, अभियांत्रिकी, वित्त, बैंकिंग, मानव संसाधन, सामान्य कारपोरेट प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव तथा ज्ञान रखने वाले लोग शामिल होते हैं। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार बोर्ड में 5 कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक), 5 स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) और एक सरकारी नामित निदेशक शामिल था।

कंपनी ने मोटेतौर पर वर्ष 2018-19 के दौरान सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों का पालन किया है। तथापि, एक स्वतंत्र निदेशक की अचानक मृत्यु होने के चलते निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक के होने की आवश्यकता का 5 नवम्बर, 2018 से पालन नहीं किया गया था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने के लिए अनुरोध किए गए हैं।

पिछली रिपोर्ट की तिथि से नियुक्त या सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल है। कंपनी के निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

(ii) निदेशकों की कार्य अवधि :

- पूर्ण-कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

(iii) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का जीवन-वृत्त :

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) निदेशक मंडल की बैठकें :

कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के समग्र कार्यकरण की निगरानी करने और उसके उद्देश्यों तथा इसके दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कंपनी को नीतियां निर्धारित करने में समर्थ बनाने का उत्तरदायित्व निहित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुईं। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा नीचे **तालिका-1** में दिया गया है।

बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं रहा। आमतौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- संदर्भ की शर्तों के साथ निदेशक मंडल की समितियों का गठन/ पुनर्गठन।
- निदेशकों की रिपोर्ट।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वस्तुगत स्तर से महत्वपूर्ण होने वाले कारण बताओं, मांग, अभियोजन तथा शास्ति नोटिस।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा निदेशक के पदों/सदस्यता में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
- पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव या बड़ी संविदाओं को दिया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण सहित।
- लागू विधियों की आवश्यकता के अनुसार सूचना या अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य कोई सूचना।
- बोर्ड को आवधिक रिपोर्टें, जैसे कि :
 - अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों तथा व्यवस्थाओं का त्रैमासिक विवरण।
 - नामांकन आधार पर की गई खरीद/कार्य/संविदाओं के संबंध में त्रैमासिक सूचना।
 - विभिन्न विधियों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
 - निवेशक शिकायतों की त्रैमासिक स्थिति।
 - प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा कर्मचारियों की विदेश यात्रा संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
 - अल्पावधि जमा तथा निवेश संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
 - शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के मिलान संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
 - कारपोरेट अभिशासन मानदण्डों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
 - माध्यस्थम मामलों की त्रैमासिक स्थिति।

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या, 31 मार्च, 2019 के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जिनमें कंपनी के निदेशक, निदेशक पद धारित किए हुए हैं तथा ऐसे निदेशक पदों की संख्या, और अन्य कंपनियों में धारित बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्ष के पदों की संख्या **तालिका 2** में दी गई है।

कंपनी के लिए बदलते हुए व्यापार तंत्र और हस्तगत परियोजनाओं के वर्तमान पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ वर्षों हेतु कंपनी के "दृष्टिकोण" को विकसित करने के लिए बोर्ड बैठक के अलावा 19 से 21 जनवरी, 2019 तक निदेशकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

तालिका-1 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या		बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	414	28 मई, 2018	12	10	कोई नहीं	83%
2.	415	20 जून, 2018	12	9	2	92%
3.	416	30 जुलाई, 2018	12	10	1	92%
4.	417	10 अगस्त, 2018	12	12	कोई नहीं	100%
5.	418	30 अक्टूबर, 2018	12	10	1	92%
6.	419	14 नवम्बर, 2018	11	11	कोई नहीं	100%
7.	420	14 दिसम्बर, 2018	11	7	4	100%
8.	421	21, जनवरी, 2019	11	11	कोई नहीं	100%
9.	422	8 फरवरी, 2019	11	11	कोई नहीं	100%
10.	423 [#]	15 मार्च, 2019	11	10	1	100%

* पूर्णांक किया गया।

[#] बैठक लोक उद्यम विभाग द्वारा सुझाए गए एक पर्यटक स्थल पर आयोजित की गई थी।

तालिका-2 :

निदेशक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति (27 सितम्बर, 2018)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता के ब्यौरे **		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
प्रकार्यात्मक निदेशक							
बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	10/10	जी, हां	11,891	2	कोई नहीं	कोई नहीं	-
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	9/10	जी, हां	15,986	1	कोई नहीं	कोई नहीं	-
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	10/10	जी, हां	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	-
महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)	10/10 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	जी, हां	कोई नहीं	2	कोई नहीं	कोई नहीं	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक)
जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) ¹	8/8 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 2 बैठकों सहित)	जी, हां	21,055	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	-
सरकारी नामित निदेशक							
अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय ²	0/3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय ³	9/9	जी, हां	1,500	2	कोई नहीं	1	एसजेवीएन (नामित निदेशक)
स्वतंत्र निदेशक							
सत्य प्रकाश मंगल ⁴	10/10 (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	जी, हां	15,000	2	1	कोई नहीं	-

निदेशक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति (27 सितम्बर, 2018)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता के ब्यौरे **		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
कनिका टी. भाल ⁴	10/10 (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	नहीं	कोई नहीं	2	कोई नहीं	1	-
अरुण कुमार ⁴	10/10 (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 बैठकों सहित)	जी, हां	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	-
भागवत प्रसाद	10/10	जी, हां	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	-
एन.के. झा ⁵	5/5	जी, नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जुगल किशोर महापात्रा	9/10 (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 बैठक सहित)	जी, हां	कोई नहीं	2	कोई नहीं	कोई नहीं	-

* भारतीय कंपनियों में धारित निदेशक पद को लिया गया है।

** अन्य कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को लिया गया है।

1. 5 जुलाई, 2018 से कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्त।

2. 30 जुलाई, 2018 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

3. 28 मई, 2018 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त क्योंकि श्रीमती अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो) भारत से बाहर प्रशिक्षण तथा अवकाश पर थी। श्रीमती अग्रवाल के वापिस आने पर 18 जुलाई, 2018 से निदेशक नहीं रहे और बाद में श्रीमती अग्रवाल की वापसी पर वे कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त की गई।

4. 18 नवम्बर, 2018 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त।

5. अचानक मृत्यु होने के कारण 5 नवम्बर, 2018 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणी :

क) कंपनी का कोई निदेशक एक समय में सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है।

ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

ग) कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

घ) कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

ङ) कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।

च) एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है अतः किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक ने ऐसी कोई लिखत धारित नहीं की है।

(v) बोर्ड की स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

बोर्ड के मतानुसार स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर में निर्दिष्ट किए गए अनुसार स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कंपनी से त्याग-पत्र नहीं दिया है। तथापि, एक स्वतंत्र निदेशक नामतः प्रो. एन. के. झा अचानक मृत्यु होने के कारण कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

(vi) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम :

कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों को स्वयं कंपनी, इसके प्रबंधन, इसके प्रचालनों और सबसे ऊपर उद्योग परिपेक्ष्य तथा मुद्दों से परिचित होने के लिए प्रत्येक अवसर मुहैया करवाया जाता है। यह निदेशकों को अपने उत्तरदायित्व एक प्रभावी तरीके से निपटाने में समर्थ बनाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के व्यापार मॉडल तथा इसकी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए बोर्ड स्तर के कार्यकारियों को एक अवसर मुहैया करवाने हेतु बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण संबंधी एक नीति मौजूद है। यह नीति सीएमडी और कंपनी के बोर्ड में शामिल होने वाले अन्य सभी निदेशकों को कवर करती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अतिरिक्त कंपनी ने निदेशकों के संस्थान के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें सभी निदेशकों द्वारा भाग लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Familiarisation_Programmes-E.pdf पर उपलब्ध है।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 5 जून, 2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है जिसमें नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक का निष्पादन मूल्यांकन अपेक्षित है। परिपत्र में आगे सरकारी कंपनियों को उस तरीके से सूचना मुहैया करवाने से छूट प्राप्त है जिस तरीके से बोर्ड, इसकी समितियों तथा पृथक निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है, यदि इसे प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तो।

लोक उद्यम विभाग ने पहले ही सभी प्रकार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक तंत्र निर्धारित किया है। अतः कंपनी के सभी प्रकार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय द्वारा उक्त तंत्र के अनुसार किया जा रहा है। नामिति निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन भी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए कंपनी ने “बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति” बनाई है। कंपनी द्वारा निम्नानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है :

- क. प्रत्येक निदेशक को नीचे दिए गए अनुसार बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल की समितियों के मूल्यांकन हेतु भिन्न पैरामीटरों पर रेटिंग देना अपेक्षित होता है।

रेटिंग पैमाना

पैमाना	निष्पादन
5	अत्यधिक अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता है
1	अस्वीकार्य

- ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करने और परिणामों का सारांश तैयार करने के लिए कंपनी सचिव को प्राधिकृत करती है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष सारांश परिणामों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हैं। वे स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर पृथक निदेशक के साथ चर्चा कर सकते हैं।

- ग. रिपोर्ट नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचार हेतु रखी जाती है। समिति रिपोर्ट की समीक्षा करती है और बोर्ड द्वारा विचार किए जाने हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है।

- घ. बोर्ड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और आवश्यक निदेशक जारी करता है।

3. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु प्रक्रियाविधि :

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया :

कंपनी अपने कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण के लिए निदेश मंडल/इसकी समितियों की बैठकों हेतु श्रेष्ठ उद्योग व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं को अपनाए जाने को सुनिश्चित करती है। इससे बोर्ड तथा इसकी समिति की बैठकों में एक सूचित तथा दक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मर्दों का निर्धारण और चयन :

- बोर्ड/ संबंधित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरान्त संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटिस पटल पर रखे जाते हैं या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

- कार्य सूची दस्तावेज अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन सामान्यतः फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, बोर्ड/समिति के समक्ष रखे गए मुद्दों की बेहतर समझ के लिए प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।
- बोर्ड/समिति के सदस्यों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

(ग) बोर्ड / समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारम्भ कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिवस के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारम्भ कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के पश्चात कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

(घ) अनुवर्तन तंत्र :

बोर्ड/समिति में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे सूचना हेतु संबंधित अगली बैठक में बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुवर्तनों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) विधि का अनुपालन आदि :

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों, डीपीई दिशा-निर्देशों और विभिन्न विधियों के अंतर्गत अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सभी लागू विधियों के अनुपालन को कंपनी के सभी स्थलों पर सुनिश्चित किया जा रहा है। लागू विधियों के अनुपालन संबंधी एक रिपोर्ट आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष उसकी जानकारी हेतु रखी जाती है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विधियों के अनुपालन की जांच तथा मूल्यांकन के लिए कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों की अनुपालन लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विधि प्रभाग और कंपनी सचिवालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा अभिमतों के अनुपालन की स्थिति बोर्ड के समक्ष रखी गई थी।

कंपनी ने सभी लागू सेबी विनियमों और उसके अंतर्गत जारी सभी लागू विनियमों तथा परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु स्टॉक एक्सचेंजों को एक वार्षिक सचिवालयीन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

4. निदेशक मंडल की समितियां :

बोर्ड द्वारा गठित समितियां विशिष्ट क्षेत्रों पर फोकस करती हैं और बोर्ड द्वारा बनाए गए ढांचे के भीतर सूचित निर्णय लेती हैं। वे अपने क्षेत्रों या कार्यक्षेत्र में मामलों पर बोर्ड को विशिष्ट सिफारिशें करती हैं। कंपनी के कार्यों पर एक बेहतर तथा अधिक केन्द्रित ध्यान दिए जाने को समर्थ बनाने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित सांविधिक तथा गैर-सांविधिक समितियां गठित की हैं :

सांविधिक समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

गैर-सांविधिक समितियां

1. जोखिम प्रबंधन समिति
2. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशकों की समिति
3. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण

उक्त स्थायी समितियों के अलावा, बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजन समितियों का गठन किया है :

1. एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु गठित प्रकार्यात्मक प्राधिकरण।
2. दावों के मूल्यांकन और उनकी प्रासंगिकता के विद्यमान दिशा-निर्देशों की जांच हेतु निदेशक मंडल की समिति।
3. शक्तियों के प्रत्यायोजन का अध्ययन, समीक्षा तथा सिफारिश करने के लिए निदेशक मंडल की समिति।

सांविधिक समितियों की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जहां बोर्ड ने उसकी किसी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जो निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु समिति द्वारा संस्तुत किए अनुसार बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होती है।

सांविधिक तथा गैर-सांविधिक समितियों के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

4.1 लेखा-परीक्षा समिति :

31 मार्च, 2019 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी), लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए पदेन आमंत्रितगण थे। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी। समिति को आवश्यक सूचना/ स्पष्टीकरण मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

संदर्भ की शर्तें :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति की संदर्भ की शर्तों में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2018 और सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की गई थी। समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
 - क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
 - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
 - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
 - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
 - च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
 - छ) प्राप्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।

8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाजी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वस्त्र और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
 - कम्प्यूटरकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
19. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
 - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
 - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।
21. अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।
22. कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइट्स इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
25. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
26. निम्नलिखित की समीक्षा :
 - अ) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थितियों तथा प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।
 - ब) प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र; सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए।
 - क) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की समीक्षा तथा उसे हटाना।
28. अनुबंधी कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक अथवा अनुबंधी कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक के कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों और/अथवा अग्रिमों/निवेश के उपयोग की समीक्षा।
29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना।
30. इसकी जांच करना कि सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में दी गई आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालन कर रही हैं।
31. कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तों में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं। बैठकों और सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्यौरा तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका-3 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री सत्य प्रकाश मंगल	प्रो. कनिका टी. भाल	प्रो. अरुण कुमार	श्री भागवत प्रसाद
1.	2 अप्रैल, 2018	○	○	○	○
2.	12 मई, 2018	○	○	○	○
3.	28 मई, 2018	○	○	○	○
4.	26 जून, 2018	○	○	○	○
5.	30 जुलाई, 2018	○	○	○	○
6.	10 अगस्त, 2018	○	○	○	○
7.	31 अगस्त, 2018	○	○	○	○
8.	28 सितम्बर 2018 और 8 अक्टूबर, 2018	○	○	○	○
9.	13 नवम्बर, 2018	○	○	○	○
10.	8 फरवरी, 2019	○	○	○	○
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		10	10	10	10
भाग ली गई बैठकें		10	9	8	10
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	90	80	100

○ अनुपस्थिति की अनुमति, ○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, ○ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। किन्हीं दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल 120 दिवस से अधिक का नहीं था। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

4.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2019 को हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. कनिका टी.भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की संदर्भ की शर्तों सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की गई थी। समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट शेयर जारी करने, आम बैठकों से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।
2. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।
4. अदावाकृत लाभांशों की मात्रा को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों तथा पहलों की समीक्षा करना और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय से प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
5. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

समिति ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 27 सितम्बर, 2018 को एक बार बैठक की। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया सिवाय प्रो. नलिनी कांत झा के। श्री झा 5 नवम्बर, 2018 को हुई उनकी अचानक मृत्यु के चलते समिति के सदस्य नहीं रहे।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन के विनियम 6 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों/ बाण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की गई, सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा **तालिका-4** में दिया गया है।

तालिका-4 : शेयरधारकों/ बाण्डधारकों की शिकायतें :

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	31, मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2019 को लंबित शिकायतें
क. इक्विटी शेयर				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2330	2330	शून्य
सेबी शिकायतें	शून्य	9	9	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	6	6	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	शून्य	शून्य	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)	2	2345	2345	2
ख. बाण्ड				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	शून्य	46	46	शून्य
बाण्ड/प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	शून्य	7	7	शून्य
कुल (ख)	शून्य	53	53	शून्य
सकल जोड़ (क + ख)	2	2398	2398	2

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) "स्कोर्स" नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रॉनिक स्तर से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते हैं। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक स्तर में दर्ज करवा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या :

31 मार्च, 2019 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

4.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतनपूल का निर्णय करने और विहित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य इसके वितरण के लिए किया जाना होता है।

एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के चलते अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी नामिति निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क को प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रित होते हैं।

संदर्भ की शर्तें :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की संदर्भ की शर्तों सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की गई थी। समिति की वर्तमान संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।
2. वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
4. बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।
5. निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।
7. बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को, किसी भी रूप में, देय सभी पारिश्रमिकों की सिफारिश करना।
8. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति :

रिपोर्टधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों और इसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री जुगल किशोर महापात्रा	प्रो. कनिका टी. भाल	प्रो. अरुण कुमार
1.	20 जून, 2018			
2.	10 अगस्त, 2018			
3.	5 नवम्बर, 2018			
4.	9 फरवरी, 2019			
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		4	4	4
भाग ली गई बैठकें		4	4	4
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100

 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

4.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2019 के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

i)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iv)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
v)	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं। बैठकों और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 6 में दिए गए हैं।

तालिका-6 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठकें :

क्र. स.	बैठक की तिथि	प्रो. अरुण कुमार	श्री रतीश कुमार	श्री निखिल कुमार जैन	श्री महेश कुमार मित्तल	श्री जनार्दन चौधरी *
1.	5 जून, 2018	○	○	○	○	लागू नहीं
2.	31 अगस्त, 2018	○	●	○	○	○
3.	5 नवम्बर, 2018	○	○	○	○	○
4.	28 मार्च, 2019	○	○	○	○	○
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		4	4	4	4	3
भाग ली गई बैठकें		4	3	4	4	3
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	75	100	100	100

● अनुपस्थिति की अनुमति ○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

* 30 जुलाई, 2018 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के समापन पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किए गए अनुसार शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियां एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी।

31 मार्च, 2018 के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित की गई शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों में एनएचपीसी शामिल नहीं थी। तथापि, एक बेहतर कारपोरेट प्रबंधन व्यवहार के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का बोर्ड द्वारा गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iv)	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें :

- प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यवहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
- किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
- कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/ सेबी(एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

बैठकें तथा उपस्थिति

समिति ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान दो बैठकें की थी। बैठकों और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 7 में दिए गए हैं।

तालिका 7 - जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री सत्य प्रकाश मंगल	प्रो. अरुण कुमार	श्री रतीश कुमार	श्री जनार्दन चौधरी *	प्रो. एन.के. झा **
1.	28 दिसम्बर, 2018	१	१	१	१	लागू नहीं
2.	6 मार्च, 2019	१	१	१	१	लागू नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		2	2	2	2	0
भाग ली गई बैठकें		2	2	2	2	लागू नहीं
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत *		100	100	100	100	लागू नहीं

१ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

*30 जुलाई, 2018 से पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त।

** अचानक मृत्यु होने के कारण 5 नवम्बर, 2018 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

4.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2019 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

i)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें :

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों का री-मेटिरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एचएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

बैठकें और उपस्थिति

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 12 बैठकें हुईं। बैठकों और उनमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें :

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री रतीश कुमार	श्री निखिल कुमार जैन	श्री महेश कुमार मित्तल
1.	12 अप्रैल, 2018	१	१	१
2.	23 अप्रैल, 2018	१	१	१
3.	07 जून, 2018	१	१	१
4.	29 जून, 2018	१	१	१
5.	13 जुलाई, 2018	१	१	१
6.	01 अगस्त, 2018	१	१	१

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री रतीश कुमार	श्री निखिल कुमार जैन	श्री महेश कुमार मित्तल
7.	07 सितम्बर, 2018	○	○	○
8.	20 सितम्बर, 2018	○	○	○
9.	11 अक्टूबर, 2018	○	○	○
10.	26 अक्टूबर, 2018	○	○	○
11.	15 नवम्बर, 2018	○	○	○
12.	31 जनवरी, 2019	○	○	○
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		12	12	12
भाग ली गई बैठकें		12	12	10
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत *		100	100	83

○ अनुपस्थिति की अनुमति ○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

* पूर्णांक किया गया।

4.7 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2019 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें

समिति आचरण, अनुशासन और अपली नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

बैठकें और उपस्थिति

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 28 मई, 2018 को हुई थी। बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया था।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012-जीएम तथा सेबी एलओडीआर के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 की आवश्यकताओं के अनुपालन में गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की मौजूदगी के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन श्री जुगल किशोर महापात्रा की अध्यक्षता में 27 सितम्बर, 2018 को किया गया था। बैठक में प्रो. नलिनी कांत झा के अलावा सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था।

6. आचार संहिता

बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन तथा कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार संहिता तथा नीति-शास्त्र के अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता/-

(बलराज जोशी)

दिनांक : 08 मई, 2019

स्थान : फरीदाबाद

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 07449990

7. धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने संबंधी नीति

एनएचपीसी में धोखाधड़ी के निवारण और उसे रोकने के लिए एक व्यवस्था मुहैया करवाने, इसकी सूचना देने (यदि पता लगे या संदिग्ध हो) और कर्मचारियों तथा साथ ही साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकारों, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे किसी अन्य पक्ष के प्रतिनिधियों के शामिल होने वाले धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई हेतु एक धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने की नीति है। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी सूचनाओं पर अत्यधिक प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जाती है।

परियोजना/पावर स्टेशन/यूनिट प्रमुख और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखा परीक्षा) को संबंधित स्थलों हेतु नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

8. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार को रोकने हेतु संहिता

समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी ने “भेदियाओं द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना हेतु आचार संहिता” और “भेदिया व्यापार के निवारण हेतु उचित प्रकटीकरण व्यवहारों की संहिता” निरूपित तथा कार्यान्वित की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने अपनी संहिता में सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 तथा 2019 के अनुसूच संशोधन किए हैं।

सभी निदेशक, केएमपी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी कार्यपालक और कारपोरेट कार्यालय में वित्त विभाग, कंपनी सचिवालय में कार्य कर रहे सभी कार्यपालक और भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों के कंपनी सचिवालय, निदेशक, केएमपी तथा कर्मचारी (प्रमुख/प्रमुख अभियंता तथा उससे ऊपर के स्तर के कार्यपालक) और लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, बैंकर आदि जैसे अन्य संबंधित व्यक्ति इस संहिता द्वारा शासित होते हैं।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु व्यापार विंडो निर्धारित व्यक्तियों और उनके तत्काल निकट संबंधियों के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदन सूचना के रखे जाने के प्रस्तावित/प्रत्याशित होने के समय बंद रहती है।

इस संहिता के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इनसाइडर व्यापार संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Insider-Trading-Code-Full-14122015.pdf> पर उपलब्ध है।

9. निदेशकों का पारिश्रमिक

प्रकार्यात्मक निदेशकों सहित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, बोर्ड ने बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/- रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों (पूर्व निदेशकों सहित) के पारिश्रमिक और निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का ब्यौरा क्रमशः तालिका-9 और तालिका-10 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्यौरा तालिका 11 में दिया गया है।

तालिका 9 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन *	लाभ \$	जोड़
श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	52,98,793	14,68,057	67,66,850
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	53,97,749	11,12,474	65,10,223
श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	43,53,441	11,32,072	54,85,513
श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	53,88,028	10,19,013	64,07,041
श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	37,55,469	8,45,289	46,00,758
श्री के.एम.सिंह	पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	4,34,774	13,21,096	17,55,870
श्री राधे श्याम मीना	पूर्व निदेशक (कार्मिक)	1,52,604	14,57,528	16,10,132
श्री जयंत कुमार	पूर्व निदेशक (वित्त)	7,93,417	15,48,953	23,42,370

* वेतन में 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कारण अदा की जाने वाली राशि और 1 जनवरी, 2007 से वेतनमान के नियमितिकरण के कारण उक्त अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार अदा की जाने वाली राशि शामिल है।

\$ लाभों में अवकाश नकदीकरण, नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा योजना व पेंशन (निधि) (समान अंशदान) आदि शामिल है, जिन्हें वेतन में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी :

1. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किसी स्टाक विकल्प को नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, प्रकार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों से शासित होती हैं।
2. इसके अतिरिक्त, प्रकार्यात्मक निदेशक भी कंपनी के लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं।

तालिका 10 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का ब्यौरा

(राशि स्क्रूप में)

निदेशक का नाम	पदनाम	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)*
श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2,32,878
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	2,94,543
श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	1,14,731
श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	79,171
श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	1,85,461
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	5,81,017
श्री राधे श्याम मीना	पूर्व निदेशक (कार्मिक)	9,44,563
श्री जयंत कुमार	पूर्व निदेशक (वित्त)	10,46,270

* इसमें 1 जनवरी, 2007 से उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान के नियमितोत्तरण के कारण अदा की गई पहले के वर्षों की राशि शामिल है।

वर्ष 2017-18 हेतु निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में या उसके पश्चात डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

तालिका 11 - वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क *		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री सत्य प्रकाश मंगल	2,00,000	3,60,000	5,60,000
प्रो. कनिका टी. भाल	2,00,000	3,00,000	5,00,000
प्रो. अरुण कुमार	2,00,000	4,60,000	6,60,000
प्रो. एन.के. झा	1,00,000	शून्य	1,00,000
श्री जुगल किशोर महापात्रा	1,80,000	1,20,000	3,00,000
श्री भागवत प्रसाद	2,00,000	2,40,000	4,40,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन व्यवस्था/निवास तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

ऊपर उल्लेख किए गए के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा कंपनी के मध्य मौद्रिक संबंधी या संव्यवहार नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-20Independent-Directors.pdf> पर उपलब्ध है।

10. अनुषंगी कंपनियां

- (i) **एनएचडीसी लिमिटेड:** एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड सेबी एलओडीआर के विनियम 24 और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। श्री सत्य प्रकाश मंगल, एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित है।

- (ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड** : लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल), एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।
कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।
- (iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड** : बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।
- (iv) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)** : चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) का गठन 13 जून, 2011 को किया गया था। कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चिनाब नदी बेसिन में पकल डुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) की रू जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के एकीकृत तथा दक्ष विकास की योजना, संवर्धन तथा व्यवस्था के उद्देश्य से किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 49 प्रतिशत प्रत्येक और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 2 प्रतिशत होगी। वर्ष के दौरान सीवीपीपीएल में कंपनी की शेयरधारिता बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी, जो अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों से इक्विटी में अपेक्षित समान अंशदान की प्राप्ति न होने के कारण था, जिससे यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी बन गई है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार सीवीपीपीएल ने कंपनी की शेयरधारिता प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 51.94 प्रतिशत है।
कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।
वर्ष के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड, एलडीएचसीएल, बीएसयूएल और सीवीपीपीएल के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सम्मुख रखे गए थे। एनएचपीसी के बोर्ड को इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अवगत कराया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय विवरण, विशेष रूप से इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने अनुषंगी कंपनी में इसी शेयर या परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया है। अनुषंगी कंपनियों के संबंध में और अधिक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध है।

11. आम बैठक

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों तथा पारित विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा **तालिका 12** में दिया गया है।

तालिका 12 : वार्षिक आम बैठकें :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2017-18	27 सितम्बर, 2018	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003	क) निजी निवेश के माध्यम से 3,300 करोड़ रुपये तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत, चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुस्र कंपनी के संगम अनुच्छेदों में परिवर्तन करना।
2016-17	27 सितम्बर, 2017	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003	क) निजी निवेश के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी के संगम अनुच्छेद में अनुच्छेद 22 को शामिल करना।
2015-16	22 सितम्बर, 2016	प्रातः 11:00 बजे	फरीदाबाद नगर निगम सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	निजी निवेश के माध्यम से 4500 करोड़ रुपये तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

वर्ष 2018-19 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्ष कारोबार :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कोई भौतिक स्तर से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं था जिसका कंपनी के हितों के साथ संभाव्य टकराव हो।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related_Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं :

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तक विनियमों सहित सेबी द्वारा विहित विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(झ) में उल्लेख किए अनुसार। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है, सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(झ) में उल्लेख किए अनुसार के।

क) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टाक एक्सचेंज अथवा बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शास्त्रियां, प्रतिबंध :

गत तीन वर्षों के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज या सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या प्रचालनों या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में कंपनी पर कोई शास्त्र नहीं लगाई गई और/अथवा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।

तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी को स्टाक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा तालिका 13 में दिया गया है।

तालिका 13 : स्टाक एक्सचेंजों से प्राप्त नोटिसों का ब्यौरा

क्रम सं.	जारीकर्ता का नाम	प्राधिकारी	जुर्माने की राशि	गैर-अनुपालन की प्रकृति	गैर-अनुपालन हेतु कारण/ औचित्य
1.	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		3,24,500/- स्लैब (जीएसटी सहित) प्रत्येक	5 नवम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) की आवश्यकताओं का गैर अनुपालन।	संगम अनुच्छेद 34 के अनुसार कंपनी ने निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले पर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित स्तर से अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		10,000/- स्लैब (जीएसटी के अतिरिक्त) प्रत्येक	"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" और "बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी)" को जारी किए जाने के माध्यम से निधियों को जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में पूर्व सूचना प्रस्तुत करने में विलंब।	"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" के माध्यम से निधियों को जुटाने हेतु निदेश विद्युत मंत्रालय से 12 मार्च, 2019 को प्राप्त हुए थे। बॉण्ड मार्च, 2019 के अंत तक जुटाए जाने थे। तदनुसार, 13 मार्च, 2019 को प्रबंधन ने प्रस्ताव को पहले से निर्धारित बोर्ड बैठक अर्थात 15 मार्च, 2019 को होने वाली में रखने का निर्णय लिया था। उक्त के संबंध में जानकारी 13 मार्च, 2019 को साथ-साथ स्टाक एक्सचेंजों को दी गई थी।

क्रम सं.	जारीकर्ता का नाम	प्राधिकारी	जुर्माने की राशि	गैर-अनुपालन की प्रकृति	गैर-अनुपालन हेतु कारण/ औचित्य
					"बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी)" को जारी करके निधियों को जुटाने हेतु प्रस्ताव 7 मार्च, 2019 को एमयूएफजी बैंक से प्राप्त हुआ था। औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रबंधन ने निधियों के तत्काल आवश्यकताओं के मद्देनजर 12 मार्च, 2019 को (शाम को काफी देर से) इस विषय के संबंध में कार्यसूची को 15 मार्च, 2019 को आयोजित किए जाने हेतु पहले से निर्धारित बोर्ड की बैठक में रखने का निर्णय लिया। उक्त को 13 मार्च, 2019 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

कंपनी ने दिए गए औचित्यों के मद्देनजर उक्त जुर्मानों को माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अनुरोध किया है। स्टॉक एक्सचेंजों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **अनुबंध-क** में प्रदान की गई है।

ख) घटना या जानकारी का प्रकटीकरण

श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) को बोर्ड द्वारा सेबी एलओडीआर विनियमों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के प्रयोजन हेतु किसी घटना या कार्यक्रम की भौतिकता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किए जाने हेतु किसी घटना या सूचना की भौतिकता के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ग) राष्ट्रपति के निदेश

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के निदेश प्राप्त हुए हैं उक्त को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया था। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति के कोई निदेश जारी नहीं किए गए थे।

घ) लेखांकन व्यवहार :

प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। तथापि, जहां अनुपालन पूर्णतः संभव नहीं था उसे लेखे की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जो वित्तीय विवरणों का भाग है।

ङ) व्हिसल ब्लोअर नीति :

एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति है। वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत एक शिकायत सूचित की गई थी। नीति के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच की गई और रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सौंपी गई थी।

च) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण :

कंपनी सदैव ही इसमें कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल मुहैया करवाने में विश्वास करती रही है। कंपनी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम" के अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी एक कदाचार के रूप में शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। पिछले वर्ष की एक शिकायत का समाधान किया गया था और 31 मार्च, 2019 को कोई शिकायत लंबित नहीं है।

छ) लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की मदें जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नहीं थी :

कोई नहीं

ज) किए गए व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के थे तथा जिन्हें निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन हेतु किया कोई नहीं

झ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्योरे और इसमें वृद्धि के कारण :
(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2017-18	2018-19	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	12.81	14.57	बीमा दावों के कारण हानियों में वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन को चालू किए जाने के प्रभाव के कारण
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	76.98	100.35	

ञ) वस्तु मूल्य जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के वस्तु-मूल्य जोखिम और हेजिंग क्रियाकलापों के संबंध में प्रकटीकरण को नीचे दिया गया है :

1. हेजिंग सहित वस्तुओं के संबंध में सूचीबद्ध निकाय की जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को विदेशी मुद्रा में कंपनी के कुल संपर्क तथा अंतर्ग्रस्त जोखिम पर विचार करते हुए 15.3.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 423वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

2. समूचे वर्ष 2018-19 के दौरान सामना किए गए वस्तु और वस्तु जोखिमों से कंपनी का संपर्क

क. वस्तुओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय रुपये में कंपनी का कुल संपर्क - 1118.79 करोड़ रुपये

ख. विभिन्न वस्तुओं के प्रति कंपनी का संपर्क :

वस्तु का नाम	विशिष्ट वस्तु के प्रति आईएनआर में संपर्क	वस्तु व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किए गए ऐसे संपर्क का प्रतिशत				कुल
		घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		
		ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
जेआईसीए-आईडीपी-107	107.47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेआईसीए-आईडीपी -129	453.29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेआईसीए-आईडीपी -153	558.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा सामना किए गए वस्तु जोखिम

कंपनी के लाभ पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 के दौरान टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

ट) सूचीबद्ध निकाय और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क निकाय के सभी निकायों को, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं हेतु अदा किया गया कुल शुल्क :

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदा किए गए शुल्क से संबंधित ब्योरे एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 में दिए गए हैं।

ठ) भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति :

नीति निम्नलिखित लिंक पर वेबसाइट में उपलब्ध है :

<http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf>

ड) अन्य प्रकटीकरण

i मैसर्स एसजीएस एसोसिएट्स, प्रैटिक्स कर रहे कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है।

ii वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की किसी प्रतिभूति को व्यापार करने से निलंबित नहीं किया गया था।

13. सीईओ/सीएफओ अनुपालन प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाण-पत्र को 27 मई, 2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह अनुबंध-ख के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. संचार के साधन

कम्पनी के वित्तीय परिणामों को सेबी एलओडीआर के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी के शेयरधारकों को त्रैमासिक आधार पर ई-मेल के माध्यम से कम्पनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति को कम्पनी की वेबसाइट पर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हितधारकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थागत निवेशकों और/अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण भी दिए जाते हैं जो कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com में 'निवेशक संबंधों' पर एक पृथक समर्पित खंड है जिसमें शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारण पैटर्न और कारपोरेट अधिशासन रिपोर्ट आदि जैसी जानकारी उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल रूप में उपलब्ध है।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा तालिका-14 में दिया गया है।

तालिका 14 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2018	30 सितम्बर, 2018	31 दिसम्बर, 2018	31 मार्च, 2019
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	11 अगस्त, 2018	-	-	-
हिंदुस्तान (हिंदी) - दिल्ली	11 अगस्त, 2018	-	-	-
द फाइनेशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), सभी संस्करण	-	15 नवम्बर, 2018	9 फरवरी, 2019	-
जनसत्ता (हिंदी), नई दिल्ली	-	15 नवम्बर, 2018	9 फरवरी, 2019	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	-	-	-	28 मई, 2019
नवभारत टाइम्स (हिंदी) - दिल्ली	-	-	-	28 मई, 2019

15. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक :

दिनांक : 23 सितम्बर, 2019

समय : प्रातः 11:00 बजे

स्थान : जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003।

प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 21 सितम्बर, 2019

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय कलेंडर :

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणाम बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2020 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणाम बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2020	अगस्त/ सितम्बर, 2020 अनंतिम

(iii) **बही का बंद किया जाना**

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बहियों को शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) **लाभांश का भुगतान :**

कंपनी ने मार्च, 2019 में 0.71 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 0.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष हेतु कुल लाभांश 1.46 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होता है, यदि अंतिम लाभांश को आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो।

भौतिक शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश का भुगतान उन सदस्यों या उनके अधिदेशितों को किया जाएगा, जिनके नाम 23 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संदर्भ में अंतिम लाभांश का भुगतान शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को किया जाएगा, जिनके नाम 13 सितम्बर, 2019 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी स्वामित्व संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(v) **लाभांश इतिहास :**

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्यौरा **तालिका 15** में दिया गया है।

तालिका 15 : लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/ बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22 सितम्बर, 2010	01 अक्टूबर, 2010
2010-11	738.04	19 सितम्बर, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011-12	861.05	17 सितम्बर, 2012	26 सितम्बर, 2012
2012-13	738.04	16 सितम्बर, 2013	25 सितम्बर, 2013
2013-14	332.13	26 सितम्बर, 2014	07 अक्टूबर, 2014
2014-15	664.27 (221.43 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्टूबर, 2015
2015-16	1660.60 (1018.50 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्टूबर, 2016
2016-17	1984.62 (1882.02 रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्टूबर, 2017
2017-18	1436.31 (1149.05 रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 फरवरी, 2018 और 27 सितम्बर, 2018	8 मार्च, 2018 और 22 अक्टूबर, 2018
2018-19	713.20 (अंतरिम लाभांश)	8 फरवरी, 2019	5 मार्च, 2019

(vi) **स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :**

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001	पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला
स्क्रिप कोड : 533098	कांपलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051
आईएसआईएन : INE848E01016	स्क्रिप कोड : NHPCEQ
	आईएसआईएन : INE848E01016

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2019 से पूर्व किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक कस्टोडियन शुल्क को भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन :

एनएचपीसी शेयर मूल्य की बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना क्रमशः तालिका 16 और तालिका 17 में दी गई है।

तालिका 16 : बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेंसेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2018	35,213.30	32,972.56	35,160.36
मई-2018	35,993.53	34,302.89	35,322.38
जून-2018	35,877.41	34,784.68	35,423.48
जुलाई-2018	37,644.59	35,106.57	37,606.58
अगस्त-2018	38,989.65	37,128.99	38,645.07
सितम्बर-2018	38,934.35	35,985.63	36,227.14
अक्टूबर-2018	36,616.64	33,291.58	34,442.05
नवम्बर-2018	36,389.22	34,303.38	36,194.30
दिसम्बर-2018	36,554.99	34,426.29	36,068.33
जनवरी-2019	36,701.03	35,375.51	36,256.69
फरवरी-2019	37,172.18	35,287.16	35,867.44
मार्च-2019	38,748.54	35,926.94	38,672.91

बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-2018	30.10	27.10	28.40
मई-2018	28.70	25.95	26.50
जून-2018	27.05	22.35	23.40
जुलाई-2018	25.40	22.60	23.85
अगस्त-2018	26.10	23.20	25.35
सितम्बर-2018	27.15	22.25	22.60
अक्टूबर-2018	24.50	22.20	24.25
नवम्बर-2018	27.50	24.20	25.95
दिसम्बर-2018	26.70	25.75	26.00
जनवरी-2019	26.20	24.15	24.95
फरवरी-2019	25.50	22.60	23.10
मार्च-2019	25.90	22.95	24.75

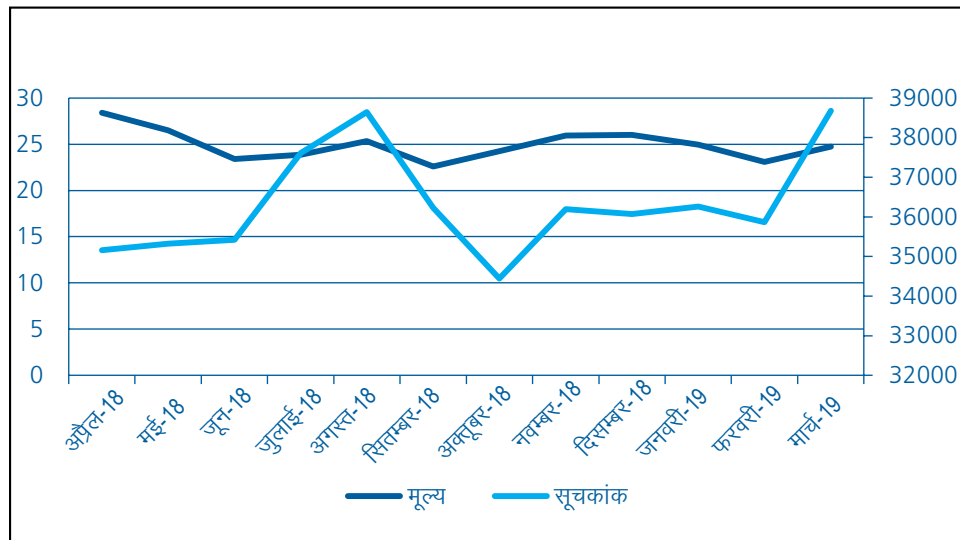
तालिका 17 : एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

निफ्टी			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2018	10,759.00	10,111.30	10,739.35
मई-2018	10,929.20	10,417.80	10,736.15
जून-2018	10,893.25	10,550.90	10,714.30
जुलाई-2018	11,366.00	10,604.65	11,356.50
अगस्त-2018	11,760.20	11,234.95	11,680.50
सितम्बर-2018	11,751.80	10,850.30	10,930.45
अक्टूबर-2018	11,035.65	10,004.55	10,386.60
नवम्बर-2018	10,922.45	10,341.90	10,876.75
दिसम्बर-2018	10,985.15	10,333.85	10,862.55
जनवरी-2019	10,987.45	10,583.65	10,830.95
फरवरी-2019	11,118.10	10,585.65	10,792.50
मार्च-2019	11,630.35	10,817.00	11,623.90

एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-2018	29.40	27.10	28.45
मई-2018	28.75	25.85	26.50
जून-2018	27.10	22.35	23.45
जुलाई-2018	25.50	22.60	23.75
अगस्त-2018	26.10	23.20	25.35
सितम्बर-2018	27.20	22.25	22.60
अक्टूबर-2018	24.60	22.10	24.35
नवम्बर-2018	27.50	24.20	25.95
दिसम्बर-2018	26.80	25.75	26.00
जनवरी-2019	26.30	24.05	25.00
फरवरी-2019	25.50	22.50	22.95
मार्च-2019	25.90	22.95	24.70

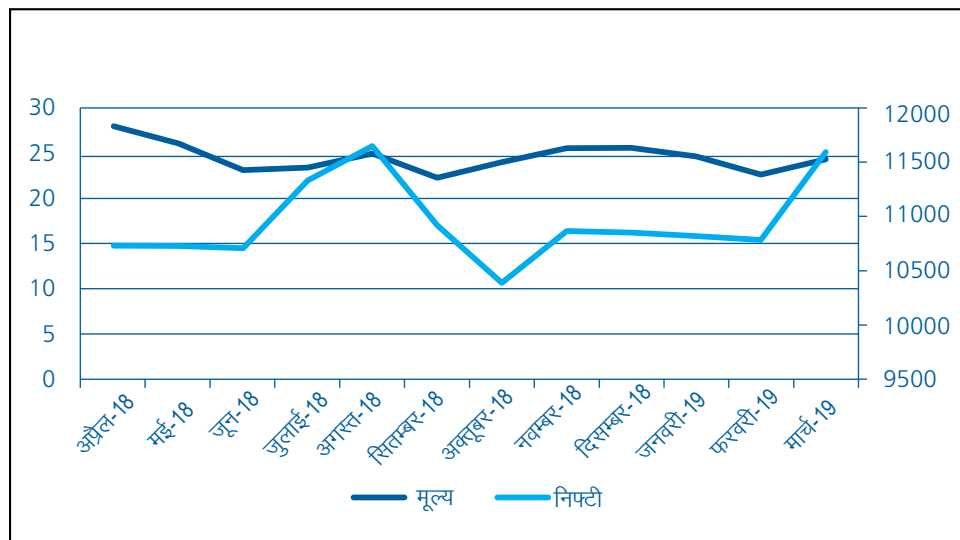
(viii) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन :

बीएसई सूचकांक और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

(ix) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :

कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (पूर्वनाम कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.),
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67162222
टोल फ्री नं. : 1800 345 4001
फैक्स नं. : 040 23001153
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

(x) क्रेडिट रेटिंग :

कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं :

घरेलू			
क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	ऋण जिनके संबंध में रेटिंग्स प्राप्त की गई है
1	इंडिया रेटिंग	ईड एएए/ स्थिर	पी, क्यू, आर, कर मुक्त, एस, टी, यू, वी, एक्स श्रृंखला, भारत सरकार बाण्ड और दीर्घावधि बैंक सुविधाएं/ एफआईएस
		इंड ए1 +	अल्पावधि कार्यशील पूंजी सीमा
2	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	क्यू, आर, डब्ल्यू और कर मुक्त बाण्ड
3	केयर	केयर एएए : स्थिर	क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, कर मुक्त, एक्स श्रृंखला और भारत सरकार बाण्ड
अंतर्राष्ट्रीय			
1	एस एण्ड पी	बीबीबी - परिदृश्य : स्थिर	-
2	मूडीज	बीएए2 - परिदृश्य : स्थिर	-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली

निदेशक मंडल ने आरटीए को भौतिक शेयर वाले शेयरधारकों से शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन और/अथवा शेयरों को डीमैटरियलाइज करने आदि के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया था। शेयरों के पुनः मैटरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राप्त अनुरोधों की निगरानी एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन-पत्र क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान भौतिक स्म में धारित शेयरों के अंतरण, डीमैटरियलाइजेशन, री-मैटरियलाइजेशन, शेयरों के समेकन तथा डुप्लीकेट प्रमाण-पत्रों को जारी करने आदि हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की गई थी बशर्ते दस्तावेज पूरे हों।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुपालन में एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से छमाही आधार पर यह पुष्टि करते हुए कि सभी प्रमाण-पत्र अंतरण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण, अथवा आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं, के आशय का प्रमाण-पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 के प्रावधानों के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हैं, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावी स्म देने के लिए अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिट्री के साथ डीमैटरियलाइज स्म में हैं सिवाय प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले में। अतः 1 अप्रैल, 2019 से उनके अंतरण को प्रभावी स्म देने के लिए प्रतिभूतियां बाध्यकारी स्म से डीमैट स्म में होंगी।

भौतिक शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन हेतु प्रक्रिया निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

<https://nsdl.co.in/services/demat.php> और <https://www.cdslindia.com/downloads/faq/Demat%20CDSL%20Way%20-%20V%20-%20Dematerialization.pdf>.

(xii) शेयरों और अदा न किए गए/अदावाकृत राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण :

समय-समय पर यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और बचाव निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाएं) नियम, 2016 के साथ पढ़े जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अदा न किए गए तथा अदावाकृत लाभांश से संबंधित 9370289 रुपये की राशि को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 628353 शेयर जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों हेतु लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ को अंतरित किया गया है।

आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण को प्रभावी स्म देने से पूर्व कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों को पत्र और समाचार-पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किए जाने हैं।

आईईपीएफ को अंतरित लाभांश और शेयरों, कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा और आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश तथा शेयरों का दावा करने हेतु प्रक्रिया विधि कंपनी की वेबसाइट में <http://www.nhpcindia.com/Default.aspx?id=278&lg=eng&> लिंक पर और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् www.iepf.gov.in पर भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित और अदा न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2019 है। सदस्य अदावाकृत लाभांश हेतु अपने दावों को कंपनी के आरटीए को आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व दावा कर सकते हैं। इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं बनेगा।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2019 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर तालिका 18 तथा तालिका 19 में दिए गए हैं :

(क) तालिका 18 : 31 मार्च, 2019 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणी (राशि रूप में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत *	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत *
1-5,000	4,51,089	63.99	9,54,00,488	0.95
5,001-10,000	1,75,717	24.93	13,16,25,189	1.31
10,001-20,000	42,584	6.04	6,34,65,775	0.63
20,001-30,000	13,487	1.91	3,43,36,330	0.34
30,001-40,000	5,541	0.79	1,98,14,819	0.20
40,001-50,000	4,428	0.63	2,09,32,000	0.21
50,001-1,00,000	7,003	0.99	5,13,69,178	0.51
1,00,001 और उससे ज्यादा	5,064	0.72	9,62,80,91,026	95.85
कुल	7,04,913	100	10,04,50,34,805	100

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ख) तालिका 19 : 31 मार्च, 2019 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2019 को			परिवर्तन (प्रतिशत*) वृद्धि/ (कमी)
	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत	
भारत सरकार	1	7,58,74,81,082	73.96	1	7,36,59,64,993	73.33	(0.63)
म्यूचुअल फंड्स	40	26,51,15,910	2.58	13	32,14,71,603	3.20	0.62
विदेशी संस्थागत निवेशक	182	44,13,97,679	4.30	152	49,16,65,365	4.89	0.59
विदेशी संस्थान/ बैंक	21	7,77,58,691	0.76	18	6,51,01,540	0.65	(0.11)
बीमा कंपनियाँ	30	77,84,48,263	7.59	6	77,76,95,996	7.74	0.15
निवासी व्यक्ति	7,34,113	57,48,34,630	5.61	6,77,231	53,88,64,448	5.36	(0.25)
अनिवासी भारतीय	4,558	1,29,44,463	0.12	4,589	1,28,97,153	0.13	0.01
समाशोधन सदस्य	244	60,46,190	0.06	147	34,71,589	0.03	(0.03)
आईईपीएफ	1	9,99,609	0.01	1	16,27,862	0.02	0.01
कारपोरेट निकाय	2,275	51,11,29,761	4.98	1,714	46,39,78,931	4.62	(0.36)
अन्य	49	22,11,588	0.02	44	18,40,819	0.02	-
अन्य (एनबीएफसी, विदेशी नागरिक, विदेशी कारपोरेट निकाय, वैकल्पिक निवेश निधि)	27	9,52,653	0.01	22	4,54,506	0.01	-
कुल	7,41,541	10,25,93,20,519	100	6,83,938	10,04,50,34,805	100	-

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

ग) 31 मार्च, 2019 को दस प्रमुख शेयरधारक :

31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी लिमिटेड के शीर्ष 10 शेयरधारकों का विवरण तालिका 20 में दिया गया है :

तालिका 20 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार शीर्ष 10 शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,36,59,64,993	73.33
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	73,43,79,599	7.31
3.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	24,44,73,240	2.43
4.	आरईसी लिमिटेड	17,53,02,206	1.75
5.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	8,29,53,520	0.83
6.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड	6,06,41,557	0.60
7.	एजबैस्टन एशियन इक्विटी ट्रस्ट	5,64,55,779	0.56
8.	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल ब्लूचिप फंड	4,49,94,925	0.45
9.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,66,09,129	0.36
10.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3,55,56,270	0.35
कुल		8,83,73,31,218	87.98

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटिरियलाइजेशन :

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटिरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास टेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास धारित डीमैटिरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुसूच होने की पुष्टि करने वाली शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के मिलान को त्रैमासिक आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	9,85,11,36,734	98.07
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	19,37,95,429	1.93
भौतिक रूप	1,02,642	नगण्य
कुल	10,04,50,34,805	100

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

1. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड

ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथा तल,
कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई-400013

2. सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

मैराथन फ्यूचरेक्स, ए -विंग
25वां तल, एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट)
मुंबई - 400 013

(xv) **डीमैट उचिन्त खाता**

31 मार्च, 2019 को उचिन्त खाते में शेयरों के ब्यौरे **तालिका 21** में दिए गए हैं।

तालिका 21 : उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	7	2,664
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	1	713
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	6	1,951

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ये शेयर उचित खाते में हैं। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

(xvi) **बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इस्ट्रूमेंट्स, कंवरजन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :**

एनएचपीसी लिमिटेड ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ते हो।

(xvii) **एनएचपीसी संयंत्रों की अवस्थिति**

बैरास्थूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जिला - रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बानबासा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित नगर, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किशतवाड़, जिला - किशतवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माश्का, जिला कठुआ, जम्मू-कश्मीर-176325
चमेरा- III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ-9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चुटक	एनएचपीसी लि., डाकघर-मिजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम - III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, डाकघर-रियांग, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734321
निम्नो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194101
उड़ी II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला - बारामूला, (जम्मू एवं कश्मीर), 193122
पार्वती-III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु हिमाचल प्रदेश, पिन 175122
टीएलडीपी - IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, कलीझोरा बजार, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734320
जैसलमेर पवन विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
तमिलनाडू सौर विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, रेंगनाथापुरम गांव, ए.वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडू - 625 602
किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदापुरा, जम्मू एवं कश्मीर - 193 502

(xviii) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

“हरित पहल” के अनुसूचक कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रभावी की है जिनकी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है और डिपोजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड से डाउनलोड की जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और संबंधित नियम तथा साथ ही साथ सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 36 सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रसार की अनुमति देता है।

(xix) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, नीर शक्ति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in
संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है :

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2588110	0129-2278018
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com	
श्री अनुज कपूर, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-
ई-मेल आईडी	anujkapoor@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 22 जनवरी, 2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सेबी एलओडीआर की गैर-अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1. **बोर्ड** : कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** : पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में “संचार के साधन” के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। कंपनी के शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।
3. **लेखा परीक्षा अर्हता** : कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।
4. **अध्यक्ष और सीईओ के पृथक पद** : कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद को एक ही व्यक्ति को धारित किया जाता है जिससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।
5. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** : श्री दीपांकर चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार श्री दीपांकर चक्रवर्ती कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अनुबंध - ख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(18) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,

एनएचपीसी लिमिटेड,

फरीदाबाद।

- (क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :
- (i) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।
 - (ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुसूच हैं।
- ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।
- घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :
- (i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव।
 - (ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और
 - (iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमें प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-

(महेश कुमार मित्तल)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 02889021

हस्ता/-

(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07449990

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 27 मई, 2019

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिन्हें एतदपश्चात “सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015” कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित किए गए अनुसार की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथा विहित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

- 1- सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1)(ख) और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार कंपनी में 5.7.2018 से 17.7.2018 और 5.11.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि हेतु अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- 2- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) के अनुसार कंपनी ने निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया है।
- 3- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक अपने बैठक में निम्नलिखित कार्य करेंगे।
 - (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के समग्र निष्पादन की समीक्षा
 - (ख) कार्यकारी निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों के मतों पर विचार करते हुए सूचीबद्ध निकाय के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा।
- 4- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-II भाग घ (क) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 19(4) के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति निम्नलिखित कार्य करेगी-
 - (क) किसी निदेशक की अर्हता, सकारात्मक गुणों तथा स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदण्ड निरूपित करना।
- 5- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 29(2), निधियों को जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु 15 मार्च, 2019 को आयोजित निदेशकों की बैठक की पूर्व सूचना कम से कम 2 कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाए, जिसमें सूचना की तिथि तथा बैठक की तिथि वाला दिन शामिल नहीं है। उक्त को 13 मार्च, 2019 को स्टॉक एक्सचेंजों को भेजा गया था।

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) तथा 29(2) के गैर-अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरुद्ध कंपनी ने छूट हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

हम आगे यह भी बताते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100

हस्ता./-

सी एस सचिन अग्रवाल

भागीदार

एफसीएस सं. : 5774

सीपी सं. : 5910

दिनांक : 15 जुलाई, 2019

स्थान : नई दिल्ली



श्री नीरज वर्मा, प्रधान सचिव (विद्युत), असम सरकार और श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने 23 अगस्त, 2019 को गुवाहाटी, असम में 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी, सुश्री सैयदा हसीना मुर्शीद रहमान, सचिव (ऊर्जा), असम सरकार, श्री ए. के. मिश्रा, प्रबंध निदेशक (एनएचडीसी), श्री अरविंद भट्ट, कार्यपालक निदेशक (सुबनसिरी लोअर परियोजना) और एनएचपीसी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग ढांचा और विकास

भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विद्युत किसी देश की आधारभूत ढांचा आवश्यकता के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो आर्थिक वृद्धि तथा लोगों के कुशलक्षेम को प्रभावित करती है। विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण उपयोगिताएं शामिल होती हैं और यह भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु एक प्रमुख समर्थकारक है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार भारत में सभी पावर स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 3,56,100.19 मेगावाट है जिसमें तापीय, जल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा परमाणु विद्युत का योगदान क्रमशः 2,26,279.34 मेगावाट, 45,399.22 मेगावाट, 77,641.63 मेगावाट और 6780 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देश में परंपरागत स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन 1,244.80 बिलियन यूनिट था जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 1201.54 बिलियन यूनिट था जो 3.6% प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2. भारत में जल विद्युत संभाव्यता :

हमारा देश एक व्यापक जल विद्युत संभाव्यता से भरा पड़ा है और व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता हेतु विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, जिसमें से अधिकांश का उपयोग अभी नहीं हुआ है। देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनःआंकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले योजनाएं शामिल हैं। जल विद्युत ऊर्जा के सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकारों में एक है। भारत के जल विद्युत उत्पादन का परिदृश्य औद्योगिक उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और सभी को 24 X 7 विद्युत मुहैया करवाने की भारत सरकार के लक्ष्य को देखते हुए काफी अच्छा दिखता है। एनएचपीसी को देश की जल विद्युत की संभाव्यता के दोहन में एक प्रमुख भूमिका निभानी है। एनएचपीसी ने अभी तक समूचे देश में 20 जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया है।

3. जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने जल विद्युत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एलएचपी अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है। तथापि, एलएचपी स्वतः ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं (अर्थात् 25 मेगावाट से कम की परियोजनाएं) को उपलब्ध वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) स्वीकृति आदि जैसी सांविधिक स्वीकृतियों हेतु किसी विभेदीय व्यवहार के लिए पात्र नहीं होंगी। एलएचपी हेतु विद्युत मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय बना रहेगा।

¹ स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

- जल विद्युत खरीद बाध्यता (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय खरीद बाध्यता (आरपीओ) के भीतर एक पृथक निकाय के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। एचपीओ 8.3.2019 के पश्चात (अर्थात् विद्युत मंत्रालय द्वारा ज्ञापन जारी किए जाने की तिथि) चालू की गई सभी एलएचपी और साथ ही साथ चालू की गई परियोजनाओं की समझौता न की गई क्षमता (अर्थात् पीपीए के बिना) को कवर करेगा।
- परियोजना काल में 40 वर्षों की वृद्धि करने, ऋण-चुकोती अवधि को बढ़ाकर 18 वर्ष करने और 2 प्रतिशत के वृद्धियात्मक टैरिफ को लागू करके जल विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाते हुए टैरिफ की बैंक लोडिंग द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु डेवलपर्स को लोचशीलता।
- बजटीय सहायता का विस्तार बाढ़ रोकने/भंडारण जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) हेतु किया जाएगा। बजटीय सहायता का विस्तार समर्थकारी ढांचे अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए 200 मेगावाट तक की परियोजना हेतु 1.5 करोड़ प्रति मेगावाट और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजना हेतु 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से किया जाएगा।

4. सीईआरसी विनियम

सीईआरसी ने मार्च, 2019 में सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2019 जारी किए हैं जो 2019-24 की अवधि हेतु लागू होंगे। उक्त विनियमों के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं :

- निर्धारण तिथि अब वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के कैलेंडर माह के अंत से 36 माह की मानी जाएगी।
- परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (सिवाय जहां विलंब परियोजना डेवलपर के कारण है) को “बाध्यकारी घटना” की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- दण्डात्मक ब्याज को लगाए जाने हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण में वृद्धि 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है (अर्थात् लाभग्राहियों को अतिरिक्त एएफसी की प्रतिपूर्ति हेतु बैंक दर का 1.2 गुणा और लाभग्राहियों से एफसी की वसूली हेतु बैंक दर का एक गुणा)।
- भूमि अधिग्रहण (सिवाय जहां विलंब उत्पादक कंपनी के कारण है) को लागत तथा समय आधिक्य के विश्लेषण हेतु एक “अनियंत्रणीय कारक” माना जाएगा।
- पुराने संयंत्रों हेतु ओ एण्ड एम व्यय - पुराने पावर स्टेशनों हेतु अनुमेय नामितिक ओएण्डएम व्ययों में मजदूरी संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और जीएसटी का प्रभाव शामिल नहीं है जिसकी अनुमति अलग से दी जाएगी।

- सुरक्षा व्ययों और कलपुर्जों की लागत की अनुमति पृथक रूप से विवेकसम्मत जांच के पश्चात की जाएगी।
- द्वितीयक ऊर्जा की ऊपरी सीमा 90 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ा कर 120 पैसे प्रति यूनिट की गई है।
- 200 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाले संयंत्रों के संबंध में मानक सहायक ऊर्जा उपभोग (ईईसी) को थोड़ा बढ़ा कर 1.2 प्रतिशत (स्थिर एक्साइटेशन के साथ सतही विद्युत गृह) तथा 1.3 प्रतिशत (स्थिर एक्साइटेशन के साथ भूमिगत विद्युत गृह) किया गया है।
- उत्पादन कमी की रिकवरी की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। पहले के रिकवरी तंत्र आधारित सूत्र को वापिस लिया गया है।

5. रणनीतिक विविधीकरण

आपकी कंपनी भारत की अग्रणी जल विद्युत उत्पादन कंपनियों में से एक है जो देश की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता के 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। एनएचपीसी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा पवन, सौर आदि में परियोजनाएं लेकर अपनी क्रियाकलापों का विविधीकरण भी कर रही है। एनएचपीसी ने पहले ही तमिलनाडु राज्य में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना और राजस्थान राज्य में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को चालू किया है। आपकी कंपनी केरल राज्य में 10 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना और ओडिशा राज्य में 100 मेगावाट के सोलर पार्क को विकसित करने की प्रक्रिया में है। उक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने विद्युत व्यापार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को प्राप्त करने हेतु में सीईआरसी से श्रेणी-1 अंतर-राज्य विद्युत व्यापार लाइसेंस भी प्राप्त किया है।

6. क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

(i) क्षमताएं

- **जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड**
एनएचपीसी के पास जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रचुर अनुभव तथा विशेषज्ञता है। एनएचपीसी का सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का एक दल है जिनके पास जल विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर प्रचालन तक इस उद्योग में व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।
- **आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं :**
एनएचपीसी का एक पूर्णतः तैयार डिजाइन प्रभाग है जो इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों की डिजाइन तथा अभियांत्रिकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समर्पित है। एनएचपीसी की आंतरिक डिजाइन टीम के पास जल विद्युत क्षेत्र में व्यापक

अनुभव है, जो इसे भारत में अन्य जल विद्युत कंपनियों की तुलना में एक लाभ प्रदान करती है। एनएचपीसी टनल भूकंपीय पूर्वानुमान, टोमोग्राफी और रेसिसटीविटी इमेजिंग जैसी नवीनतम भू-भौतिक अन्वेषण तकनीकों से सुसज्जित है जो एक प्रभावी तथा मितव्ययी तरीके से उप सतही सूचना मुहैया करवा सकती है। एनएचपीसी के पास चट्टान नमूनों की भू-तकनीकी विशेषताओं का पता लगाने और अगम्य क्षेत्रों की भू-वैज्ञानिक व्याख्या हेतु क्रमशः एक पूर्ण रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला तथा सुदूर संवेदनशील प्रयोगशाला आंतरिक रूप से मौजूद है। उक्त के अतिरिक्त, इसके सभी पावर स्टेशनों में ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी के लिए इसके कारपोरेट कार्यालय में एक उन्नत केन्द्रीयकृत रियल टाइम भूकंपीय डाटा केन्द्र विकसित किया गया है। डाटा सेंटर संबंधित पावर स्टेशन के आस-पास में किसी भूकंप की स्थिति में तीव्र आकलन मुहैया करवाता है।

• निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव

एनएचपीसी के पास कई भू-तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। इसने अगम्यता, खराब लॉजिस्टिक्स, प्रतिकूल जलवायु एवं प्रौद्योगिकीय बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों वाले सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनएचपीसी के पास पावर स्टेशनों के प्रभावी प्रचालन में प्रमाणित अनुभव है विशेष रूप से गाद प्रवण हिमालयी क्षेत्र में। वर्तमान में एनएचपीसी 44 मेगावाट से 690 मेगावाट की विभिन्न स्थापित क्षमताओं के 20 जल पावर स्टेशनों का सफलतापूर्वक प्रचालन कर रहा है। सभी निष्पादन पैरामीटरों में सतत सुधार हुआ है। 35 वर्षों तक सफलतापूर्वक प्रचालन के पश्चात 2 एनएचपीसी पावर स्टेशनों (बैरास्यूल (180 मेगावाट) और लोकतक (105 मेगावाट) ने अपने उपयोगी वाणिज्यिक जीवनकाल को पूरा किया है। नियामक प्रावधानों के अनुसार एनएचपीसी इन दो पावर स्टेशनों के जीवन विस्तार हेतु नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य कर रहा है।

• दृढ़ वित्तीय स्थिति

एनएचपीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी 10,045.03 करोड़ रुपये तथा निवेश आधार 59,609 करोड़ रुपये से अधिक का है। एनएचपीसी को इसके सूचीबद्ध बॉण्ड हेतु घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्थिर परिदृश्य के साथ “एएए” की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई है। मूडी ने एनएचपीसी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बीएए2 स्थिर दी है। स्टैंडर्ड एण्ड पुअर ने स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी (-) की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग दी है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य है। कंपनी की दृढ़ वित्तीय स्थिति इसे बड़ी पूंजी प्रधान जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष बनाती है।

• **सुदृढ़ प्रचालन निष्पादन**

एनएचपीसी 22 जल विद्युत परियोजनाओं (इसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात एनएचडीसी के माध्यम से दो सहित), एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत परियोजना को विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफल रहा है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। इस प्रकार अपने पावर स्टेशनों के समूह के साथ एनएचपीसी भारत में जल विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

(ii) **अवसर**

• **दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता**

खराब होते जलीय-तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में अंतरों ने नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जल विद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जल विद्युत विकास हेतु अवसर मुहैया करवाती है। आपकी कंपनी के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी तथा इसकी क्षमताओं के मद्देनजर आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता को जोड़ने का एक अवसर है।

• **जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता**

पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा दर्शायी गई शक्ति, जहां अधिकांश अन्य कंपनियां आमतौर पर विफल हो रही हैं, जल विद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है।

• **नवीकरणीय ऊर्जा**

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू क्षमता प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा है जिसमें 100 जीडब्ल्यू सौर, 60 जीडब्ल्यू पवन, 5 जीडब्ल्यू लघु हाइड्रो और 10 जीडब्ल्यू बायोमास तथा अन्य शामिल है।² सौर विद्युत क्षेत्र में कई उपाय जैसे सौर पार्क नीति, ग्रिड कनेक्टिड स्मॉल टॉफ सौर संयंत्र तथा सौर टैरिफ में तेजी से कमी के साथ इसने सौर विद्युत व्यापार में निवेश को अत्यधिक आकर्षक बना दिया है। एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत के उत्पादन हेतु नए अवसरों को तलाशने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, अर्थात 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया है।

• **ग्रिड संतुलन आवश्यकता**

भारत सरकार की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास हेतु वर्तमान पहल विशेष रूप से सौर विद्युत, जल विद्युत का बड़े पैमाने पर विकास ग्रिड संतुलन/स्थिरता हेतु अपेक्षित होगा। वर्तमान परिदृश्य एनएचपीसी के पास देश की दोहन न की गई जल विद्युत के विकास/दोहन का अवसर होगा।

(iii) **खतरे/चुनौतियां/चिंताएं**

• **समय तथा लागत आधिक्य**

अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हैं जो भू-स्खलन, पहाड़ के ढलान के टूट जाने, मार्ग अवरुद्ध होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के कहर का शिकार बनते हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद भू-वैज्ञानिक अनिश्चिताओं से निपटा जाना होगा विशेष रूप से हेड रेस टनल जैसी लंबी सुरंगों में। एनएचपीसी ने अपने समृद्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी से विगत में कई बार ऐसे आश्चर्यों से पार पाया है। तथापि, ये आम न होने वाली और अनुमान न लगाई जा सकने वाली भू-वैज्ञानिक अनिश्चिताएं समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती हैं।

• **समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया**

किसी जल विद्युत परियोजना में कार्यान्वयन से पूर्व कई एजेंसियों से विभिन्न सांविधिक तथा साथ ही साथ गैर-सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करना जटिल, कठिन और समय लगने वाली प्रक्रिया बन चुका है जो कई बार परियोजना कार्यान्वयन में असमान्य विलंब में परिणत होता है। कई परियोजनाएं एक से अधिक संगठनों, राज्यों आदि के शामिल होने के चलते लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं।

• **विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को करने में कठिनाइयां**

नई जल विद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ उच्च प्रारंभिक निवेश तथा स्थल विशिष्ट होने के कारण अपेक्षाकृत रूप से अधिक होता है। लाभार्थी अपनी अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता को अल्पावधि आधार पर विद्युत एक्सचेंज या ई-खरीद के माध्यम से खरीदने को प्राथमिकता देते हैं बजाए दीर्घावधि/मध्यम अवधि के पीपीए का विकल्प चुनने के। वर्तमान के विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्चतर टैरिफ होने वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कठिन होती जा रही है। एनएचपीसी को भी नई परियोजनाओं से दीर्घावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत के प्रेषण में कठिनाइयां आ रही हैं।

• **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी प्रतीक्षा अवधि शामिल होती है तथा इनके लिए व्यापक प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है जो उच्च प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। जल विद्युत परियोजनाओं के नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम समय-समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार अंतर के अधीन भी होते हैं।

• **कानून एवं व्यवस्था**

संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों और सुदूर स्थलों में अवस्थित एनएचपीसी की कुछ परियोजनाएं/पावर स्टेशन कानून एवं

² प्रेस सूचना ब्यूरो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते हैं। इससे इन स्थानों पर तैनात अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध**

भारत में जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ दबाव डालने वाले समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिसने जल विद्युत विकासकर्ताओं के मध्य यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि इसके चलते उनकी परियोजनाओं में विलंब होगा और यह समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होगा।

- **पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जल विद्युत नीतियां**

जल भारत के संविधान के अंतर्गत एक राज्य का विषय है। कई राज्यों की जल विद्युत नीतियां डेवलपर्स को जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, अपेक्षित निःशुल्क विद्युत के अलावा निःशुल्क विद्युत आदि का प्रावधान करती है। सीपीएसयू को जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत सरकार के मानदण्डों का पालन करते हैं।

- **कुछ संविदाकारों पर निर्भरता**

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति, मशीनरी तथा धन के प्रचुर मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कुछ ही संविदाकार हैं जो इसे पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से सुदूर तथा कठिन स्थलों पर जहां पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की एक सीमित श्रृंखला से हमारी निर्भरता केवल कुछ ही संविदाकारों पर बढ़ जाती है।

7. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र ढांचा मुहैया करवाती है। कुल 54 प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रशमन उपायों के साथ की गई है और उन्हें जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयक की सपहचान की गई है, जो इन जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका कंपनी के व्यापार पर बाधक प्रभाव हो सकता है। एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसमें स्वतंत्र और कार्यात्मक निदेशक शामिल है और जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका बोर्ड की प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करना और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने की भी है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके। जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के साथ विभिन्न जोखिमों तथा उनके प्रशमन उपायों पर चर्चा करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों

की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करने के कार्य को करती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/पावर स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

8. परिदृश्य

आपकी कंपनी ने अपनी धारणीय वृद्धि के लिए अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है। एनएचपीसी ने निर्माण समय विलंब तथा साथ ही साथ लागत आधिक्य को कम करने के लिए समकालीन व्यवहारों को भी लागू किया है। वर्तमान में कंपनी के सभी पावर स्टेशनों के प्रचालन या तो अर्ध अथवा पूर्ण रूप से स्वचालित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निरीक्षण निर्माण पर्यवेक्षण, चालू किए जाने के पश्चात निगरानी और बाधामुक्त प्रचालन को सुनिश्चित किया तथा इसमें वृद्धि की जाती है। कई पावर स्टेशन स्काडा प्रणालियों के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियों से लैस हैं। एनएचपीसी अपने कुछ पावर स्टेशनों के सुदूर प्रचालन को भी करने जा रहा है।

एनएचपीसी की एकल स्थापित क्षमता 5,551 मेगावाट है और यह विविधीकरण के माध्यम से विस्तार हेतु अवसर तलाश रहा है। इसने पहले ही पवन तथा सौर ऊर्जा प्रत्येक की एक-एक परियोजना चालू कर ली है।

9. खंड-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श “प्रचालनशील रिपार्टिंग” संबंधी इंड एस-108 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुपालन में, बोर्ड ने श्री दीपांकर चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। विभाग में आवधिक रूप से तथा प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए दक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है।

लेखापरीक्षा अभिमताओं का एक सार और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी सिफारिशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुपालन में मैसर्स गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार किया है।

11. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

(i) प्रचालनों के परिणाम

वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2019 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है :

आय

तालिका 1	(करोड़ रुपये में)	
	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2018
उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (मिलियन यूनिट में)	24,410	22,973
आय		
(1) ऊर्जा की बिक्री	7,138.24	6,177.90
(2) वित्त पट्टे से आय	208.28	213.57
(3) प्रचालन पट्टे से आय	748.61	477.17
(4) संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	23.85	63.25
(5) विद्युत से राजस्व - व्यापार	12.96	0.00
(6) अन्य प्रचालनशील आय	29.24	6.33
प्रचालनों से राजस्व ((1) से (6) का जोड़)	8,161.18	6,938.22
जोड़े : अन्य आय	924.78	1,420.55
कुल	9,085.96	8,358.77

वित्तीय वर्ष 2019 में कुल आय में वित्त वर्ष 2018 के 8358.77 करोड़ रुपये से 8.70 प्रतिशत बढ़ कर 9085.96 करोड़ रुपये हो गई है, जो मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2019 में उत्पादन में वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2019 में पिछले वर्षों से संबंधित बिक्री में वृद्धि, प्रचालन पट्टा आय में वृद्धि जिसे आंशिक रूप से अनुषंगी कंपनियों में लाभांश आय में कमी, विलंब भुगतान अधिभार में कमी, निवेश/ सावधि जमा पर ब्याज में कटौती और परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व में कमी से समायोजित किया गया था।

टैरिफ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत टैरिफ का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 21 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी जारी की है जो 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते हैं।

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु अधिसूचित विनियमों के अनुपालन में, प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में प्रभावी दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी वसूल किया जा सके। कुल वार्षिक स्थिर प्रभारों को दो भागों में विभाजित किया जाता है अर्थात् 50 प्रतिशत क्षमता प्रभार के रूप में तथा 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार के रूप में। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएफ) को ध्यान में रख कर किया

जाता है जो प्रत्येक पावर गृह की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऊर्जा प्रभारों को डिजाइन ऊर्जा के प्रति वास्तविक उत्पादन के आधार पर वसूला जाता है। प्रत्येक पावर स्टेशन की डिजाइन ऊर्जा को सीईए द्वारा जल उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटीलिटी शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2013/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु कुछ पावर स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसूच पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरुस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2018-19 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

बिक्री में ग्रीड अनुशासन लाने के लिए सीईआरसी विनियम में विहित आवृत्ति से संबद्ध दरों पर अनुसूची (देय अथवा प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु प्रभार, विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पावर स्टेशनों के संबंध में जल उपकरण के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5551 मेगावाट (किशनगंगा जल विद्युत परियोजना की 330 मेगावाट सहित) (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किशनगंगा जल विद्युत परियोजना से उत्पन्न की गई 20 एमयू और पार्वती-II जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 42 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त) से 24410 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जबकि वित्त वर्ष 2018 में कम्पनी ने 5221 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से 22973 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 6.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2019 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों और गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को समायोजित करने के पश्चात्) बिक्री की गई 21,481 मिलियन यूनिटों हेतु 3.58 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह बिक्री की गई 20,206 मिलियन यूनिटों हेतु 3.52 रुपये प्रति यूनिट था।

ऊर्जा की बिक्री वित्तीय वर्ष 2018 में 6177.90 करोड़ रुपये से 15.54 प्रतिशत बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2019 में 7138.24 करोड़ हो गई जो मुख्यतः पावर स्टेशनों से अधिक उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2018 में 85.32 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 84.97 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है और उन पांच पावर स्टेशनों के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है जिनकी बिक्री को अब इंड-एएस प्रावधानों के अनुसार प्रचालन/वित्तीय पट्टा माना गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी विद्युत घर/ विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेख में समायोजित करने की बजाय लेख में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/ या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभाव को ऊर्जा की बिक्री में शामिल नहीं किया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है :

तालिका 2 : (करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
निवल बिक्री (पट्टा आय सहित)	8,095.13	6,868.64
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	411.47	(249.05)
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	7,683.66	7,117.69

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी संविदाओं से संबंधित कार्य से राजस्व शामिल होता है। इन कार्यों में मुख्यतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, भूटान शाही सरकार की मांगदेचू परियोजना, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य से आय में 62.29 प्रतिशत से कम होकर यह वित्तीय वर्ष 2018 में 63.25 करोड़ रुपये से वित्तीय वर्ष 2019 में 23.85 करोड़ रुपये हो गई है जो वित्तीय वर्ष 2019 में कम क्रियाकलापों के कारण है।

विद्युत व्यापार से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में विद्युत व्यापार क्रियाकलाप से राजस्व शामिल होता है जिसे वित्त वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में विद्युत व्यापार से राजस्व 12.96 करोड़ रुपये है।

विद्युत व्यापार से राजस्व

वित्तीय वर्ष 2019 में अन्य प्रचालन आय 29.24 करोड़ रुपये थी अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018 में 6.33 करोड़ रुपये की तुलना में 361.93 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य प्रचालन आय के घटक नीचे दिए गए अनुसार हैं :

तालिका 3 : (करोड़ रुपयों में)

अन्य प्रचालन आय	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	14.23	0.00
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	3.21	4.19
लाभार्थी राज्यों से ब्याज	11.80	2.14
कुल	29.24	6.33

अन्य आय

वित्त वर्ष 2019 में एनएचपीसी की अन्य आय 924.78 करोड़ थी अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018 में 1420.55 करोड़ रुपये की तुलना में 34.90 प्रतिशत की कमी। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 4 : (करोड़ रुपयों में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	51.19	46.97
सावधि जमा राशियों/निवेश पर ब्याज	99.43	165.95
लाभांश (मुख्यतः एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी से)	282.47	632.12
विलंब भुगतान अधिभार	303.15	390.36
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	48.77	59.41
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/ प्रावधान	30.77	19.31
अन्य विविध आय	109.00	106.43
कुल	924.78	1420.55

सावधि जमा/निवेश पर ब्याज वित्त वर्ष 2018 में 165.95 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 2019 में 99.43 करोड़ रुपये रह गया है जो वर्ष के दौरान निवेश की गई अधिशेष नकदी में कमी के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2019 में मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लिमिटेड) में निवेश से 282.47 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया गया जबकि 2018 में इस संबंध में 632.12 करोड़ रुपये मिले थे।

व्यय

तालिका 5

(करोड़ रुपये में)

व्यय	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
विद्युत की खरीद - व्यापार	12.68	0.00
उत्पादन व्यय	796.85	716.39
कर्मचारी लाभ व्यय	1,704.65	1,535.89
वित्त लागत	894.88	922.32
मूल्यहास एवं परिशोधन	1,589.99	1,395.51
अन्य व्यय	1,165.53	972.36
कुल व्यय	6,164.58	5,542.47

वित्तीय वर्ष 2019 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2018 में 5542.47 करोड़ रुपये से 11.22 प्रतिशत बढ़ कर 6164.58 करोड़ रुपये हो गया जो मुख्यतः विद्युत की खरीद - व्यापार में 12.68 करोड़ रुपये की वृद्धि, उत्पादन व्ययों में 80.46 करोड़ रुपये की वृद्धि, कर्मचारी लाभ में 168.76 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा मूल्यहास और परिशोधन में 194.48 करोड़ रुपये हुआ था तथा जिसे आंशिक रूप से वित्त लागत में 27.44 करोड़ रुपये की कमी से समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018 में 66.31 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में कुल आय के प्रतिशत के तौर पर हमारा कुल व्यय 67.85 प्रतिशत था।

विद्युत व्यापार हेतु खरीद

विद्युत व्यापार हेतु खरीद में व्यापार के लिए विद्युत की खरीद से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2019 में कुल व्यय का लगभग 0.21 प्रतिशत होते हैं।

उत्पादन व्यय

उत्पादन व्यय में जल उपकरण तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2019 में कुल व्यय का लगभग 12.93 प्रतिशत थे। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्त वर्ष 2018 में 716.39 करोड़ रुपये के प्रति वित्त वर्ष 2019 में 796.85 करोड़ रुपये हो गए थे। उत्पादन व्यय में 80.46 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर स्थित कुछ पावर स्टेशनों में अधिक विद्युत उत्पादन के कारण अधिक जल उपकरण के कारण हुई।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षता योजना में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2018 में 27.71 प्रतिशत के प्रति वित्तीय वर्ष 2019 में हमारे कुल व्यय का 27.65 प्रतिशत होते हैं। वास्तविक रूप से कर्मचारी लागत वित्तीय वर्ष 2019 में 168.76 करोड़ रुपये से बढ़ी है जो कि मुख्यतः वर्ष के दौरान 1 जनवरी, 1997 से बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान के नियमितीकरण और वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन के पूंजीकरण के कारण है। जिसे आंशिक रूप से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के प्रभाव द्वारा समायोजित किया गया है।

31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 6,753 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2018 को इनकी संख्या 7,351 थी। इनमें से वित्त

वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2018 में क्रमशः 3,852 और 4,265 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2018 में 1535.89 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2019 में 10.99 प्रतिशत बढ़कर 1,704.65 करोड़ रुपये हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2018 में 18.37 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 18.76 प्रतिशत हो गया।

वित्त लागत

“वित्त लागत” में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2018 में 922.32 करोड़ रुपये से 2.98 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2019 में 894.88 करोड़ रुपये हो गई थी। वित्त लागत में कमी मुख्यतः सावधि ऋणों को बॉण्ड से प्रतिस्थापित किए जाने के कारण ब्याज लागत में बचत और ऋण की चुकौती के कारण हुई है जिसे आंशिक रूप से वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन को चालू किए जाने से समायोजित किया गया है।

मूल्यहास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यहास परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यहास लागत वित्तीय वर्ष 2018 में 1395.51 करोड़ रुपये से 13.94 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 1589.99 करोड़ रुपये हो गई है। मूल्यहास व्यय में कमी मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन को चालू किए जाने तथा पावर स्टेशनों के अतिरिक्त पूंजीकरण के चलते है जिसे आंशिक रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 में पावर स्टेशन के 12 वर्ष के जीवनकाल के पूर्ण होने पर धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में कमी द्वारा समायोजित किया गया है।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास वित्तीय वर्ष 2018 में 16.70 प्रतिशत से बढ़कर 17.50 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, वित्त प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्च, प्रावधान आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2018 में कुल व्यय के 17.54 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में लगभग 18.91 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण रूप से ये व्यय वित्तीय वर्ष 2018 में 972.36 करोड़ रुपये से लगभग 19.87 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 1165.53 करोड़ रुपये हो गए हैं। अन्य व्ययों में 193.17 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः बीमा दावों में हानियां, सुरक्षा

व्यय, लाभग्राही राज्य को ब्याज, विद्युत व्यय, धौलीगंगा इंटरमीडिएट परियोजना पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय और वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन को चालू किए जाने के कारण है जिसे आंशिक रूप से बीमा व्ययों में कमी आदि द्वारा समायोजित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2019 में कम है।

बिक्री योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट के व्यय के रूप में यह बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2018 में 0.50 रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 0.56 रुपये हो गया है।

विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एस 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए “विनियामक परिसंपत्तियां” को सृजित किया गया है और तदनुसारी “विनियामक आय” के रूप में 823.40 करोड़ रुपये को मान्यता दी गई है जबकि इसके प्रति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 94.53 करोड़ रुपये, 1 जनवरी, 2017 से देय वेतन संशोधन के प्रति किए गए प्रावधान हेतु 203.85 करोड़ रुपये, किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण 171.98 करोड़ रुपये का मूल्यहास, मौद्रिक मदों हेतु विनियम अंतरों के प्रति (-) 0.57 करोड़ रुपये, वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य विलंबित कर हेतु (-) 137.30 करोड़ रुपये और टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन हेतु 490.91 करोड़ रुपये है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया गया है। दर नियंत्रित आय को वित्तीय वर्ष 2019 में नीचे उल्लिखित पांच कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है :

(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना पर किए गए व्यय के प्रति नियामक विलंबित लेखा शेष का सृजन

सुबानसिरी लोअर में 16 दिसम्बर, 2011 से बाधित कार्य अभी पुनः प्रारंभ होना है। वित्त वर्ष 2018-19 हेतु इस परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक और किए गए अन्य व्यय/अर्जित आय के पूंजीकरण न होने के कारण आय तथा व्यय के शीर्षों पर प्रभाव को नीचे दिया गया है:

तालिका 6 (रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
i)	अन्य आय	21.24	25.82
क	कुल आय	21.24	25.82
i)	कर्मचारी लाभ	20.68	84.81
ii)	वित्त लागत	76.78	331.39
iii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.77	6.85
iv)	अन्य व्यय	16.54	77.59
ख	कुल व्यय	115.77	500.64
ग	निवल (ए-बी)	(94.53)	(474.82)

(ii) सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन

पावर स्टेशनों के संबंध में 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली व्यय की मदों के संबंध में दर नियंत्रित आय का सृजन इंड एस 114 के अनुसार अनुमेय सीमा तथा साथ में दर नियंत्रित क्रियाकलापों के संबंध में आईसीएआई के परामर्शी नोट और सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार किया गया है।

तदनुसार कंपनी ने वेतन संशोधन से संबंधित व्ययों के प्रति 203.85 करोड़ रुपये की विनियामक आय का सृजन नीचे तालिका 7 में दिए अनुसार किया है :

तालिका 7 : (रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
i)	लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से बुक किए गए व्यय के प्रति	203.85	242.90
	कुल	203.85	242.90

(iii) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को कम किए जाने के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष

कंपनी ने किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यहास को कम किया है ताकि टैरिफ को बिक्री योग्य बनाया जा सके जिसकी सीईआरसी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यह कंपनी को पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल में प्रचालन के पहले 10 वर्षों के दौरान टैरिफ में शामिल किए गए निम्नतर मूल्यहास की वसूली के लिए पात्र बनाता है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार बहियों में प्रभावित मूल्यहास के मध्य अंतर की वसूली का अधिकार है और 31.3.2019 को समाप्त अवधि के दौरान 171.98 करोड़ रुपये की टैरिफ राशि के माध्यम से यह वसूली योग्य है।

(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभावित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से “विनियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों को देय (-) 0.57 करोड़ रुपये की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है।

(v) विलंबित कर देयताओं के प्रति प्राप्ति योग्य विलंबित कर/विलंबित कर समायोजन के पुनर्वगीकरण के कारण देय नियामक विलंबित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए उत्पादक आय से उत्पन्न होने वाले विलंबित कर को वर्ष में लाभग्राहियों से वसूला जाना होता है और यह वर्तमान कर के स्तर में मूर्तस्तर में आता है। टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु विलंबित कर अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल को सकल स्तर देकर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक भविष्य के वर्षों में लाभग्राहियों से वसूली योग्य विलंबित कर को विलंबित कर देयता का एक समायोजन माना गया था और उसे आरडीए के स्तर में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस व्यवहार की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (आईसीएआई की ईसीसी) के मत के आधार पर की गई है। ऐसा विलंबित लेखा शेष जो आईसीएआई की ईसीसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जो इंड एस 12 के अंतर्गत विलंबित कर परिसंपत्ति में परिणत होता हो बल्कि इंड एस 114 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष की परिभाषा को पूरा करता हो।

बहियों में मान्यता प्राप्त विनियमित परिसंपत्तियों (+)/देयता (-) को भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों से वसूला अथवा उन्हें अदा किया जाना है जो निम्नानुसार होगा -

वर्ष 2009 की टैरिफ अवधि तक वसूली योग्य विलंबित कर के संबंध में

तालिका 8 : (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु राशि
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	1792.03
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित	(137.30)
कुल	1654.73

विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन के संबंध में (वर्ष 2014-19 की टैरिफ अवधि से संबंधित)

तालिका 9 : (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु राशि
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	276.72
वर्ष के दौरान वर्धन	490.91
कुल	767.63

कर-पूर्व लाभ (दर विनियमित आय सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2018 में 2878.63 करोड़ रुपये से 30.09 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 3744.78 करोड़ रुपये हो गया है।

कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2019 में हमने कर व्ययों हेतु 1114.23 करोड़ रुपये मुहैया करवाए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह राशि 109.60 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2019 में कर व्ययों में वृद्धि विलंबित कर में 982.62 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा वर्तमान वर्ष के करों में 61.47 करोड़ रुपये की कमी के चलते है जो 39.46 करोड़ रुपये के पहले के वर्ष के कर समायोजनों में कमी के चलते है आंशिक स्तर से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2019 में (-) 12.41 करोड़ थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2018 के 5.88 करोड़ रुपये की तुलना में 311.05 प्रतिशत की कमी।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ वित्तीय वर्ष 2019 में 2618.14 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2018 में 2774.91 करोड़ रुपये के प्रति 5.65 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

(ii) नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2019 तथा 2018 को नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 30.72 करोड़ रुपये और 6.96 करोड़ रुपये थे, जिसमें से 31 मार्च, 2019 तथा 2018 को क्रमशः 18.18 करोड़ रुपये और 0.22 करोड़ रुपये कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित थे, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त स्तर से उपलब्ध नहीं थे। जहां 31 मार्च, 2019 को 0.50 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2018 को शून्य करोड़ रुपये) कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त स्तर से उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें माननीय सिविकम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सृजित आकस्मिकता राहत निधि हेतु धारित किया गया है।

नकदी प्रवाह

तालिका 10 : (करोड़ रुपये में)

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2018
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	3,161.83	3,721.02
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(881.06)	(763.19)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(2,257.01)	(3,010.76)

प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2019 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 3161.83 करोड़ रुपये और कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 2921.38 करोड़ रुपये था। प्रचालन

क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1589.99 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 894.88 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 107.10 करोड़ रुपये, टैरिफ समायोजन के चलते 45.47 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 92.34 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.72 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 30.77 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 282.47 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 165.61 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 1245.12 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

वित्तीय वर्ष 2018 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 3721.02 करोड़ रुपये था। हमारा कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2018 में 2816.30 करोड़ रुपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1395.51 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 922.32 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 69.78 करोड़ रुपये, टैरिफ समायोजन के चलते 58.37 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 66.36 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.68 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 85.57 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 632.12 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 252.73 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 92.75 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2019 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 881.06 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 1207.67 करोड़ रुपये के व्यय और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 100.00 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 144.14 करोड़ रुपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 282.47 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2018 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 763.19 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 1530.44 करोड़ रुपये के व्यय और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 125.36 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 260.49 करोड़ रुपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 632.12 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2019 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 2257.01 करोड़ रुपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों तथा बाण्डों से 2578.00 करोड़ रुपये जुटाए और 12.50 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान प्राप्त किया गया था। 1877.16 करोड़ रुपये के

ऋणों की चुकौती की गई थी। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर हमारा नकदी बाहिर प्रवाह 606.20 करोड़ रुपये का था। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1215.12 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2019 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 1149.03 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2018 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 3010.76 करोड़ रुपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों से 4354.99 करोड़ रुपये जुटाए और 12.50 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान प्राप्त किया गया था। 4855.88 करोड़ रुपये के ऋणों की चुकौती की गई थी। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1143.87 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2018 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 1378.50 करोड़ रुपये था।

(iii) तुलन-पत्र की मदें

तुलन-पत्र की झलकियां

परिसंपत्तियां

तालिका 11 : (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2019	2018
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	38,749.95	38,831.94
गैर-वर्तमान निवेश	2,361.66	2,209.56
प्राप्य व्यापार	61.51	184.45
दीर्घावधि ऋण	746.41	701.74
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,467.16	1,571.42
गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	131.95	163.67
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	2,021.35	1,797.64
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	47,539.99	45,460.42
चालू परिसंपत्तियां		
मालसूची	117.14	95.77
प्राप्य व्यापार	2,623.09	1,097.07
नकदी और बैंक शेष	390.63	1,472.39
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	45.18	47.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,984.26	1,383.36
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	61.22	0.40
अन्य चालू परिसंपत्तियां	355.25	341.01
कुल चालू परिसंपत्तियां	5,576.77	4,437.97
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	6,492.61	5,669.21
कुल परिसंपत्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	59,609.37	55,567.60

इक्विटी और देयताएं

तालिका 12 : (करोड़ रुपये में)

	31 मार्च को	
	2019	2018
इक्विटी (निवल मूल्य)		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,259.32
अन्य इक्विटी	19,169.70	18,092.50
गैर-वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	17,044.63	16,728.20
अन्य वित्तीय देयताएं	2,058.64	38.47
दीर्घावधि प्रावधान	26.82	25.47
विलंबित कर देयताएं (निवल)	3,610.63	3,145.39
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	1,824.98	1,625.00
वर्तमान देयताएं		
अल्पावधि ऋण	406.00	279.99
देय व्यापार	180.18	181.86
अन्य वित्तीय देयताएं	2846.92	2,768.50
अन्य वर्तमान देयताएं	1066.47	669.86
अल्पावधि प्रावधान	1329.37	1,753.04
कुल इक्विटी और देयताएं	59,609.37	55,567.60

वित्तीय स्थिति

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर परिसंपत्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युत घर भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। मूल्यहास के बाद एनएचपीसी की स्थिर परिसंपत्तियां जिन्हें निवल स्थिर परिसंपत्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2019 को 38,749.95 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2018 को 38,831.94 करोड़ रुपये थी।

निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिसमें अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्ड में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी का निवेश क्रमशः 2,361.66 करोड़ रुपये और 2,209.56 करोड़ रुपये था।

निवेश में वृद्धि हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक में निवेश में वृद्धि का निवल प्रभाव है जो इक्विटी में निवेश के उचित मूल्य में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

ऋण में हमारे कर्मचारियों को और अरुणाचल प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए ऋण ब्याज सहित शामिल हैं। 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार ऋण क्रमशः 791.59 करोड़ रुपये और 749.71

करोड़ रुपये थे अर्थात् पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 5.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण सहित ऋण में वृद्धि के कारण है जिसे आंशिक रूप से कर्मचारी ऋणों में कमी से समायोजित किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2019 को 5451.42 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2954.78 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आकड़ों से 84.49 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि, अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019 के आकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 84.49 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में वृद्धि के चलते थी जिसे प्राप्य पट्टा किराए में कमी, बैंक जमाओं पर प्रोदभूत ब्याज आय, अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य और संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि में कमी से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2019 तथा 2018 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 193.17 करोड़ रुपये तथा 164.07 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 17.74 प्रतिशत की वृद्धि। कर परिसंपत्तियों में अग्रिम आयकर और स्रोत पर कटौती किया गया कर शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां, पूंजीगत अग्रिम और माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2019 तथा 2018 के अनुसार हमारी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 2021.35 करोड़ रुपये तथा 1797.64 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2018 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 12.44 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम में वृद्धि के कारण है जिसे पूंजीगत अग्रिमों में कमी से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 117.14 करोड़ रुपये और 95.77 करोड़ रुपये आंका गया था।

प्राप्य व्यापार (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्युत की बिक्री और अधिभार के देनदारों से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) क्रमशः 2684.60 करोड़ रुपये और 1281.52 करोड़ रुपये थे। वित्तीय वर्ष 2018 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में व्यापार प्राप्य में 109.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बकाया देयों की कम वसूली के चलते है।

नकद और बैंक शेष

तुलन-पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के स्तर में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि शामिल है।

31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को कंपनी के पास नकद और बैंक शेष के स्तर में क्रमशः 30.72 करोड़ रुपये और 6.96 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2019 में इसमें 23.76 करोड़ रुपये की वृद्धि निवेश और वित्त-पोषण क्रियाकलापों में क्रमशः 881.06 करोड़ स्तर और 2257.01 करोड़ स्तर के निवल परिणाम के कारण हुई है जिसे प्रचालन क्रियाकलापों के कारण 3161.83 करोड़ स्तर के नकदी अंतरवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को क्रमशः 359.91 करोड़ स्तर और 1465.43 करोड़ रुपये थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 272 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 250.71 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 106.09 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 106.94 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश तथा ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त स्तर से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 355.25 करोड़ रुपये और 341.01 करोड़ रुपये की थी, यानी वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में इन परिसंपत्तियों में 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एस 114-विनियामक विलंबित लेखों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए “विनियामक परिसंपत्तियां” को सृजित किया गया है और तदनुसारी “विनियामक आय” के स्तर में 94.53 करोड़ रुपये को मान्यता दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के प्रति है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया गया है।

सीपीएसयू के एक वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019 में 203.85 करोड़ रुपये के विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन किया गया है जिसे लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से संगत लेखांकन मानक के अनुसार बुक किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान टैरिफ को कम किए जाने के चलते विभेदीय मूल्यहास के लिए किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में 171.98 करोड़ रुपये के नियामक विलंबित लेखा शेष को भी सृजित किया गया है जिसे संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ और हानि विवरण में प्रभावित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों संबंधी विनियम अंतरों के संबंध में (-) 0.57 करोड़ रुपये हेतु विनियामक विलंबित लेखाशीर्षों का सृजन किया गया है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया गया है।

नियामक विलंबित लेखा शेष को भी वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान 2009 तक की टैरिफ अवधि हेतु विलंबित कर वसूली योग्य के संबंध में (-) 137.30 करोड़ रुपये हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान 2014-19 की टैरिफ अवधि हेतु विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन के संबंध में 490.91 करोड़ रुपये के लिए नियामक विलंबित लेखा शेष का भी सृजन किया गया है।

तदनुसार, 31.3.2019 को “विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष” 6492.61 करोड़ रुपये होते हैं जबकि इसकी तुलना में 31.3.2018 को ये 5669.21 करोड़ रुपये थे।

निवल मूल्य

वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के 28351.82 करोड़ रुपये से 3.04 प्रतिशत बढ़कर 29214.73 करोड़ रुपये हो गया है जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को क्रमशः 11635.59 करोड़ रुपये, 1040.34 करोड़ रुपये और 4368.70 करोड़ रुपये के बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं जबकि वित्त वर्ष 2018 में ये क्रमशः 11238.39 करोड़ रुपये, 1226.67 करोड़ रुपये और 4263.14 करोड़ रुपये थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अंतर्गत सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.89 प्रतिशत की सीमा तक दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः एक्स सिरिज के बॉन्ड को जारी किए हैं जिसे आंशिक स्तर से बॉन्डों के मोचन तथा ऋण की चुकौती से समायोजित किया गया है।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2019 को अन्य वित्तीय देयताएं 4905.56 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2806.97 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों पर 74.76 प्रतिशत की वृद्धि।

अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के प्रति देय राशि में वृद्धि तथा बॉन्ड की वर्तमान परिपक्वता राशि में

वृद्धि के निवल प्रभाव के चलते है जिसे आंशिक रूप से सावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता राशि में कमी और पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता से समायोजित किया गया है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान - तीसरी वेतन संशोधन समिति, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल है। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2019 को 1356.19 करोड़ रुपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष हेतु यह 1778.51 करोड़ रुपये के थे अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 23.75 प्रतिशत की कमी आई थी, जो वेतन संशोधन हेतु प्रावधान में कमी - तीसरी वेतन संशोधन समिति और कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन) के कारण है।

विलंबित कर देयताएं

विलंबित कर देयताएं 31 मार्च, 2019 को 3610.63 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 3145.39 करोड़ रुपये की थी।

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2019 को 1824.98 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1625.00 करोड़ रुपये की थी। अन्य गैर-वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण

31 मार्च, 2019 के अनुसार अल्पावधि ऋण 406 करोड़ रुपये हैं जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वित्तीय वर्ष में 279.99 करोड़ रुपये था। अल्पावधि ऋणों में बैंक से ऋण शामिल है।

देय व्यापार

31 मार्च, 2019 को देय व्यापार 180.18 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 181.86 करोड़ रुपये थे अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 0.92 प्रतिशत की कमी।

अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2019 को 1066.47 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष में यह 669.86 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 59.21 प्रतिशत की वृद्धि।

(iv) तुलन-पत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका में वित्त वर्ष 2019 और 2018 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

तालिका 13 :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2018
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	10,494.10	9,370.30
विवादित मुआवजे के मामले	186.49	38.68
विवादित आयकर और अन्य मदें	1,224.42	1,025.36
कुल	11,905.01	10,434.34

आकस्मिक देयताओं में 31 मार्च, 2018 को 10434.34 करोड़ रुपये से 14.09 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 31 मार्च, 2019 को 11905.01 करोड़ रुपये हो गई थी।

(v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51.08 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 48.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1037.30 करोड़ रुपये और 1056.00 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 490.71 करोड़ रुपये और 553.18 करोड़ रुपये था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रुपये है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रुपये है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 117.69 करोड़ रुपये है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 87.09 करोड़ रुपये है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 2.2.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 60.00 करोड़ रुपये

है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 4.00 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 4.00 करोड़ रुपये (99.99 प्रतिशत) है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 3,500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2164 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरुऔर कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 1439.18 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 747.55 करोड़ रुपये है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2018 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152.00 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रुपये है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण इंड-एस 110 - “समेकित वित्तीय विवरण” और इंड-एस 28 - “एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश” के अनुसार तैयार किये गये हैं और इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर नीचे दिया गया है :

तालिका 14 : (करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
कुल आमदनी (अपवादात्मक मदों को छोड़कर)	9,846.81	8,785.66
कर पूर्व लाभ	4,159.41	3,039.59
कर पश्चात लाभ (अनियंत्रित व्याज को समायोजित करने के पश्चात)	2,595.61	2,513.90

प्रमुख वित्तीय अनुपात

तालिका 15 : (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	अनुपात	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2018	अंतर प्रतिशत
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात	2.61	2.93	(-) 10.92%
2.	मालसूची टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	-
3.	ब्याज कवरेज अनुपात	7.68	8.59	(-) 10.59%
4.	वर्तमान अनुपात	0.96	0.79	21.51%
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.71	0.65	9.23%
6.	प्रचालन लाभ अंतर	40.51%	39.35%	2.94%
7.	निवल लाभ अंतर	28.95%	33.13%	(-) 12.61%

निवल मूल्य पर प्रतिफल

कंपनी के निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष 2018 में 9.77 प्रतिशत से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019 में 9.00 प्रतिशत रह गया था और इस प्रकार इसने 7.88 प्रतिशत की कमी दर्ज की जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण था।

12. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध मोर्चे पर उल्लेखनीय घटनाक्रम

आपकी कंपनी में प्रतिबद्ध पेशेवरों की एक अत्यधिक प्रतिभावान टीम है और यह श्रेष्ठ प्रतिभा को भर्ती, विकसित करने तथा बनाए रखने में समर्थ रही है। समूचे संगठन में कार्य परिवर्तन तथा अंतर-स्थल स्थानांतरण में करियर के योजित विकास को सुकर बनाया है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण, शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की प्रतिभागिता को कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करके, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगकर सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी अपनी मानव संसाधन रणनीतियों को संगठनात्मक रणनीतियों के अनुसूच बनाने को जारी रखे हुए है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कौशलक्षमताओं में सुधार हो सके। कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम या तो आंतरिक रूप से आयोजित किए जाते हैं या प्रमुख प्रबंधन या अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते हैं। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार हो।

(ii) **कर्मचारी संख्या**

31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 6753 (3533 कार्यपालक, 162 पर्यवेक्षक और 3058 कामगार) थी।

(iii) **महिला कर्मचारियों हेतु कल्याण उपाय**

31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत **तालिका 13** में दिया गया है :

तालिका 13 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
6753	711	10.53

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम :

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत निशक्ता वाले बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिवस का वेतन सहित "चाइल्ड केयर लीव" यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(iv) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण उपाय और आरक्षण**

एनएचपीसी सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर गृहों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अजा / अजजा / अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को **तालिका 17** में दिया गया है :

तालिका 17 : अजा / अजजा / अपिव कर्मचारियों का ब्यौरा :

31.03.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
6753	964	14.28	421	6.23	922	13.65

(v) **दिव्यांग कर्मचारियों का कल्याण :**

दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व **तालिका 18** में दिया गया है।

तालिका 18 : दिव्यांग कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या	भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारी			दिव्यांग कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
6753	11	4	107	122	1.81

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

- दिव्यांग कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण / पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों / उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।

- कर्मचारियों / उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- शारीरिक / मानसिक स्तर से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।
- सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध वाली एक या अधिक निशक्तताओं के 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने वाले मानसिक या शारीरिक स्तर से आश्रित बच्चों को एनएचपीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

13. पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की एक “कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)” है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण-पश्चात् प्रभाव आकलन अध्ययनों को करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलू को लेना है।

आपकी कंपनी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरुद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है।

पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन :

आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2018 तथा सितम्बर, 2018 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए 6 मासिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्चात् पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा घटनाक्रम :

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाशने के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बचत :

आपकी कंपनी भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा। बोली की शर्तों में एमएसई की प्रतिभागिता के लिए कुछ लाभों के प्रावधान को शामिल किया गया है।

(iv) प्रौद्योगिकी आत्मसात किया जाना :

प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई है।

14. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

15. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक स्तर से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 02 अगस्त, 2019
स्थान : फरीदाबाद

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण अथवा उस पर प्रभाव हेतु किए गए उपाय

जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि जैसे विद्युत उपकरणों की दक्षता का आकलन करने और ऊर्जा बचत उपायों की सिफारिश करने के लिए विगत में 18 पावर स्टेशनों की ऊर्जा जांच की गई है। लेखापरीक्षित किए गए 18 स्टेशनों में से 13 पावर स्टेशनों में सिफारिशों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान टनकपुर और रंगित पावर स्टेशन की ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई थी।

(ii) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

कंपनी ने अपने विभिन्न स्थलों पर 1494.7 केडब्ल्यूपी स्फ टाफ/भूमि पर लगे हुए सौर विद्युत पैनलों को स्थापित किया है। उक्त में से, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 634.7 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौर पैनल लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, जून, 2019 में एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में भवनों की छतों पर 100 केडब्ल्यूपी का सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

418.98 लाख रूपए।

ख. प्रौद्योगिकी आत्मसात करना

(i) प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने की ओर किए गए प्रयास :

- राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सुदूर संवेदन आधारित अवसादीय अध्ययन किए गए हैं। यह अध्ययन कैचमेंट क्षेत्र में अवसाद भार के आकलन के लिए मल्टी-टेम्पोरल उपग्रह डाटा का उपयोग करते हुए भू-वैज्ञानिक पैरामीटरों, भूमि उपयोग, मृदा तथा स्थलाकृति पर स्पेटियल लेयर उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। अध्ययन जनवरी, 2021 में पूरा होने का कार्यक्रम है।
- क्षय हो चुके हाइड्रोलिक ढांचा घटकों जैसे कि स्पिलवे, सीएफआरडी का फेस स्लैब और टनल लाइनिंग आदि, की मरम्मत के लिए मरम्मत मोरटार की एब्रेशन प्रतिरोधिता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन।
- स्पिलवे प्रोफाइल को न्यूनतम क्षति के लिए प्रवाह विशेषताओं और कैवीटेशन प्रोफाइल को समझने हेतु अध्ययन किए जा रहे हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के साथ सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के लिए गणनात्मक द्रव्य डाइनामिक्स (सीएफडी) सॉफ्टवेयर फ्लो3डी द्वारा हाइ डेड स्पिलवे में कैविटेशन से संबंधित हाइड्रोलिक अध्ययन किए जा रहे हैं।
- नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग द्वारा हेड रेस टनल क्षेत्र के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- चमेरा-II पावर स्टेशन के जीएसयू ट्रांसफार्मर में हल्के तेल रिसाव की मरम्मत के लिए बिना किसी उत्पादन हानि के तीव्र और प्रभावी “इन-फील्ड” रिसाव मरम्मत मुहैया करवाने के लिए विद्युत पैच रिसाव मरम्मत प्रणाली अपनाई गई है।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन हेतु ऑन लाइन कैवीटेशन निगरानी की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने का कार्य मैसर्स जीई को दिया गया है। यह मापन उत्पादक यूनिटों में बिना किसी डाउन टाइम के कैवीटेशन तथा अन्य प्रवाह अस्थिरताओं की निगरानी में सहायता कर सकता है जो मशीनी तथा प्रचालनों के लिए संभाव्य रूप से बाधक हैं।
- हाइड्रो एब्रेसिव कटाव, छोड़े गए अवसादन और दक्षता कमी निगरानी हेतु अध्ययन जल विद्युत संयंत्र के ईष्टतम प्रचालन हेतु किए जाते हैं।
- पानी के भीतर रहने वाले हिस्सों के गाद से कटाव तथा कैवीटेशन से बचाव के लिए एचवीओएफ कोटिंग की तुलना में एचवीएएफ कोटिंग के वास्तविक लाभों का आकलन करना।
- सलाल पावर स्टेशन (6 X 115 मेगावाट), जम्मू और कश्मीर की सभी 6 यूनिटों में नए संशोधित रनर फिट किए गए हैं। परिणामस्वरूप आगामी मानसून/उच्च इन-फ्लो वाले मौसम के दौरान उत्पादन हेतु पूर्ण क्षमता उपलब्ध रहेगी। वर्ष 2018-19 के दौरान सलाल पावर स्टेशन में स्काडा प्रणाली को स्थापित तथा चालू किया गया।

(ii) प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

सलाल पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर की सभी यूनिटों में नए संशोधित रनर का स्थापन यूनिटों (115 मेगावाट)/पावर स्टेशन (690 मेगावाट) की मूल स्थापित क्षमता को बहाल करेगा और टरबाइन दक्षता में वृद्धि करेगा। स्काडा का स्थापन पावर स्टेशनों के दक्ष प्रचालन में सहायक होगा।

चूँकि प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के प्रति अन्य सभी प्रयास प्रारम्भिक चरणों में है, लाभ अध्ययनों के पूर्ण होने और वास्तविक कार्यान्वयन के पश्चात प्राप्त होने के संभावना है।

(iii) वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

कोई नहीं।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :-

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 2.33 करोड़ रुपए है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क.*	सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	-	-
ख.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	21.37	22.55
	ii) अन्य विविध मामले	83.49	60.85
ग.*	प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	21.54	24.59
घ.*	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 02 अगस्त, 2019
स्थान : फरीदाबाद

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

- कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**
L40101 HR1975 GOI 1032564
- कम्पनी का नाम**
एनएचपीसी लिमिटेड
- पंजीकृत पता**
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)
- वेबसाइट**
www.nhpcindia.com
- ईमेल आईडी**
brr@nhpc.nic.in
- रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**
2018-19
- क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार।			

- तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)**
 - ऊर्जा (जल विद्युत और पवन विद्युत)
 - परामर्शी सेवाएं
- उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

9.1. अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्यौरा दें)

एनएचपीसी की भूटान में व्यापार मौजूदगी है जहां यह नामांकन आधार पर मांगदेचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मांगदेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है। भूटान में चमखारचू-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को शाही भूटान सरकार और भारत सरकार के मध्य 22.4.2014 को क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 29.12.2014 को सीईए द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना को एनएचपीसी और ड्रक ग्रीनपावर कारपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) (भूटान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समान शेयरधारिता के साथ निष्पादित किया जाना है। संयुक्त उद्यम के गठन हेतु विचार-विमर्श जारी हैं।

9.2. राष्ट्रीय स्थलों की संख्या

हमारे समूचे देश में 9 राज्यों में 22 पावर स्टेशन और 2 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थल	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(2), कठुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवार, बांदीपुरा	-
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	कुल्लू
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	-
पश्चिम बंगाल	दाजर्लिंग (2)	-
अरुणाचल प्रदेश		लोअर सुबानसिरी/धेमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	-
मणिपुर	बिशनपुर	-
राजस्थान	जैसलमेर	-
तमिलनाडू	डिंडीगुल	-

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों को विद्युत बेची जाती है।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मिजोरम
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	त्रिपुरा
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	नागालैण्ड
हरियाणा	असम	झारखण्ड
दिल्ली	अरुणाचल प्रदेश	तमिलनाडू
मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	

उक्त के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की महाकाली संधि के अंतर्गत टनकपुर पावर स्टेशन से नेपाल को 14 मेगावाट विद्युत दी जाती है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

- प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)**
10045.03 करोड़ रुपये (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)
- कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)**
8161.18 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान)
- कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)**
2630.55 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान)
- कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय**
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एनएचपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया कुल व्यय 17.58 करोड़ रुपये है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 0.59 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान सहित)
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण
- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक
- क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा
1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

जी, हां। 31 मार्च, 2019 को एनएचपीसी लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

- एनएचडीसी लिमिटेड
- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
- बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?

जी, नहीं। सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं ?; 30% से कम 30%-60%] 60% से अधिक;

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना
1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
1.1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : 02889021
- नाम : श्री महेश कुमार मित्तल
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1.2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
- नाम : श्री ए.के.मिश्रा
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक (आयोजना)
- दूरभाष : 0129-2271425
- ईमेलआइडी : arunkmishra@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास के लिए नीति/ नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुस्रुत होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुस्रुत के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां, तो एमडी/स्वामित्व/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?*	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

*सीएसआर और धारणीय विकास नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/NHPCFraudPrevention-Detectionpolicy-may16.pdf पर उपलब्ध है। विहसल ब्लोवर नीति www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf पर उपलब्ध है। व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने संबंधी नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/

Guidelines-Banningof BusinessDealings-Revised.pdf. पर उपलब्ध। कारपोरेट अभिशासन अनुपालन www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm सत्यनिष्ठा समझौता http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ip_ip_program.pdf पर उपलब्ध है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र : www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/9001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/14001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/18001-2007.pdf पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

2क यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है।									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)।									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।
कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जाता है।
- क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है?
यह व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 का एक भाग है। इस रिपोर्ट को www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

कम्पनी का व्यावसायिक आचरण क्या आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है। विसल ब्लोअर नीति भी अनाई गई है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्य, 7 लाख रुपये या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण और 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, विश्वतुष्टि और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?

हमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2019 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2330	2330	0
सेबी शिकायतें	0	9	9	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	0	6	6	0
उपभोक्ता फोरम / अदालती मामले	2	0	0	2
अधिवक्ता के नोटिस	0	0	0	0
कुल	2	2345	2345	2

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को व्हिसल ग्लोअर नीति के अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है और उक्त को व्हिसल ग्लोअर नीति के अंतर्गत मुहैया कराई गई प्रक्रिया के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संविदाकारों/आपूर्तिकारों के संबंध में बोलीदाता से व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध 8 (आठ) मामले पाए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. मैसर्स एगो आटो ग्राइंड इंजीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड को समूची एनएचपीसी लिमिटेड ने व्यापार व्यवहारों हेतु 3 अप्रैल, 2018 से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
2. मैसर्स सी डी वैक्यूम इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे को एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय में व्यापार व्यवहारों हेतु 19 अप्रैल, 2018 से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
3. मैसर्स एल एच अजांग खोनसी, एल गेमोई ग्राम, चूरा चांदपुर (मणिपुर) को एनएचपीसी लिमिटेड में व्यापार व्यवहारों हेतु 27 जुलाई, 2018 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

4. मैसर्स एलकोम टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव को 5 दिसम्बर, 2018 से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
5. मैसर्स जीयो मैक्स पोजिशनिंग सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय में 5 दिसम्बर, 2018 से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
6. मैसर्स आलम ट्रेडर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन, पिलखानी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को चमेरा-II पावर स्टेशन से व्यापार व्यवहारों को 7 दिसंबर, 2018 से 3 वर्षों हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
7. मैसर्स तरीनी हास्पिटलिटी सर्विसेज शक्तिनाथ, भरुच (गुजरात) में चमेरा-III पावर स्टेशन से व्यापार व्यवहार करने हेतु 28 दिसम्बर, 2008 से 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
8. मैसर्स यूनिमेट प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 17 दिसम्बर, 2018 से 3 वर्षों की अवधि हेतु चुटक पावर स्टेशन के साथ व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित किया गया है।

बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2019 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	0	0	0	0
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	0	0	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	46	46	0
बॉण्ड / प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	7	7	0
कुल	0	53	53	0

सिद्धान्त 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं। जलविद्युत उत्पादन।
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें।
जल के गैर उपभोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।
3. क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वहन सहित) की प्रक्रिया है? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्योरा भी प्रस्तुत करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है।

कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है

और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कार्यों, सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद में बोली लगाने तथा कार्य को दिए जाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिमानी प्रावधान भी मौजूद हैं जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का तन्त्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10% >10%)

जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है। इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

31 मार्च, 2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या 6753 है।

2. कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।

31 मार्च, 2019 को स्थाई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 711 है।

4. कृपया स्थाई दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बतायें।

31 मार्च, 2019 को स्थायी निःशक्त कर्मचारियों की कुल संख्या 122 है।

5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?

कारपोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

6. स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?

लागू नहीं।

7. कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं?

वर्ष 2018-19 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2018-19 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।

2018-19 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2018-19 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।
2018-19 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2018-19 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

23 कर्मचारियों ने कारपोरेट कार्यालय में आयोजित सुरक्षा प्रशिक्षण में भाग लिया और वर्ष 2018-19 के दौरान एनएचपीसी में 17 कर्मचारियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है? हां/नहीं।

जी हां, हमने वंचित, कमजोर तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर तथा उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?

हमारे वंचित तथा कमजोर हितधारकों में दिव्यांग कर्मचारी, लड़कियां/ महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें?

- दिव्यांग कर्मचारी कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में “एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली” केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें अंतर्निष्ठ मानकों का अनुपालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। “एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली” किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष
03	04	07	शून्य

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित “केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली” के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है :

1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष
09	113	116	06

सिद्धान्त 6

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

2. क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियाँ/पहलें हैं ?

जी हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें। जी हाँ, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहाँ कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001:2015

(गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रृंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी ने अपनी स्वयं की कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) भी बनाई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर-परम्परागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताओं पर ध्यान देना है। अनुमोदित पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त स्वैच्छिक पहलों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण तथा बचाव उपाय भी किए जाते हैं जिसमें स्वैच्छिक वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। सीईपी के अंतर्गत परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
- प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
- हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
- जलाशय रिम शोधन
- मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना
- जैव विविधता संरक्षण
- मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
- निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हाँ/नहीं।

जी हाँ, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है ?

जी, हाँ। मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंवेशन (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्नो बाजगो और चुटक नामक

दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई हैं, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को अब एसीएम0002 की प्रयोजनीयता शर्तों के अनुरूप नहीं होना होगा और वे यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेंगी। तथापि, परामर्शदाता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परियोजना की पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत प्रारंभ किया जा सकता है। तदनुसार कार्य के स्कोप में संशोधन और भुगतान खंड हेतु परिवर्तन आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें।

जल विद्युत उत्पादन स्वयं में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। तथापि, कंपनी ने पवन और सौर विद्युत में अतिरिक्त पहलें की हैं। राजस्थान और तमिलनाडु में क्रमशः एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना और एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना चालू की गई हैं। केरल में एक अन्य 8 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना निविदा चरण में है।

एनएचपीसी विभिन्न प्रचुर संभाव्यता वाले राज्यों में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया में है जैसे कि केरल (10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर), ओडिशा (100 मेगावाट-पहले चरण में 40 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (बीएसयूएल के माध्यम से संयुक्त उद्यम में 50 मेगावाट-पहले चरण में 32 मेगावाट)। पीपीए, कनेक्टिविटी और भूमि मुद्दों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों के साथ चर्चा जारी है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के विभिन्न स्थलों पर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?

जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिःस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई प्रदूषण नहीं हुआ। तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जा रहा है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर ऐसी कोई नोटिस लम्बित नहीं थी। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना, तीस्ता-IV, दिबांग और कोटलीभेल परियोजनाओं के संबंध में चार अपीलें एनजीटी/ उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन बड़ों का नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राफ्ट बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ। एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख व स्वच्छता शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के धारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर जैसे राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाते हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

प्रभाव आकलन एक दीर्घावधि क्रिया है। एनएचपीसी की सीएसआर नीति में यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन दीर्घावधि योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात और अन्य योजनाओं हेतु जहां-कहीं संभव हो किए जाएंगे।

पिछले वर्ष की क्रियाकलापों का प्रभाव आकलन पार्वती-II परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शी संगठन लिमिटेड, शाखा-हमीरपुर द्वारा किया गया है।

यह बताया जाता है कि सुबानसिरी लोअर परियोजना द्वारा प्रमुख सीएसआर क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। सीएसआर पहलों के प्रभाव आकलन हेतु सुबानसिरी लोअर परियोजना और ओमियो कुमार दास

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवपलपमेंट (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी, असम के मध्य 26 अप्रैल, 2017 को असम तथा अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 से तीन वर्षों के लिए सुबानसिरी लोअर की सभी परियोजनाओं के मूल्यांकन / प्रभाव आकलन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कुल अंशदान 17.58 करोड़ रुपए था। ब्यौरा निम्नवत है :

परियोजना	वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि (भारतीय राष्ट्रीय रुपए)
i शिक्षा और कौशल विकास	2.43 करोड़ रुपए
ii स्वास्थ्य देखरेख	8.80 करोड़ रुपए
ii ग्रामीण विकास	5.01 करोड़ रुपए
iii पर्यावरण और धारणीयता	0.55 करोड़ रुपए
iv महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.21 करोड़ रुपए
v सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	0.58 करोड़ रुपए
कुल व्यय	17.58 करोड़ रुपए

वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. शिक्षा और कौशल विकास

- एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा) के अनुसूच कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कोलापटुकर, दुलांगमुख (अरुणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण।
- देश के विभिन्न भागों में आईटीआई / स्कूलों का सुधार/उन्नयन।
- स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना।
- उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- सरकार द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगार अभिमुख प्रशिक्षण।

2. स्वास्थ्य देख-रेख

- असम के गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों और चिकित्सा अटेंडेंट से सुसज्जित चल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन।
- परियोजनाओं / पावर स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों / व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।
- दिव्यांग व्यक्तियों को इमदाद तथा सहायक उपकरण मुहैया करवाना।
- सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केन्द्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों के सुधार हेतु सहायता प्रदान करना।
- सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेंस, चिकित्सा उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाना।
- बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।
- आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा।
- बाजार / सार्वजनिक स्थानों में आधारभूत सुविधाएं / स्वच्छता सुविधाएं।
- विद्यालयों / सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण / स्थापन।
- जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा गांवों में साफ-सफाई।
- विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।
- कचरे के डिब्बों को का स्थापन, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि।

3. ग्रामीण विकास

- क्षेत्र के विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों / पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण विकास
- पैदल चलने के लिए पुल / लकड़ी के पुल, दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलाप।
- कृषि / बागवानी / मछली पालन तथा कृषि के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को प्रशिक्षण।
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचा और सामुदायिक विकास।

4. पर्यावरण और धारणीयता

- क) जैव-विविधता पार्क का विकास।
- ख) सौर स्ट्रीट लाइटों को लगाना। ऊर्जा संरक्षण हेतु एलईडी लाइट मुहैया करवाना।
- ग) “प्रदूषण कम करने वाले पौधों का रोपण अभियान” के अंतर्गत वृक्षारोपण।

5. महिला सशक्तिकरण /वरिष्ठ नागरिक

- क) महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम।
- ख) महिला सशक्तिकरण और आजीविका उन्नयन हेतु सैनेट्री नैपकिन यूनिट स्थापित की।

6. खेल-कूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें

- क) प्रभाव आकलन मूल्यांकन अध्ययन / बेस लाइन सर्वेक्षण
- ख) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण
- ग) स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें।

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये। सामुदायिक विकास पहलों को करने से पूर्व पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर मॉनीटरिंग और मेंटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजन हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती है।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 दौरान दायर कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?

किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?

एनएचपीसी हमारे लाभग्राहियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जो हमारी अपने ग्राहकों की एक बेहतर तथा अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में सहायता करता है। एनएचपीसी अपने लाभग्राहियों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त कर रहा है और अधिकांश फीडबैक या तो “बहुत अच्छा” अथवा “उत्कृष्ट” है। एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह हितधारकों की परस्पर चर्चा और बाकी देयों के समाधान हेतु एक आम मंच है। एनएचपीसी ने लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए अपने लाभग्राहियों से आवधिक उपभोक्ता बैठके भी की है। एनएचपीसी ने 1 मार्च से 3 मार्च, 2019 तक उत्तरी क्षेत्र के लाभार्थियों के साथ ग्राहक बैठक का आयोजन भी किया था।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 02 अगस्त, 2019

स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।

प्रस्तावना :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची 7 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर संबंधी सामान्य परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाली कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुसार एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक राशि, जो वर्तमान में पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के स्तर में रखी गई है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस-पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आबंटित करके प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चुनाव किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के बेहतर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसायिक कौशलों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-7 के अनुसार न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के स्तर में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गणवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

चूंकि एनएचपीसी के पावर स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास

कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। इस आशय से, क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है :

I शिक्षा और कौशल विकास :-

शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों के मामलों में आपकी कंपनी अग्रणी है।

आपकी कंपनी स्कूलों में आधारभूत ढांचे में सुधार, डिजिटल स्मार्ट कक्षाओं/पुस्तकालयों/कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि हेतु सहयोग मुहैया करवा रही है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/टाउनशिप के आस-पास सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आपकी कंपनी ने अपनाई गई कुछ आईटीआई के उन्नयन में भी योगदान दे रही है। आपकी कंपनी ने कोलापटुकर, दोलागमुख (अरुणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय में किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों में भी योगदान दिया है।

विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनएसव्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा) के अनुसार होने वाले विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार अभिमुख कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

आपकी कंपनी सरकार द्वारा चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों नामतः बारामूला (जम्मू एवं कश्मीर), चम्बा (हिमाचल प्रदेश) और पश्चिमी सिक्किम (सिक्किम) तथा साथ ही साथ कुछ अन्य स्थलों नामतः बारामूला (जम्मू एवं कश्मीर), मण्डी और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चम्पावत (उत्तराखंड) और दक्षिण/पूर्व सिक्किम में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से 1000 दिव्यांग के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगार अभिमुख प्रशिक्षणों को लागू कर रही है। इस सीएसआर पहल में उम्मीदवारों की पहचान की व्यवस्था शामिल है जिसमें उन्हें एलीमको के माध्यम से विशेष स्तर से बनाए गए सहायक उपकरण और फिर उन्हें सिलाई मशीन ऑपरेटर, हाथ से कढ़ाई, स्व-नियोजित दर्जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हैंडसेट रिपेयर करने वाला, सहायक ब्यूटी थेरापिस्ट आदि जैसे ट्रेडों में उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार अभिमुख कौशल सैटों में उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है और उन्हें नियोजन या भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के सहयोगियों के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए आसान ऋण दिया जाता है।

II स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने असम में चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों तथा चिकित्सा परिचरों से लैस 20 चल चिकित्सा यूनिट (एमएमयू) मुहैया करवाई हैं। ये एमएमयू गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित की है। आपकी कंपनी दिव्यांग लोगों को इमदाद तथा सहायक उपकरणों का वितरण भी कर रही है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेन्स, चिकित्सा उपकरण, डीजी सेट और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है और वर्ष भर स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने लाभग्राहियों की पहचान करने और उन्हें कृत्रिम अंगों, वैशाखियों, श्रवण उपकरण व्हील चियर आदि के वितरण का कार्य एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलीमको) के माध्यम से बरामूला (जम्मू एवं कश्मीर) में चुनिंदा लाभग्राहियों हेतु पूरा किया गया है और चम्बा (हिमाचल प्रदेश) तथा पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) के महत्वकांक्षी जिलों में अन्धों में प्रगति पर है।

III स्वच्छ भारत अभियान :-

आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल सुविधाएं, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजार/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, ग्राम स्वच्छता अभियान, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा साफ-सफाई, स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली कचरे के डिब्बों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि शामिल है।

IV ग्रामीण विकास :-

एनएचपीसी द्वारा साधनविहीन वंचित ग्रामीण समुदायों की आवश्यकता तथा अपेक्षाओं के अनुसार क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनें, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे। आपकी

कंपनी ने फुट ब्रिज, दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय, यात्री शेड आदि के निर्माण क्रियाकलापों को लिया है। आपकी कंपनी कूल के पुनरुद्धार के कार्य को लिया है। आपकी कंपनी कृषि/बागवानी, मछली पालन तथा खेती के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है।

V पर्यावरण और धारणीयता :-

आपकी कंपनी पर्यावरणीय धारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के वचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करने हेतु कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें “प्रदूषण कम करने वाले पौधों के अभियान” के अंतर्गत वृक्षारोपण, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन, पार्कों का पुनरुद्धार आदि शामिल हैं।

VI महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :-

आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए बनाए गए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है। मेवात क्षेत्र के महत्वकांक्षी जिले में महिला सशक्तिकरण और आजीविका उन्नयन हेतु एक सैनेट्री नैपकिन यूनिट स्थापित की गई है।

VII सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :-

आपकी कंपनी ने ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के प्रति भी योगदान दिया है। सीएसआर कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/csr_Policy_E_CMA_201811_1.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचना :

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के बजट आबंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार ‘सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति’ की संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य
5.	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

3. गत तीन वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)	औसत निवल लाभ (करोड़ में)
1	2015-16	3,040.97	3001.46
2	2016-17	3,178.20	
3	2017-18	2,785.22	

4. विहित सीएसआर व्यय :

60.03 करोड़ रुपये (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्ष से 20.97 करोड़ रुपये की एक व्यय न की गई राशि को भी अग्रणीत किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु किया गया कुल बजट आवंटन 81.00 करोड़ रुपये था।

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :-

क. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

17.58 करोड़ रुपये (20.97 करोड़ रुपये की अग्रणीत राशि में से 12.42 करोड़ रुपये सहित)।

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो :

63.42 करोड़ रुपये।

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की जानी है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रुपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना। छात्रों को छात्रवृत्ति। विवेकानंद केन्द्रीय विद्यालय में विकासात्मक क्रियाकलाप करवाना। बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण/ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आईटीआई में विकासात्मक/ उन्नयन क्रियाकलाप।	शिक्षा और कौशल विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, कठुआ और बांदीपुरा, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला - पूर्वी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम (सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, देहरादून और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, असम में जिला लखीमपुर, सोनितपुर, अरुणाचल प्रदेश में जिला - लोअर सुबानसिरी, ईटानगर तथा दिबांग वैली, तमिलनाडू में जिला डिंडीगुल और हरियाणा में जिला फरीदाबाद।	1,773.54	242.70	242.70	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रुपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	मोबाइल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन। चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों का आयोजन। “एलीमको” की भागीदारी में दिव्यांग को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण सरकारी अस्पतालों, का उन्नयन सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना। बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि। विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/स्थापन। गावों/स्कूलों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन।	स्वास्थ्य और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान सहित)	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और कठुआ, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला दक्षिण सिक्किम और पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़ और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - ईटानगर और दिबांग वैली, हरियाणा में जिला फरीदाबाद और मेवात, उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ तथा मुजफ्फरनगर।	2,372.26	879.96	879.96	सीधे
3.	पथमार्ग, फुट ब्रिज, कंक्रीट मार्गों का निर्माण। अलची गांव में पुरवों का विद्युतीकरण। सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण। दाह संस्कार शेडों का निर्माण। नालों, वर्षा आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण। गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था। बड़ी इलायची की आर्गेनिक खेती। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप।	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और कठुआ, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा, शिमला तथा मंडी, सिक्किम में जिला दक्षिण सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, अरुणाचल प्रदेश में जिला - ईटानगर और दिबांग वैली, उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती, महाराष्ट्र में जिला अहमदनगर और बिहार में जिला भोजपुर।	2,981.67	500.67	500.67	सीधे
4.	“प्रदूषण कम करने वाले पौधे अभियान (पीएपीए)” के अंतर्गत पौधरोपण। सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट का स्थापन। एलईडी लाइटों को मुहैया करवाना।	पर्यावरणीय धारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - बांदीपुरा, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग, हरियाणा में जिला फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा, कानपुर, श्रावस्ती, बिजनौर और मिर्जापुर तथा राजस्थान में जिला बीकानेर।	482.89	55.31	55.31	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रुपये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5.	महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।	महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जिला पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, अरुणाचल प्रदेश में जिला - दिबांग और हरियाणा में जिला मेवात।	61.50	21.29	21.29	सीधे
6.	प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण। कला और संस्कृति का संरक्षण।	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य क्रियाकलाप	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, किश्तवाड़ और बांदीपुरा, हिमाचल प्रदेश में जिला - चम्बा तथा मंडी, उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, जिला धेमजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - दिबांग वैली।	428.14	58.10	58.10	सीधे
	कुल			8,100.00	1,758.03	1,758.03	

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए :

81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष से संबंधित व्यय न की गई राशि के 20.97 करोड़ रुपये अग्रेणित किए गए सहित) की राशि क्रिया कलाप को सीएसआर समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित किया गया था। तथापि, उनमें से कई क्रियाकलाप अभी पूरे नहीं हुए हैं और अभी भी पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे सभी सीएसआर क्रियाकलापों को पूरा किया जाना प्रत्याशित है और आवंटित निधियों की अप्रयुक्त राशि के शेष का उपयोग इन क्रियाकलापों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूरा करने के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों पर 17.58 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष के दौरान कम व्यय के कुछ कारण निम्नानुसार हैं :

- वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं में से कुछ पूंजीगत प्रकृति की हैं जिसमें पूर्णता/स्वीकृति हेतु लम्बा समय लगता है। क्रियाकलापों का भुगतान पूर्णता हेतु उपलब्धियों की प्राप्ति से संयोजित है।
- लोक उद्यम विभाग से सीएसआर दिशा-निर्देशों की प्राप्ति पर महत्वकांक्षी जिलों नामतः - बारामूला , चम्बा और पश्चिम सिक्किम हेतु आवंटन को फोकसबद्ध थीम क्षेत्रों- स्वास्थ्य और शिक्षा - के लिए दिसम्बर, 2018 में आवंटन को प्राथमिकता दी गई। तथापि, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना और जिला प्रशासन के माध्यम से कोड संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी समय लगा। परिणामस्वरूप कार्य का स्पिल-ओवर हुआ।

7 सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन :-

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी, कंपनी सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुस्र है।

हस्ता./-
(बलराज जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 07449990

हस्ता./-
(अरुण कुमार)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष,
सीएसआर और धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन : 07346292

दिनांक : 18 जुलाई, 2019



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) एवं श्री एन.के. जैन, निदेशक (कार्मिक) की उपस्थिति में 19 मार्च 2019 को एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में आयोजित 'हिंदी कवि सम्मेलन' के दौरान दीप प्रज्जवलित करते हुए।

फार्म संख्या एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

I. पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे

सीआईएन	L40101HR1975GOI0332564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कम्पनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरे	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 टेलीफोन नं. 0129-2588110/2588500 फैक्स नं. 0129-2278018
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	जी, हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032 दूरभाष नं.: 040-67162222 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 फैक्स नं. : 040 2300 1153

II. कम्पनी के प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न-ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न-ओवर का प्रतिशत #
1	ऊर्जा (जल विद्युत) जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	99.19

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

सकल टर्न-ओवर के आधार पर

III. अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी कंपनी	51.08	2(87)
2.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. लोकतक, क्रोम कीरप- 795114 मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी कंपनी	74.00	2(87)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
3.	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी-43/5, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015 GOI06832	अनुषंगी	99.99	2(87)
4.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180 012 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321 PTC003321	अनुषंगी	51.94	2(87)
5.	नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनएचपीटीएल, पावरग्रिड काम्प्लेक्स, 765/400 के.वी. सबस्टेशन, खिमलासा रोड, बीना, सागर - 470 113, मध्य प्रदेश	U73100MP2009 PTC047744	एसोसिएट (संयुक्त उपक्रम)	20.00	2(6)

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	7,36,59,64,993	0	7,36,59,64,993	73.33	(0.63)
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड) बैंक/ एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (1)	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	7,36,59,64,993	0	7,36,59,64,993	73.33	(0.63)
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	7,36,59,64,993	0	7,36,59,64,993	73.33	(0.63)
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड/ यूटीआई	26,51,15,910	0	26,51,15,910	2.58	32,14,71,603	0	32,14,71,603	3.20	0.62
ख) बैंक/ एफआई	7,77,58,691	0	7,77,58,691	0.76	6,51,01,540	0	6,51,01,540	0.65	(0.11)
ग) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड) बीमा कंपनियां	77,84,48,263	0	77,84,48,263	7.59	77,76,95,996	0	77,76,95,996	7.74	0.15

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
च) एफआईआई	44,13,97,679	0	44,13,97,679	4.30	49,16,65,365	0	49,16,65,365	4.89	0.59
छ) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	1,56,27,20,543	0	1,56,27,20,543	15.23	1,65,59,34,504	0	1,65,59,34,504	16.48	1.25
(2) गैर-संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	51,11,29,761	0	51,11,29,761	4.98	46,39,78,931	0	46,39,78,931	4.62	(0.36)
ख) व्यक्ति									
(1) 1 लाख रुपये तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	43,54,26,499	1,51,905	43,55,78,404	4.25	40,72,57,061	95,067	40,73,52,128	4.06	(0.19)
(2) 1 लाख रुपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	13,92,56,226	0	13,92,56,226	1.36	13,15,12,320	0	13,15,12,320	1.31	(0.05)
ग) अन्य									
(1) क्लियरिंग सदस्य	60,46,190	0	60,46,190	0.06	34,71,589	0	34,71,589	0.03	(0.03)
(2) अप्रवासी भारतीय	97,02,893	7,575	97,10,468	0.09	88,07,589	7,575	88,15,164	0.09	0.00
(3) अप्रवासी भारतीय - स्वदेश न लौटने वाले	32,33,995	0	32,33,995	0.03	40,81,989	0	40,81,989	0.04	0.01
(4) विदेशी नागरिक	2,000	0	2,000	0.00	500	0	500	0.00	0.00
(5) विदेशी कारपोरेट निकाय	175	0	175	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(6) ट्रस्ट	22,11,588	0	22,11,588	0.02	18,40,819	0	18,40,819	0.02	0.00
(7) गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान	4,37,478	0	4,37,478	0.00	4,53,831	0	4,53,831	0.00	0.00
(8) आईईपीएफ	9,99,609	0	9,99,609	0.01	16,27,862	0	16,27,862	0.02	0.01
(9) वैकल्पिक निवेश निधि	5,13,000	0	5,13,000	0.01	0	0	0	0.00	(0.01)
उप जोड़ (ख)(2)	1,10,89,59,414	1,59,480	1,10,91,18,894	10.81	1,02,30,32,666	1,02,642	1,02,31,35,308	10.19	(0.62)
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1)+ (ख)(2)	2,67,16,79,957	1,59,480	2,67,18,39,437	26.04	2,67,89,67,170	1,02,642	2,67,90,69,812	26.67	0.63
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	10,25,91,61,039	1,59,480	10,25,93,20,519	100	10,04,49,32,163	102,642	10,04,50,34,805	100	0.00

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2018 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2019 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/भाराक्रांत किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	7,58,74,81,082	73.96	0.00	7,36,59,64,993	73.33	0.00	(0.63)
	कुल	7,58,74,81,082	73.96	0.00	7,36,59,64,993	73.33	0.00	(0.63)

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2018 के अनुसार)		वर्ष के दौरान कारोबार			वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	वृद्धि/ कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	7,58,74,81,082	73.96				7,58,74,81,082	73.96
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी			21.06.2018/ 22.06.2018	(2,93,54,564)	भारत 22 ईटीएफ को अंतरण	7,55,81,26,518	73.67
				22.01.2019	(14,22,71,903)	पुनः खरीद	7,41,58,54,615	73.83
				21.02.2019	(4,98,89,622)	भारत 22 ईटीएफ को अंतरण	7,36,59,64,993	73.33
3.	वर्ष के अंत में	7,36,59,64,993	73.33				7,36,59,64,993	73.33

(iv) 10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम *				
	वर्ष के प्रारंभ में	73,43,79,599	7.31	73,43,79,599	7.31
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	73,43,79,599	7.31
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	73,43,79,599	7.31
	वर्ष के अंत में	73,43,79,599	7.31	73,43,79,599	7.31

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
2	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	26,05,42,051	2.59	26,05,42,051	2.59
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	26,05,42,051	2.59
	वर्ष के दौरान बेचे गए	1,60,68,811	0.16	24,44,73,240	2.43
	वर्ष के अंत में	24,44,73,240	2.43	24,44,73,240	2.43
3	आरईसी लिमिटेड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	18,40,11,865	1.83	18,40,11,865	1.83
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	18,40,11,865	1.83
	वर्ष के दौरान बेचे गए	87,09,659	0.08	17,53,02,206	1.75
	वर्ष के अंत में	17,53,02,206	1.75	17,53,02,206	1.75
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी बैलेन्स एडवान्टेज फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	6,69,02,433	0.67	6,69,02,433	0.67
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1,86,66,000	0.18	8,55,68,433	0.85
	वर्ष के दौरान बेचे गए	26,14,913	0.02	8,29,53,520	0.83
	वर्ष के अंत में	8,29,53,520	0.83	8,29,53,520	0.83
5	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टेक्स सेवर फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	6,17,76,989	0.62	6,17,76,989	0.62
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1,25,000	0.00	6,19,01,989	0.62
	वर्ष के दौरान बेचे गए	12,60,432	0.02	6,06,41,557	0.60
	वर्ष के अंत में	6,06,41,557	0.60	6,06,41,557	0.60
6	एडजेबेस्टन एशियन इक्विटी ट्रस्ट #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	5,73,24,723	0.57	5,73,24,723	0.57
	वर्ष के दौरान बेचे गए	8,68,944	0.01	5,64,55,779	0.56
	वर्ष के अंत में	5,64,55,779	0.56	5,64,55,779	0.56
7	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल ब्लूचिप फंड #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	4,69,24,822	0.47	4,69,24,822	0.47
	वर्ष के दौरान बेचे गए	19,29,897	0.02	4,49,94,925	0.45
	वर्ष के अंत में	4,49,94,925	0.45	4,49,94,925	0.45
8	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टाक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की ए सीरीज *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,75,50,287	0.37	3,75,50,287	0.37
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	9,73,926	0.01	3,85,24,213	0.38
	वर्ष के दौरान बेचे गए	19,15,084	0.02	3,66,09,129	0.36
	वर्ष के अंत में	3,66,09,129	0.36	3,66,09,129	0.36

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2018 से 31.03.2019)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
9	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,31,12,245	0.33	3,31,12,245	0.33
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	33,00,434	0.03	3,64,12,679	0.36
	वर्ष के दौरान बेचे गए	8,56,409	0.01	3,55,56,270	0.35
	वर्ष के अंत में	3,55,56,270	0.35	3,55,56,270	0.35
10	एमुंडी फंडस एसबीआई एफएम इक्विटी इंडिया #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	3,45,95,000	0.34	3,45,95,000	0.34
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	3,45,95,000	0.34
	वर्ष के अंत में	3,45,95,000	0.34	3,45,95,000	0.34
11	यूको बैंक®				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,03,50,000	0.30	3,03,50,000	0.30
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	3,03,50,000	0.30
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	3,03,50,000	0.30
	वर्ष के अंत में	3,03,50,000	0.30	3,03,50,000	0.30
12	पेंशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड - पजेना इन्वेस्ट मैनेजमेंट एलएलसी®				
	वर्ष के प्रारंभ में	2,12,46,499	0.21	2,12,46,499	0.21
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	2,12,46,499	0.21
	वर्ष के दौरान बेचे गए	10,05,640	0.01	2,02,40,859	0.20
	वर्ष के अंत में	2,02,40,859	0.20	2,02,40,859	0.20
13	श्रोडर एशियन इन्कम®				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,47,87,231	0.35	3,47,87,231	0.35
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	3,47,87,231	0.35
	वर्ष के दौरान बेचे गए	1,84,74,813	0.19	1,63,12,418	0.16
	वर्ष के अंत में	1,63,12,418	0.16	1,63,12,418	0.16

* 1.4.2018 तथा 31.3.2019 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

@ केवल 1.4.2018 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

केवल 31.3.2019 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

टिप्पणी :

1. कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है अतः शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया गया है।
2. कंपनी में कुल शेयरों के प्रतिशत की गणना 31.3.2019 को कुल शेयरधारिता अर्थात् 10045034805 के आधार पर की गई है।

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ (कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2018 से 31.03.2019) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2018)/ वर्ष के अंत (31.03.2019) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क.	निदेशक							
1.	श्री बलराज जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11,891	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		11,891	नगण्य	
2.	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	15,986	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		15,986	नगण्य	
3.	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
4.	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
5.	श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (05.07.2018 को निदेशक बने)	21,055	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		21,055	नगण्य	
6.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकारी नामित निदेशक (30.07.2018 से निदेशक पद पर नहीं रही)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
7.	श्री अनिरुद्ध कुमार*, सरकारी नामित निदेशक	1500	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		1500	नगण्य	
8.	श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक	15,000	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		15,000	नगण्य	
9.	प्रो. अरुण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
10.	प्रो कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
11.	प्रो. नलिनी कांत झा, स्वतंत्र निदेशक (05.11.2018 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
12.	श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	
13.	श्री भगवत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं	

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ (कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2018 से 31.03.2019) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2018)/ वर्ष के अंत (31.03.2019) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
ख	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	11,231	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			11,231	नगण्य

* श्री अनिरुद्ध कुमार को 30.7.2018 से बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 28.5.2018 से 18.7.2018 की अवधि के दौरान भी बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोदभूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

विवरण	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण *	अप्रतिभूत ऋण ***	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2018)				
1) मूलधन राशि	14,101.27	4,500.83	0.00	18,602.10
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	534.30	38.19	0.00	572.49
कुल (1+2+3)	14,635.57	4,539.02	0.00	19,174.59
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	1,796.00	811.91	0.00	2607.91
कमी **	(1,636.23)	(518.02)	0.00	(2,154.25)
निवल परिवर्तन	159.77	293.89	0.00	453.66
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2019)				
1) मूलधन राशि	14,261.04	4,794.72	0.00	19,055.76
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	519.84	65.14	0.00	584.98
कुल (1+2+3)	14,780.88	4,859.86	0.00	19,640.74

* प्रतिभूत ऋण में अल्पावधि ऋण शामिल है।

** अप्रतिभूत ऋण कॉलम में कमी में 195.14 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण की चुकौती (22.69 करोड़ रुपये के ईआरवी लाभ को समायोजित किए जाने के पश्चात) और अधीनस्थ ऋण में इंड एस के कारण 269.85 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल है।

*** अप्रतिभूत ऋण में, विदेशी ऋण, अल्पावधि ऋण तथा अधीनस्थ ऋण शामिल हैं और अधीनस्थ ऋण का मूल्य इंड एस के अनुसार लिया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक
क. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का नाम					कुल राशि
		श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	श्री जनार्दन चौधरी (05.07.2018 को निदेशक बने)	
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन*	55,31,671	56,92,292	44,68,172	54,67,199	39,40,930	2,51,00,264
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	6,04,805	2,82,989	6,02,014	4,05,211	1,40,486	20,35,505
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य **	8,63,252	8,29,485	5,30,058	6,13,802	7,04,803	35,41,400
	कुल (क)	69,99,728	68,04,766	56,00,244	64,86,212	47,86,219	3,06,77,169
	अधिनियम के अनुसार सीमा	सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)					

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में संबंधित अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित पद के अनुसार निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी), 1.1.2017 से वेतन संशोधन और 1.1.2007 से वेतनमानों के नियमितीकरण शामिल है।

** अन्यो में अवकाश नकदीकरण, नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान योगदान) आदि शामिल है जिसे मद संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी :

- (1) वर्ष के दौरान श्री के.एम.सिंह, पूर्व सीएमडी, श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक (वित्त) और सीएमडी, श्री राधेश्याम मीना, पूर्व निदेशक (कार्मिक) और श्री जयन्त कुमार, पूर्व निदेशक (वित्त) को पहले के वर्षों से संबंधित उनके देयों हेतु क्रमशः 1755870 रुपये, 581017 रुपये, 2554695 रुपये और 3388640 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम						कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री सत्य प्रकाश मंगल	प्रो. अरुण कुमार	प्रो. कनिका टी.भाल	प्रो. नलिनी कांत झा (05.11.2018 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	श्री भागवत प्रसाद	
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	5,60,000	6,60,000	5,00,000	1,00,000	3,00,000	4,40,000	25,60,000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	5,60,000	6,60,000	5,00,000	1,00,000	3,00,000	4,40,000	25,60,000
2	नामित निदेशक	श्रीमती अर्चना अग्रवाल (30.07.2018 से निदेशक पद पर नहीं रही)	श्री अनिरुद्ध कुमार *					
	बोर्ड/ समिति बैठकें में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य					
	कमीशन	शून्य	शून्य					
	अन्य	शून्य	शून्य					
	कुल(2)	शून्य	शून्य					
	कुल (ख)=(1+2)	5,60,000	6,60,000	5,00,000	1,00,000	3,00,000	4,40,000	25,60,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*							3,32,37,169
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)						

* श्री अनिरुद्ध कुमार को 30.7.2018 से बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 28.5.2018 से 18.7.2018 की अवधि के दौरान भी बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

** प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन **	-	63,59,776	-	63,59,776
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	2,66,182	-	2,66,182
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	शून्य	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4	कमीशन	-	शून्य	-	-
5	अन्य ***	-	10,12,011	-	10,12,011
	कुल	-	76,37,969	-	76,37,969

* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** राशि में निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी), 1.1.2017 से वेतन संशोधन और 1.1.2007 से वेतनमानों के नियमितीकरण शामिल है।

*** अन्यो में नव वर्ष उपहार, नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी/एएनसीएलटी/अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड					
क्षमा करना			कोई नहीं		
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
क्षमा करना			कोई नहीं		
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
क्षमा करना			कोई नहीं		

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 02 अगस्त, 2019

स्थान : फरीदाबाद

लाभांश वितरण नीति

1.0 पृष्ठभूमि :

सेबी ने अपनी दिनांक 8.7.2016 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 में विनियम 43क शामिल किया है जिसमें निम्नलिखित अपेक्षित है :

1. बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध शीर्ष 500 निकाय (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को गणना किए अनुसार) एक लाभांश वितरण नीति बनाएंगे जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट तथा उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
2. लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदण्ड होंगे -
 - क. ऐसी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध निकायों के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते;
 - ख. लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड;
 - ग. आंतरिक तथा बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा;
 - घ. प्रतिधारित आय के उपयोग के संबंध में नीति; और
 - ड शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड;

उक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लाभांश वितरण नीति बनाई गई है।

2.0 इस नीति को एनएचपीसी लाभांश वितरण नीति ("नीति") कहा जाएगा।

3.0 यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अंगीकृत किए जाने की तिथि अर्थात् 30.5.2018 से प्रभावी होगी।

4.0 नीति की रूपरेखा :

नीति ढांचे का आधार मुख्यतः कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की पूंजीगत पुनर्संरचना" संबंधी दिशा-निर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और लाभांश के भुगतान के संबंध में लागू सीमा तक अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार है। नीति कंपनी के स्वामियों की अपने लाभों के एक हिस्से को बांटने हेतु कंपनी की मंशा को दर्शाती है।

5.0 महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां :

- **लाभांश** : कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जिसे व्यापार में बनाए नहीं रखा जाता और शेयरधारकों के मध्य उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। साधारण शब्दों में यह निवेश पर प्रतिफल है जो शेयरधारक कंपनी के निवल लाभों से प्राप्त करते हैं।
- **निवल मूल्य** : प्रदत्त शेयरपूँजी और लाभ से सृजित सभी आरक्षितों तथा प्रतिभूति प्रीमियम राशि का संचित मूल्य।
- **कर पश्चात लाभ (पीएटी)** : सभी कराधान संबंधित व्ययों की कटौती के पश्चात व्यापार द्वारा अर्जित निवल राशि।
- **प्रतिधारित लाभ** : व्यापार द्वारा सृजित वह लाभ जिसे लाभांश के स्तर में शेयरधारकों को वितरित नहीं किया जाता है परन्तु या तो व्यापार में उसका पुनः निवेश किया जाता है अथवा उसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु आरक्षित के स्तर में रखा जाता है (जैसे कि किसी ऋण के भुगतान अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद हेतु)।
- **लाभांश भुगतान अनुपात** : शेयरधारकों को लाभांश के स्तर में अदा की गई व्यापार आय का प्रतिशत। यह इसे दर्शाता है कि फर्म की आय लाभांश भुगतान में कितनी सहायता करती है। यह प्रतिशत जितना कम होगा लाभांश भुगतान उतना ही सुरक्षित होगा। लाभांश पर डीआईपीएएम के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए एनएचपीसी को कंपनी के निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना होता है और तदनुसार लाभांश भुगतान अनुपात निवल लाभ (पीएटी) के लगभग 60 से 80 प्रतिशत के मध्य रहेगा।
- **लाभांश प्राप्ति** : एक वित्तीय अनुपात जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर मूल्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष लाभांश के स्तर में कितना भुगतान करती है।
- **मूल्य अर्जन (पीई) अनुपात**: यह दर्शाता है कि बाजार इसकी वर्तमान आय के आधार पर किसी स्टॉक हेतु कितना भुगतान करने का इच्छुक है।
- **मूल्य से बही (पीबी) अनुपात** : इस अनुपात का उपयोग किसी स्टॉक के बाजार मूल्य की उसके बही मूल्य से तुलना करने के लिए किया जाता है।
- **बाजार पूंजीकरण** : इसका अर्थ बाजार मूल्य तथा कुल बकाया शेयरों के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है।

6.0 नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- अधिमानी शेयरों पर लाभांश, यदि कंपनी द्वारा जारी किए गए हों तो;
- नकदी स्त्र में न होने वाले लाभांश का वितरण अर्थात् लागू नियमों के अधीन पूर्णतः या आंशिक स्त्र से अदा किए गए बोनस शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके;
- इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के स्त्र में नकदी का वितरण।

7.0 नीति का उद्देश्य :

लाभांश नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है :

- **कंपनी का आधारभूत मूल्य** : लाभांश वितरण नीति का कंपनी के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नीति का उद्देश्य प्रतिधारित अर्जन की आवश्यकता पर उचित विचार करते हुए धारणीय लाभांश भुगतान अनुपात को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के आधारभूत मूल्य में वृद्धि करना है।
- **वृद्धि योजना** : लाभांश वितरण नीति एक वित्त-पोषण निर्णय है और यह नकदी बाहिर प्रवाहों में वृद्धि तथा लाभप्रद परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु नकदी की उपलब्धता में कमी में भी परिणत होती है। यदि पर्याप्त निधियां उपलब्ध न हों तो फर्म को बाहरी वित्त-पोषण पर निर्भर करना पड़ता है। अतः लाभांश नीति को इस तरीके से विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि संभावित परियोजनाओं को ऋण तथा प्रतिधारित आय के उचित मिश्रण के माध्यम से वित्त-पोषित किया जा सके।
- **प्रतिफल की स्थिर दर** : प्रतिफल की दर में उतार-चढ़ाव शेयरों के बाजार मूल्य को प्रतिकूल स्त्र से प्रभावित करता है। अतः लाभांश नीति का उद्देश्य भविष्य में सतत लाभांश भुगतान प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होता है जब तक कि कंपनी किसी आंतरिक या बाहरी कारकों के चलते लाभांश घोषित करने में असमर्थ न हो।

8.0 परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते :

कंपनी की लाभांश वितरण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया जाता है और यह कंपनी के निवल लाभ तथा लाभांश के स्त्र में वितरित किए जाने वाले कंपनी के लाभ के मध्य संतुलन को नियंत्रित करती है। लाभांश कंपनी के निवल लाभ का एक हिस्सा है जिसे विद्यमान लागू विधियों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार शेयरधारकों के मध्य वितरित किया जाता है। लाभांश को बोर्ड की सिफारिश के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों को अदा किए जाने वाले लाभांश की सिफारिश संगत विधि तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

बोर्ड द्वारा लाभांश हेतु सिफारिश किए जाने से पूर्व विचार किए जाने वाले कारक भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियों को जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू कर हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और यह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन है। लाभांश भुगतान का निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

9.0 लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड :

27.5.2016 को डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) की पूंजीगत पुनर्संरचना संबंधी डीआईपीएएम दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई अपने कर पश्चात लाभ के न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के लाभांश का भुगतान करेगा जो विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। फिर भी सीपीएसई से उसके गठन संबंधी अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश का भुगतान किए जाने की प्रत्याशा की जाती है जब तक कि अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नतर निवेश औचित्यपूर्ण न हो तथा ऐसा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए।

- (1) सीपीएसई का निवल मूल्य और ऋण लेने की इसकी क्षमता;
- (2) दीर्घावधि ऋण;
- (3) पूंजीगत व्यय/व्यापार विस्तार आवश्यकताएं;
- (4) पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के अनुस्त्र आगे लाभ हेतु लाभ का प्रतिधारण; और
- (5) नकदी और नकदी शेष।

9.1 लाभांश नीति :

वित्तीय वर्ष हेतु लाभांश का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नीति में बताए गए अन्य आंतरिक तथा बाहरी कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा। तथापि, मोटे तौर पर एनएचपीसी द्वारा लाभांश भुगतान उक्त डीआईपीएएम दिशा-निर्देशों के अनुस्त्र होगा अर्थात् कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

9.2 लाभांश भुगतान हेतु तरीका और समय-सीमाएं :

(क) अंतरिम लाभांश :

- I. अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। सामान्यतः अंतरिम लाभांश की घोषणा संगत वित्तीय वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में की जाती है।
- II. यदि अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है तो उसका भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

(ख) अंतिम लाभांश :

- I. अंतिम लाभांश हेतु सिफारिश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी और यह कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।
- II. लाभांश का भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि/बही समापन अवधि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
- III. अंतिम लाभांश घोषित न किए जाने के मामले में वर्ष के दौरान अदा किए गए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

10.0 लाभांश की घोषणा हेतु विचार किए जाने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारक :

आंतरिक कारकों में पूंजीगत व्यय योजना और कंपनी को उपलब्ध मुक्त नकदी शामिल है। बाहरी कारकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति, कंपनी पर लागू नियामक मानदण्ड तथा भारत सरकार या अन्य सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। इन कारकों पर लाभांश की मात्रा का निर्णय करते समय विचार किया जाएगा।

11.0 प्रतिधारित आय के उपयोग का तरीका :

प्रतिधारित आय का उपयोग शेयरधारक की निधि को अधिकतम करने के लिए कंपनी की वृद्धि संभाव्यता हेतु मुख्यतः किया जाता है। कंपनी को प्रतिधारित आय के उपयोग हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए :

- i. कंपनी की अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजनाएं
- ii. विविधीकरण अवसर
- iii. बोनस, पुनः खरीद आदि के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश
- iv. अन्य कोई मानदण्ड जिसे निदेशक मंडल उचित समझे।

12.0 शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड :

लाभांश के भुगतान (घोषणा) का निर्णय कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल/शेयरधारकों द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) के प्रति शेयर पर लाभांश की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। चूंकि कंपनी के पास समान मताधिकार के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, कंपनी के सभी सदस्य प्रतिशेयर लाभांश की समान राशि हेतु पात्र हैं।

13.0 अन्य प्रावधान :

नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और निदेशक मंडल के पास नीति में परिवर्तन करने का अधिकार है। नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अवधि में की जाएगी।

यदि देश के कानूनों में परिवर्तन के कारण इस नीति का कोई पृथक खंड ऐसे परिवर्तन का विरोधाभासी होता है, तो नीति को उस भाग पर लागू किया जाएगा जो लागू कानून से विरोधाभासी न हो।

इस प्रकार घोषित लाभांश की मात्रा किसी शेयरधारक को 0.50 रुपये से कम होने के मामले में शेयरधारक को 1/- रुपये का न्यूनतम लाभांश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लाभांश का भुगतान कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप संशोधन नियमावली, 2014 के अनुसार लाभांश की राशि को पूर्णांक में परिवर्तित किए जाने के अधीन है।

14.0 शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति के संबंध में सूचित करना :

लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाए और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम

9 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने एनएचपीसी लिमिटेड, (जिसे एतदपश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

हमने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिशोध) विनियम, 1992;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; **लागू नहीं**;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - **लागू नहीं**।
- (vi) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य विशिष्ट लागू विधियों के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली को कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रणाली के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय-समय पर यथासंशोधित सचिवालयीन मानक - आमतौर पर अनुपालन किया गया है।
 - सूचीकरण समझौता और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)।
 - सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम,

नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है :

क्रम सं.	अर्हता/ अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार कंपनी के बोर्ड पर 5.7.2018 से 17.7.2018 और 5.11.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि हेतु बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के संगम अनुच्छेद 14 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामले का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय से नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।

क्रम सं.	अर्हता/ अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
2.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) के अनुसार कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया है।	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में एजेंडा मार्च, 2019 में बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसे समय के अभाव के चलते आस्थगित किया गया। तथापि, बोर्ड द्वारा मई, 2019 में हुई अपनी बाद की बैठक में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन किया गया है।
3.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने निम्नलिखित की समीक्षा नहीं की है - (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र स्तर से निदेशक मंडल का निष्पादन; (ख) कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के मतों को ध्यान में लेते हुए सूचीबद्ध निकाय के अध्यक्ष का निष्पादन	स्वतंत्र निदेशकों ने जून, 2019 में आयोजित अपनी पृथक बैठक में सेबी (एलओडीआर) के विनियम, 25(4) की आवश्यकताओं को नोट किया। स्वतंत्र निदेशकों का चर्चा के पश्चात यह मत था कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित गैर-स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, उक्त को स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
4.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19(4), जो अनुसूची-2 भाग-घ(क) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक ने किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों तथा स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु कोई मानदण्ड नहीं बनाया है।	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के संगम अनुच्छेद 34 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित था सिवाय कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की गैर-नियुक्ति के कारण 5.7.2018 से 17.7.2018 और 5.11.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि हेतु। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त स्तर से भेजे जाते हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बोर्ड/समिति बैठकों में सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से लिए गए थे।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुसूचित पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने 599,99,99,992 (पांच हजार नित्यानवे करोड़ नित्यानवे लाख नित्यानवे हजार नौ सौ बयानवे रुपये मात्र) के कुल मूल्य पर 28 रुपये (अठ्ठाईस रुपये मात्र) प्रति इक्विटी शियर के मूल्य पर 'निविदा प्रस्ताव' प्रक्रिया के माध्यम से अनुपातिक आधार पर 10/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 21,42,85,714/- (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख पचासी हजार सात सौ चौदह मात्र) पूर्णतः प्रदत्त: इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है।

हम आगे सूचित करते हैं कि 15 मार्च, 2019 को निधियों को जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु हुई निदेशक मंडल की बैठक की पूर्व सूचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम, 29(2) के अंतर्गत अपेक्षानुसार स्टॉक एक्सचेंजों को कम से कम 2 कार्य दिवस पूर्व भेजी जानी चाहिए थी, सूचना की तिथि और बैठक की तिथि को छोड़कर।

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और 29(2) के गैर-अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिसके प्रति कंपनी ने छूट अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिफ कोड :

पी2003डीईओ49100

हस्ता./-

सी एस सचिन अग्रवाल

भागीदार

दिनांक : 15 जुलाई, 2019

स्थान : नई दिल्ली

एफसीएस सं. : 5774

सीपी सं. : 5910

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुबंध-क" के स्तर में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध-क

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण पर आधारित अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले कवर किए गए अभिमतों/ टिप्पणियों/कमजोरियों को कवर नहीं किया गया है।

4. जहां-कहीं अपेक्षित हो हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र के मौजूद होने या न होने पर अपना मत व्यक्त करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिट कोड :
पी2003डीईओ49100

हस्ता./-
सी एस सचिन अग्रवाल
भागीदार

दिनांक : 15 जुलाई, 2019
स्थान : नई दिल्ली

एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक)

नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचडीसी लिमिटेड,

सीआईएन : U31200MP2000GOI014337

एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोका,

श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013 (मध्य प्रदेश)।

महोदय,

मैंने **एनएचडीसी लिमिटेड**, (जिसे एतदपश्चात “कंपनी” कहा गया है), भारत सरकार का एक उपक्रम, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर मैं एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि हमारे मतानुसार, और वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अधीन, कम्पनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (“सेबी अधिनियम”) के अंतर्गत विहित विनियम और दिशा-निर्देश (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठकें (एसएस-2) से संबंधित सचिवालयीन मानक।
- स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौता (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर ली गई

विभागप्रमुखों तथा कंपनी सचिव की त्रैमासिक रिपोर्टों और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस पर लागू होने वाले सभी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय विधियों/ नियमों/विनियमों का अनुपालन किया है।

मैं आगे सूचित करता हूँ कि :-

- एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और सभी निदेशक संयुक्त उद्यम भागीदारों और/या भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन महिला निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों/ गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।
- बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और उन्हें निदेशक मंडल और बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाता है, और विमत वाले सदस्य के मत कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं, भले ही समीक्षाधीन अवधि में ऐसा कोई अवसर नहीं था।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों और विनियमों/ दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं और इन्हें अपनाया है जो निम्नानुसार हैं :

- संबंधित पक्ष नीति;
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति;
- सतर्कता तंत्र नीति;
- जोखिम प्रबंधन नीति; तथा
- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता और जहाँ भी आवश्यकता हो, उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार कंपनी में पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इस संबंध में परियोजनाओं पर सभी परियोजना प्रमुखों और कारपोरेट स्तर पर विभागों के प्रमुखों से त्रैमासिक/ वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली विकसित की गई है।

कृते एम.एम. चावला एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-

एम.एम.चावला

प्रोप्राइटर

एफसीएस सं. : 67

सीपी सं. : 716

पीआर : 552/2017

स्थान : भोपाल

दिनांक : 17 जून, 2019



भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 128 वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 16 अप्रैल 2019 को एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में उपस्थित श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री एन. के. जैन, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी, श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी के साथ बोधिसत्व भंते डॉ करुणाशील राहुल जी और एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण।

एनएचपीसी लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों
की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, और यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित है (जिसे एतदपश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस") के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, और उसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरण की हमारी समग्र लेखापरीक्षा और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हेतु नीचे उल्लिखित मामलों का निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
1. नियामक विलंबित लेखा शेष और टैरिफ अधिसूचना लंबित होने पर राजस्व का प्रोद्भवन	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम नियामक विलंबित लेखा शेष के मूल्य के वहन करने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है -
(क) नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में टिप्पणी 34(22क) में निर्दिष्ट किए अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित मामले के चलते कार्य रोके जाने की तिथि अर्थात् 16.12.2011 से प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु इससे संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण प्रोद्भवन शामिल है। इन व्ययों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों के अनुसार लिया और अग्रेषित किया गया है।	- आय के प्रोद्भवन और उनके प्रति वसूली योग्य राशियों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता को समझना तथा उनका परीक्षण करना। - सीईआरसी विनियमनों के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे आकलनों हेतु प्रबंधन द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर तत्संबंधी आकलन, परीक्षण और तर्कसंगतता का मूल्यांकन। - उक्त में सीईआरसी दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति तथा विभिन्न कारणों से वि-अनुमेय किए जाने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा तत्संबंधी पालन और अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापार परिवेश में ली गई मान्यताओं हेतु तर्क शामिल है।
विलंबित लेखा शेष सहित परियोजना ने अंतर्ग्रस्त राशि भौतिक है। मामले के न्याय निर्णयाधीन होने और काफी लंबे समय से निर्णय लम्बित होने के चलते जोखिम तथा अनिश्चितताएं वसूली को प्रभावित कर सकती हैं जिसका कंपनी के मामलों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।	

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
(ख) आगे टिप्पणी - 34(22ख) से 34(22ड) में दिए गए अनुसार मजदूरी संशोधन, विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव, टैरिफ को बंद किए जाने हेतु मूल्यहास, विलंबित कराधान आदि के कारण ₹ 3225.27 करोड़ के कुल कुछ अन्य व्ययों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष को मान्यता दी गई है। (ग) सीईआरसी द्वारा टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने और/अथवा कुछ पावर स्टेशनों में संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन तथा सीईआरसी में ऊर्जा में कमी के प्रति दायर याचिकाओं तथा विधि में परिवर्तन के कारण वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के अतिरिक्त प्रभाव की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय परिसंपत्तियां वर्तमान-अन्य (वर्तमान) (टिप्पणी 34(20) में शामिल के चलते 31 मार्च, 2019 के अनुसार ₹ 515.05 करोड़ को वसूली योग्य माना गया है। कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अधीन है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रभारित टैरिफ अनुमेय पूंजी तथा अन्य लागत एवं व्ययों और उसके प्रति निर्धारित प्रतिफल पर आधारित होता है। नियामक विलंबित लेखे अंतिम अनुमोदन तथा अधिसूचना पर वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार तत्संबंधी वसूली योग्यता के संबंध में अनुमानों पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, जहां टैरिफ दरों को अभी अधिसूचित किया जाना है, राजस्व को वर्तमान चालू सीईआरसी विनियमों पर विचार करते हुए मान्यता प्रदान की जाती है। उपरोक्त (क) से (ग) में किए गए प्रोद्भव उस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कंपनी प्रचालन कर रही है। विशिष्ट अधिसूचना और दर-निर्धारण के अभाव में ये प्रबंधन की मान्यताओं तथा अनुमानों पर आधारित हैं जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।	नकदी उत्पन्न करने वाली यूनिट के मूल्य को निकालने, विशेष रूप से सुबानसिरी परियोजना तथा तत्संबंधी कवरेज के मामले में, के लिए ली गई विभिन्न मान्यताओं और प्रगतिधीन परियोजना और नियामक विलंबित लेखे के शेष के वहन मूल्य के संबंध में तत्संबंधी पर्याप्तता का मूल्यांकन।
2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की वहन राशि का क्षति आकलन	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम क्षति परीक्षण के आधार पर किसी सीजीयू का प्रावधान न किए जाने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :
कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों की कुछ नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) का आकलन 31 मार्च, 2019 को क्षति हेतु किया गया था। इसमें वर्तमान में बाधित सुबानसिरी लोअर परियोजना (टिप्पणी 2.2.7) और टिप्पणी 34(18) में दी गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य कवर होता है। यह आकलन किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और विधिक परिवेश, जिसमें कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम प्रचालन करते हैं, में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, अथवा निकट भविष्य में उसके होने की कोई प्रत्याशा नहीं है। आकलन के आधार पर कंपनी में यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्षति हेतु परीक्षण में कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के सीजीयू के संबंध में कोई बड़ी क्षति का संकेतक या क्षति विद्यमान नहीं है। उक्त आकलन के आधार पर क्षति हेतु कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है। किया गया क्षति व्यवहार जो उपरोक्त पैरा 1(क) के अंतर्गत लिए गए सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित नियामक विलंबित लेखा शेष सहित चुनिंदा परिसंपत्तियों की वहन राशि को न्यायोचित ठहराता हो, महत्वपूर्ण तथा कंपनी के प्रचालनों हेतु आवश्यक है।	- इंड एस 38 के अनुरूप निकाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन और क्षति के संकेतक (अथवा तत्संबंधी प्रत्यावर्तन); - इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा वसूली योग्य राशि के निर्धारण हेतु सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल है : - मूल्यांकन को निकालने हेतु पूर्वानुमान के संबंध में सततता और किसी अंतर के संभाव्य प्रभाव का आकलन करना; - मॉडलों में प्रयुक्त मूल्य मान्यताएं; - नकदी प्रवाह प्रक्षेपण अथवा छूट दर में सीजीयू में निहित जोखिम का पता लगाना। - पूंजी की धारित औसत लागत की मान्यता/अनुमानन और प्रयोग में होने वाली मूल्य को निकालने हेतु छूट की दर। - परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सरकार की नीति तथा अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर ध्यान देना
क्षति के मूल्यांकन में नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के उपयोग में मूल्य का आकलन शामिल होता है और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा मान्यताएं आवश्यक होती हैं।	
3. आकस्मिक देयताएं - संविदाकारों से दावे के प्रति (टिप्पणी 34.1(क)(1))	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :
पूँजीगत कार्यों के प्रति संविदाकारों द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न दावे आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किए गए हैं। इसमें माध्यस्थम कार्यवाही और/अथवा न्यायालय के समक्ष मामले शामिल हैं जिनमें निर्णय कंपनी के विरुद्ध आया है, जिसमें से कुछ राशियों को नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार अदा/जमा किया गया है। कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये माध्यस्थम अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं और इसके परिणामी तथा संभावित प्रभाव और प्रावधान/प्रकटीकरण को दायित्व के होने की संभाव्यता के प्रबंधन के आकलन के आधार पर बताया गया है।	- विधि विभाग से मामले की स्थिति प्राप्त की गई और मामले पर उनका मत जाना; - संविदात्मक निबंधन एवं शर्तों और अभी तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता हेतु प्रबंधन के तर्क तथा कंपनी के प्रति की गई मांगों के एवज में मुहैया न करवाई गई शेष राशि का मूल्यांकन किया गया; - प्रबंधन के साथ बैठक और पत्राचार, ज्ञापन तथा संबंधित मामलों पर टिप्पणियों को पढ़ना/उनकी समीक्षा करना। - समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और अंतिम निर्णय/फैसला लंबित होने तक उससे उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर निर्भर किया गया है; - इंड एस 37 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां” की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उचितता तथा पर्याप्तता की समीक्षा।
4. 31.3.2019 तक सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं पर किया गया व्यय	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की राशि को वहन करने के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :
टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार ₹ 1419.98 करोड़ (वर्ष हेतु 132.06 करोड़ रुपये सहित) के व्यय को परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर खर्च किया गया है। इसमें से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के कारण ₹ 666.05 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 60.52 करोड़ सहित) मुहैया कराए गए हैं, जिससे ₹ 753.93 करोड़ शेष बचते हैं जिन्हें प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है। संबंधित परियोजनाओं को न लिए जाने की स्थिति में सर्वेक्षण तथा जांच पर किए गए व्यय जो भौतिक हैं, प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में अग्रेणित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।	- प्रबंधन द्वारा मुहैया कराए गए अनुसार सर्वेक्षण तथा जांच के अधीन होने वाली परियोजनाओं की स्थिति प्राप्त की तथा उन्हें स्थगित रखे जाने के कारण भी जाने जिसमें उचित प्राधिकारी या न्यायालय के इस आशय के आदेश वाले मामले शामिल हैं। - सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय के लेखांकन हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय के लेखांकन और कंपनी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए ऐसे व्ययों हेतु प्रावधान करने/उन्हें पश्च लेखित करने हेतु अपनाई गई नीति को समझना। - भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के संभावित परित्याग और/अथवा उक्त के प्रत्याशित आर्थिक उपयोग का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल नहीं हैं। ऊपर बताए गए अनुसार, अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिन्हित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर बताए गए अनुसार 'अन्य रिपोर्ट' पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलतबयानी है, तो हमसे शासन का प्रभार होने वालों को संप्रेषित करना और लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाइयों का भी वर्णन करना अपेक्षित होता है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एसएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोडिंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोडिंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के गोडिंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रतिउत्तर वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोडिंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोडिंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोडिंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक् रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) एकल वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य मामले

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने 28, मई, 2018 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन एकल वित्तीय विवरणों पर एक अनर्हक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दी है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- भारत की केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में जारी द्वारा यथाअपेक्षित के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार “अनुबंध-क” में उक्त आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।
- कंपनी की लेखाबहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं :

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया है, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।
2	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला है ? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुनर्संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला नहीं था।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी द्वारा केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य धनराशि का संबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकन/ उपयोग किया गया था।

iii. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित हमारी टिप्पणियों तथा अनुबंध के आगे, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई है, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप है।
- (ङ.) एक सरकारी कंपनी होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के फलस्वरूप, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक कारगरता के संबंध में "अनुबंध ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर एक अनर्हक मत व्यक्त करती है।
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि :
 - i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है। एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1 देखें;
 - ii. कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं के लिए भावी ठोस अनुमान योग्य हानियों के लिए प्रावधान किया है, जो लागू कानूनों या भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षा किए गए अनुसार है। कंपनी की कोई व्युत्पन्न संविदाएं नहीं हैं; और
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण (वित्तीय विवरण) 27 मई, 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और उसी पर हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट (पहले की रिपोर्ट) जारी की गई थी।

यह स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्ट) हमारी पहले की रिपोर्ट के अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं का हिस्सा होने वाले अनुबंध 'क' (कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का एक विवरण) के पैरा (7)(ग) के अंतर्गत सूचित उपकरण के विवादित देय की राशि के संशोधन के पश्चात वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी द्वारा अनंतिम टिप्पणियों के अनुपालन में हमारी पहले की रिपोर्ट के अधिलेखन में है। सार हमारी पूर्व रिपोर्ट के अधिनिर्णय में जारी किया गया है। संशोधन रिपोर्ट में अनुलग्नक 'क' में आंकड़ों के प्रकटीकरण से संबंधित है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जैसा कि पहले की रिपोर्ट में दी गई है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और बाद की घटना पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमारी पूर्व रिपोर्ट की तिथि तक सीमित है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन

प्रेम सी. बंसल

भागीदार

सदस्यता सं. 083597

स्थान : लुधियाना

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19083597एएएएएल8589

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006791एन

संजय जैन

भागीदार

सदस्यता सं. 084906

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19084906एएएएएफ9695

कृते लोधा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 301051ई

आर.पी.सिंह

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19052438एएएएआर3351

समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “क”

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कुछ यूनिटों में भूमि को छोड़कर मूर्त स्थिर परिसंपत्तियों को प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। कुछ मामलों में बही रिकार्ड के साथ भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों का मिलान प्रगति पर है। भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन में पाई गई विसंगतियों को मिलान के पूरा होने पर सही किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, वे भौतिक नहीं हैं।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांच किए गए रिकार्ड और हमें मुहैया करवाए गए स्वामित्व/पट्टा विलेखों के आधार पर हम सूचित करते हैं किए स्वामित्व/पट्टा विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड अचल संपत्तियां शामिल हैं, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित है, सिवाय निम्नलिखित के जहां कंपनी के पास स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं :

प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	31.3.2019 के अनुसार सकल ब्लाक (वास्तविक लागत पर) (₹ करोड़ में)	31.3.2019 के अनुसार निवल ब्लाक (₹ करोड़ में)
फ्रीहोल्ड भूमि	109.85	6.73	6.73
पट्टाधारी भूमि	519.68	251.28	236.84
पट्टे के अधीन होने वाले भवन		17.01	16.64

2. सूचित किए गए अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल-सूची, परिवहन में होने वाली माल-सूची के अतिरिक्त, का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे प्रमाणीकरण की आवृत्ति तर्कसंगत है। बही रिकार्डों की तुलना में ऐसी माल-सूची के भौतिक सत्यापन पर पाई गई कमियां भौतिक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।
3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है, सिवाय एक कंपनी को वर्ष के दौरान दिए गए अप्रतिभूत ऋण के जिसके संबंध में :
 - i. हमारे मतानुसार ऐसे ऋण को दिए जाने के निबंधन और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के विपरीत नहीं हैं।
 - ii. कंपनी द्वारा इस प्रकार दिए गए ऋण के संबंध में, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ₹ 6 करोड़ का अप्रतिभूत ऋण जो कि यद्यपि वर्ष के दौरान चुकौती के लिए देय था, उसे ऋणी द्वारा चुकाया नहीं गया था। ऋणी ने पुनर्भुगतान कार्यक्रम के विस्तार के लिए अनुरोध किया है, जिसका अनुमोदन कंपनी द्वारा प्रक्रियाधीन है। तथापि, ब्याज की अदायगी नियमित है।
 - iii. ऐसे ऋण के संबंध में नब्बे दिवस से अधिक के लिए ₹ 6 करोड़ की अतिदेय राशि है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने मूलधन की वसूली के लिए तर्कसंगत कदम उठाए हैं।
4. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है सिवाय अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा प्रतिभूति जमा के। तथापि, प्रबंधन का यह मत है कि बहियों में दर्शाए गए आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन हेतु प्रतिधारण राशि की प्रकृतिवाले हैं और उन्हें कंपनी (जमा की स्वीकार करना) संशोधन नियम, 2016 के नियम, उप नियम(1), खंड(ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए।
6. हमने ये नियम लागू होने वाले कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप धारा(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख-रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित रिकार्ड को बनाए रखा गया है। तथापि, हमने उक्त रिकार्डों का सटीकता या पूर्णता के निर्धारण की दृष्टि से विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।
- vii) क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं, को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

- ख) 31 मार्च, 2019 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।
- ग) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, तथा उपकर के देयों की राशि निम्नानुसार है :-

सांविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है	विरोध के अधीन किया गया जमा (₹ करोड़ में)	फोरम जहां मामला लंबित है
बिक्री कर अधिनियम/ वैट अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	288.13	1994-95	0.19	जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अपीलीय अधिकरण
		1.6	2008-09, 2009- 10 और 2010-11 से 2014-15	1.42	सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, कुल्लू
		19.58	2004-05 से 2012-13	15.29	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता
		15.08	2012-13 से 2013-14	0	सीटीओ, बारामुला
		25.71	2005-06 से 2007-08	25.71	वाणिज्य कर उपायुक्त, सिक्किम
वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	22.07	2008-09 से 2011-12 और 2012-13 से 2014-15	22.07	सीईएसटीएटी, कोलकाता
		101	2013-14 से 2016-17	0	अपर महानिदेशक (अधिनिर्णय), जीएसटी आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली
		16.13	2004-05 से 2008-09	1.7	जीएसटी सहायक आयुक्त, फरीदाबाद
		0.03	2005-06	0	सेवा कर विभाग, पटना
पश्चिम बंगाल स्थानीय क्षेत्र वस्तु प्रवेश संबंधी कर अधिनियम, 2012	प्रवेश कर	1.14	2012-13 से 2017-18	0	कोलकाता उच्च न्यायालय
जम्मू एवं कश्मीर वस्तुओं पर प्रवेश कर अधिनियम, 2000	प्रवेश कर	0.25	2013-14	0.25	उपायुक्त, वाणिज्य कर, अपील, जम्मू
जम्मू एवं कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	0.21	1991-92 से 1996-97 और 1997-98 से 2001-02.	0.014	राज्य बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, जम्मू
उत्तराखंड विद्युत उत्पादन संबंधी जल कर अधिनियम, 2012	जल उपकर	107.89	2015-16 से 2018-19		उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	45.93	2015-16 से 2018-19		उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	बीओसीडब्ल्यू उपकर	9.24	2010-11	9.24	श्रम अधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी, चंबा, हिमाचल प्रदेश

8. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
9. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखतों को जारी करके राशि जुटाई है। इसमें वर्ष के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि की योजना के लिए भारत सरकार की वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 8.12 प्रतिशत अर्ध वार्षिक 10 वर्षीय अप्रतिभूत गैर-संचयी मोचनीय गैर-परिवर्तनीय कर योग्य “भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड-सिरीज - I के माध्यम से जुटाई गई राशि शामिल है। हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋणों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
10. हमारी लेखा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान पाया अथवा सूचित नहीं किया गया है।
11. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी के एक सरकारी कंपनी होने के चलते प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः आदेश के खंड 3(12) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
13. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जहां लागू हों, और ऐसे संव्यवहारों के विवरण को एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जो लागू लेखांकन मानक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार है।
14. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
15. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने इससे संबंधित निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन

प्रेम सी. बंसल

भागीदार

सदस्यता सं. 083597

स्थान : लुधियाना

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19083597एएएएएल8589

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006791एन

संजय जैन

भागीदार

सदस्यता सं. 084906

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19084906एएएएएफई9695

कृते लोधा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 301051ई

आर.पी.सिंह

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19052438एएएएआर3351

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “ख”

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (“कंपनी”) की 31 मार्च, 2019 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट (“परामर्शी नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर साठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2019 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन

कृते डीएसपी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006791एन

कृते लोधा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 301051ई

प्रेम सी. बंसल

भागीदार

सदस्यता सं. 083597

संजय जैन

भागीदार

सदस्यता सं. 084906

आर.पी.सिंह

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

स्थान : लुधियाना

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19083597एएएएएल8589

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19084906एएएएएफई9695

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

यूडीआईएन : 19052438एएएएआर3351

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
परिसंपत्तियां				
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	22,940.69	19,090.11	20,051.87
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	14,898.11	18,813.96	17,350.13
ग) निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	906.66	923.38	934.14
ड) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) निवेश	3.1	2,361.66	2,209.56	2,100.32
ii) व्यापार प्राप्त्य	3.2	61.51	184.45	-
iii) ऋण	3.3	746.41	701.74	685.82
iv) अन्य	3.4	3,467.16	1,571.42	1,566.99
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	131.95	163.67	73.68
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	2,021.35	1,797.64	1,097.72
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		47,539.99	45,460.42	43,865.16
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) माल-सूची	6	117.14	95.77	91.64
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) प्राप्त्य व्यापार	7	2,623.09	1,097.07	1,492.90
ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	30.72	6.96	59.89
iii) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	359.91	1,465.43	1,473.25
iv) ऋण	10	45.18	47.97	161.24
v) अन्य	11	1,984.26	1,383.36	1,858.25
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	61.22	0.40	55.93
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	355.25	341.01	357.81
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		5,576.77	4,437.97	5,550.91
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	6,492.61	5,669.21	5,630.56
कुल परिसंपत्तियां और विलंबित नियामक लेखा डेबिट शेष		59,609.37	55,567.60	55,046.63
इक्विटी तथा देयताएं				
(1) इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,259.32	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2	19,169.70	18,092.50	16,696.10

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
कुल इक्विटी		29,214.73	28,351.82	26,955.42
(2) देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	16.1	17,044.63	16,728.20	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,058.64	38.47	25.63
ख) प्रावधान	17	26.82	25.47	486.93
ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	3,610.63	3,145.39	3,664.73
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	1,824.98	1,625.00	1,472.47
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		24,565.70	21,562.53	22,895.40
(3) वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	20.1	406.00	279.99	302.50
ii) देय व्यापार	20.2			
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		15.74	5.29	4.28
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		164.44	176.57	160.52
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,846.92	2,768.50	2,531.91
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	1,066.47	669.86	706.65
ग) प्रावधान	22	1,329.37	1,753.04	1,489.95
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-	-
कुल वर्तमान देयताएं		5,828.94	5,653.25	5,195.81
कुल इक्विटी तथा देयताएं		59,609.37	55,567.60	55,046.63
एकल वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-35			

टिप्पणी : ऊपर बताए गए अनुसार 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 को दिए गए आंकड़ें पुनः कथित हैं (टिप्पणी - 35)।

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से महेश कुमार मित्तल निदेशक (वित्त) डीआईएन : 02889021 हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 006791एन	बलराज जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07449990 कृते लोधा एण्ड कंपनी (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(प्रेम सी. बंसल) साझेदार सदस्यता सं. 083597	(संजय जैन) साझेदार सदस्यता सं. 084906	(आर.पी.सिंह) साझेदार सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	8,161.18	6,938.22
ii) अन्य आय	24.2	924.78	1,420.55
कुल आय		9,085.96	8,358.77
व्यय			
i) विद्युत की खरीद - व्यापार	25.1	12.68	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	796.85	716.39
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,704.65	1,535.89
iv) वित्त लागत	27	894.88	922.32
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	1,589.99	1,395.51
vi) अन्य व्यय	29	1,165.53	972.36
कुल व्यय		6,164.58	5,542.47
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		2,921.38	2,816.30
असाधारण मदें		-	-
दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		2,921.38	2,816.30
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		649.78	627.77
ii) विलंबित कर		464.45	(518.17)
कुल कर व्यय		1,114.23	109.60
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		1,807.15	2,706.70
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	823.40	62.33
वर्ष हेतु लाभ (क)		2,630.55	2,769.03
अन्य व्यापक आय (ख)			
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन		1.77	44.78
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर		0.62	14.80
घटाएं - रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन		(0.55)	(13.85)
रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		-	(23.68)
उप जोड़ (क)		1.70	20.15
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		(16.48)	(7.30)
उप जोड़ (ख)		(16.48)	(7.30)
कुल (1) = (क)+(ख)		(14.78)	12.85

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण (जारी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मर्दे जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
- ऋण लिखत पर निवेश		3.09	(9.09)
घटाएं - ऋण लिखत में निवेश पर आय कर		0.72	(2.12)
कुल (2)		2.37	(6.97)
अन्य व्यापक आय (ख) = (1+2)		(12.41)	5.88
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		2,618.14	2,774.91
प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा तनुकृत) (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)	34 (12)		
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व		1.77	2.64
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात		2.57	2.70
एकल वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-35		
टिप्पणी : ऊपर बताए गए अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आंकड़ें पुनः कथित हैं (टिप्पणी - 35)।			

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से		
विजय गुप्ता कंपनी सचिव	महेश कुमार मित्तल निदेशक (वित्त) डीआईएन : 02889021	बलराज जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07449990
हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार		
कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 009487एन	कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 006791एन	कृते लोधा एण्ड कंपनी (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(प्रेम सी. बंसल) साझेदार सदस्यता सं. 083597	(संजय जैन) साझेदार सदस्यता सं. 084906	(आर.पी.सिंह) साझेदार सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	3744.78	2878.63
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	823.40	62.33
कर पूर्व लाभ	2921.38	2816.30
जोड़े :		
मूल्यहास और परिशोधन	1589.99	1395.51
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	894.88	922.32
प्रावधान (निवल हानि)	107.10	69.78
कर समायोजन (हानि)	45.47	58.37
एफईआरई के कारण बिक्री समायोजन	92.34	66.36
	2729.78	2512.34
	5651.16	5328.64
घटाएं :		
पश्च लेखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम	60.72	60.68
प्रावधान (निवल लाभ)	30.77	85.57
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	1.20	6.89
लाभांश आय	282.47	632.12
ब्याज आय	165.61	252.73
विनिमय दर अंतर	3.18	(2.88)
उचित मूल्य समायोजन	(2.84)	(2.95)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	24.20	5.99
	565.31	1038.15
	5085.85	4290.49
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
माल-सूची	(21.44)	(4.22)
प्राप्य व्यापार	(2107.81)	584.32
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(1136.62)	(517.31)
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	2020.75	29.96
	(1245.12)	92.75
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	3840.73	4383.24
घटाएं : कर	678.90	662.22
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	3161.83	3721.02
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल	(1207.67)	(1530.44)
संयुक्त उद्यम में निवेश	(100.00)	(125.36)
लाभांश आय	282.47	632.12
ब्याज आय	144.14	260.49
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(881.06)	(763.19)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(606.20)	0.00
लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर	(1149.03)	(1378.50)
ऋण	2578.00	4354.99
ऋण की चुकौती	(1877.16)	(4855.88)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1215.12)	(1143.87)
प्राप्त सरकारी अनुदान	12.50	12.50
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(2257.01)	(3010.76)
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	23.76	(52.93)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

विवरण	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य (देखें टिप्पणी 8)	6.96	59.89
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य (देखें टिप्पणी 8)	30.72	6.96

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। एकल तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

नकदी तथा नकदी-तुल्य	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	30.72	6.96

नकदी तथा नकदी तुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- ₹ 18.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.22 करोड़) जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित हैं।
- ₹ 0.50 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य रुपये) जो माननीय सिविकम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सृजित एनएचपीसी आकस्मिकता राहत निधि हेतु है।
- वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत ₹ 365.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 371.10 करोड़) की ऋण लागत की राशि शामिल है।
- 31.03.2019 को लिए न गए ऋण की राशि: 819.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 25.00 करोड़ रुपए)
- कंपनी ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में ₹16.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.66 करोड़) की राशि का व्यय किया है।

नकदी और नकदी तुल्य	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान ऋण	30.72	6.96
गैर-वर्तमान ऋण	(406.00)	(280.00)
गैर ऋण	(19234.76)	(18894.59)
गैर ऋण	(19610.04)	(19167.63)

विवरण	(करोड़ रुपये में)			
	अन्य परिसंपत्तियां	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से देयताएं		कुल
	नकदी और नकदी तुल्य	गैर-वर्तमान ऋण	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	6.96	(18894.59)	(280.00)	(19167.63)
नकदी प्रवाह	23.76	(574.83)	(126.01)	(677.08)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(22.69)	-	(22.69)
ब्याज व्यय	-	(1201.37)	(5.83)	(1207.20)
अदा किया गया ब्याज	-	1188.87	5.84	1194.71
उचित मूल्य समायोजन	-	269.85	-	269.85
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	30.72	(19234.76)	(406.00)	(19610.04)

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021
हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

31 मार्च, 2019 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपये में)
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (देखें टिप्पणी 15.1.6)		(214.29)
31 मार्च, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	आरक्षित और अतिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	अतिशेष/प्रतिभूति अर्जन	अन्य व्यापक आय
1 अप्रैल, 2018 को शेष	2,041.42	242.81	2,129.55	10,088.11	3,470.12
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	2,630.55
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	1.70
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	-	2,632.25
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु प्रयुक्त	-	(242.81)	-	(142.90)	-
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद संबंधी व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-	-	(6.20)	-
प्रतिभूति आय को अंतरित	-	-	(244.98)	244.98	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित राशि	214.29	-	-	(214.29)	-
सामान्य आरक्षित से अंतरित राशि	-	-	-	-	-
प्रतिभूति अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-
लाभाना	-	-	-	-	-
लाभाना पर कर	-	-	-	(1,000.46)	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	-	(148.57)	-
31 मार्च, 2019 को कुल	2,255.71	-	2,193.35	9,724.72	76.30
				4,889.54	30.08
					19,169.70

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन

(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते तोधा एण्ड कंपनी
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438



31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपये में)
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय				(करोड़ रुपये में)		
	पूँजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन		ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत
1 अप्रैल, 2017 को शेष	2,041.42	242.81	1,609.27	43.90	10,088.11	2,535.83	100.08	34.68	16,696.10
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	2,769.03	-	-	2,769.03
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	20.15	(7.30)	(6.97)	5.88
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	2,789.18	(7.30)	(6.97)	2,774.91
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित राशि	-	-	(148.17)	-	-	148.17	-	-	-
लाभांश पर कर - पश्चलेखित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि से अंतरित राशि	-	-	-	(43.90)	-	43.90	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश (2016-17)	-	-	-	-	-	(102.60)	-	-	(102.60)
अंतरिम लाभांश (2017-18)	-	-	-	-	-	(1,149.05)	-	-	(1,149.05)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	(126.86)	-	-	(126.86)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	668.45	-	-	(668.45)	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	2,041.42	242.81	2,129.55	-	10,088.11	3,470.12	92.78	27.71	18,092.50

टिप्पणी : ऊपर बताए गए अनुसार 31 अप्रैल, 2017 और 01 मार्च, 2018 को दिए गए आंकड़े पुनः कथित हैं (टिप्पणी - 35)।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

महेश कुमार भित्तल
निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)

साझेदार

सदस्यता सं. 084906

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 009487एन

(प्रेम सी. बंसल)

साझेदार

सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

टिप्पणी संख्या - 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है (CIN:L40101HR1975GOI032564)। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से खरीदे-बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को बल्क विद्युत की बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परामर्श मुहैया करवाना तथा परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण शामिल है।

(II) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को 27 मई, 2019 को निदेशक मण्डल द्वारा जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) नए और संशोधित मानकों को लागू किया जाना

- (i) **इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व** : कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से संचयी कैच-अप पद्धति का उपयोग करते हुए इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" को अपनाया है। तथापि, कोई भौतिक समायोजन आवश्यक नहीं थे।
- (ii) **इंड एस 21 का परिशिष्ट ख - विदेशी मुद्रा लेनदेन और अग्रिम प्रतिफल तथा इंड एस 12 - आयकर** को 1 अप्रैल, 2018 से संशोधित किया गया है। तथापि, कोई भौतिक समायोजन आवश्यक नहीं थे।
- (iii) अन्य मानकों में संशोधन/संशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपये (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को संशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, इंड एस 17 "यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है" में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करती है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्च लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ड) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एस 115 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है। इसके अलावा, जहां लागत अनुमानों में संशोधन के कारण टैरिफ लंबित हैं, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों और विधियों के आधार पर टैरिफ की गणना की जाती है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीईआरसी को आवेदन किए जाने पर राजस्व की अनुमानित राशि को मान्यता दी जाती है जो इस सीमा तक होती है कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में कोई नीचे की ओर समायोजन नहीं होगा।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को इंड एस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमानन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यहास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएपी) और इंड एस 114 "नियामक विलंबित लेखे" किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता इंड एस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई नियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) प्राप्य व्यापार की क्षति

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है। इन लेखांकन नीतियों को एक ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है। इन नीतियों को वहां लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जहां उन्हें लागू करने का प्रभाव भौतिक न हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने इंड एस में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में इंड एस 101 "इंड एस को पहली बार अपनाया जाना" द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

- क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।
- ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।
- ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय जो विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।
- घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यहास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।

- ड) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।
- च) कंपनी का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
- छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।
- ज) मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार तथा कलपुर्जे" माना जाता है।
- झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।
- ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

- क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।
- ख) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू किए जाने से पूर्व की निवल आय/व्यय को सीधे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है।
- ग) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण को आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एस 16-"संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यहास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

- क) अनुसंधान पर व्यय राजस्व को खर्च किए जाने पर राजस्व पर प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य हो और कंपनी की मंशा विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने की हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

- ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक होने वाले सीधे आरोप्य व्यय शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।
- ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वर्धितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।
- ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारक प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्फोट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनियम अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "विलंबित विदेशी मुद्रा उत्तार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।
- घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनियम अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।
- ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनियम दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनियम दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति पर प्रारंभिक मान्यता प्रदान करती है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखे

- क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्च की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात् इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार "विनियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।
- घ) नियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।
- ङ) नियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्भूत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नहीं जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर वहन किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापती है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

- i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और
- ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

- i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और
- ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, कंपनी उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनः वर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

प्राप्य व्यापार :

प्राप्य व्यापार कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

- i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर, वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के मध्य के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है -

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- इंड एस 115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां और प्राप्य व्यापार
- इंड एस 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे

कंपनी इंड एस 17 और इंड एस 115 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु इंड एस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि की मान्यता हेतु कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागत है।

स्क्रेप का मूल्यांकन निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः कंपनी शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन-देन लागतों पर उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि क विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

- क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई विलंबित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।
- ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसमें लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।
- घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/ परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से उत्पन्न होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, इक्विटी में निवेश से लाभांश, बॉण्डों में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्ट्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि शामिल हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

- i) राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो किसी ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के एवज में प्राप्त होने की प्रत्याशा है और इसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण अंतरित करती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त/प्रचालन पट्टे माने गए पावर स्टेशनों को छोड़कर) को सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/विप्रोत्साहन सीईआरसी टैरिफ (नियम और शर्तों) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।
- iii) तुलनात्मक अवधि में, विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा गया था। राजस्व को तब मान्यता दी गई थी जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल खरीददार को हस्तांतरित किए गए थे, प्रतिफल की वसूली संभावित थी, संबंध लागतों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता था, कोई निरंतर प्रबंधन भागीदारी नहीं थी और राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता था।
- iv) ग्राहकों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को डिलीवर की गई लेकिन अभी बिल न दी गई बिक्री हेतु प्रोदभवन शामिल होता है (बिल न किया गया राजस्व)।
- v) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/धनवापसी और आयकर के प्रति वसूली को नियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदत्त विलंबित कर की मदों के लिए वसूली को उक्त को मूल रूप देने पर लेखांकित किया जाता है।
- vi) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- vii) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्य से राजस्व

- i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्य से राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या जिसे सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल प्रत्याशित लागत से संबंधित निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति वहन की गई लागत के आधार पर राजस्व को मान्यता प्रदान करती है।
- ii) तुलनात्मक अवधि में, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्य पर राजस्व को पूर्णता के प्रतिशत पद्धति पर मान्यता दी जाती थी। पूर्णता के प्रतिशत को "संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा और परामर्शी कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत" के प्रति "रिपोर्टिंग तिथि तक व्यय की गई लागत" के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- iii) संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, को तब लेखांकित किया जाता है जब किसी संविदा के दायरे या मूल्य (या दोनों) में कोई बदलाव होता है, जिसे संविदा के पक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाता है और जब संविदा के पक्ष ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी देते हैं जो या तो संविदा के पक्षों के लिए नए प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों को बनाता हो या मौजूदा में संशोधन करता हो। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर है या नहीं। संविदा संशोधनों को तब एकल आधार पर दर्ज किया जाता है जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त होने के कारण संविदा का दायरा बढ़ जाता है या संविदा का मूल्य प्रतिफल एक ऐसी राशि से बढ़ जाता है जो वादा की गई अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को दर्शाता है और उस मूल्य में कोई उचित समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियों में किसी उचित समायोजना को प्रतिबिंबित करता है। जोड़ी गई सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो भिन्न हैं, उन्हें सदर्शी रूप से, अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर किए जाने पर एक अलग संविदा के रूप में लेखांकित किया जाता है या उनका मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर नहीं किए जाने पर विद्यमान संविदा की समाप्ति तथा नई संविदा के सृजन के रूप में किया जाता है।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

- i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी को एक प्रधान की क्षमता में या एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। कंपनी ग्राहक को अंतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त

करने की स्थिति में एक प्रधान की प्रकृति में कार्य करती है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल है कि क्या कंपनी विद्युत मुहैया करवाने के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके पास मूल्य स्थापित करने का विवेक है या यह मालसूची जोखिम को वहन करती है। जहां कंपनी ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करती है और इसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्ष द्वारा विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, यह एक एजेंट की प्रकृति में कार्य करती है।

- ii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए किसी संविदा में प्रधान के रूप में कार्य करती है, संतुष्ट किए जाने वाले निष्पादन दायित्व को आवंटित लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- iii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ग्राहक को प्रदान की गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद बचाए गए निवल प्रतिफल को प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इन लेन-देन से उत्पन्न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ को समायोजित नहीं किया जाता है।

घ) अन्य आय

- i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।
- iii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमति दे क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अंशदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमति देता हो तो। किसी निर्धारित अंशदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। ये सभी योजनाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले भत्ते और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति-चिन्ह के अलावा, विभिन्न न्यासों के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांछित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूल परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यहास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यहास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (i) कंपनी की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पांच वर्ष पूर्व तक पूंजीकृत किया गया मूल्यहास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

(ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, प्लांट और उपकरणों पर मूल्यहास को सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार विस्तारित जीवन-काल की अवधि के लिए संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली तिथि से सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यहास राशि के साथ-साथ उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यहास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

- घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :
- निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी
 - कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण
- ii) प्रबंधन के आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर मुहैया करवाया जाता है।
- ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रुपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्णतः (100%) मूल्यहासित किया जाता है।
- च) 5,000/- रुपये या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक की होने वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/- रुपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।
- छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/- रुपये तक होता है, उन्हें पूँजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।
- ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।
- झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यहास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।
- ट) भूमि के संबंध में उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।
- ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।
- ड) जहां विनियम बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यहास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।
- ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूँजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यहास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।
- ण) उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जहां मूल्यहास को प्रबंधन आकलन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, उसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल पर संदर्शी रूप से समायोजित किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

- क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।
- ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

- घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

- वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (अस्थायी अंतर)।
- लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

- विलंबित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसूची कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।
- विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- समायोजन लेख से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

- क) इंड एस 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामुहिक रूप से इंड एस 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" अथवा "सीओडीएम" है।
- ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य इंड एस-108 "प्रचालन खंडों" के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।
- ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) कंपनी पट्टाधारक के रूप में :

- i) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के पट्टे जहां कंपनी पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा परितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो संव्यवहार मूल्य अर्थात् एकमुश्त भुगतान के समान होता है।
- ii) पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में कंपनी को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया जाता है।

ख) कंपनी पट्टादाता के रूप में :

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत आपूर्ति समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

- i) वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल हैं और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।
- ii) प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यहास किया जाता है।

24.0 पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियां

पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

25.0 प्रति शेयर अर्जन

- (क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

- (ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- (ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

26.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी-तुल्य :

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

- (ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

27.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह -

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ग) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

28.0 विविध

- क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-भौतिक न हो।

- ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यो किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 को 30 मार्च, 2019 को जारी किया है। दोनों नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे।

जारी किए गए मानक लेकिन अभी प्रभावी नहीं :

- क) **इंड एस 116 . 'पट्टे':** इंड एस 116 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 30 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू है। इंड एस 116 मुख्य रूप से पट्टों से लेखांकन को प्रभावित करेगा और

यह तुलन-पत्र में लगभग सभी पट्टों को मान्यता दिए जाने में परिणत होगा। मानक प्रचालन और वित्त पट्टों के बीच मौजूदा अंतर को दूर करता है और लगभग सभी पट्टा संविदाओं के लिए किराये का भुगतान करने के लिए एक परिसंपत्ति (पट्टे पर दी गई वस्तु के उपयोग का अधिकार) और वित्तीय देयता को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए एक वैकल्पिक छूट मौजूद है। लाभ और हानि का विवरण भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि कुल व्यय आम तौर पर पट्टे के पहले के वर्षों में अधिक होता है और बाद के वर्षों में कम होता है। इसके अतिरिक्त, परिचालन व्यय को ब्याज और मूल्यहास के साथ बदल दिया जाएगा, इसलिए ईबीआईटीडीए, जैसे प्रमुख मैट्रिक्स बदल जाएंगे। प्रचालन नकदी प्रवाह अधिक होगा क्योंकि पट्टे की देयताओं के पुनर्भुगतान में और संबंधित ब्याज को वित्तपोषण गतिविधियों के भीतर वर्गीकृत किया जाएगा। पट्टादाता द्वारा लेखांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। पट्टे की परिभाषा पर नए मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप कुछ अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। इंड एस 116 के अंतर्गत, कोई संविदा, पट्टा है, या उसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा प्रतिफल के बदले में समय की किसी अवधि के लिए किसी चिन्हित की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती हो।

कंपनी अपने वित्तीय विवरणों पर इंड एस 116 के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ख) इंड एस 12 का परिशिष्ट - ग 'आयकर': परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है कि कर उपचार पर अनिश्चितता की स्थिति में आस्थगित और वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को किस प्रकार पहचाना और मापा जाए। विशेष रूप से, यह निम्न पर चर्चा करता है :

- लेखे की उपयुक्त इकाई का निर्धारण कैसे करें, और उस प्रत्येक अनिश्चित कर उपचार को अलग-अलग या एक समूह के रूप में साथ माना जाना चाहिए, जो इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी पद्धति अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करती है;
- यह कि निकाय को यह मानना होगा कि कोई कर प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचारों की जांच करेगा और उसे सभी संबंधित सूचनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात् पता लगाने के जोखिम की अनदेखी की जानी चाहिए;
- यह कि इकाई को अपने आयकर लेखांकन में अनिश्चितता के प्रभाव को प्रतिबिंबित करना चाहिए जब यह संभव नहीं है कि कर अधिकारी उपचार को स्वीकार करेंगे;
- यह कि अनिश्चितता के प्रभाव को सबसे अधिक संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मापा जाना चाहिए, जो इस पद्धति के अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करने पर निर्भर करती हो; तथा
- जब भी परिस्थितियां बदली हो या निर्णयों को प्रभावित करने वाली नई जानकारी हो, निर्णयों और आकलन को पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए।

आकलन के अनुसार, इस मार्गदर्शन को लागू किए जाने से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होने की आशा नहीं है।

ग) इंड एस 12 - 'आयकर' में संशोधन : ये संशोधन स्पष्ट करते हैं कि इक्विटी के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखतों पर लाभांश के आयकर परिणामों को पिछले लेन-देन या वितरण योग्य लाभ उत्पन्न करने वाली घटनाओं के अनुसार मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ये आवश्यकताएं लाभांश के सभी आयकर परिणामों पर लागू होती हैं। पहले, यह स्पष्ट नहीं था कि लाभांश के आयकर परिणामों को लाभ या हानि, या इक्विटी में मान्यता दी जानी चाहिए और मौजूदा मार्गदर्शन का दायरा अस्पष्ट था।

इन संशोधनों के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी भी प्रकार के भौतिक प्रभाव होने की आशा नहीं है।

घ) इंड एस 28 'एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश' में संशोधन : संशोधन एक एसोसिएट या संयुक्त उद्यम में दीर्घकालिक हितों के लिए लेखांकन को स्पष्ट करते हैं, जो मूलतः एसोसिएट या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश का हिस्सा बनते हो, लेकिन जिस पर इक्विटी लेखांकन लागू नहीं होता हो। निकायों को इंड एस 28 में हानि के आवंटन और क्षति आवश्यकताओं को लागू करने से पहले इंड एस 109 के अंतर्गत इस तरह के हितों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

चूंकि कंपनी के संयुक्त उद्यमों में इस तरह के दीर्घकालिक हित नहीं हैं, अतः संशोधनों का इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ङ) इंड एस 19 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन : इंड एस 19 में संशोधन निर्धारित लाभ योजना संशोधनों, कटौती और निपटान के लिए लेखांकन को स्पष्ट करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि निकायों को :

- किसी योजना के संशोधन, कटौती या निपटान के बाद शेष रिपोर्टिंग अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज की गणना परिवर्तन की तारीख पर अद्यतन मान्यताओं का उपयोग करके करना;
- अधिशेष में किसी भी कमी को पिछली सेवा लागत, निपटान पर लाभ या हानि के रूप में लाभ या हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिशेष में कमी को लाभ या हानि में मान्यता दी जानी चाहिए, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता न दी गई हो; तथा
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिसंपत्ति सीमा में किसी भी परिवर्तन की अलग से पहचान करना।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद किसी भी भविष्य की योजना में संशोधन, कटौती या निपटान पर लागू होंगे।

- च) **इंड एस 111, 'संयुक्त व्यवस्था' में संशोधन** : संशोधन स्पष्ट करते हैं कि संयुक्त प्रचालन होने वाले किसी व्यवसाय का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करने वाले पक्ष को संयुक्त प्रचालन में अपने पहले से धारित हित को फिर से नहीं मापना चाहिए।
- ये संशोधन कंपनी के भविष्य के लेनदेन पर लागू होंगे जहां यह 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद किसी व्यवसाय का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करती है।
- छ) **इंड एस 23, 'ऋण लागते' में संशोधन** : संशोधन स्पष्ट करता है कि संबंधित अर्हक परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के बाद यदि कोई विशिष्ट ऋण बकाया रहता है, तो यह सामान्य ऋण का हिस्सा बन जाता है। कंपनी की मौजूदा प्रथा इन संशोधनों के अनुरूप है और तदनुसार इन संशोधनों से इसके वित्तीय विवरणों पर किसी भी तरह के भौतिक प्रभाव होने की आशा नहीं है।
- ज) **इंड एस 103, 'व्यापार संयोजन' में संशोधन** : संशोधन स्पष्ट करते हैं कि एक संयुक्त प्रचालन होने वाले व्यवसाय का नियंत्रण प्राप्त करना है, चरणों में प्राप्त किया गया एक व्यापार संयोजन है। अधिग्रहण की तारीख में उचित मूल्य पर संयुक्त प्रचालन में अधिग्रहणकर्ता को अपने पहले से धारित हित को पुनः मापना चाहिए।
- ये संशोधन कंपनी के भविष्य के व्यापार संयोजनों पर लागू होंगे जिनकी अधिग्रहण की तिथि 1 अप्रैल, 2019 या उसके पश्चात की है।
- झ) **ऋणात्मक क्षतिपूर्ति के साथ पूर्वभुगतान सुविधाएँ - इंड एस 109, 'वित्तीय लिखत' में संशोधन** : इंड एस 109 में किए गए संकीर्ण दायरे के संशोधन निकायों को परिशोधित लागत पर नकारात्मक क्षतिपूर्ति के साथ कुछ पूर्व भुगतान योग्य वित्तीय परिसंपत्तियों को साथ मापने में सक्षम बनाते हैं। इन परिसंपत्तियों, जिनमें कुछ ऋण और ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं, को अन्यथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाना होता। परिशोधित लागत मापन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, नकारात्मक क्षतिपूर्ति 'संविदा को पहले समाप्त करने हेतु तर्कसंगत मुआवजा होना चाहिए' और परिसंपत्ति को एक 'एकत्रीकरण हेतु धारित' व्यापार मॉडल के भीतर धारित किया जाना चाहिए।
- इन संशोधनों से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा नहीं है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक		
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि-क्रीहोल्ड	313.69	12.16	0.01	6.15	331.99	-	-	331.99	313.69
भूमि-लोनहोल्ड	327.41	0.02	-	(24.85)	302.58	35.28	11.65	280.51	282.13
सड़कें और पुल	215.47	6.67	0.15	0.22	222.21	27.79	10.18	181.18	187.68
भवन	2,019.62	331.94	0.74	0.88	2,351.70	259.33	94.26	1,997.44	1,760.29
भवन - पट्टे पर होने वाले	-	17.01	-	-	17.01	-	0.36	16.65	-
रेलवे साइट्स	16.57	-	-	(0.00)	16.57	7.42	5.68	3.47	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,690.92	4,025.18	3.44	1.55	16,714.21	2,448.42	952.73	13,313.69	10,242.50
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,213.75	1,017.32	9.24	(1.04)	8,220.79	1,267.40	481.48	6,473.88	5,946.35
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.49	2.04	0.01	(0.22)	51.30	9.22	2.43	39.86	40.27
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	68.93	1.61	-	0.17	70.71	12.69	4.59	53.26	56.24
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	32.83	3.39	0.10	(0.11)	36.01	8.16	2.05	25.90	24.67
निर्माण उपकरण	50.76	2.15	0.19	(0.19)	52.53	16.16	3.94	32.63	34.60
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सौर प्रणाली	47.09	5.29	0.06	0.12	52.44	6.15	2.18	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.33	0.42	0.04	0.07	4.78	0.54	0.31	3.87	3.79
वाहन	22.21	0.48	0.26	(0.04)	22.39	5.16	1.82	15.51	17.05
विमान / नौकाएं	0.89	1.04	0.01	0.00	1.92	0.18	0.14	1.60	0.71
फर्नीचर और फिक्सचर	33.10	2.77	0.16	0.22	35.93	6.92	2.42	26.40	26.18
कम्प्यूटर	33.81	5.83	0.45	(0.12)	39.07	18.08	6.43	14.92	15.73
संचार उपकरण	10.75	1.14	0.31	0.20	11.78	2.21	0.81	8.68	8.54
कार्यालय उपकरण	34.34	4.05	0.43	0.28	38.24	7.73	3.04	27.32	26.61
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	(0.00)	0.72	0.24	0.08	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	52.39	9.19	0.23	0.10	61.45	9.89	4.01	47.51	42.50
गोण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां ₹ 750 और ₹ 5000	3.20	1.17	0.04	0.26	4.59	3.19	1.14	0.02	0.01
कुल	23,242.27	5,450.87	15.87	(16.35)	28,660.92	4,152.16	1,591.73	22,940.69	19,090.11
गत वर्ष	22,796.98	456.74	12.38	0.93	23,242.27	2,745.11	1,404.39	4,152.16	19,090.11

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में मुहैया कराए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियाँ हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण	सकल धाक				मूल्यहास		निवल धाक		
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	वर्ष के लिए	31.03.2019 को	31.03.2018 को	(करोड़ रुपये में)
भूमि-फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	313.69	12.16	0.01	6.15	331.99	-	331.99	313.69	
भूमि-लीजहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.3)	370.76	0.02	-	(54.78)	316.00	11.65	280.51	282.13	
सड़कें और पुल	312.60	6.67	0.26	(3.18)	315.83	10.18	181.18	187.68	
मकान	2,760.23	331.94	2.49	(11.41)	3,078.27	94.26	1,997.44	1,760.29	
भवन (देखें टिप्पणी 34 (16ख))	-	17.01	-	-	17.01	0.36	16.65	-	
रेलवे साइडिंग्स	36.12	-	0.02	-	36.10	5.68	32.63	3.47	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,501.11	4,025.18	8.00	1.84	22,520.13	952.73	13,313.69	10,242.50	
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,194.08	1,017.32	9.47	0.52	11,202.45	481.48	6,473.88	5,946.35	
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	101.19	2.04	0.10	(0.20)	102.93	2.43	39.86	40.27	
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	96.33	1.61	-	(0.03)	97.91	4.59	53.26	56.24	
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	49.79	3.39	0.43	(0.44)	52.31	2.05	25.90	24.67	
निर्माण उपकरण	112.62	2.15	1.67	(1.15)	111.95	3.94	32.63	34.60	
जलपूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	57.05	5.29	0.08	(0.02)	62.24	2.18	44.00	40.94	
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.64	0.42	0.07	-	5.99	0.31	3.87	3.79	
वाहन	34.35	0.48	1.06	(0.69)	33.08	1.82	15.51	17.05	
विमान / नौकाएं	1.15	1.05	0.02	-	2.18	0.14	1.60	0.71	
फर्नीचर और फिक्सचर	58.50	2.77	0.31	(0.50)	60.46	2.42	26.40	26.18	
कम्प्यूटर	67.65	5.81	3.11	(0.90)	69.45	6.43	14.92	15.73	
संचार उपकरण	17.08	1.16	0.65	(0.02)	17.57	0.81	8.68	8.54	
कार्यालय उपकरण	54.59	4.05	1.08	(0.20)	57.36	3.04	27.32	26.61	
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.08	0.40	0.48	
अन्य परिसंपत्तियां	76.54	9.19	0.86	(0.64)	84.23	4.01	47.51	42.50	
गैर मूल्य की अवल परिसंपत्तियां ₹ 750 और ₹ 5000	18.56	1.17	0.54	(0.45)	18.74	1.14	0.02	0.01	
कुल	33,240.98	5,450.88	30.23	(66.10)	38,595.53	1,591.73	22,940.69	19,090.11	
गत वर्ष	32,811.42	4,564.74	28.11	0.93	33,240.98	1,404.39	14,150.87	19,090.11	

टिप्पणी :-

- 2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 6.51 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 0.0004 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/परित किए जाने हैं।
- ख) अन्य यूनितों के संबंध में, 109.75 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 125.03 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 6.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.52 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 519.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 870.87 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 251.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 306.08 करोड़) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/परित किए जाने हैं।
- ग) "पट्टे के अधीन भवन" ₹17.01 करोड़ की राशि वाले किदवई नगर, नई दिल्ली में वर्ष के दौरान पट्टे पर लिए गए 5001 वर्ग फुट के भवन स्थान को दर्शाता है। उक्त के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
- 2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचपीसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा ₹100 प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हेक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचपीसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।
- 2.1.3 भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए ₹ 1 प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।
- 2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित ₹10508.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6302.08 करोड़) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 2.1.5 सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल हैं।
- 2.1.6 सेवा-III, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी, पार्वती-III, उड़ी, तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/पिरवी रखी गई नैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।
- 2.1.8 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4), 34(18) और 34(32) देखें।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास			(करोड़ रुपये में)			
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	308.04	6.01	0.32	(0.04)	313.69	-	-	-	313.69	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	327.16	0.25	-	-	327.41	23.37	11.91	-	35.28	303.79
सड़कें और पुल	213.29	4.90	0.25	(2.47)	215.47	17.39	10.75	(0.35)	27.79	185.90
भवन	1,989.00	29.53	0.13	1.22	2,019.62	170.82	87.92	0.59	259.33	1,818.18
भवन - पट्टे के अधीन होने वाले					-	-	-	-	-	-
रेलवे साइट्स	16.57	-	-	-	16.57	4.93	2.49	-	7.42	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकैनिकल गेट, सुरंग)	12,671.56	18.12	1.23	2.47	12,690.92	1,631.00	817.08	0.34	2,448.42	11,040.56
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,882.88	359.51	7.89	(0.75)	7,213.75	829.07	435.86	2.47	1,267.40	5,946.35
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.18	0.32	0.01	-	49.49	6.10	3.11	0.01	9.22	43.08
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	65.22	3.74	0.03	-	68.93	7.71	4.99	(0.01)	12.69	57.51
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	32.20	0.63	-	-	32.83	5.51	2.65	-	8.16	26.69
निर्माण उपकरण	48.23	2.56	0.23	0.20	50.76	10.46	5.70	-	16.16	37.77
जलापूर्ति प्रणाली नालियां और सीवर प्रणाली	42.49	4.61	0.01	-	47.09	4.11	2.04	-	6.15	38.38
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.23	2.12	0.02	-	4.33	0.30	0.26	(0.02)	0.54	1.93
वाहन	21.13	1.57	0.42	(0.07)	22.21	3.15	2.16	(0.15)	5.16	17.98
विमान / नौकाएं	0.78	0.11	-	-	0.89	0.11	0.07	-	0.18	0.67
फर्नीचर और फिक्सचर	30.74	2.59	0.20	(0.03)	33.10	4.42	2.55	(0.05)	6.92	26.32
कम्प्यूटर	27.42	6.42	0.55	0.52	33.81	11.50	6.35	0.23	18.08	15.92
संसार उपकरण	10.16	1.12	0.35	(0.18)	10.75	1.55	0.89	(0.23)	2.21	8.61
कार्यालय उपकरण	31.97	2.82	0.45	-	34.34	5.00	2.87	(0.14)	7.73	26.97
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	0.16	0.08	-	0.24	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	43.68	8.91	0.24	0.04	52.39	6.14	3.77	(0.02)	9.89	37.54
गैण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां ₹ 750 और ₹ 5000	2.33	0.90	0.05	0.02	3.20	2.31	0.89	(0.01)	3.19	0.02
कुल	22,796.98	456.74	12.38	0.93	23,242.27	2,745.11	1,404.39	2.66	4,152.16	19,090.11
गत वर्ष	21,848.22	947.81	11.57	12.52	22,796.98	1,365.75	1,400.48	(21.12)	2,745.11	20,051.87

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियाँ हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण	सकल ब्याक				मूल्यहास				(करोड़ रुपये में)	
	01.04.2017 को	संदर्भ	कमी	समावोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समावोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	308.04	6.01	0.32	(0.04)	313.69	-	-	-	313.69	308.04
भूमि-लीजहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.3)	370.51	0.25	-	-	370.76	66.72	11.91	-	78.63	303.79
सड़कें और पुल	310.48	4.90	0.31	(2.47)	312.60	114.58	10.75	(0.41)	124.92	185.90
भवन	2,732.03	29.53	2.55	1.22	2,760.23	913.85	87.92	(1.83)	999.94	1,818.16
भवन-पट्टे के अधीन (देखें टिप्पणी 34 (16ख))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेलवे साइट्स	36.12	-	-	-	36.12	24.48	2.49	-	26.97	11.64
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकैनिक्ल गेट, सुरंग)	18,481.80	18.12	1.28	2.47	18,501.11	7,441.24	817.08	0.29	8,258.61	11,040.56
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,848.86	359.51	13.54	(0.75)	10,194.08	3,815.05	435.86	(3.18)	4,247.73	6,033.81
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	100.88	0.32	0.01	-	101.19	57.80	3.11	0.01	60.92	43.08
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	92.62	3.74	0.03	-	96.33	35.11	4.99	(0.01)	40.09	57.51
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	49.19	0.63	0.03	-	49.79	22.50	2.65	(0.03)	25.12	26.69
निर्माण उपकरण	110.39	2.56	0.53	0.20	112.62	72.62	5.70	(0.30)	78.02	37.77
जलपूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	52.46	4.61	0.02	-	57.05	14.08	2.04	(0.01)	16.11	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.55	2.12	0.03	-	5.64	1.62	0.26	(0.03)	1.85	1.93
वाहन	34.47	1.57	1.62	(0.07)	34.35	16.49	2.16	(1.35)	17.30	17.98
स्मिथान / नौकाएं	1.04	0.11	-	-	1.15	0.37	0.07	-	0.44	0.67
फर्नीचर और फिक्सचर	56.32	2.59	0.38	(0.03)	58.50	30.00	2.55	(0.23)	32.32	26.32
कम्प्यूटर	65.73	6.42	5.02	0.52	67.65	49.81	6.35	(4.24)	51.92	15.92
संचार उपकरण	16.90	1.12	0.76	(0.18)	17.08	8.29	0.89	(0.64)	8.54	8.61
कार्यालय उपकरण	52.63	2.82	0.86	-	54.59	25.66	2.87	(0.55)	27.98	26.97
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.79	0.08	-	0.87	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	68.05	8.91	0.46	0.04	76.54	30.51	3.77	(0.24)	34.04	37.54
गैण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां ₹ 750 और ₹ 5000	18.00	0.90	0.36	0.02	18.56	17.98	0.89	(0.32)	18.55	0.02
कुल	32,811.42	456.74	28.11	0.93	33,240.98	12,759.55	1,404.39	(13.07)	14,150.87	20,051.87
गत वर्ष	31,878.56	947.81	27.47	12.52	32,811.42	11,396.09	1,400.48	(37.02)	12,759.55	20,051.87

विवरणात्मक टिप्पणी :-

2.1.1 क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 6.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.51 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ख) अन्य यूनितों के संबंध में, 125.03 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 153.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 0.52 करोड़ (पिछले वर्ष 9.95 करोड़) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 870.87 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 627.25 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की ₹ 306.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 310.04 करोड़) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अग्री निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हेक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

2.1.3 भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित ₹ 6302.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6299.38 करोड़) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.1.5 सकल ब्याक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।

2.1.6 सेवा- II, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, उड़ी, पार्वती- III और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.8 परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2018 के अनुसार (₹ करोड़ में)	31.03.2017 के अनुसार (₹ करोड़ में)
सड़के और पुल	-	(0.16)
भवन	-	(1.50)
जल वैज्ञानिक कार्य	-	(11.12)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(2.79)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	-	(0.02)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.01)
कुल	-	(15.60)

2.1.9 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4) देखें।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2018के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2019 के अनुसार
सड़कें और पुल	98.56	4.23	-	9.80	92.99
भवन	1,153.58	48.61	(32.05)	264.03	906.11
भवन - पट्टे के अधीन होने वाले	-	17.01	-	17.01	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,096.80	487.45	-	3,063.87	4,520.38
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,184.09	139.26	(0.02)	738.84	2,584.49
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	14.79	0.10	(10.07)	1.84	2.98
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	1.76	0.60	-	1.08	1.28
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.49	-	(0.49)	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.61	3.43	(0.11)	5.00	1.93
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	9.33	29.76	(0.02)	26.70	12.37
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	287.26	6.77	-	136.38	157.65
निर्माण के दौरान खर्च	7,422.21	841.78	-	1,085.41	7,178.58
(देखें टिप्पणी 32)					
उप जोड़	19,272.48	1,579.00	(42.76)	5,349.96	15,458.76
घटाएं : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान	605.53	60.52	-	-	666.05
(देखें टिप्पणी 2.2.2)					
उप जोड़ (क)	18,666.95	1,518.48	(42.76)	5,349.96	14,792.71
निर्माण भंडार	148.25	-	(40.44)	-	107.81
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.24	-	1.17	-	2.41
उप जोड़ (ख)	147.01	-	(41.61)	-	105.40
कुल (क + ख)	18,813.96	1,518.48	(84.37)	5,349.96	14,898.11
गत वर्ष	17,350.13	1,841.98	33.35	411.50	18,813.96

टिप्पणी :-

- 2.2.1 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 365.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 371.10 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (टिप्पणी-32 भी देखें)
- 2.2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1419.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1287.92 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लंबित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1376.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1244.40 करोड़ रुपये) के शेष में से 622.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 562.01 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 753.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 682.39 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है। (टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)
- 2.2.3 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- 2.2.4 भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 2172.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5177.50 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।
- 2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रणीत किया जाता है।
- 2.2.7 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6638.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6317.39 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है, जहाँ निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास लंबित है। (टिप्पणी 34(22क) देखें)
- 2.2.8 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4) और 34(18) देखें।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	01.04.2017 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2018 के अनुसार
सड़कें और पुल	92.92	10.57	-	4.93	98.56
भवन	1,099.17	80.39	(0.01)	25.97	1,153.58
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,547.93	565.49	(0.01)	16.61	7,096.80
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,062.75	439.60	(0.01)	318.25	3,184.09
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	11.81	-	2.98	-	14.79
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	3.30	1.75	(2.98)	0.31	1.76
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0.74	1.03	(0.63)	0.65	0.49
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.86	4.38	(0.84)	3.79	3.61
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	1.84	48.04	(1.58)	38.97	9.33
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	279.93	6.71	0.62	-	287.26
निर्माण के दौरान खर्च	6,713.94	710.29	-	2.02	7,422.21
(देखें टिप्पणी 32)					
उप जोड़	17,818.19	1,868.25	(2.46)	411.50	19,272.48
घटाएं : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान	579.26	26.27	-	-	605.53
(देखें टिप्पणी 2.2.2)					
उप जोड़ (क)	17,238.93	1,841.98	(2.46)	411.50	18,666.95
निर्माण भंडार	112.48	-	35.77	-	148.25
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.28	-	(0.04)	-	1.24
उप जोड़ (ख)	111.20	-	35.81	-	147.01
कुल (क + ख)	17,350.13	1,841.98	33.35	411.50	18,813.96
गत वर्ष	16578.71	1726.35	(60.94)	893.99	17350.13

टिप्पणी :-

- 2.2.1 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 371.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 377.54 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (टिप्पणी 32 भी देखें)
- 2.2.2 सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1287.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1178.32 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1244.40 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1134.80 करोड़ रुपये) के शेष में से 562.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 535.74 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 682.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 599.06 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है। (टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)
- 2.2.3 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- 2.2.4 अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 5177.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4923.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहना/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(9) देखें।
- 2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।
- 2.2.7 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6317.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5921.36 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है, जहाँ निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास लंबित है। (टिप्पणी 34(22क) देखें)
- 2.2.8 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(4) देखें।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास / परिशोधन		निवल ब्लाक
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	वर्ष के लिए 01.04.2018 को	31.03.2019 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	-	4.49
कुल	4.49	-	-	-	-	4.49
गत वर्ष	4.49	-	-	-	-	4.49

2.3.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
	53.58	53.58

2.3.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्राक्धान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर-2 का माना जाता है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास / परिशोधन		निवल ब्लाक	
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन 31.03.2018 को	वर्ष के लिए 01.04.2017 को	समायोजन 31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	4.49	-	-	4.49
कुल	4.49	-	-	4.49	-	-	4.49
गत वर्ष	4.49	-	-	4.49	-	-	4.49

2.3.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

		(करोड़ रुपये में)	
		31.03.2018 को	31.03.2016 को
किराया आय		शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय		शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय		शून्य	शून्य
		(करोड़ रुपये में)	
		31.03.2018 को	31.03.2016 को
		53.58	53.58

2.3.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.3.3 निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक				परिशोधन				निवल ब्लाक		
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को		
भूमि - उपयोग का अधिकार	938.64	-	-	(5.45)	933.19	16.67	9.99	0.88	27.54	905.65	921.97
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	9.47	0.85	-	0.01	10.33	8.06	1.25	0.01	9.32	1.01	1.41
कुल	948.11	0.85	-	(5.44)	943.52	24.73	11.24	0.89	36.86	906.66	923.38
गत वर्ष	950.20	1.41	-	(3.50)	948.11	16.06	8.66	0.01	24.73	923.38	

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएसपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध - I में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			परिशोधन			निवल ब्लाक				
	01.04.2018 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को		
भूमि - उपयोग का अधिकार	968.47	-	-	(6.33)	962.14	46.50	9.99	-	56.49	905.65	921.97
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	47.65	0.85	0.33	(0.07)	48.10	46.24	1.25	(0.40)	47.09	1.01	1.41
कुल	1,016.12	0.85	0.33	(6.40)	1,010.24	92.74	11.24	(0.40)	103.58	906.66	923.38
गत वर्ष	1,018.23	1.41	0.02	(3.50)	1,016.12	84.09	8.66	(0.01)	92.74	923.38	

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन		निवल ब्लाक						
	01.04.2017 को संवर्द्धन	कमी	समायोजन 31.03.2018 को	वर्ष के लिए समायोजन 31.03.2018 को	01.04.2017 को	01.04.2018 को					
भूमि - उपयोग का अधिकार	942.14	-	(3.50)	938.64	10.48	6.19	16.67	921.97	931.66		
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	8.06	1.41	-	9.47	5.58	2.47	0.01	8.06	1.41	2.48	
कुल	950.20	1.41	0.00	(3.50)	948.11	16.06	8.66	0.01	24.73	923.38	934.14
गत वर्ष	823.88	126.39	0.04	(0.03)	950.20	6.94	9.15	(0.03)	16.06	934.14	

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएसपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध- I में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन		निवल ब्लाक						
	01.04.2017 को संवर्द्धन	कमी	समायोजन 31.03.2018 को	01.04.2017 को वर्ष के लिए	समायोजन 31.03.2018 को	01.04.2017 को					
भूमि - उपयोग का अधिकार	971.97	-	(3.50)	968.47	40.31	6.19	-	46.50	921.97	931.66	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	46.26	1.41	0.02	47.65	43.78	2.47	(0.01)	46.24	1.41	2.48	
कुल	1,018.23	1.41	0.02	(3.50)	1,016.12	84.09	8.66	(0.01)	92.74	923.38	934.14
गत वर्ष	891.99	126.39	0.12	(0.03)	1,018.23	75.05	9.15	(0.11)	84.09	934.14	

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयर / बॉण्ड / प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिट में)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर / बॉण्ड / प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निगमित निकाय				
इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	360800	0.52	360800	0.62
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	88.14	12000000	104.52
कुल (क)		88.66		105.14
ख. अनुद्धृत इक्विटी लिखत - लागत पर				
(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)				
एनएचपीसी लिमिटेड (₹ 1000/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	87092309	87.09	87092309	87.09
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	3999999	4.00	3999999	4.00
(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)				
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (देखें टिप्पणी 34.8) (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	747550000	747.55	582360000	582.36
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	30400000	30.40	30400000	30.40
कुल (ख)		1,871.46		1,706.27
ग. उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (देखें टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	157.11	150000	154.21
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	12.90	12380	12.64
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	59.77	57000	59.17
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	18.76	17940	18.62
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	36.89	35000	36.66
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (₹ 10000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	35.99	34000	35.75
उप जोड़ (क)		321.42		317.05

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयर / बॉण्ड / प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटमें)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर / बॉण्ड / प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (₹ 10,00,000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.89	120	13.89
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (₹ 1000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.83	100000	11.31
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 21.11.2028 (₹ 10,00,000/- प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	54.40	473	55.90
उप-जोड़ (ख)		80.12		81.10
कुल (ग) (क + ख)		401.54		398.15
कुल (क+ख+ग)		2,361.66		2,209.56
3.1.1 (i) उद्धृत निवेश की समग्र राशि और बाजार मूल्य		490.20		503.29
(ii) अनुद्धृत निवेश की समग्र राशि		1,871.46		1,706.27
3.1.2 165.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 150 करोड़ रुपये) लागत पर सरकारी प्रतिभूति में निवेश को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परिपक्व हो रहे ऋण-पत्र के कुल चुकौती मूल्य का 15 प्रतिशत होने के चलते 165.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 146.98 करोड़ रुपये) के प्रति प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।				
3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथा अपेक्षित निवेश के ब्यौरे को उपर्युक्त टिप्पणी सं. 3.1 के अंतर्गत प्रकट किया गया है।				
3.1.4 ऋण लिखतों के संबंध में उद्धृत निवेश जिसके लिए दर-सूची उपलब्ध नहीं है, उसके बाजार मूल्य को फिक्स्ड इन्कम मनी मार्किट एण्ड डिराइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर लिया गया है।				

टिप्पणी सं. 3.2 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	61.51	184.45
जोड़	61.51	184.45

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
परिशोधित लागत पर		
क. जमा		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	21.49	18.05
उप जोड़	21.49	18.05
ख. कर्मचारियों को ऋण (देखें टिप्पणी 3.3.1)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	102.53	112.98
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	2.39	1.90
उप जोड़	104.92	114.88
ग. अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण, ब्याज सहित (देखें टिप्पणी 3.3.2 और 3.3.4)		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	620.00	568.81
उप जोड़	620.00	568.81
कुल	746.41	701.74
3.3.1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	शून्य	0.01
3.3.2 आंध्र प्रदेश सरकार को ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :		
- मूलधन	225.00	225.00
- ब्याज	395.00	343.81
3.3.3 ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करती है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।		
3.3.4 व्यापार प्रयोजन हेतु दिए गए ऋणों को दर्शाता है।		
3.3.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.4 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.35	0.35
ख. प्राप्य पट्टा किराया (देखें टिप्पणी 34(16)(ग))	1,449.61	1,505.83
ग. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण प्राप्य राशि (देखें टिप्पणी 3.4.1 और 11(1) भी देखें)	2,017.20	-
घ. निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज		
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	-	0.05
ड. आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) - संयुक्त उद्यम	-	65.19
कुल	3,467.16	1,571.42

3.4.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के प्रति देय राशि के संबंध में टिप्पणी 16.2.1 देखें।

3.4.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 4 : अन्य गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अग्रिम आय कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर	1,463.81	843.97
घटाएं : वर्तमान कर हेतु प्रावधान	1,331.86	680.30
कुल	131.95	163.67

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. पूंजीगत अग्रिम		
- अच्छे समझे गए - प्रतिभूत	1.22	12.20
- अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के बदले	255.49	280.73
- अन्य (देखें टिप्पणी 5.1)	243.97	352.74
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित होने पर बुक किए गए व्यय	42.68	2.17
- संदिग्ध समझे गए - अप्रतिभूत	4.49	4.49
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 5.2)	4.49	4.49
उप जोड़	458.00	643.50
ख. पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम		
i) जमा राशियां		
- अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत	0.53	15.51
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	-	15.29
- संदिग्ध समझे गए - अप्रतिभूत	0.04	0.04
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 5.3)	0.04	0.04
उप जोड़	0.53	0.22
ii) अन्य अग्रिम		
- अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत	0.73	0.49
उप जोड़	0.73	0.49
ग. अन्य		
i) पूंजीगत कार्यों के प्रति माध्यस्थ पंचाट के प्रति अग्रिम		
संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	617.39	536.06
संविदाकारों को जारी - अन्य	34.61	-
न्यायालय के पास जाम	334.24	-
उप जोड़	986.24	536.06
ii) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/ व्यय		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	398.56	432.68
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	130.91	133.02
उप जोड़	529.47	565.70

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
iii) कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत		
प्रतिभूत - अच्छे माने गए	46.16	45.74
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	0.22	5.93
उप जोड़	46.38	51.67
कुल	2,021.35	1,797.64
5.1 पूंजीगत अग्रिम - अन्य में चमेरा - ।।। पावर स्टेशन से पानी के रिसाव / लीक होने के कारण क्षतिग्रस्त मकानों/ दुकानों हेतु ग्रामवासियों को प्रतिपूर्ति के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जमा ₹ 41.34 करोड़ की राशि शामिल है।		
5.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	4.49	4.49
अंतिम शेष	4.49	4.49
5.3 संदिग्ध जमाओं हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
अंतिम शेष	0.04	0.04
5.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	120.44	98.97
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.00	2.52
खुले औजार	2.43	2.06
रद्दी मालसूची	0.35	1.17
संविदाकारों/फैब्रीकेटरों को जारी सामग्री	0.02	-
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 6.1)	8.10	8.95
कुल	117.14	95.77
6.1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	8.95	9.98
वर्ष के दौरान वर्धन (देखें टिप्पणी 6.1.1)	0.82	0.28
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.35	1.10
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.32	0.21
अंतिम शेष	8.10	8.95
6.1.1 वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल-सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.82	0.28

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
- प्राप्य व्यापार - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	2,623.09	1,097.07
- प्राप्य व्यापार - क्षतिग्रस्त ऋण	37.71	37.71
घटाए - प्राप्य व्यापार हेतु क्षति भत्ता (देखें टिप्पणी 7.1)	37.71	37.71
कुल	2,623.09	1,097.07
7.1 व्यापार प्राप्यों हेतु अनुमेय क्षति		
प्रारंभिक शेष	37.71	54.40
वर्ष के दौरान वर्धन	-	1.93
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	18.35
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.27
अंतिम शेष	37.71	37.71
7.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3 अनुषंगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों तथा कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपर्युक्त बिन्दु 7.2 पर देय कोई ऋण	शून्य	शून्य
7.4 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।		
7.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रुपये में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. बैंकों के साथ शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खाते में (देखें टिप्पणी 8.2)	30.70	6.93
ख. हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0.01	-
ग. हस्तगत नकदी (देखें टिप्पणी 8.1)	0.01	0.03
कुल	30.72	6.96
8.1 इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01
8.2 ऐसे शेष शामिल हैं जो कंपनी के लिए व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं		
(i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्य हेतु धारित	18.18	0.22
(ii) माननीय सिविकम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सृजित एनएचपीसी आकस्मिकता राहत निधि	0.50	-

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. 3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा (देखें टिप्पणी 9.1)	253.82	1,360.49
ख. जमा - अदा न किया गया लाभांश	19.17	18.16
ग. जमा - अदा न किया गया ब्याज	86.92	86.78
कुल	359.91	1,465.43
9.1 जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित और कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध न होने वाले शेष शामिल हैं।	253.82	250.49

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
जमा		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.62	1.17
उप जोड़	0.62	1.17
संबंधित पक्ष को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित) - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत - नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (देखें टिप्पणी 34(8))	6.00	6.00
उप जोड़	6.00	6.00
कर्मचारी ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित) (देखें टिप्पणी 10.2)		
- प्राप्य ऋण - अच्छे माने गए - प्रतिभूत	15.79	17.07
- प्राप्य ऋण - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	22.77	23.73
- प्राप्य ऋण जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	0.01	0.03
घटाएं - ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋणों हेतु क्षति भत्ता (देखें टिप्पणी 10.1)	0.01	0.03
उप जोड़	38.56	40.80
कुल	45.18	47.97
10.1 ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋणों हेतु क्षति भत्ता		
प्रारंभिक शेष	0.03	0.03
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.02	-
अंतिम शेष	0.01	0.03
10.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	0.05	0.03
10.3 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	शून्य	शून्य
10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के ब्यौरे को उपर्युक्त टिप्पणी 10 के अंतर्गत प्रकट किया गया है।		
10.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य

		(करोड़ रुपये में)	
विवरण		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अन्य			
क) प्राप्य दावे		519.45	590.67
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 11.1)		203.37	210.18
	उप जोड़	316.08	380.49
ख) बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय		2.62	35.06
ग) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य (देखें टिप्पणी 11.2)		1,501.73	797.01
घ) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य (देखें टिप्पणी 11.3)		98.28	111.24
ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज		1.87	3.32
च) प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (देखें टिप्पणी 34(16)(ग))		56.67	34.80
छ) वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज		-	18.92
ज) निवेश (बॉण्ड) पर प्रोदभूत ब्याज		2.52	2.52
झ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों पर प्रोदभूत ब्याज (देखें टिप्पणी 3.4(ग))		4.49	-
	कुल	1,984.26	1,383.36
11.1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान			
प्रारंभिक शेष		210.18	209.03
वर्ष के दौरान वर्धन		4.84	3.36
समायोजन		(1.75)	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		0.05	0.01
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		9.85	2.20
अंतिम शेष		203.37	210.18
11.2 निम्नलिखित के कारण प्राप्य को दर्शाते हैं :			
इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना		53.15	37.23
जल उपकर		264.34	160.92
मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री		455.15	389.50
संशोधन / अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार - चमेरा - ।।। पावर स्टेशन		2.83	2.83
संशोधन / अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार - सेवा - ।। पावर स्टेशन		214.04	-
संशोधन / अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार - पार्वती - ।।। पावर स्टेशन		16.11	-
ऊर्जा में कमी		151.75	-
पुनः वित्त-पोषण और बॉण्ड इश्यु व्यय के कारण बचत		(58.77)	(18.14)
मूर्त रूप दिए गए विलंबित कर सहित कर समायोजन		105.69	138.70
संशोधन / अनुमोदन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार - टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन		93.43	-
वस्तु और सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव		55.83	-
विदेशी मुद्रा दर अंतर		93.67	66.05
प्रचालन और अनुरक्षण व्यय - बैरास्थूल		40.14	-
अन्य		14.37	19.92
	कुल	1,501.73	797.01
11.3 अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में की और कवार जल विद्युत परियोजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।			
11.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।			

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर (देखें टिप्पणी सं.-23)	61.22	0.40
कुल	61.22	0.40

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
- अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत	88.70	117.81
घटाए : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति बुक किया गया व्यय	0.10	0.10
- संदिग्ध समझे गए - अप्रतिभूत	0.01	-
घटाए : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 13.1)	0.01	-
उप जोड़	88.60	117.71
ख) संविदाकार / आपूर्तिकार को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.14	1.13
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
बैंक गारंटी के प्रति	13.30	15.43
अन्य	24.05	24.54
घटाए : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	0.14	0.45
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	45.52	45.52
घटाए : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 13.2)	45.52	45.52
उप जोड़	37.35	40.65
ग) अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.79	0.73
उप जोड़	0.79	0.73
घ) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :		
अन्य		
- अच्छे समझे गए	11.05	9.78
- संदिग्ध माने गए	108.90	104.11
घटाए : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 13.3)	108.90	104.11
उप जोड़	11.05	9.78
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
घटाए : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 13.4)	37.06	37.06
उप जोड़	-	-
ख. पश्च लेखन स्वीकृति / जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां		
घटाए : लंबित जांच / पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 13.5)	39.20	38.91
उप जोड़	-	-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	92.74	74.17
घ) विलंबित कर्मचारी लागत		
प्रतिभूत - अच्छे समझे गए	4.95	5.29
अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	0.05	0.05
ङ) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	30.83	66.36
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	7.93	7.93
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (देखें टिप्पणी 13.8)	3.58	1.78
छ) प्राप्य वस्तु और सेवा कर इनपुट	13.82	5.96
ज) आय कर प्रतिदाय	40.19	-
झ) अन्य (मुख्यतः संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण)	23.37	10.60
कुल	355.25	341.01
13.1 संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन	0.01	-
अंतिम शेष	0.01	-
13.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	45.52	45.52
13.3 संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	104.11	84.32
वर्ष के दौरान वर्धन	19.44	19.79
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	14.65	-
अंतिम शेष	108.90	104.11
13.4 पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
13.5 जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियाँ हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	38.91	40.02
वर्ष के दौरान वर्धन	0.16	0.32
समायोजन	1.75	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.38	0.82
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.24	0.61
अंतिम शेष	39.20	38.91
13.6 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.7 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	शून्य	शून्य
13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों /अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है		
13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष		
प्रारंभिक शेष	3,172.81	2,697.99
वर्ष के दौरान वर्धन (देखें टिप्पणी 31)	94.53	474.82
अंतिम शेष	3,267.34	3,172.81
ख. तीसरी पीआरसी के अनुसार वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	428.05	208.83
वर्ष के दौरान वर्धन (लाभ एवं हानि के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31)	203.85	242.90
वर्ष के दौरान वर्धन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	-	(23.68)
अंतिम शेष	631.90	428.05
ग. किशनगंगा पावर स्टेशन : टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यहास		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन (देखें टिप्पणी 31)	171.98	-
अंतिम शेष	171.98	-
घ. मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर		
प्रारंभिक शेष	(0.40)	(2.50)
वर्ष के दौरान वर्धन (देखें टिप्पणी 31)	(0.57)	2.10
अंतिम शेष	(0.97)	(0.40)
ङ. 2009 तक की टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य विलंबित कर के प्रति समायोजन		
प्रारंभिक शेष	1,792.03	1,929.53
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (देखें टिप्पणी 31)	137.30	137.50
अंतिम शेष	1,654.73	1,792.03
च. 2014-2019 तक की टैरिफ अवधि हेतु विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन		
प्रारंभिक शेष	276.72	796.71
वर्ष के दौरान वर्धन (देखें टिप्पणी 31)	490.91	(519.99)
अंतिम शेष	767.63	276.72
अंतिम शेष = (क+ख+ग+घ+ङ+च)	6,492.61	5,669.21
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	(350.52)	(95.62)
जोड़े : लाभग्राहियों से प्राप्य विलंबित कर	(350.52)	(95.62)
नियामक विलंबित लेखा शेष विलंबित कर का निवल	6,492.61	5,669.21

टिप्पणी : एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी - 34(18) और 34 (22) देखें। नियामक विलंबित लेखा शेषों के पुनः कथन हेतु टिप्पणी 25 भी देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल को शेष	10259320519	10,259.32	10259320519	10,259.32
घटाएं : वर्ष के दौरान शेयरों की पुनः खरीद (देखें टिप्पणी 15.1.6)	214285714	214.29	-	-
31 मार्च को शेष	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य।

15.1.4 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	7365964993	73.33%	7587481082	73.96%
भारतीय जीवन बीमा निगम	734379599	7.31%	734379599	7.16%

15.1.5 10 रुपए प्रत्येक के 81,13,47,977 इक्विटी शेयर तुलन-पत्र की तिथि से तत्काल पहले के पांच वर्षों की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए थे।

15.1.6 कंपनी ने 22 जनवरी, 2019 को शेयरधारकों से 10 रुपए प्रत्येक के 21,42,85,714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पूरी की है और ऐसा 600 करोड़ रुपए की कुल राशि से प्रति इक्विटी शेयर 28 रुपए के मूल्य पर टेंडर प्रस्ताव के माध्यम से अनुपातिक आधार पर किया गया है। उक्त पुनः खरीद के परिणामस्वरूप, कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 214.29 करोड़ रुपए से कम हो गयी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के मौजूदा प्रावधान के अनुसार एक समान राशि के पूंजी मोचन आरक्षित का सृजन किया गया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	2,041.42	2,041.42
जोड़े : सामान्य आरक्षित से अंतरित	214.29	-
तुलन-पत्रक की तारीख पर	2,255.71	2,041.42
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	242.81	242.81
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	242.81	-
तुलन-पत्रक की तारीख पर	-	242.81
(iii) बॉन्ड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	2,129.55	1,609.27
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	308.78	668.45
घटाएं : अधिशेष/प्रतिधारित आय को अंतरित	244.98	148.17
तुलन-पत्रक की तारीख पर	2,193.35	2,129.55
(iv) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	10,088.11	10,088.11
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	149.10	-
(देखें टिप्पणी 15.1.6 और 29)		
घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	214.29	-
तुलन-पत्रक की तारीख पर	9,724.72	10,088.11
(v) अधिशेष/प्रतिधारित आय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3,470.12	2,535.83
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	2,630.55	2,769.03
जोड़ें - वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	1.70	20.15
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरित	244.98	148.17
घटाएं : लाभान्श (अंतिम + अंतरिम) (देखें टिप्पणी 33(3)(ग))	1,000.46	1,251.65
घटाएं - लाभान्श पर कर (देखें टिप्पणी 33(3)(ग))	148.57	126.86
घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	308.78	668.45
जोड़ें - अनुसंधान और विकास निधि से अंतरण	-	43.90
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	4,889.54	3,470.12
(vi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	92.78	100.08
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(16.48)	(7.30)
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	76.30	92.78
(vii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	27.71	34.68
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	3.09	(9.09)
घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर विलंबित कर	0.72	(2.12)
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	30.08	27.71
कुल	19,169.70	18,092.50

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- (i) **पूँजी मोचन आरक्षित** - कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूँजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन- खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूँजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।
- (ii) **प्रतिभूति प्रीमियम** : प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूतियों के सम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 में प्रतिभूति प्रीमियम के प्रतिबंध और उपयोग निर्दिष्ट है।
- (iii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित** - कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।
- (iv) **सामान्य आरक्षित** : समय-समय पर सामान्य आरक्षित का उपयोग विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है।
- (v) **अधिशेष/प्रतिधारित आय** : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी की संचित आय के अवितरित लाभ/राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल हैं।
- (vi) **एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत** - कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह आरक्षित अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले संचयी लाभों और हानियों को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।
- (vii) **एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत** - कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह आरक्षित अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले संचयी लाभों और हानियों को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
परिशोधित लागत पर		
- प्रतिभूत ऋण		
- बॉण्ड		11,238.39
- सावधि ऋण		
- बैंकों से	200.00	20.00
- अन्य से	840.34	1,206.67
- प्रतिभूत ऋण		
- सावधि ऋण		
- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,352.83	3,163.79
- अन्य से	1,015.87	1,099.35
कुल	17,044.63	16,728.20

16-1-1 ऋण प्रसंविदाएं - पूँजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।

16-1-2 चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण।

16.1.2

(करोड़ रूपए में)

16.1.2.क चुकौती, पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति का विवरण		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत			
i) कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		336.07	336.07
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)			
ii) कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		253.62	253.62
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)			
iii) बॉण्ड - यू सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2 और 7))		540.00	540.00
(1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)			
iv) बॉण्ड - यू1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2 और 7))		360.00	360.00
(1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)			
v) कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		213.12	213.12
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)			
vi) कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		85.61	85.61
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)			
vii) कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		50.81	50.81
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)			
viii) कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 6))		60.77	60.77
(1000/- रूपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)			
ix) बाण्ड-डब्ल्यू2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (10))		750.00	750.00
(7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)			
x) बाण्ड-वी2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3))		1,475.00	1,475.00
(7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)			

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
xi) बॉण्ड - एक्स - सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2)) (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य है)। (1500 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी राशि 08.02.2023 से प्रारंभ होने वाली 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। मोचन की तिथि 08.02.2029)।	1,500.00	-
xii) बॉण्ड - टी- सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (1, 2 और 7)) (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	1,474.92
xiii) बॉण्ड - आर-3 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3)) (10,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (892.00 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी राशि 11.02.2019 से प्रारंभ होने वाली 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2019 के अनुसार, 89.20 करोड़ रुपए प्रत्येक की 9 वार्षिक किश्ते बकाया है)।	802.80	892.00
xiv) बॉण्ड - एस-2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (7)) (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (660.00 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी राशि 26.11.2018 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2019 के अनुसार, 55.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 11 वार्षिक किश्ते बकाया है)।	605.00	660.00
xv) बॉण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (10)) (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रुप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500.00 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी राशि 15.09.2018 से प्रारंभ होने वाली 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय है। 31.03.2019 के अनुसार, 300 करोड़ रुपए प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्ते बकाया है)।	1,200.00	1,500.00
xvi) बॉण्ड - वी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3)) (5,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2019 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपये के 5 वार्षिक विमोचन) (31.03.2019 को 155 करोड़ रुपए की तीन वार्षिक किश्ते बकाया है)	465.00	620.00
xvii) बॉण्ड - क्यू सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (4 और 8)) (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 1266.00 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 105.50 करोड़ रुपए की 8 वार्षिक किश्ते बकाया है।	844.00	949.50

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
xviii) बॉण्ड - आर-2 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3)) (12,00,000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 382.08 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 31.84 करोड़ रुपये की 8 वार्षिक किश्तें बकाया है।	254.72	286.56
xix) बॉण्ड - पी सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3, 5 और 6)) (10,00,000/- रुपये प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) 2000 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 200 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया है।	1,200.00	1,400.00
xx) बॉण्ड -एस1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (7)) (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रुपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 365 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 36.50 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया है।	219.00	255.50
xxi) बॉण्ड -आर1 सीरीज (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3)) (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 82.20 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 6.85 करोड़ रुपये की 7 वार्षिक किश्तें बकाया है।	47.95	54.80
कुल बॉण्ड	12,738.39	12,218.28
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	1,102.80	979.89
बॉण्ड - वर्तमान परिपक्वता के निवल (क)	11,635.59	11,238.39
(ख) सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)		
i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (2)) (7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ, 3 वर्ष के रीसेट खंड सहित स्थिर ब्याज दर पर 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य। 31.03.2019 के अनुसार वर्तमान में यह 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष है। 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किश्तें बकाया है)।	20.00	30.00
ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (11)) 31.03.2019 के अनुसार 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) पर 31.08.2029 तक 6.7857 करोड़ रुपये की 28 समान त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।	190.00	-
कुल सावधि ऋण - बैंक	210.00	30.00
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	10.00	10.00
सावधि ऋण - बैंक - वर्तमान परिपक्वता के निवल (ख)	200.00	20.00

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(ग) सावधि ऋण - बैंक - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) डॉलर बैंक और अन्य (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))		
(अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	-	113.45
कुल सावधि ऋण - बैंक	-	113.45
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	-	113.45
सावधि ऋण - बैंक - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	-	-
(घ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (3 और 5))	416.67	625.00
(31.03.2019 के अनुसार 16.67 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 104.1667 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।		
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (4 और 8))	790.00	948.00
(31.03.2019 को 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	1,206.67	1,573.00
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	366.33	366.33
सावधि ऋण - अन्य - वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	840.34	1,206.67
(ङ) सावधि ऋण - भारत सरकार से - सरकार (अप्रतिभूत)		
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i) निम्नो - बाज़गो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	420.78	414.99
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात् 10.10.2025 से 28.85 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
ii) चुटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	460.18	478.14
(2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात् 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रुपये की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	2,494.98	2,293.77
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 315.50 करोड़ रुपये की 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। और यह परियोजना के चालू होने अर्थात् 24.05.2029 से 11 वर्षों के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगा)		
कुल सावधि ऋण - सरकार (अप्रतिभूत)	3,375.94	3,186.90
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	23.11
सावधि ऋण - अन्य पक्षों से - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ङ)	3,352.83	3,163.79
(च) सावधि ऋण - अन्यो से - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-I (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))	107.47	120.69
(31.03.2019 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.66 करोड़ रुपये प्रत्येक की 14 समान छमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य)		
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-II (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9))	453.29	494.90
(31.03.2019 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 25.18 करोड़ रुपये प्रत्येक की 18 समान छमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य)		

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-III (देखिए टिप्पणी 16.1.2.ख (9)) (31.03.2019 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.60 करोड़ रुपए प्रत्येक की 30 समान छमाही किश्तों में चुकोतीयोग्य)	558.03	584.89
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,118.79	1,200.48
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	102.92	101.13
सावधि ऋण - अन्य पार्टियां वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (च)	1,015.87	1,099.35
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)	17,044.63	16,728.20

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-1 पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
- सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
- उपरोक्त क्रमांक च(i), च(ii) और च(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चुटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्नो-बाजगो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के टीएलडीपी-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के प्रति साम्य रेहन और गिरवी रखने के माध्यम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के प्रति देय (देखें टिप्पणी 16.2.1)		
- मूल धन	2,017.20	-
प्रतिधारण राशि	41.44	38.47
कुल	2,058.64	38.47

16.2.1 वर्ष के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) की योजना के लिए भारत सरकार की वित्त-पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अप्रतिभूत गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय मोचनयोग्य, कर योग्य 'भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बॉण्ड- सिरिज- 1, डिबेंचर (बॉण्ड) की प्रकृति में 10,00,000/- रूपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले, के निजी स्थापन के माध्यम से 2017.20 करोड़ रूपए की कुल राशि जुटाई है, कर योग्य साथ। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पढ़े जाने वाले विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बांड के मूलधन और ब्याज की अदायगी भारत सरकार द्वारा अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके की जाएगी। तदनुसार, बॉण्डधारकों को देय ब्याज के साथ ऐसे बॉण्ड की राशि ऊपर वित्तीय देयता के रूप में दर्शाई गई है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को टिप्पणी सं. 3.4 के अंतर्गत गैर -वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूली योग्य राशि" के रूप में दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांड का विवरण निम्नानुसार है :-

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड-1 सीरीज :	2,017.20	-
10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.12 प्रतिशत अर्ध-वार्षिक, 10 वर्षीय अप्रतिभूत, गैर-संचयी, मोचन योग्य, गैर-परिवर्तनीय कर योग्य बांड (मोचन की तिथि - 22.03.2019)		

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.31	453.80
वर्ष के दौरान वर्धन	0.95	0.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	447.56
अंतिम शेष	7.26	6.31
ख. अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.25	15.15
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	13.64
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1.48
छूट की समाप्ति	0.12	0.98
अंतिम शेष	1.37	1.25
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.40	17.98
वर्ष के दौरान वर्धन	0.66	0.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.61	0.96
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.14	-
छूट की समाप्ति	0.35	0.33
अंतिम शेष	17.66	17.40
iii) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.51	-
वर्ष के दौरान वर्धन	0.05	0.51
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.03	-
अंतिम शेष	0.53	0.51
कुल	26.82	25.47

* प्रावधानों के संबंध में जानकारी एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
विलंबित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,652.49	3,148.21
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	18.44	9.07
ग) अन्य मदें	45.22	227.06
विलंबित कर देयता	3,716.15	3,384.34
घटाएं - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसंपत्तियां		
क) संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	11.20	10.67
ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	4.56	4.56
ग) अन्य मदें	89.76	223.72
विलंबित कर परिसंपत्तियां	105.52	238.95
विलंबित कर देयता (निवल)	3,610.63	3,145.39

18.1 विलंबित कर देयताएं (निवल) के पुनः कथन के संबंध में टिप्पणी 35 देखें।

18.2 विलंबित कर देयता/ (परिसंपत्तियों) में संचलन

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध
विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

2018-2019				
विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	3148.21	9.07	227.06	3384.34
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
लाभ या हानि को	504.28	8.58	(181.84)	331.02
ओसीआई को	-	0.79	-	0.79
31 मार्च 2019 को	3652.49	18.44	45.22	3716.15

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	10.67	4.56	223.72	238.95
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
लाभ या हानि को	0.53	-	(133.96)	(133.43)
ओसीआई को	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	11.20	4.56	89.76	105.52

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

2017-2018

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अर्भूत परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मर्दे	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	3430.66	6.03	647.18	4083.87
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
लाभ या हानि को	(282.45)	5.16	(420.12)	(697.41)
ओसीआई को	-	(2.12)	-	(2.12)
31 मार्च 2018 को	3148.21	9.07	227.06	3384.34

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मर्दे	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	92.42	172.15	154.57	419.14
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				-
लाभ या हानि को	(81.75)	(158.36)	60.87	(179.24)
ओसीआई को	-	(9.23)	8.28	(0.95)
31 मार्च 2018 को	10.67	4.56	223.72	238.95

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	916.77	977.50
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	48.52	54.72
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (देखें टिप्पणी 19.1)	859.69	592.78
कुल	1,824.98	1,625.00
19.1 सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय		
प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	611.11	378.98
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	299.72	238.12
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को अंतरित (देखें टिप्पणी 24.2)	24.20	5.99
अंतिम शेष (वर्तमान और गैर-वर्तमान) (देखें टिप्पणी 19.1.1)	886.63	611.11
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (वर्तमान) (देखें टिप्पणी 21)	26.94	18.33
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (गैर-वर्तमान)	859.69	592.78

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
19.1.1 अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :-		
(i) सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	862.65	586.13
(ii) तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के स्थापन हेतु एसईसीआई के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	23.98	24.98

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मांग पर चुकोती योग्य ऋण		
बैंकों से - प्रतिभूत (देखें टिप्पणी 20.1.1)	106.00	279.99
बैंकों से - अप्रतिभूत	300.00	-
कुल	406.00	279.99

20.1.1 ऋण का ब्योरा (प्रतिभूत)

क्र. सं.	बैंक का नाम प्रतिभूति के ब्योरे के साथ	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
1	केनरा बैंक बही ऋण और स्टॉक से प्रतिभूत है	106.00	-
2	आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूत है	-	108.00
3	आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूत है	-	171.99
	कुल	106.00	279.99

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (देखें टिप्पणी 20.2.1)	15.74	5.29
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	164.44	176.57
कुल	180.18	181.86

- 20.2.1 व्यापार प्राप्य के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) के अंतर्गत दी गई है।
- 20.2.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

	(करोड़ रूपए में)	
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (देखें टिप्पणी 20.3.1)		
बॉण्ड	1,102.80	979.89
सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूत	10.00	10.00
सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूत	-	113.45
अन्य पक्ष	366.33	366.33
अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
अन्य पक्ष - अप्रतिभूत	102.92	101.13
पूँजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	313.96	400.59
पूँजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (देखें टिप्पणी 20.3.2)	4.85	1.43
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	584.98	572.49
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय ब्याज	4.49	-
धरोहर जमा राशि/ प्रतिधारण राशि	119.67	104.22
अनुषंगी कंपनियों को देय	1.55	-
अदा न किया गया लाभांश (देखें टिप्पणी 20.3.3)	19.17	18.16
अदा न किया गया ब्याज (देखें टिप्पणी 20.3.3)	0.26	0.11
कर्मचारियों को देय अन्य	119.70	17.30
अन्य को देय अन्य	73.13	60.29
कुल	2,846.92	2,768.50

- 20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1.2 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।
- 20.3.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को देश राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) के अंतर्गत दी गई है।
- 20.3.3 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि का भुगतान करने के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।
- 20.3.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

	(करोड़ रूपए में)	
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	60.68	60.68
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	6.17	6.17
भुगतान योग्य सांविधिक देय	743.71	355.59
संविदा देयताएं - जमा कार्य	19.96	1.50
संविदा देयताएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी	196.82	214.34
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	12.19	13.25
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (देखें टिप्पणी 19)	26.94	18.33
कुल	1,066.47	669.86

- 21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	142.34	253.41
वर्ष के दौरान वर्धन	0.37	142.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	141.51	253.41
अंतिम शेष	1.20	142.34
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 22.1)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	12.57	10.10
वर्ष के दौरान वर्धन	-	2.47
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	12.57	-
अंतिम शेष	-	12.57
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	12.57
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
iii) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	264.36	118.33
वर्ष के दौरान वर्धन	168.85	220.00
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	198.69	73.97
अंतिम शेष	234.52	264.36
iv) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.58	5.94
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.73
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.58	3.09
अंतिम शेष	-	3.58
v) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	343.83	103.33
वर्ष के दौरान वर्धन	-	240.50
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	332.48	-
अंतिम शेष	11.35	343.83
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	164.13	105.76
वर्ष के दौरान वर्धन	45.47	58.37
अंतिम शेष	209.60	164.13
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	159.43	188.21
वर्ष के दौरान वर्धन	0.80	12.81
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	33.18	42.19
छूट की समाप्ति	0.50	0.60
अंतिम शेष	127.55	159.43

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21.76	47.51
वर्ष के दौरान वर्धन	16.65	1.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.33	21.69
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	9.55	5.61
अंतिम शेष	24.53	21.76
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	15.60	14.03
वर्ष के दौरान वर्धन	0.58	1.50
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.23	0.18
छूट की समाप्ति	0.05	0.25
उचित मूल्य समायोजन के पश्चात अंतिम शेष	16.00	15.60
v) माध्यस्थ निर्णय/ अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	374.01	360.48
वर्ष के दौरान वर्धन	16.70	19.06
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	26.66	5.49
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	9.53	0.04
अंतिम शेष	354.52	374.01
vi) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	264.00	292.95
वर्ष के दौरान वर्धन	106.42	38.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	18.54	31.00
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.78	36.07
अंतिम शेष	350.10	264.00
कुल	1,329.37	1,753.04

22.1 विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29.01.2019 का पत्र सं. 2/1/2014-एच.आई.(भाग) कंपनी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों को 1 जनवरी, 1997 से नियमित करता है जिसे इसके द्वारा विद्युत मंत्रालय के 4 अप्रैल, 2006 और 1 सितम्बर, 2006 के आदेशों के अनुपालन में अपनाया गया है।

परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत वेतन समायोजन (जिसका 31.12.2016 तक के लिए कार्यपालकों को भुगतान किया गया था) के प्रति अग्रिम का समायोजन करने के बाद, वेतन और भत्ते के बकाए का वर्ष के दौरान कार्यपालकों को भुगतान किया गया है।

22.2 प्रावधान के बारे में जानकारी टिप्पणी 34 (21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	634.68	706.56
वर्ष के दौरान वर्धन	705.07	634.68
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(634.68)	(706.56)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	705.07	634.68
घटाएं : स्रोत पर कटौती किए गए कर सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	766.29	635.08
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल) (क-ख)	(61.22)	(0.40)
(उपर्युक्त टिप्पणी सं. 12. के अंतर्गत प्रकट की गई)	61.22	0.40
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I प्रचालन राजस्व		
क. बिक्री (देखें टिप्पणी 24.1.1, 24.1.3, 24.1.4 और 34(20))		
विद्युत की बिक्री	6,503.06	5,624.13
मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखन	60.72	60.68
निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/ (वि-प्रोत्साहन)	747.65	638.52
उप जोड़ (1)	7,311.43	6,323.33
घटाएं :		
विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	92.34	66.36
टैरिफ समायोजन (देखें टिप्पणी 24.1.2)		58.37
विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	9.17	0.27
उपभोक्ताओं को छूट	26.21	20.43
उप जोड़ (2)	173.19	145.43
उप जोड़ (क) = (1-2)	7,138.24	6,177.90
ख वित्त- पट्टे से आय (देखें टिप्पणी 34(16)(ग))	208.28	213.57
ग प्रचालन पट्टे से आय (देखें टिप्पणी 34(16)(घ))	748.61	477.17
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	23.85	63.25
उप जोड़ (घ)	23.85	63.25
ङ विद्युत व्यापार से राजस्व		
विद्युत की बिक्री	12.96	-
उप जोड़ (ङ)	12.96	-
उप जोड़ - 1 (क+ख+ग+घ+ङ)	8,131.94	6,931.89
च अन्य प्रचालन राजस्व		
स्वतः उत्पन्न वीईआर/ आरईसी की बिक्री से आय	14.23	-
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	3.21	4.19
लाभग्राही राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	11.80	2.14
उप जोड़-2	29.24	6.33
कुल (1+2)	8,161.18	6,938.22
24.1.1 विद्युत की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं :-		
(i) 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के प्रति लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूली जाने वाली और वर्ष के दौरान मूर्त रूप दी गई राशि।	211.05	236.63
(ii) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमेय मानद उत्पादन।	105.48	131.6
(iii) टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के चलते पहले के वर्ष की राशि। (टिप्पणी 34(20) भी देखें)	411.47	(4.19)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
24.1.2 टैरिफ समायोजन :- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि को संगत वर्ष की विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है।	45.47	58.37
24.1.3 पार्वती-III पावर स्टेशन की सभी 4 यूनिटों के टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान सीईआरसी में सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श तथा उसके बाद के घटनाक्रमों के आधार पर प्रबंधन वर्तमान जल उपलब्धता तथा निर्माणाधीन पार्वती-III के चालू किए जाने के लंबित रहने को देखते हुए यह आशा करता है कि अनुमानित आधार पर मान्यता प्रदान की गई चौथी यूनिट का राजस्व वसूली योग्य नहीं हो सकता है। तदनुसार, 31.3.2017 तक मान्यता प्रदान किए गए बिल न किए गए राजस्व को अनुमानों में परिवर्तन के कारण 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बहियों में प्रत्यावर्तित किया गया है।	शून्य	(244.86)
24.1.4 अभी बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,599.38	858.90

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश - गैर-करयोग्य	5.68	5.68
- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश - करयोग्य	25.81	25.77
- अस्साचल प्रदेश सरकार को ऋण	51.19	46.97
- जमा खाता	71.34	139.69
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	15.49	13.43
- संविदाकारों को अग्रिम	24.48	38.88
- अन्य	10.74	-
ख) लाभांश आय		
- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	277.67	628.52
- लाभांश - अन्य	4.80	3.60
ग) अन्य गैर-प्रचालन आय		
विलंब भुगतान अधिभार	303.15	390.36
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	48.77	59.41
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	1.20	6.89
बीमा दावे से आय	5.02	0.34
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/क्षति प्रावधान/ प्रावधान (देखें टिप्पणी 24.2.1)	31.12	23.42
संविदाकार को जारी सामग्री		
(1) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	27.47	24.05
(2) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(42.44)	(36.48)
(3) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	14.97	12.43
सहायता अनुदान का परिशोधन	24.20	5.99
विनिमय दर अंतर (निवल)	3.18	-
अन्य	40.29	57.18
उप जोड़	944.13	1,446.13
घटाएं - निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित आय	12.37	20.25
घटाएं - अग्रिम को अंतरित आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	6.98	5.33
कुल	924.78	1,420.55

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/क्षति प्रावधान/ प्रावधानों का ब्यौरा		
ए) मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	1.20	0.21
बी) व्यापार प्राप्तियों हेतु क्षति प्रावधान	-	0.27
सी) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि करने वाले ऋण हेतु क्षति प्रावधान	0.02	-
डी) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान	8.00	2.20
ई) जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान	1.18	0.61
एफ) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान	-	1.48
जी) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान	0.14	-
एच) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	9.55	5.61
आई) अन्य	11.03	13.04
कुल	31.12	23.42

24.2.2 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 24.71 करोड़ रुपये (गत वर्ष 25.84 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 221.24 करोड़ रुपये (गत वर्ष 25.82 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एस 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

NOTE NO. 25.1 विद्युत की खरीद - ट्रेडिंग

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	12.94	-
घटाएं : आपूर्तिकार से छूट	0.26	-
कुल	12.68	-

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
जल उपयोग प्रभार	775.31	691.80
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	21.54	24.59
कुल	796.85	716.39

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	1,645.74	1,466.17
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों के लिए अंशदान	265.14	227.33
कर्मचारी कल्याण व्यय	87.27	84.46
उप जोड़	1,998.15	1,777.96
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	293.05	240.63
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.45	1.44
कुल	1,704.65	1,535.89

26.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 (16)(क) में दिए गए हैं।

26.2 उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल

(करोड़ रुपये में)

- i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति
- ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
105.67	72.39
129.54	76.47

26.3 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 103.90 करोड़ रुपये (गत वर्ष 85.01 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 20.68 करोड़ रुपये (गत वर्ष 84.81 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एस 114 - "नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

26.4 कर्मचारियों को अदा किए गए बकाय हेतु एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(28) देखें।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
बॉण्ड	996.02	947.97
सावधि ऋण	128.29	252.73
विदेशी ऋण	21.37	22.55
भारत सरकार ऋण	61.52	33.92
छूट का समापन - भारत सरकार ऋण	29.87	17.73
उप जोड़	1,237.07	1,274.90
ख. अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	1.02	0.54
प्रतिबद्धता शुल्क	-	0.04
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	18.61	19.93
अन्य वित्त प्रभार	0.79	10.13
छूट का समापन - प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.50	5.50
उप जोड़	25.92	36.14
ग. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल लाभ/हानि		
विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	22.69	71.65
घटाए : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(22.69)	(71.65)
उप जोड़	-	-
कुल (क+ख+ग)	1,262.99	1,311.04
घटाए : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत	368.11	388.72
कुल	894.88	922.32

27.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 302.72 करोड़ रुपये (गत वर्ष 331.39 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 76.78 करोड़ रुपये (गत वर्ष 331.39 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एस 114- "नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,591.73	1,404.39
परिशोधन - अमूर्त परिसंपत्तियां	11.24	8.66
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (देखें टिप्पणी 19 और 5(2)(ग))	(4.09)	1.76
उप जोड़	1,598.88	1,414.81
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	8.89	19.25
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	-	0.05
कुल	1,589.99	1,395.51

28.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 8.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 6.85 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 1.77 करोड़ रुपये (गत वर्ष 6.85 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एस 114- "नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	64.73	67.64
मशीनरी	63.63	59.46
अन्य	146.54	143.13
ख. प्रशासनिक व्यय		
किराया और हायर प्रभार	51.83	47.31
दरें और कर	14.04	7.47
बीमा	123.28	126.48
सुरक्षा व्यय	324.53	263.07
विद्युत प्रभार	47.55	34.53
यात्रा एवं वाहन	26.77	24.67
वाहनों पर खर्च	8.60	9.50
टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें	16.21	17.56
विज्ञापन एवं प्रचार	16.36	14.77
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.50	0.31
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.63	5.03
परामर्शी प्रभार	14.74	14.19
लेखा परीक्षा खर्च (टिप्पणी-29.3 देखें)	1.96	2.19
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	116.36	3.40
बीमा दावे से हानियां	9.59	1.30
पुस्तकें व पत्रिकाएं	72.89	1.77
चंदा	1.00	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी-34(14) देखें)	17.58	38.55

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.26	0.20
मध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	0.01	-
लाभग्राही को ब्याज	-	1.79
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.27	0.01
विनियम दर अंतर (निवल)	-	2.88
प्रशिक्षण व्यय	6.77	10.50
याचिका शुल्क/ पंजीकरण शुल्क/ अन्य शुल्क - सीईआरसी/ आरएलडीसी/ आरपीसी/ आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को	8.47	7.03
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	29.57	27.41
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	3.03	3.46
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	19.47	18.20
डीजी सेट के प्रचालन व्यय - आवासीय के अतिरिक्त	6.89	5.75
अन्य सामान्य व्यय	37.63	25.21
उप जोड़	1,255.69	984.77
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	191.03	80.78
घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	0.04	1.41
घटाएं : पुनः खरीद के व्यय हेतु सामान्य आरक्षित को अंतरण	6.20	-
उप जोड़ (1)	1,058.42	902.58
ग. प्रावधान/ क्षति प्रावधान		
व्यापार प्राप्त हेतु क्षति प्रावधान	-	1.93
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.01	-
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	2.99	3.36
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	4.79	19.79
भण्डार तथा कलपुर्जों/ निर्माण भंडार हेतु प्रावधान	2.94	0.28
प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	60.52	26.27
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	0.10	0.32
लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान (देखें टिप्पणी 29.2)	38.00	16.45
अदालती/ माध्यस्थम निर्णय के प्रति ब्याज का प्रावधान	-	2.79
अन्य	-	0.02
उप जोड़	109.35	71.21
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	2.24	1.43
उप जोड़ (2)	107.11	69.78
कुल (1+2)	1,165.53	972.36
29.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 16(क) में दिए गए हैं।		
29.2 कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।	38.00	16.45

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
29.3 लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक		
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.61	0.55
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.16	0.16
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	0.02	0.01
अन्य मामले/ सेवाएं	0.44	0.55
खर्चों की अदायगी	0.51	0.77
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.20	0.15
खर्चों की अदायगी	0.02	-
कुल लेखापरीक्षा व्यय	1.96	2.19

29.4 कुल में टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 58.83 करोड़ रुपये (गत वर्ष 99.11 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 16.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 77.59 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एस 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान	696.15	634.68
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(46.37)	(6.91)
कुल वर्तमान कर व्यय	649.78	627.77
विलंबित कर		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	133.43	177.52
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	1.72
विलंबित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	331.02	(690.70)
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	(6.71)
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	464.45	(518.17)
निवल विलंबित कर	464.45	(518.17)
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रणीत कुल	1,114.23	109.60
30.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान		
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,744.78	2,878.63
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.6080
गणना किए गए कर व्यय	1,308.58	996.24

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का निवल प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	6.59	13.97
कर छूट प्राप्त आय	(100.70)	(218.76)
कर प्रोत्साहन (80-आईए कटौतियाँ)	(620.02)	(683.80)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(46.37)	(6.91)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	566.15	13.84
कर दर में परिवर्तन	-	(4.98)
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	1,114.23	109.60
30.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियाँ		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
विलंबित कर	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
30.3 कर हानियाँ तथा क्रेडिट		
(i) अप्रयुक्त कर हानियाँ जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
(ii) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है (देखें टिप्पणी 30.5)	2,040.81	1,344.66
30.4 मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
वर्ष 2018-19 हेतु	696.15	2033-34	-	-
वर्ष 2017-18 हेतु	210.11	2032-33	210.11	2032-33
वर्ष 2016-17 हेतु	11.59	2031-32	11.59	2031-32
वर्ष 2015-16 हेतु	177.01	2030-31	177.01	2030-31
वर्ष 2014-15 हेतु	46.81	2029-30	46.81	2029-30
वर्ष 2013-14 हेतु	481.84	2028-29	481.84	2028-29
वर्ष 2012-13 हेतु	291.71	2027-28	291.71	2027-28
वर्ष 2008-09 हेतु	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	2040.81		1344.66	

कंपनी को भविष्य में उपलब्ध उक्त वर्णित मैट क्रेडिट के संबंध में विलंबित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में प्रत्यावर्तन की अनिश्चितता पर विचार करते हुए मान्यता नहीं प्रदान की गई है।

सं. : 31 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निम्नलिखित के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	20.68	84.81
ख) अन्य व्यय	16.54	77.59
ग) मूल्यहास	1.77	6.85
घ) वित्त लागत	76.78	331.39
ड) अन्य आय	(21.24)	(25.82)
उप जोड़ (1)	94.53	474.82
(ii) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	203.85	242.90
(iii) किशनगंगा पावर स्टेशन - टैरिफ को मंद किए जाने के कारण मूल्यहास	171.98	-
(iv) मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर	(0.57)	2.10
(v) वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि हेतु विलंबित कर वसूली योग्य के प्रति समायोजन	(137.30)	(137.50)
(vi) टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन	490.91	(519.99)
कुल (क) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	823.40	62.33
विनियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		
घटाएं : विनियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	(254.90)	(15.07)
जोड़े : लाभग्राहियों से विलंबित कर वसूली योग्य	(254.90)	(15.07)
कुल	823.40	62.33

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14 देखें। विनियामक विलंबित लेखा शेष के पुनः कथन हेतु टिप्पणी 35 भी देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन और मजदूरी	127.94	136.11
उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	20.81	11.90
स्टाफ कल्याण व्यय	4.53	7.93
उप जोड़	153.28	155.94
ख. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज : (देखें टिप्पणी 2.2.1)		
बॉण्ड	349.92	318.66
सावधि ऋण	15.41	52.44
	365.33	371.10
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	0.16
अन्य वित्त प्रभार	-	6.31
ईएसी को व्यय का अंतरण - केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.44	10.41
ईएसी को व्यय का अंतरण - सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.18	0.70
उप जोड़	367.95	388.68
ग. मूल्यहास और परिशोधन		
	7.18	17.65
उप जोड़	7.18	17.65

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ. अन्य व्यय		
मरम्मत तथा अनुरक्षण :		
- भवन	3.85	5.02
- मशीनरी	0.03	0.02
- अन्य	3.48	2.81
किराया	7.74	10.22
दरें और कर	1.40	0.89
बीमा	0.25	0.11
सुरक्षा व्यय	22.97	28.81
विद्युत प्रभार	3.19	3.78
यात्रा एवं वाहन	2.51	3.01
वाहनों पर व्यय	0.72	1.13
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.13	2.42
विज्ञापन एवं प्रचार	0.27	0.36
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.35	0.61
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	2.11	1.64
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	115.72	2.21
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	6.94	1.09
पश्चलेखित परिसंपत्तियां/ दावे	-	0.12
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	0.15	0.16
अन्य सामान्य व्यय	8.04	9.16
उप जोड़	181.85	73.57
ड. प्रावधान	2.24	1.43
उप जोड़	2.24	1.43
च. कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(0.97)	(2.32)
अन्य व्यय	9.18	7.21
कर्मचारी लाभ व्यय	139.77	84.69
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.71	1.60
वित्त लागत	0.16	0.04
उप जोड़	149.85	91.22
छ. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	9.17	0.27
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	6.46	12.19
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	0.35	4.10
विविध प्राप्तियां	4.59	1.64
उप जोड़	20.57	18.20
कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ) (देखें टिप्पणी 2.2)	841.78	710.29

32.1 कर्मचारियों को अदा किए गए बकाया हेतु एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (28) देखें।

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण
(1) उचित मूल्य मापन
क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

विवरण	टिप्पणी सं.	(करोड़ रुपए में)			
		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) गैर-वर्तमान निवेश					
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	88.66	-	105.14	-
ख) ऋण लिखत में (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम) - उद्धृत	3.1	401.54	-	398.15	-
		490.20	-	503.29	-
उप जोड़	3.2		61.51		184.45
(ii) प्राप्य व्यापार					
(iii) ऋण					
क) जमा	3.3		21.49		18.05
ख) कर्मचारी	3.3		104.92		114.88
ग) अस्थाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		620.00		568.81
(iv) अन्य					
- ब्याज सहित प्राप्य पट्टे	3.4		1,449.61		1,505.83
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण प्राप्तियोग्य	3.4		2,017.20	-	-
- शेयर आवेदन राशि - विनाब वैली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आवंटन लंबित)	3.4		-	-	65.19
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		0.35		0.40
		490.20	4,275.08	503.29	2,457.61
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	7		2,623.09		1,097.07
(ii) नकदी और नकदी तुल्य	8		30.72		6.96
(iii) नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9		359.91		1,465.43
(iv) ऋण	10				
- कर्मचारी ऋण			38.56		40.80
- संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड) को ऋण			6.00		6.00
- जमा			0.62		1.17
(v) अन्य (प्राप्य पट्टे को छोड़ कर)	11		1,927.59		1,329.64
(vi) अन्य (ब्याज सहित प्राप्य पट्टे)	11		56.67		53.72
		-	5,043.16	-	4,000.79
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		490.20	9,318.24	503.29	6,458.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां					

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1		17,044.63		16,728.20
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय सहित)	16.2		2,058.64		38.47
(iii) ऋण - अल्पावधि	20.1		406.00		279.99
(iv) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2		180.18		181.86
(v) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं					
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3		1,605.16		1,593.91
ख) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3		584.98		572.49
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3		656.78		602.10
कुल वित्तीय देयताएं			22,536.37		19,997.02

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय लिखतों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी लिखत जिनकी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न की जाने वाली वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो लिखित स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवृत्ति उचित मूल्य मापन

टिप्पणी सं.	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च 2019 को स्तर 1	31 मार्च 2018 को स्तर 1
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
निवेश -		
- इक्विटी लिखत में (उद्धृत)	88.66	105.14
- ऋण लिखत में (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) - उद्धृत *	401.54	398.15
कुल	490.20	503.29

टिप्पणी :

* इन लिखतों के नवीनतम उद्धृत बाजार मूल्यों के अभाव में, दरों को फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डिपॉजिट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए) के अनुसार निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यय मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट किया गया है :

विवरण	टिप्पणी सं.	(करोड़ रूपए में)		
		31 मार्च 2019 को स्तर 1	31 मार्च 2019 को स्तर 2	31 मार्च 2018 को स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्राप्य व्यापार	3.2		61.51	184.45
(ii) ऋण				
क) कर्मचारी	3.3		113.12	141.02
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3		620.00	568.81
ग) अन्य			21.49	18.05
(iii) अन्य				
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4		0.35	0.40
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण प्राप्ति योग्य	3.4	2,017.20		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		2,017.20	794.98	21.49
वित्तीय देयताएं				
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 & 20.3	13,863.26	2,596.46	12,833.88
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय सहित)	16.2	2,017.20	42.24	1,793.20
कुल वित्तीय देयताएं		15,880.46	2,596.46	12,833.88
			2,097.02	3,001.82
				1,832.15

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	3.2	61.51	61.51	184.45	184.45
(ii) ऋण					
क) कर्मचारी	3.3	104.92	113.12	114.88	141.02
ख) अस्साचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3	620.00	620.00	568.81	568.81
ग) जमा		21.49	21.49	18.05	18.05
(iii) अन्य					
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4	0.35	0.35	0.40	0.40
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के पर वसूलीयोग्य	3.4	2,017.20	2,017.20	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		2,825.47	2,833.67	886.59	912.73
वित्तीय देयताएं					
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 & 20.3	19,234.77	18,514.50	18,894.60	17,628.89
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय सहित)	16.2	2,058.64	2,059.44	38.47	38.95
कुल वित्तीय देयताएं		21,293.41	20,573.94	18,933.07	17,667.84

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी तुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।
- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

- कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखत हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है। सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
- इंड एरस 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दी जाती है। चूंकि दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत भौतिक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभाव	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्त-पोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली
बाजार जोखिम - प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय लिखत या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनियम परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनियम दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय लिखत शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्य तथा पट्टा प्राप्य :-

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेख में संदर्भित किए अनुसार इंड एस 17 "पट्टों" के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात् पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :-

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :-

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के साथ हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त)	490.20	503.29
ऋण-गैर-वर्तमान (ब्याज सहित)	746.41	701.74
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,017.55	65.59
नकदी और नकदी तुल्य	30.72	6.96
बैंक शेष	359.91	1,465.43
ऋण - वर्तमान	45.18	47.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे के अतिरिक्त)	1,927.59	1,329.64
कुल (क)	5,617.56	4,120.62
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
प्राप्य व्यापार	2,684.60	1,281.52
प्राप्य पट्टे (ब्याज सहित)	1,506.28	1,559.55
कुल (ख)	4,190.88	2,841.07
कुल (क+ख)	9,808.44	6,961.69

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014-19 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जो कंपनी की भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाले राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारों/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति यो प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आकलन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी प्राप्य व्यापार की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था :

(करोड़ रुपए में)				
विवरण	प्राप्य व्यापार	वसूली योग्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2018 को शेष	37.71	210.18	0.03	247.92
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	(6.81)	(0.02)	(6.83)
31.03.2019 को शेष	37.71	203.37	0.01	241.09

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्त-पोषण की उपलब्धता है।

- i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के ईष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रुपए में)		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
परिवर्तनशील दरों पर	819.00	25.00
कुल	819.00	25.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	19,889.53	2,011.17	3,006.08	3,205.12	11,667.17
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और 20.3	3,311.97	1,238.01	10.04	6.88	2,057.04
देय व्यापार	20.2	180.17	180.17	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		23,381.67	3,429.35	3,016.12	3,212.00	13,724.21

31 मार्च, 2018 के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 और 20.3	19,166.00	1,873.91	3,206.76	2,615.09	11,470.24
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	1,231.22	1,176.45	9.97	4.78	40.02
व्यापार देय	20.2	181.86	181.86	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,579.08	3,232.22	3,216.73	2,619.87	11,510.26

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ दायित्व प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का संपर्क मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी के दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी की स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	(करोड़ रुपये में)	भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	(करोड़ रुपये में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रुपये)	8.50	190.00	-	-
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	-	-	0.57	113.48
स्थिर दर ऋण (भारतीय रुपये)	8.30	17,340.99	6.82	17,008.18
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.97	1,118.79	1.81	1,200.48
कुल		18,649.78		18,322.14

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकतर उधार निर्धारित ब्याज दर पर हैं। परिवर्तनशील दर पर उधारों के मामले में ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वह प्रशुल्क के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने योग्य है।

(ii) मूल्य जोखिम :

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम में कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपये में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	22.06	19.46	22.45	23.55
इंडियन ओवरसीज बैंक	15.75	0.08	15.65	0.10

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपये में)
सरकारी प्रतिभूति	0.57	1.84	(0.08)	(0.25)
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	1.48	1.20	1.20	0.98

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपये में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तीय देयताएं:		
विदेशी मुद्रा ऋण	1,118.79	1,313.93
अन्य वित्तीय देयताएं	61.78	66.70
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,180.57	1,380.63

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गिरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	20,666.99	18,322.11
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपये में)	29,214.73	28,351.82
गिरिंग अनुपात (क/ख)	0.71	0.65

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

- 1- कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
- 2- निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
- 3- ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुना से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज - गैर नकदी आय)/ देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
- 4- समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश : (टिप्पणी 15.2 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(1) इक्विटी अंश		
0.28 रुपये के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2017-18 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर, 2018 में अनुमोदित और अक्टूबर, 2018 में अदा किया गया (31 मार्च, 2018 को - वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 भारतीय रुपये पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	287.26	102.60
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	1.97 *	-
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु 0.71 रुपये प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2018 - 1.12 रुपये)	713.20	1149.05
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	146.60	126.86
(2) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.75 रुपये (31 मार्च, 2018 - 0.28 रुपये) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	753.38	287.26
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	154.86	59.05

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ समायोजित।

टिप्पणी संख्या - 34 :
1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटन:-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने / स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **11040.11 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9912.98 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **4377.02 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **3645.08 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **418.98 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **441.96 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **10494.10 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9370.30 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-व्यक्तियों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **190.81 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **49.67 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **4.32 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **10.99 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **186.49 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **38.68 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आय कर /बिक्री कर /सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **639.67 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **454.44 करोड़ रुपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **23.50 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **30.77 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **515.17 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **423.67 करोड़ रुपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **728.93 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **633.26 करोड़ रुपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **17.81 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **29.69 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **709.25 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **601.69 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को दावे	दावों / अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि / (कटौती)	01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	11040.11	418.98	10494.10	9370.30	1123.80	1678.61
2.	भूमि मुआवजा मामले	190.81	4.32	186.49	38.68	147.81	10.67
3.	विवादित कर मामले	639.67	23.50	515.17	423.67	91.50	8.38
4.	अन्य	728.93	17.81	709.25	601.69	107.56	40.98
	कुल	12599.52	464.61	11905.01	10434.34	1470.67	1738.64

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामलों, जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को 396.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 235.73 करोड़ रुपये) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 617.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 536.06 करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहाँ माध्यम अधिकरणों ने संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट / आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से जारी निदेशों के अनुपालन में किया गया है। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के लिए न्यायालय के आदेश के अनुसार 454.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 80.48 करोड़ रुपये) की राशि मामलों के प्रतिवाद के लिए दी गई/न्यायालय में जमा की गई/प्रदत्त है और इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान/वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)।
- (च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे / दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनों के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई वास्तविक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- (छ) 31.03.2019 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को दावे	दावों / अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि / (कटौती)	01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	154.09	-	53.09	33.48	19.61	-
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	503.78	40.57	463.21	397.95	65.26	8.11
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)	101.67	0.16	100.93	102.73	(1.80)	-
4	अन्य	11839.98	423.88	11287.78	9900.18	1387.60	1730.53
	कुल	12599.52	464.61	11905.01	10434.34	1470.67	1738.64

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण है:

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **875.05 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **588.08 करोड़ रुपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **28.16 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **446.53 करोड़ रुपये**) शामिल हैं।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **780.09 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **587.84 करोड़ रुपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014-19 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिवस के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभार्थियों से अंतिम संग्रहण में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार **109.35 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **188.42 करोड़ रुपये**) की राशि मानी गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III तथा तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संबंध में संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन लंबित होने के चलते 2009-14 के टूटिंग-अप आदेश और/अथवा 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश लंबित हैं। प्रबंधन ने आकलन किया है कि इन व्ययों के कारण **1246.79 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **694.94 करोड़ रुपये**) का अतिरिक्त राजस्व लगने की संभावना है जिसे उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण नहीं माना गया है।

घ) व्यापार बाधा हानि :

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने इस संबंध में **202.26 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **195.04 करोड़ रुपये**) के दावे का मूल्यांकन किया है जिसे नहीं माना गया है। दावों के पावर स्टेशन - वार ब्यौरे एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(23) में दिए गए हैं।

ङ) अन्य मामले

प्रबंधन द्वारा आकलित अन्य विविध मामलों के कारण होने वाले **157.18 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **60.34 करोड़ रुपये**) के दावों को नहीं माना गया है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है):

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	2689.01	2697.53
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.64	0.64
	कुल	2689.65	2698.17

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2019 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त **99.33 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **653.49 करोड़ रुपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग) कंपनी की 31 मार्च, 2019 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त **1284.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **577.65 करोड़ रुपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन होने तक, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और / अथवा कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **4.06 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **5.39 करोड़ रुपये**) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल किया गया है।

5. भारतीय लेखांकन मानक 115 - "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के तहत परियोजना प्रबंधन / परामर्शी कार्य / जमा कार्य के संबंध में प्रकटन निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(क)	संविदा देयताओं से माना गया राजस्व	5.41	6.99
(ख)	कीमत परिवर्तन के कारण और अन्य संविदा अंतर के कारण जिन्हें पहले नहीं माना गया था, माना गया राजस्व	-	-

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतर का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	(3.18)	2.88
(ii)	ऋण लागत के रूप में मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	22.69	71.65
(iii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	(0.57)	2.10

तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014-19 के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष के लिए ऋण लागत के तहत शामिल किए गए विनिमय दर अंतर को कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभार्थियों से वसूल योग्य) में अंतरित किया गया है।

7. प्रचालन खंड :

- क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कार्य "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एस-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।
- ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।
- ग) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत व्यापार कार्य में प्रवेश किया है।
- घ) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **4632.03 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष के लिए **3833.52 करोड़ रुपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रुपये में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1476.40	1132.45	18.12%	16.33%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1380.28	1274.86	16.94%	18.39%
3	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	908.55	650.93	11.15%	9.39%
4	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	866.80	775.28	10.64%	11.18%
	कुल	4632.03	3833.52	56.85%	55.29%

ड) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	भूटान	6.16	15.28
	कुल	6.16	15.28

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

8. भारतीय लेखांकन मानक-24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटन नीचे दिए गए हैं :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची

(i) सहायक कंपनियां :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)
3	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
4	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
5	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)
6	श्री अनिरुद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक 28.05.2018 से
7	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सरकारी नामिति निदेशक 30.07.2018 तक
8	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
10	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री भगवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक
12	प्रो. नलिनी कांत झा	स्वतंत्र निदेशक 05.11.2018 तक
13	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव

(iv) रोजगार-पश्चात लाभ योजनाएं :

संबंधित पक्षकार का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(v) संयुक्त नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां अथवा कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव

कंपनी बहुसंख्यक शेयरों के धारण के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। कंपनी ने सरकार से संबंधित कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं। अतः ऐसे-लेनों के पक्षकार-वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर साधारण व्यापार प्रक्रिया में नहीं लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	ईईएसएल, एमटीएनएल, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, आईआईटी, वीएसएनएल, पोसोको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी, केवी, एचपीसीएल, आईओसीएल आदि	समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित कंपनियां जिनका एनएचपीसी में नियंत्रण है

ख. संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए :

(i) सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन

(करोड़ रुपये में)		
विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
• एनएचडीसी	0.62	0.87
• बीएसयूएल	0.01	0.02
• एलडीएचसीएल	0.58	2.21
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश		
• एनएचडीसी	277.67	628.52
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
• बीएसयूएल	-	3.00
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचडीसी	1.13	3.21
• एलडीएचसीएल	0.24	1.08
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचडीसी	0.04	0.02

(ii) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
• सीवीपीपीएल	19.13	16.44
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
• सीवीपीपीएल	100.00	187.55
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति		
• सीवीपीपीएल	2.84	5.45
कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण		
• एनएचपीटीएल	-	6.00
दिए गए ऋण पर ब्याज		
• एनएचपीटीएल	0.06	-

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.70	2.17
रोजगार-पश्चात लाभ	0.77	0.34
अन्य दीर्घावधिक लाभ	0.18	0.45

केएमपी के साथ अन्य लेन-देन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.44	0.31
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.02

(iv) अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन - रोजगार पश्चात लाभ योजनाएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	337.29	285.22
उपदान ट्रस्ट में अंशदान	99.88	110.74
उपदान ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	159.08	64.63
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान	27.18	45.78
आरईएचएस ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	25.96	18.97
सामाजिक सुरक्षा स्कीम ट्रस्ट में अंशदान	7.20	7.82
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	125.42	90.91
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट में अंशदान	98.99	369.27
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	71.87	20.77

(v) सरकार के वे लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है - केंद्र सरकार
(इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ लेन-देन शामिल हैं)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	291.78	226.07
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.41	1.13
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं / मालसूची की बिक्री	27.54	30.41
संपत्ति / अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	1.79	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	738.15	926.23
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	482.00	350.00
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	18.61	19.93
भारत सरकार से कंपनी द्वारा शेयरों की बाय-बैक	142.27	-
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	12.50	12.50
विद्युत मंत्रालय के अधिदेश पर जारी और भारत सरकार को प्रदत्त 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा बांड (लगाए गए ब्याज सहित)	2021.69	-

(vi) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति / अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	52.52	53.01
वस्तुओं/मालसूची की खरीद	32.66	36.72
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	101.88	223.32
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	1.43	0.41
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	75.67	75.96
बीमा दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त निपटान राशि	52.92	52.20

(ग) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i)	(ii)	(iii)
सहायक कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल) के पास शेष		
• प्राप्य	1.26	6.48
संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	95.46	104.76
• बकाया ऋण (बढ़े हुए ब्याज सहित)	6.00	6.00
केएमपी के पास शेष		
• प्राप्य	0.05	0.04
एनएचपीसी की रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के पास शेष प्राप्य		
• उपदान ट्रस्ट	77.98	-
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	-	20.77
देय		
• उपदान ट्रस्ट	-	86.05
• ईपीएफ ट्रस्ट	142.91	23.05
• आरईएचएस ट्रस्ट	2.42	4.14
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.57	0.62
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	81.55	19.43
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	38.51	-
सरकार जिसका इस कंपनी पर नियंत्रण है, के पास शेष - केन्द्र सरकार / राज्य सरकार		
• देय	80.82	68.85
• प्राप्य	2052.78	70.68
• सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	4209.69	3750.80
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1118.79	1313.93
सरकार जिसका इस कंपनी पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित कंपनियों के पास शेष		
• देय	46.26	52.43
• प्राप्य	116.95	136.75
• कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से शेष	-	3.48

(घ) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां
(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

- क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मर्गों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्ज / सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केन्द्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्गों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।
- ख. एनएचपीटीएल को दिये गये 6.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.00 करोड़ रुपये) के प्रतिभूतिरहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।
- ग. इस कंपनी द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होती हैं।
- घ. सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कंपनी की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।
- (ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(3) में प्रकट किया गया है।
- (iii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाओं में अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल होता है।

9. प्रतिभूति का विवरण: ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	10190.38	10785.78
2	चल रहे पूंजीगत कार्य	7429.43	6827.57
	कुल	17619.81	17613.35

10. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना:

अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी प्रति माह प्रति कर्मचारी के एक समान अंशदान भी करती है और यह अंशदान योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाने के लिए 8 वर्ष तक किया जाना था जिसे 2 और वर्ष के लिए अर्थात् 31.05.2017 तक बढ़ाया गया है तथा इसे आगे और 3 वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुल्कात की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 3.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.88 करोड़ रुपए) है।

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस):

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 121.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 67.20 करोड़ रुपए) है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं:

कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व हैं :

(क) योजनाओं का विवरण

(i) भविष्य निधि :

यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) उपदान :

कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता / चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह

कंपनी की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/- रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण

(i) भविष्य निधि :

वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए हैं :

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2425.20	2444.86	(19.66)
वर्तमान सेवा लागत	91.15	-	91.15
ब्याज व्यय / (आय)	186.74	186.74	0.00
कुल	277.89	186.74	91.15
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(29.21)	22.80	(56.58)
कुल	(29.18)	22.80	(56.55)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	91.15	(91.15)
- योजना प्रतिभागी	261.29	261.29	-
लाभ भुगतान	(383.08)	(383.08)	4.58
31.03.2019 को अंतिम शेष	2552.12	2623.76	(71.64)

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2327.43	2354.24	(26.81)
वर्तमान सेवा लागत	72.93	-	72.93
ब्याज व्यय / (आय)	174.56	174.56	-
कुल	247.49	174.56	72.93
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
अनुभव (लाभ)/हानि	29.74	22.63	7.11
कुल	29.78	22.63	7.15
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	72.93	(72.93)
- योजना प्रतिभागी	224.50	224.50	-
लाभ भुगतान	(404.00)	(404.00)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	2425.20	2444.86	(19.66)

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,552.12	2425.20
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,623.76	2444.86
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(71.64)	(19.66)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(71.64)	(19.66)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **71.64 करोड़ रूपए** के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय या भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.0046%	0.0044%	इससे वृद्धि
					0.0047%	0.0045%

- (ii) **उपदान** : 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	705.04	587.20	117.84
वर्तमान सेवा लागत	20.87	-	20.87
ब्याज व्यय/(आय)	54.29	45.21	9.08
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	75.16	45.21	29.95
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	3.96	(3.96)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.24)	-	(0.24)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	5.55	-	5.55
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.95)	-	(13.95)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(8.64)	3.96	(12.60)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	200.66	(200.66)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(97.98)	(95.83)	(2.15)
31.03.2019 को अंतिम शेष	673.58	741.20	(67.62)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान	योजनागत परिसंपत्तियों	निवल राशि
	मूल्य	का उचित मूल्य	
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	758.07	616.44	141.63
समायोजन	-	0.13	(0.13)
वर्तमान सेवा लागत	23.60	-	23.60
ब्याज व्यय/(आय)	56.85	46.24	10.61
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	80.45	46.24	34.21
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.56	(2.56)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(10.48)	-	(10.48)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(1.21)	-	(1.21)
अनुभव (लाभ)/हानि	(57.16)	-	(57.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(68.85)	2.56	(71.41)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.63)	(78.17)	13.54
31.03.2018 को अंतिम शेष	705.04	587.20	117.84

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	673.58	705.04
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	741.20	587.20
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(67.62)	117.84
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(67.62)	117.84

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.87%	इससे वृद्धि	3.06%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.79%	इससे कमी	0.92%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	786.92	785.32	1.60
वर्तमान सेवा लागत	15.59	-	15.59
ब्याज व्यय/(आय)	60.59	60.47	0.12
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	76.18	60.47	15.71
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	6.95	(6.95)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.92)	-	(0.92)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	15.96	-	15.96
अनुभव (लाभ)/हानि	3.38	-	3.38
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	18.42	6.95	11.47
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	26.71	(26.71)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(23.76)	(23.76)	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	857.76	855.69	2.07

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	699.18	663.41	35.77
वर्तमान सेवा लागत	15.07	-	15.07
ब्याज व्यय/(आय)	52.44	49.76	2.68
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	67.51	49.76	17.75
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	10.56	(10.56)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.06	-	2.06
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	33.37	-	33.37
अनुभव (लाभ)/हानि	3.16	-	3.16
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	38.59	10.56	28.03
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	79.95	(79.95)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(18.36)	(18.36)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	786.92	785.32	1.60

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
वित्तपोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	857.76	786.92
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	855.69	785.32
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा / (अधिशेष)	2.07	1.60
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा / (अधिशेष)	2.07	1.60

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.73%	6.05%	इससे वृद्धि	6.81%	6.13%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.88%	6.17%	इससे कमी	6.75%	6.08%

- (iv) **सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर भत्ता** : 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2018-19		
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	4.98	-	4.98
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
ब्याज व्यय/(आय)	0.38	-	0.38
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.58	-	0.58
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.06	-	0.06
अनुभव किए गए (लाभ) /हानि	(0.65)	-	(0.65)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.60)	-	(0.60)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.07)	-	(0.07)
31.03.2019 को अंतिम शेष	4.89	-	4.89

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान	योजनागत परिसंपत्तियों	निवल राशि
	मूल्य	का उचित मूल्य	
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	4.94	-	4.94
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
ब्याज व्यय /(आय)	0.37	-	0.37
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.57	-	0.57
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय /(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.13	-	0.13
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.54)	-	(0.54)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.40)	-	(0.40)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.13)	-	(0.13)
31.03.2018 को अंतिम शेष	4.98	-	4.98

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.55%	3.64%	इससे वृद्धि	3.82%	3.88%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	3.88%	3.97%	इससे कमी	3.59%	3.71%

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह : 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2.17	-	2.17
वर्तमान सेवा लागत	1.68	-	1.68
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	1.85	-	1.85
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.18)	-	(0.18)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.16)	-	(0.16)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.29)	-	(0.29)
31.03.2019 को अंतिम शेष	3.57	-	3.57

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2.44	-	2.44
वर्तमान सेवा लागत	0.09	-	0.09
ब्याज व्यय/(आय)	0.18	-	0.18
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.27	-	0.27
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.34)	-	(0.34)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.29)	-	(0.29)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.25)	-	(0.25)
31.03.2018 को अंतिम शेष	2.17	-	2.17

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी		
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.87%	5.67%	इससे वृद्धि	5.17%	6.07%

(ग) परिभाषित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
छूट दर	7.56%	7.70%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1343.20	-	1343.20	54.94
कारपोरेट बॉण्ड	967.83	-	967.83	39.59
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	48.34	-	48.34	1.98
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	19.66	19.66	0.80
प्रोद्भूत ब्याज	-	65.83	65.83	2.69
कुल	2359.37	85.49	2444.86	100.00

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1,505.84	-	1,505.84	57.39
कारपोरेट बॉण्ड	975.08	-	975.08	37.17
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	58.84	-	58.84	2.24
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	10.78	10.78	0.41
प्रोद्भूत ब्याज	-	73.22	73.22	2.79
कुल	2,539.76	84.00	2,623.76	100.00

उपदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	587.07	587.07	99.98
नकदी और नकद समतुल्य	-	0.13	0.13	0.02
कुल	-	587.20	587.20	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	741.20	741.20	100.00
नकदी और नकद समतुल्य	-	0.00	0.00	0.00
कुल	-	741.20	741.20	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	738.69	-	738.69	94.07
एलआईसी योजना	-	18.79	18.79	2.39
नकदी और नकद समतुल्य	-	9.44	9.44	1.20
प्रोद्भूत ब्याज	-	18.40	18.40	2.34
कुल	738.69	46.63	785.32	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	739.05	-	739.05	86.37
एलआईसी योजना	-	88.69	88.69	10.37
नकदी और नकद समतुल्य	-	0.46	0.46	0.05
प्रोद्भूत ब्याज	-	27.47	27.47	3.21
कुल	739.05	116.62	855.67	100.00

(ड) **जोखिम प्रभाव :** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से यह कंपनी कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

जोखिम प्रभाव का विवरण :

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के प्रभाव में आती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ड) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान :** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं से प्रत्याशित अंशदान **118.09 करोड़** रुपये (31 मार्च, 2019 को **132.53 करोड़** रुपये) है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की औसत अवधि 10.14 वर्ष है (2018 - 10.38 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2019	427.00	904.35	432.71	788.06	2552.12
31.03.2018	321.13	292.75	465.23	1346.09	2425.20

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी कंपनी उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2019					
उपदान	105.95	72.76	97.02	397.85	673.58
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	36.25	38.06	128.18	655.26	857.75
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.64	0.59	1.32	2.34	4.89
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.56	0.50	0.99	1.52	3.57
कुल	143.40	111.91	227.51	1056.97	1539.79
31.03.2018					
उपदान	96.18	131.38	89.69	387.79	705.04
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	31.88	34.93	112.64	607.47	786.92
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.54	1.60	2.27	4.98
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.27	0.21	0.72	0.97	2.17
कुल	128.90	167.06	204.65	998.50	1499.11

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ) :** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम संख्या	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	21.37	22.55
	ii) अन्य विविध मामले	83.49	60.85
ख)	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	21.54	24.59
ग)	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	- अन्य	-	-

12. प्रति शेयर अर्जन :-

- क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	1.77	2.64
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	2.57	2.70
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

- ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	1807.15	2706.70
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2630.55	2769.03

- ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10218811713	10259320519

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

- क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

- ख) व्यापार प्राप्त, देय भुगतान राशि, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2018 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2018 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2019 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.12.2018 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2019 को बकाया राशि
व्यापार से प्राप्त	2565.97	2401.15	2684.60
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को जमा, अग्रिम	1067.94	654.37	1049.55
व्यापार/अन्य देय	256.69	55.8	331.64
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	105.14	13.10	112.90

- ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

14. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन (टिप्पणी सं 29 देखें)

- (i) किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	सीएसआर व्यय वाले व्ययों के शीर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	6.68	18.91
2	शिक्षा एवं कौशल विकास	2.43	5.90
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.21	0.01
4	पर्यावरण	0.55	1.51
5	कला एवं संस्कृति	0.19	5.47
6	भूतपूर्व दूध बलों के कार्मिक	0	0
7	खेल-कूद	0.29	0.06
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	-	-
9	ग्रामीण विकास	5.01	3.73
10	क्षमता निर्माण	0.11	0.16
11	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.09	0.64
12	स्वच्छ भारत अभियान	2.02	2.16
	कुल राशि	17.58	38.55

(ii) अन्य प्रकटन

- (क) नकद में भुगतान किए गए और और व्यय के स्वरूप पूंजी या राजस्व स्वरूप सहित नकदी रूप में अभी भुगतान किए जाने हेतु 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

उद्देश्य	नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	5.02	0.32	5.34
(ii) उपरोक्त (i) को छोड़कर किसी प्रयोजन हेतु	11.70	0.54	12.24
कुल	16.72	0.86	17.58

- (ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **17.58 करोड़** रुपये के कुल व्यय में से **0.86 करोड़** रुपये की राशि संबंधित पक्षकारों को अभी भुगतान की जानी है, जो देयताओं से संबंधित संगत लेखा शीर्ष में शामिल है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार सीएसआर के निमित्त खर्च किए जाने हेतु अपेक्षित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए **60.03 करोड़** रुपये (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर) बनती है जिसमें से **42.43 करोड़** रुपये की राशि खर्च न की गई रही।
- 15.** प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित है:

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
(i)	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज जो तुलन-पत्र की तारीख को किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त रहता है		
	क) व्यापार प्राप्य:		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.2 देखें)	15.74	5.29
	- ब्याज	-	-
	ख) अन्य:		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.3 देखें)	4.85	1.43
	- ब्याज	-	-
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार, क्रेता द्वारा दिए गए ब्याज की राशि वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष के लिए देय ब्याज तथा भुगतान योग्य राशि (जो दे दी गई है, परंतु वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद), परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	-
(iv)	बढ़े हुए ब्याज की राशि और तुलन-पत्र की तारीख को अप्रदत्त शेष	--	-
(v)	शेष देय ब्याज की राशि तथा परवर्ती वर्षों में भी देय राशि, उस तारीख तक जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटे जाने वाले व्यय की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए दी गई है	-	-

16. भारतीय लेखांकन मानक-17 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रचालन पट्टे - कंपनी पट्टेधारी के रूप में

- क) कंपनी की प्रमुख पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरस्त नहीं की जा सकती, आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **12.24 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **41.25 करोड़** रुपये) की राशि को **टिप्पणी 26** में वेतन, मजदूरी, भत्ते के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ख) कंपनी ने कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों को प्रचालन पट्टों पर लिया है जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **7.64 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **7.05 करोड़** रुपये) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ग) कंपनी ने वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते। वाहनों को किराए पर लिए जाने के संबंध में पट्टा भुगतानों की **37.12 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **34.16 करोड़** रुपये) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) वित्तीय पट्टा - पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने किदवईनगर, नई दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय की भवन निर्माण परियोजना में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर कार्यालय स्थान लिया है। 17.01 करोड़ रुपये की पहले भुगतान की गई राशि इस संपत्ति, जिसे भवन पट्टे के अधीन, टिप्पणी 2.1 - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाना है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के उचित मूल्य के काफी हद तक समतुल्य है। न्यूनतम पट्टा भुगतान 100 रुपये प्रति वर्ष के मामूली भूमि लगान के रूप में है जो लाभ और हानि विवरणी में प्रभावित किया जाता है।

(ग) वित्त पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन पावर स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समतुल्य है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को इंड एस 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो कंपनी द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :

(i) पट्टों में सकल निवेश :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
एक वर्ष के भीतर	257.95	242.91
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	987.15	1005.02
पांच वर्ष से अधिक	3935.52	4174.34
कुल	5180.63	5422.27

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
एक वर्ष के भीतर	56.67	34.80
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	266.49	249.37
पांच वर्ष से अधिक	1183.12	1256.45
कुल	1506.28	1540.62

(iii) पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
पट्टे में सकल निवेश	5180.63	5422.27
समायोजन :		
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	3483.75	3692.32
घटाए : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	190.60	189.33
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	1506.28	1540.62

(घ) प्रचालन पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। इन करारों के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31.03.2019	31.03.2018
एक वर्ष के भीतर	211.02	188.15
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	198.34	320.93
कुल	409.36	509.08

17. इंड एस 27 - "पृथक वित्तीय विवरणों" के तहत प्रकटन

(क) सहायक कंपनियों में ब्याज

कंपनियों का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	को स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2019	31.03.2018
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक	भारत	विद्युत उत्पादन	74.00%	74.00%
कारपोरेशन लिमिटेड				
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	99.99%	99.99%

(ख) संयुक्त उद्यमों में ब्याज:

कंपनियों का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	को स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2019	31.03.2018
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	भारत	ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा	20.00%	20.00%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.94%	55.39%

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का मापन "पृथक वित्तीय विवरणों" संबंधी इंड एस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

18. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उद्यम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस कंपनी की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति कंपनी से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तदनुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस कंपनी पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम प्रचालन करते हैं, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवधि के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियमों जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल है। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस कंपनी के छः सीजीयू और एक सहायक कंपनी के दो सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस कंपनी के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूली जाने वाली विनियामक आस्थगित लेखा शेष राशि पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है। सहायक कंपनी के संबंध में दोनों प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों हानि के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा की समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस कंपनी की सीजीयू और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में उसके निवेश की वहीनीय राशि की हानि को इंगित करे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हानि के लिए परीक्षित कंपनी की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों तथा उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में कोई हानि नहीं है।

19. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुसूची ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
20. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के अनुमोदन और/अथवा संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन के लंबित रहने तक, बिक्री की पहचान चमेरा-III, टीएलडीपी-III, सेवा-II एवं टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ विनियमों/ आदेशों पर आधारित प्रबंधन अनुमान के अनुसार की गई है। इसके अलावा, ऊर्जा की कमी एवं कानून में परिवर्तन के कारण जीएसटी के अतिरिक्त भार की प्रतिपूर्ति के प्रति भी की गई है। तदनुसार, प्रचालन से राजस्व में **515.05 करोड़ रुपये** (पूर्व के वर्षों के संबंध में **409.51 करोड़ रुपये** सहित) शामिल है।
21. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 का संदर्भ लें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

- (ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** (निर्धारित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 की क्रम सं 10 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लेखे में मान्यता दी गई है।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी :

- i. रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ii. ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- iii. शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के लिए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) माध्यस्थ निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान :

इसमें माध्यस्थ निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्राह्य मामले के निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

- संभावित बहिर्प्राह्य प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बाह्य प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।
- वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

22. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण :

कंपनी प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

मार्गदर्शन नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे) के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित है। तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप 2578.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2275.28 करोड़ रुपये तक) की ऋण लागत, 1318.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 1151.97 करोड़ रुपये) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यहास और अन्य व्यय, 279.06 करोड़ रुपये की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक 254.44 करोड़ रुपये) की प्रशासन तथा अन्य लागत को 31.03.2019 तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुसारी "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण के रूप में मान्यता देता है, कंपनी ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

दर विनियमित कार्यकलापों के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पणी (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पूर्व जीएएपी) में यह अपेक्षित है कि निकाय के वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस राशि के अनुमानों की समीक्षा करनी चाहिए जिसे वसूले जाने, वापस किए जाने अथवा समायोजित किए जाने की आशा है। यदि आशा पूर्व के अनुमानों से भिन्न हो, तब लागू लेखांकन मानक की संगत आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन मानक में परिवर्तन के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना में पहचान किए गए विनियामक आस्थगित लेखा शेष का आकलन किया है। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन यह मानता है कि 30.06.2018 से आगे सुबानसिरी लोअर परियोजना में आरडीए शेष में वृद्धि योग की वसूली नहीं की जा सकती है। तदनुसार, 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान परियोजना पर खर्च की गई 349.63 करोड़ रुपये की राशि के उधार और प्रशासनिक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और आरडीए शेषों के सृजन के लिए मान्यता नहीं दी गई है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष नीचे दिए गए अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2018 तक	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.03.2019 तक
ऋण लागत	2275.28	76.78	2352.06
कर्मचारी लाभ व्यय	572.45	20.68	593.13
मूल्यहास	49.50	1.77	51.27
अन्य व्यय	530.02	16.54	546.56
अन्य आय	(254.44)	(21.24)	(275.68)
कुल	3172.81	94.53	3267.34

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में वृद्धि योग इंड एस 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में उसमें मान्यता प्राप्त विनियामक विलंबित लेखा शेषों सहित इस परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल 6317.39 करोड़ रुपये की राशि (जैसा कि टिप्पणी संख्या 2.2.7 में दिया गया है) को कोई क्षति नहीं हुई है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यहास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात् 35 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019-2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014-19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार स्कावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबानसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

- क) मांग जोखिम :** विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई, आदि।
- ख) विनियामक जोखिम :** टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईसीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को 12 समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक-114-"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में प्रभारित किए जाने की सीमा तक "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए विनियामक आस्थगित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	442.68
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	203.85
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	203.85
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	646.53

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	(14.63)
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	-
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	(14.63)

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **विनियामक जोखिम** के अध्वधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने में सतर्कता की जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। निर्णय लेने में सतर्कता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर ह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। ह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014-19 में दी गई दरों के अनुसार बहियों में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष ह्रास को शेष 23 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि ह्रास के रूप में पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, जल पावर स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 35 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किये हुए टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 17 मई, 2018), कंपनी ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत ह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 35 वर्ष तक 3 प्रतिशत ह्रास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए ह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर ह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित ह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से ह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष 23 वर्षों के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों में टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2014-19 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित ह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया ह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का सृजन वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान किया जाएगा और पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान अर्थात् 23 वर्षों की अवधि के दौरान टैरिफ के संघटक के रूप में लाभार्थियों से वसूला जाएगा।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	171.98
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	171.98
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	171.98

कंपनी का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (35 वर्ष) है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः कंपनी किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करती है।

हालांकि, खाते में ह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - "विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रूपांतरित किया गया था, से

भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगे।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणों में प्रभावित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण किसी लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होंगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है: (करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	(0.40)
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (-))	(0.57)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	0
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(0.57)
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	(0.97)

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्वधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगी। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनःवर्गीकरण के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता है बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तदनुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में:

		(करोड़ रुपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	1792.03
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (-))	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	137.30
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(137.30)
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	1654.73

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (टैरिफ अवधि 2014-19 के संबंध में) के संबंध में:

		(करोड़ रुपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	276.72
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (-))	490.91
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	490.91
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	767.63

टैरिफ अवधि 2004-2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता तथा टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन कंपनी के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यक्षीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है। हालांकि, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014-19 में यथा प्रदत्त आस्थगित कर और वर्तमान कर की वसूली के तरीके में कोई अंतर नहीं है।

- 23 (i) उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)			
दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	वसूली से कुल प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित अद्यतन राशि	प्राप्य शेष 31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	66.11	47.40	5.12	13.59	13.61
व्यापार बाधा हानि	276.27	74.01*	-	202.26*	146.27
कुल	342.38	121.41	5.12	215.85	159.88

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय (55.99) करोड़ रुपये है (अद्यतन तिथि को संघित 74.01 करोड़ रुपये है)।

- (ii) चुटक पावर स्टेशन जो विद्युत गृह में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

		(करोड़ रुपए में)			
दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित अद्यतन राशि	प्राप्य शेष 31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	7.18	2.20	2.00	2.98	3.53
व्यापार बाधा हानि	16.22	16.22	-	-	14.42
कुल	23.40	18.42	2.00	2.98	17.95

- (iii) धौलीगंगा पावर स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित अद्यतन राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त व्यापार बाधा हानि	160.71	158.71	2.00	-	52.92
- उत्पादन हानि के कारण#	263.77	215.00	-	48.77	48.77
- कार्यकरण की वृद्धित लागत के कारण	4.28	-	1.93	2.35	2.35
कुल	428.76	373.71	3.93	51.12	104.04

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **48.77 करोड़** रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित **263.77 करोड़** रुपये है)।

- (iv) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2019 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 23(i), (ii) तथा (iii) में प्रकट किए गए उड़ी-II, चुटक और धौलीगंगा के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित अद्यतन राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	43.34	4.00	18.79	20.55	21.65

24. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.32 करोड़** रुपये के व्यय को किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
25. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2019 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **255.40 करोड़** रुपये, **42.95 करोड़** रुपये और **51.42 करोड़** रुपये की राशि के लिए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर 31.03.19 तक कुल **349.77 करोड़** रूपए की राशि हेतु लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है।
26. (क) तवांग चरण-II जल विद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति (चरण-I) प्रक्रियाधीन है। तवांग चरण-II जल विद्युत परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति के बाद तवांग-I जल विद्युत परियोजना के लिए वन स्वीकृति शुरू की जाएगी। इसके लंबित रहने तक, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई **217.35 करोड़** रुपये की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया जा रहा है।
- (ख) 5.2.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बोर्ड संकल्प के संदर्भ में तवांग-I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य सरकार को समानुपातिक आधार पर अस्वाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए **2.49 करोड़** रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसके लंबित रहने तक, **2.49 करोड़** रुपये का व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया जा रहा है।
27. धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.61 करोड़** रुपये की राशि को 31.03.2019 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त सावधानी के रूप में लेखाबहियों में **35.61 करोड़** रुपये का प्रावधान किया गया है।

28. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने दिनांक 29.01.2019 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के द्वारा 1 जनवरी, 1997 से बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान को नियमित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि (विगत अवधियों के लिए बकाया राशि सहित) के कारण कर्मचारी लाभ खर्च पर प्रभाव **290.49 करोड़** रुपये है जिसमें से **92.90 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष की उसी अवधि में शून्य) पूंजी में परिणत की जा चुकी है और **197.59 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष की उसी अवधि में शून्य) लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

29. सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन:

(क) ऋणों की प्रकृति में ऋण एवं अग्रिम

- (i) सहायक कंपनिया: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
- (ii) संयुक्त उद्यम कंपनिया:

(करोड़ रूप में)

कंपनी का नाम	को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2019	31.03.2018	2018-19	2017-18
नैशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लि.	6.00	6.00	6.00	6.00

(iii) उन फर्म और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

30. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्यामें)
1	जारी आरईसी की संख्या	125386
2	प्रमाणीकरण के अधीन होने वाले आरईसी की संख्या	4020
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी की संख्या	125386

31. कंपनी ने वर्ष के दौरान 330 मेगावाट किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को चालू किया है और पूंजी में परिणत किया है।

32. सीईआरसी टैरिफ विनियम/आदेशों के अनुरूप, कंपनी ने एक पावर स्टेशन के अंतिम कुछ वर्षों (पिछले 5 वर्षों) के प्रचालनात्मक जीवनकाल के दौरान खरीदी गई परिसंपत्ति पर ह्रास प्रभारित करने के लिए वर्ष के दौरान अपनी लेखांकन परिसंपत्तियों पर ह्रास जिन्हें पावर स्टेशन के शेष मूल प्रचालनात्मक जीवनकाल के दौरान पूर्व में प्रभारित किया जा रहा है, उस तिथि जब ऐसी परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता हो, से 25 वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात पावर स्टेशनों की बढ़ी हुई अवधि के दौरान अब प्रभारित की जा रही है। लेखांकन नीति में परिवर्तन बैरासिउल एवं लोकतक पावर स्टेशनों के संबंध में लागू है जो जीवन विस्तार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अध्वधीन है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ह्रास प्रभार **1.52 करोड़** रुपये कम है। हालांकि, भावी अवधियों में बैरासिउल एवं लोकतक पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक ह्रास प्रभार **1.15 करोड़** रुपये अधिक होगा।

इसके अलावा, पूर्व के वर्षों के संबंध में **23.67 करोड़** रुपये का आध्वक्य ह्रास "अन्य इक्विटी" में परिणामी वृद्धि के साथ वापस लिख दिया गया है। इस संबंध में पृथक प्रकटीकरण स्वतंत्र वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 35 के अंतर्गत दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 35

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, परचगामी पुनर्वर्गीकरण/पुनर्कथन पिछली अवधियों की वित्तीय विवरणी में कुछ मदों के संबंध में किया गया है। तदनुसार, भारतीय लेखांकन मानक 1 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, कंपनी ने पिछली अवधि के आरंभ में अर्थात् 01.04.2017 को तीसरा तुलन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमुख पुनर्कथन/पुनर्वर्गीकरण का उल्लेख नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

(क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार पुनःउल्लिखित एकल वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार पुनःउल्लिखित एकल तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)								
विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण की प्रभाव (पुनःउल्लिखित)	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव (पुनःउल्लिखित)	1 अप्रैल, 2017 को (पुनःउल्लिखित)
परिसंपत्तियां								
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां								
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	35.3	19,066.44	23.67	19,090.11	20,038.58	13.29	20,051.87
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	2.2		18,813.96	-	18,813.96	17,350.13	-	17,350.13
ग) निवेश संपत्ति	2.3		4.49	-	4.49	4.49	-	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4		923.38	-	923.38	934.14	-	934.14
ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां								
i) निवेश	3.1		2,209.56	-	2,209.56	2,100.32	-	2,100.32
ii) प्राप्य व्यापार	3.2		184.45	-	184.45	-	-	-
iii) ऋण	3.3	35.5	339.88	361.86	701.74	360.96	324.86	685.82
iv) अन्य	3.4	35.5	1,915.23	(343.81)	1,571.42	1,863.83	(296.84)	1,566.99
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवला)	4		163.67	-	163.67	73.68	-	73.68
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	35.5	1,279.63	518.01	1,797.64	1,125.74	(28.02)	1,097.72
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			44,900.69	559.73	45,460.42	43,851.87	13.29	43,865.16
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां								
क) माल-सूची	6		95.77	-	95.77	91.64	-	91.64
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां								
i) प्राप्य व्यापार	7		1,097.07	-	1,097.07	1,492.90	-	1,492.90
ii) नकदी और नकद समतुल्य	8		6.96	-	6.96	59.89	-	59.89

(करोड़ रूपए में)						
विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण की प्रभाव (पुनःउल्लिखित)	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	1 अप्रैल, 2017 को (पुनःउल्लिखित)
iii) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9		1,465.43	-	1,473.25	1,473.25
iv) ऋण	10	35.5	46.80	1.17	43.84	161.24
v) अन्य	11	35.5	1,919.42	(536.06)	1,858.25	1,858.25
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		0.40	-	55.93	55.93
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	35.5	342.18	(1.17)	475.21	357.81
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां			4,974.03	(536.06)	5,550.91	5,550.91
(3) विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	14	35.1	3,600.46	2,068.75	2,904.32	5,630.56
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष			53,475.18	2,092.42	52,307.10	55,046.63
इक्विटी तथा देयताएं						
(1) इक्विटी						
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1		10,259.32	-	10,259.32	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2		18,068.83	23.67	16,682.81	16,696.10
कुल इक्विटी			28,328.15	23.67	26,942.13	26,955.42
(2) देयताएं						
गैर-वर्तमान देयताएं						
क) वित्तीय देयताएं						
i) ऋण	16.1		16,728.20	-	17,245.64	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		38.47	-	25.63	25.63
ख) प्रावधान	17		25.47	-	486.93	486.93
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	35.1	1,076.64	2,068.75	938.49	3,664.73
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19		1,625.00	-	1,472.47	1,472.47
कुल गैर-वर्तमान देयताएं			19,493.78	2,068.75	20,169.16	22,895.40
कुल गैर-वर्तमान देयताएं			19,493.78	2,068.75	21,562.53	22,895.40

विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण की प्रभाव	31 मार्च, 2018 को (पुनःउल्लिखित)	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2017 को (पुनःउल्लिखित)
(3) वर्तमान देयताएं								
क) वित्तीय देयताएं								
i) ऋण	20.1		279.99	-	279.99	302.50	-	302.50
ii) देय व्यापार	20.2			-	-	-	-	-
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय			5.29	-	5.29	4.28	-	4.28
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		35.5	166.26	10.31	176.57	142.80	17.72	160.52
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3		2,778.81	(10.31)	2,768.50	2,549.63	(17.72)	2,531.91
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21		669.86	-	669.86	706.65	-	706.65
ग) प्रावधान	22		1,753.04	-	1,753.04	1,489.95	-	1,489.95
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23		-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान देयताएं			5,653.25	0.00	5,653.25	5,195.81	(0.00)	5,195.81
कुल इक्विटी तथा देयताएं			53,475.18	2,092.42	55,567.60	52,307.10	2,739.53	55,046.63

(ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का पुनःउल्लिखित एकल विवरण

विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)
(करोड़ रूपए में)					
आय					
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	35.5	6,934.03	4.19	6,938.22
ii) विद्युत व्यापार से राजस्व	24.2	-	-	-	-
iii) अन्य आय	24.3	35.4 & 35.5	1,491.00	(70.45)	1,420.55
कुल आय			8,425.03	(66.26)	8,358.77
व्यय					
i) उत्पादन व्यय	25		716.39	-	716.39
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	35.4	1,585.33	(49.44)	1,535.89
iii) वित्त लागत	27		922.32	-	922.32
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	35.3	1,405.89	(10.38)	1,395.51
v) अन्य व्यय	29	35.4	989.18	(16.82)	972.36
कुल व्यय			5,619.11	(76.64)	5,542.47
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ			2,805.92	10.38	2,816.30
असाधारण मदें			-		
विनियामक क्रियाकलाप दर और कर पूर्व लाभ			2,805.92	10.38	2,816.30
कर व्यय	30				
i) वर्तमान कर		35.5	634.68	(6.91)	627.77
ii) आय कर हेतु समायोजन		35.5	(6.91)	6.91	-
iii) आस्थगित कर		35.2	139.32	(657.49)	(518.17)
कुल कर व्यय			767.09	(657.49)	109.60
वर्ष हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व लाभ			2,038.83	667.87	2,706.70
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	35.2	719.82	(657.49)	62.33
वर्ष हेतु लाभ (क)			2,758.65	10.38	2,769.03

विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)
अन्य व्यापक आय (ख)					
i) मर्दे जिनमें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन			44.78	-	44.78
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर			14.80	-	14.80
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थिति कर देयताओं के प्रति आस्थिति कर समायोजन			(13.85)	-	(13.85)
विनियामक आस्थिति लेखे शेष में संचलन - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन			(23.68)	-	(23.68)
उप जोड़ (क)			20.15	-	20.15
(ख) इक्विटी दस्तावेज में निवेश			(7.30)	-	(7.30)
उप जोड़ (ख)			(7.30)	-	(7.30)
कुल (i) = (क)+(ख)			12.85	-	12.85
ii) मर्दे जिनमें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा					
- ऋण दस्तावेज में निवेश			(9.09)	-	(9.09)
घटाएं - ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर			(2.12)	-	(2.12)
कुल (ii)			(6.97)	-	(6.97)
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ ii)			5.88	-	5.88
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)			2,764.53	10.38	2,774.91
(मूल एवं डाइल्यूटड) : प्रति शेयर अर्जन					
(इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)					
विनियामक आस्थिति लेखा शेष में संचलन से पूर्व	35.6		1.99	0.65	2.64
विनियामक आस्थिति लेखा शेष में संचलन के पश्चात	35.6		2.69	0.01	2.70

ग. 31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (निष्कर्ष)
अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय			कुल
	टिप्पणियाँ	पूँजीगत मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बांड मोचन आरक्षित	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष प्रविधिरहित अर्जन से इक्विटी दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	
1 अप्रैल, 2017 को शेष (जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है)		2,041.42	242.81	1,609.27	43.90	10,088.11	2,522.54	100.08	16,682.81
गतिविधियों का खुदारा (कर का निवला)	35.3						13.29		
1 अप्रैल, 2017 को पुनः उल्लिखित शेष		2,041.42	242.81	1,609.27	43.90	10,088.11	2,535.83	100.08	16,696.10
वर्ष के लिए लाभ		-	-	-	-	-	2,769.03	-	2,769.03
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-	20.15	(7.30)	5.88
कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	2,789.18	(7.30)	2,774.91
प्रतिधारित आय में अंतरण									
बांड मोचन रिजर्व से अंतरित राशि		-	-	(148.17)	-	-	148.17	-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि से अंतरित राशि		-	-	-	(43.90)	-	43.90	-	-
प्रतिधारित आय से अंतरण									
अंतिम लाभान्श (2016-17)		-	-	-	-	-	(102.60)	-	(102.60)
अंतरिम लाभान्श (2017-18)							(1,149.05)		(1,149.05)
लाभान्श पर कर		-	-	-	-	-	(126.86)	-	(126.86)
बांड मोचन रिजर्व पर अंतरण		-	-	668.45	-	-	(668.45)	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष		2,041.42	242.81	2,129.55	-	10,088.11	3,470.12	92.78	18,092.50

टिप्पणी:

35.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए आस्थगित कर की वसूली उसी वर्ष में लाभार्थियों से की जाती है जिस वर्ष में वह चालू कर के रूप में परिणत होता है और टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किए गए कर के आधार पर प्रभावी कर दर के द्वारा इक्विटी पर लाभ को जोड़ा जाता है। 31 मार्च, 2018 तक भावी वर्षों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर का समायोजन आस्थगित कर देयता के निमित्त किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त किए गए विचार के अनुसार, कंपनी ने आस्थगित कर देयता से इसे समायोजित करने के निमित्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में वसूले जाने वाले आस्थगित कर का पुनर्वर्गीकरण किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 2014-15 से 2017-18 की अवधि से संबंधित कर देयता के कारण (-) 81.22 करोड़ रुपये के प्रभाव का समायोजन/उस पर विचार चालू वर्ष के लिए कर की गणना में किया गया है।

35.2 वित्तीय वर्ष 2017-18 की 657.49 करोड़ रुपये की सीमा तक आस्थगित कर व्यय का पुनर्वर्गीकरण/पुनःउल्लेख उपर्युक्त क्रम संख्या 35.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के रूप में किया गया है।

35.3 किसी पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के "अंतिम कुछ वर्षों" के दौरान (पिछले पांच वर्षों) सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 (पिछले 5 वर्षों) के अनुसार अर्जित और उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों पर ह्रास सीईआरसी टैरिफ विनियमन/आदेशों (टिप्पणी सं 34 की क्रम सं. 92 देखें) के अंतर्गत उत्पादन केंद्र के बढ़ाए गए जीवनकाल की तुलना में मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर प्रभावित किया गया था। इसके फलस्वरूप, पूर्व की अवधियों के संबंध में आधिक्य ह्रास को "अन्य इक्विटी" में परिणामी वृद्धि के साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वापस लिया गया है।

35.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, इन प्रावधानों के विपर्यय को "अन्य आय" के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष के दौरान सृजित प्रावधानों की सीमा तक पूर्व के वर्षों के प्रावधानों के विपर्यय का समायोजन किया है और परिणाम के तौर पर "अन्य आय" और संबंधित व्यय का भी समायोजन उस सीमा तक किया गया है। हालांकि, संबंधित वर्ष के लाभ पर ऐसे पुनर्वर्गीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

35.5 उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित पुनर्वर्गीकरणों/पुनर्कथनों का भी उल्लेख चालू वर्ष के वर्गीकरण के सदृश्य रखने के लिए लाभ और हानि विवरण तथा तुलन-पत्र में किया गया है:

- क. शाश्वत प्रकृति की जमा राशि, जिसे पूर्व में "अन्य चालू परिसंपत्तियां"/"अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को "चालू वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण"/"गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण" के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- ख. अरुणाचल प्रदेश की सरकार को दिए गए ऋण पर बढ़ा हुआ ब्याज, जिसे "वित्तीय परिसंपत्ति - अन्य" के रूप में पहले वर्गीकृत किया गया है, का फिर से वर्गीकरण ऋण शेष राशि के साथ "वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण" के रूप में किया गया है।
- ग. "वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू - अन्य" के अंतर्गत पूर्व में प्रस्तुत किया गया ठेकेदारों को किए गए भुगतानों का पुनःवर्गीकरण नीति आयोग के दिशा-निर्देशों (वित्तीय विवरणी के टिप्पणी संख्या 34(1) (ड) देखें) के अनुसरण में "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां" के रूप में किया गया है।
- घ. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हुई कुछ देयताओं का फिर से वर्गीकरण "अन्य वित्तीय देयताएं - चालू" से "व्यापार देय राशि - चालू" तक किया गया है।
- ड. "अन्य आय" के रूप में पूर्व में प्रस्तुत की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) के कारण आय का फिर से वर्गीकरण "प्रचालनों से राजस्व" के रूप में किया गया है।
- च. कर व्यय में, आय कर के लिए समायोजन को वर्तमान करों में मिला दिया गया है।

35.6 वर्ष 2017-18 के लिए प्रति शेयर मूल एवं कम किये गये अर्जन का भी फिर से उल्लेख किया गया है। प्रति शेयर मूल और कम किया गया अर्जन विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के पूर्व 0.65 रुपये तक प्रति शेयर और विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के बाद 0.01 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ गया है।

35.7 वर्ष 2017-18 की नकदी के प्रवाह के विवरण पर उपर्युक्त पुनर्कथन/पुनःवर्गीकरण के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहया एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन
(**प्रेम सी. बंसल**)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी एस भी एण्ड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(**संजय जैन**)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(**आर.पी. सिंह**)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे यहां बाद में “धारक कंपनी” कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ “समूह” कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें उसके संयुक्त उद्यमों में लाभ का समूह का निवल हिस्सा शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र है तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (जिसे यहां बाद में “समेकित वित्तीय विवरण” कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित (“इंड एस”) के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समूह के कार्यों की स्थिति और लाभ, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों और उसके नकद प्रवाह की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में निर्धारित हैं। हम उन नीतिगत अपेक्षाओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं नीति संहिता के अनुसार अपनी नीतिगत जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने और निम्नलिखित भाग में अन्य मामलों में बताई गई उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हमारे व्यावसायिक निर्णय में वे मामले हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था तथा हम इन मामलों पर अपना अलग से कोई मत नहीं देते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले बनने के लिए मामलों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया है। हमने इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित अपनी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत विवरण के जोखिम के हमारे मूल्यांकन का उत्तर देने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा न किए गए घटकों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उनके द्वारा सूचित किए गए अनुसार, हम नीचे मामलों को हल करने के लिए की गई प्रक्रियाओं सहित संलग्न समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टों में कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं दिए हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
1- विनियामक आस्थगन लेखा शेष और राजस्व एवं प्रशुल्क अधिसूचनाओं तक राजस्व का प्रोद्घवन (क) विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में टिप्पणी 34(23क) में दर्शाए गए अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित मामले के कारण कार्य में व्यवधान की तारीख अर्थात् 16.12.2011 की अवधि के लिए सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित अन्य व्यय तथा ब्याज लागत पर प्रोद्घवन शामिल हैं। ये व्यय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियामकी के अनुसार माने गए हैं और वसूल किए जाने योग्य अग्रेणीत किए गए हैं। इस राशि में आस्थगन लेखा शेष सहित परियोजना में शामिल राशि वास्तविक है। मामला न्यायाधीन होने के कारण तथा पर्याप्त समयावधि के लिए निर्णय के लिए लंबित होने के कारण जोखिम और अनिश्चितताएं कंपनी के कार्यों पर काफी प्रभाव डालते हुए उसकी वसूली प्रभावित हो सकती है। (ख) इसके अतिरिक्त, टिप्पणी 34(23ख) से 34(23ड) में दिए गए अनुसार, विनियामक अंतरीय लेखा शेष मजदूरी संशोधन, विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव, प्रशुल्क के मानकों पर मूल्यहास, आस्थगित कराधान आदि के कारण कुल 3225.27 करोड़ रुपये के कुछ अन्य व्यय के संबंध में माने गये हैं। (ग) 515.05 करोड़ रुपये कानून में परिवर्तन के कारण ऊर्जा में कमी तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त प्रभाव की प्रतिपूर्ति के निमित्त सीईआरसी में दायर की गई याचिकाओं और कुछ पावर स्टेशनों में संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन और/अथवा सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का अनुमोदन किए जाने तक वसूल किए जाने योग्य माना गया है और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियां वर्तमान - अन्य (वर्तमान)[टिप्पणी 34(21)] के तहत शामिल किया गया है। कंपनी के प्रचालनात्मक क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अध्यक्षीन हैं जिनसे उत्पादित विद्युत के लिए लगाया गया प्रशुल्क अनुमति योग्य पूंजी तथा अन्य लागत और व्यय एवं उस पर निर्धारित आय के आधार पर है। विनियामक आस्थगन लेखे अंतिम अनुमोदन और अधिसूचनाओं पर वर्तमान सीईआरसी प्रशुल्क विनियमावली के अनुसार उनकी वसूली योग्यता के संबंध में अनुमानों के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में प्रशुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी हैं, उनमें राजस्व वर्तमान विद्यमान सीईआरसी विनियमावली को ध्यान में रखते हुए माना गया है। उपर्युक्त (क) से (ग) में ऊपर किए गए प्रोद्घवन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें कंपनी प्रचालन कर रही है। विशिष्ट अधिसूचना और दर निर्धारण के अभाव में ये प्रबंधन की अवधारणाओं और अनुमानों के आधार पर हैं जो सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यक्षीन हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष के वहनीय मूल्य की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल है: ● प्रबंधन द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि के निर्धारण तथा आय के प्रोद्घवन के लिए स्थापित किए गए अनुसार नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना तथा उसका परीक्षण करना। ● सीईआरसी विनियमावली के अनुसार वसूल की जाने वाली राशि प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे मूल्यांकनों के लिए प्रबंधन द्वारा लागू महत्वपूर्ण निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता का निर्धारण, परीक्षण और मूल्यांकन करना। ● उपर्युक्त में सीईआरसी दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावों की स्वीकार्यता तथा विभिन्न आधारों पर उनकी अनुमति न देने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा उनका अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापारिक परिवेश के तहत की गई अवधारणाओं के लिए युक्तिसंगतता शामिल है। ● नकदी सृजक यूनिट का मूल्य, विशेष रूप से सुबानसिरी परियोजना के मामले में, निकालने के लिए प्रबंधन द्वारा मानी गई विभिन्न अवधारणाओं का मूल्यांकन करना और उनको शामिल करना तथा चल रही परियोजना के वहनीय मूल्य और विनियामक आस्थगन लेखाओं के शेष के संबंध में उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।

2- संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों (पीपीई) और चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) की वहनीय राशि का हानि निर्धारण कंपनी और सहायक कंपनियों की कुछ नकदी सृजन यूनिटों (सीजीयू) का मूल्यांकन 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इसमें वर्तमान में व्यवधान में आई सुबानसिरी लोअर परियोजना (टिप्पणी 2.2.7) और टिप्पणी 34(19) में दिए गए अनुसार अन्य परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा चल रहे पूंजीगत कार्य शामिल हैं। इसका यह मूल्यांकन किया गया है कि कंपनी पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा उस प्रौद्योगिकीय, आर्थिक एवं कानूनी परिवेश में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम प्रचालन करते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हानि के लिए परीक्षित कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की नकदी सृजन यूनिटों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण हानि संकेतक अथवा कोई हानि मौजूद नहीं है। उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर हानि के लिए कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है। किए गए हानि संबंधी कार्य, जो उपर्युक्त पैरा क के तहत लिए गए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित विनियामक आस्थगन लेखा शेषों सहित कुछ परिसंपत्तियों की वहनीय राशि कंपनी के प्रचालनों के लिए काफी और महत्वपूर्ण है। हानि के मूल्यांकन में नकदी सृजन यूनिटों (सीजीयू) के प्रयोग में मूल्य का मूल्यांकन शामिल है और इसके लिए भावी नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, पूर्वानुमान उत्पादन, पूर्वानुमान मात्रा, कीमत और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों तथा अवधारणाओं की आवश्यकता होती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम हानि के परीक्षण पर आधारित किसी सीजीयू के गैर-प्रावधान की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल है: - कंपनी के प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन और भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुरूप हानि के संकेतक (अथवा उनके विपरीत); - इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अवधारणाओं का विश्लेषण कर वसूल योग्य राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सहित सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त हानि मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा; - मूल्य निर्धारण करने के लिए और किन्हीं परिवर्तनों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पूर्वानुमान के संबंध में निरंतरता; - मॉडलों में प्रयुक्त कीमत अवधारणाएं; - नकद प्रवाह अनुमानों अथवा छूट दर में सीजीयू में अंतर्निहित जोखिम के कारण। - पूंजी की भारित औसत लागत के लिए अवधारणा/अनुमान तथा प्रयोग में मूल्य निकालने के लिए छूट की दर। - परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार की नीति और अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
3 संविदाकारों से दावों के विरुद्ध आकस्मिक देयताएं (टिप्पणी सं. 34.2(क)(i)) पूंजीगत कार्यों के विरुद्ध संविदाकारों द्वारा दर्ज विभिन्न दावे आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किए गए हैं। इसमें विवाचन के तहत और/अथवा न्यायालय के समक्ष वे मामले शामिल हैं जिनमें कंपनी के विरुद्ध निर्णय लिया गया है, जिनमें से कुछ धनराशि नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार दे दी गई है/जमा कर दी गई है। कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये विवाचन अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं और उनके परिणामी तथा संभावित प्रभाव एवं अपेक्षित प्रावधान/प्रकटन देयता होने की संभावना के प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर रहे हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल है: - विधिक विभाग से मामले की स्थिति और इस मामले में उनकी विचार प्राप्त किए। - अब तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता के लिए संविदागत निबंधन एवं शर्तों तथा प्रबंधन की युक्तिसंगतता और कंपनी के विरुद्ध की गई मांगों के लिए प्रावधान न की गई शेष राशि का मूल्यांकन किया। - प्रबंधन के साथ बैठक करना तथा पत्राचार के ज्ञापनों एवं संबंधित मामलों की टिप्पणियों को पढ़ना और उनकी समीक्षा करना। - समान मामलों के संबंध में कानूनी मतों तथा निर्णयों और अंतिम न्याय/निर्णय होने तक उनसे होने वाली देयता की संभावना पर विश्वास किया गया है। - भारतीय लेखांकन मानक 37 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां” की अपेक्षा के अनुसार अपेक्षित प्रबंधन द्वारा प्रकटन की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

4 31.03.2019 तक सर्वेक्षण एवं जांच परियोजनाओं पर किया गया खर्च टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार 1419.98 करोड़ रुपये का व्यय (वर्ष के लिए 132.06 करोड़ रुपये सहित) परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच करने के लिए किया गया है। इसमें से 666.05 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान 60.52 करोड़ रुपये सहित) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरीयों, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के निमित्त प्रावधान किया गया है जिसमें 753.93 करोड़ रुपये छोड़ दिए गए हैं जिन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। चलाई न जा रही संबंधित परियोजनाओं की स्थिति में सर्वेक्षण और जांच पर खर्च की गई धनराशि जो वास्तविक है, चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम सर्वेक्षण और जांच परियोजनाओं पर किए गए खर्च की वहनीय राशि के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, में निम्नलिखित शामिल है: ● प्रबंधन द्वारा दिए गए अनुसार सर्वेक्षण एवं जांच स्तर के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति और उन मामलों सहित उन्हें स्थगित करने के कारण, जहां इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश हैं, प्राप्त किए गए। ● सर्वेक्षण एवं जांच परियोजनाओं के लिए किए गए खर्चों के लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित किए गए अनुसार डिजाइन की समझ तथा परीक्षण और नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता और कंपनी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए ऐसे खर्चों के लिए प्रावधान करने/ बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाई गई नीति। ● भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को संभावित रूप से छोड़ने के संबंध में प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना और/अथवा उसके प्रत्याशित आर्थिक प्रयोग का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरणों को छोड़कर सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मूल निदेशक बोर्ड अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा व्यापार दायित्व रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना होती है, परंतु उसमें समेकित वित्तीय विवरण, एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। बोर्ड की रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम उस पर कोई आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व उपर्युक्त सूचना ऊपर अभिज्ञात अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाने पर पढ़ना, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों से तुलना करना अथवा प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षा न किए गए संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की तुलना इन कंपनियों के संबंध में उस सीमा तक करना और ऐसा करने में अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन प्रमाणन के कार्य पर विश्वास करना तथा इस पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई जानकारी के वास्तविक रूप से अनुरूप नहीं है अथवा वास्तविक रूप से अन्यथा गलत बताई गई प्रतीत होती है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में जहां तक अन्य सूचना का संबंध है, वह अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अथवा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उनके वित्तीय विवरणों से ली गई है।

यदि जो कार्य हमने किया है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालें कि इस अन्य सूचना को वास्तविक रूप से गलत बताया गया है, तो हमें उस तथ्य को सूचित करना होता है।

हमें इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

अन्य सूचना के लिए उपर्युक्त रिपोर्टिंग धारक कंपनी से संबंधित है क्योंकि संघटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने 'वित्तीय विवरणों के सिवाय सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में यथा-उल्लिखित इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कार्यों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उसके संयुक्त उद्यमों सहित समूह के समेकित नकद प्रवाह की सही तस्वीर देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक बोर्डों के दायित्व में समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, वे निर्णय और अनुमान करना जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित के लिए लागू किए जा रहे थे, उनके वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुती से संगत हैं जो सही एवं उचित दृष्टिकोण देते हैं तथा गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, जिनका प्रयोग उपर्युक्त मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह और उसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड कंपनी की एक चलती रहने वाली कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू स्थिति प्रकट करने, चल रही कंपनी से संबंधित मामलों और तब तक लेखांकन की चल रही कंपनी के आधार का प्रयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है जबकि निदेशक बोर्ड या तो कंपनी का परिसमापन करने का इरादा करे अथवा प्रचालन बंद कर दे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक बोर्ड समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है, क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, और लेखापरीक्षा की उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए जिसमें हमारा मत शामिल है, गलत विवरण से मुक्त हैं। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, परंतु एक गारंटी नहीं होती है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा उस वास्तविक गलत विवरण का हमेशा पता लगाए जो मौजूद है। गलत विवरण धोखाधड़ी और त्रुटि से बन सकते हैं और यदि अलग-अलग अथवा समग्र रूप में वास्तविक माने जाते हैं तो वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकते हैं।

लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों का वास्तव में गलत विवरण देने के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करने कि क्या वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करने और तैयार करने तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के कारण हैं जो कि हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में टकराव, धोखेबाजी, इरादतन चूक, गलत प्रतिनिधित्व अथवा आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड हो सकता है।
- लेखा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस संबंध में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और उन नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता भी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन का चल रही कंपनी के आधार का प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या उन घटनाओं और स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जिनसे कंपनी की क्षमता उसके संयुक्त उद्यमों सहित कंपनी के रूप में जारी रहने की योग्यता पर काफी संदेह बन सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से समूह और उसके संयुक्त उद्यमों का चालू रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या समेकित वित्तीय विवरण उल्लिखित लेन-देनों और उन घटनाओं का उस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित प्रस्तुति हासिल करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के भीतर व्यापारिक क्रियाकलापों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यापारिक क्रियाकलापों के वित्तीय विवरणों जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे अन्य लेखापरीक्षक जिम्मेदार होते हैं। हम अपने लेखापरीक्षा मत के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

वास्तविकता उन समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरण की मात्रा है, जो अलग-अलग अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उपयुक्त रूप से ज्ञानवान प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कार्यों पर विचार करते हैं।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों के नियोजित क्षेत्र और समय एवं अन्य मामलों के संबंध में शासन पर लगाए गए मामलों के साथ सूचित करते हैं।

हम एक विवरण के साथ शासन पर लगाए गए वही मामले भी देते हैं जिनका हमने स्वतंत्र होने के संबंध में संगत नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उनको सूचित करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले जो हमारी स्वायत्ता को लेने के लिए उपयुक्त रूप से माने जाएं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय हों।

शासन के साथ प्रभारित मामलों के साथ सूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे और इसीलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक वर्णित करते हैं जब तक कानून अथवा विनियम मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटन का निवारण न करे अथवा जब अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में हम निर्धारित करें कि मामला हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों को बाहर करने की उपयुक्त रूप से उम्मीद होगी।

अन्य मामले

- हमने उन तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरण कुल परिसंपत्तियां दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल निवल परिसंपत्तियां, कुल राजस्व और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के तहत माने गए उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकद अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) दर्शाते हैं:

(करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च, 2019 के अनुसार कुल परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2019 के अनुसार निवल परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्प्रवाह / बहिर्प्रवाह
एनएचडीसी लिमिटेड	8040.12	5789.84	1037.30	(1.03)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलएचडीसी लिमिटेड)	144.63	137.47	0.93	0.13
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	21.45	8.60	0.02	0.31
कुल	8206.20	5935.91	1038.25	(0.59)

- समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों के आधार के तहत मानी गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवल लाभ का समूह का हिस्सा भी शामिल है:

(करोड़ रुपये में)

कंपनी का नाम	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा - कुल
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	6.98	-	6.98

- उपरोक्त पैरा 1 और 2 में उल्लिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उन अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में इन सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटनों का संबंध है, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।
- समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर मानी गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित एक संयुक्त उद्यम के संबंध में निवल लाभ में समूह का हिस्सा शामिल है:

(करोड़ रुपये में)

कंपनी का नाम	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा - कुल
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(1.74)	(0.01)	(1.75)

वित्तीय सूचना लेखापरीक्षित नहीं है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है तथा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक उपर्युक्त के अनुसार शामिल धनराशि और प्रकटनों का संबंध है, पूर्णतः लेखापरीक्षित न की गई वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारे मत में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह सूचना समूह के लिए वास्तविक नहीं है।

5. उपर्युक्त घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित मामले सूचित नहीं किए हैं:
- प्रमुख लेखापरीक्षा मामले
 - वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य सूचना
- इसके अभाव में हम समूह के लिए इन मामलों को शामिल करने में असमर्थ हैं और तदनुसार ये मामले केवल धारक कंपनी के लिए रिपोर्ट किए गए हैं।
6. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में संशोधित नहीं है।
7. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी के संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी जिनमें दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थीं और उन्होंने उन समेकित वित्तीय विवरणों पर दिनांक 28 मई, 2018 की अपनी रिपोर्ट द्वारा असंशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट व्यक्त की थी। इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की सूचना

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जैसा कि उपर्युक्त 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया है, हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
- हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
- इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इस रिपोर्ट में लिए गए समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण, समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए रखी गई लेखाबहियों के अनुरूप है;
- हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित समेकित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ड) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होते हैं;
- समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उन नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुबंध-क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें जो धारक कंपनी, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर आधारित है जिनकी लेखापरीक्षा की गई है। हमारी रिपोर्ट समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित मत व्यक्त करती है; और
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति पर लंबित याचिकाओं के प्रभाव को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34, पैरा 1 देखें।
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर वास्तविक पूर्वानुमान योग्य हानियों, यदि कोई हो, हेतु लागू विधि या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षानुसार प्रावधान किए हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की कोई व्युत्पन्न संविदाएं नहीं थीं।
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 09487एन

(प्रेम सी. बंसल)

साझेदार

सदस्यता सं. 083597

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)

साझेदार

सदस्यता सं. 084906

कृते लोढ़ा एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : मई 27, 2019

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्षक “अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं” के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित अनुबंध-क)

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात “धारक कंपनी” कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों तथा इसके संयुक्त उद्यमों, जो तदनुसूची तिथि को भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट (“परामर्शी नोटड”) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन मानदंड इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या आंतरिक विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए अन्य मामले पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्योरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन-देन सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर साठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलतबयानी हो सकना तथा जिसका पता भी नहीं चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार धारक कंपनी, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2019 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मानदंड पर आधारित हैं।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उक्त रिपोर्टों का जहां तक दो सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम, जो कि भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, यह भारत में अधिनिगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उक्त उल्लिखित रिपोर्टों का जहां तक भारत में अधिनिगमित एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित है, के संबंध में और समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में हमारा मत प्रबंधन द्वारा वर्णन किए गए अनुसार प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए वास्तविक नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 09487एन

(प्रेम सी. बंसल)

साझेदार

सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 27 मई, 2019

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)

साझेदार

सदस्यता सं. 084906

कृते लोढ़ा एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 052438

31 मार्च, 2019 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
परिसंपत्तियां				
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	23,116.24	19,277.73	20,251.73
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	15,036.80	19,086.74	17,587.59
ग) निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	1,855.90	1,918.69	1,984.20
ङ) इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश	2.5.1	792.65	621.47	500.57
च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) निवेश	3.1	490.20	503.29	519.41
ii) प्राप्त व्यापार	3.2	61.51	306.57	275.82
iii) ऋण	3.3	770.08	724.31	708.77
iv) अन्य	3.4	7,453.54	5,501.15	5,889.79
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	145.87	214.53	115.49
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	2,034.11	1,815.94	1,113.51
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		51,761.39	49,974.91	48,951.37
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) माल-सूची	6	125.18	104.68	100.80
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) प्राप्त व्यापार	7	2,838.00	1,346.04	1,854.01
ii) नकदी और नकद समतुल्य	8	43.72	20.54	73.57
iii) नकदी तथा नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	2,201.53	3,298.52	3,398.89
iv) ऋण	10	48.81	52.61	148.83
v) अन्य	11	2,243.10	1,632.03	2,238.17
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	111.85	0.40	78.30
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	372.73	358.28	436.06
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		7,984.92	6,813.10	8,328.63
(3) विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	14	6,979.14	6,135.72	6,031.03
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष		66,725.45	62,923.73	63,311.03
इक्विटी तथा देयताएं				
(1) इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,259.32	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2	20,752.78	19,781.87	18,768.79
कुल इक्विटी		30,797.81	30,041.19	29,028.11

31 मार्च, 2019 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (जारी)

(करोड़ रुपये में)				
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
(2) गैर-नियंत्रक ब्याज	15.3	2,868.47	2,934.91	3,382.24
(3) देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	16.1	17,044.63	16,728.20	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,059.44	39.87	25.84
ख) प्रावधान	17	46.94	40.66	505.58
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	4,720.68	4,223.68	4,785.90
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	2,986.06	2,853.37	2,777.96
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		26,857.75	23,885.78	25,340.92
(4) वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	20.1	416.00	279.99	302.50
ii) व्यापार देय	20.2			
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		19.38	7.97	6.32
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		176.89	192.13	171.04
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,896.72	2,815.94	2,555.90
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	1,158.04	754.86	791.62
ग) प्रावधान	22	1,534.39	2,003.85	1,732.38
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	7.11	-
कुल वर्तमान देयताएं		6,201.42	6,061.85	5,559.76
कुल इक्विटी तथा देयताएं		66,725.45	62,923.73	63,311.03
समेकित वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें	1-35			

ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को आंकड़े पुनः उल्लिखित किए गए हैं (टिप्पणी संख्या 35)

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोढ़ा एंड कं.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) सतत प्रचालनों से राजस्व	24.1	8,982.87	7,755.43
ii) अन्य आय	24.2	863.94	1,030.23
कुल आय		9,846.81	8,785.66
व्यय			
i) विद्युत की खरीद - व्यापार	25.1	12.68	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	800.75	721.18
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,849.93	1,657.93
iv) वित्त लागत	27	895.14	922.64
v) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,657.96	1,468.72
vi) अन्य व्यय	29	1,319.60	1,103.73
कुल व्यय		6,536.06	5,874.20
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		3,310.75	2,911.46
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा	2.5.2	5.24	(0.08)
असाधारण मदें		-	-
दर विनियमित क्रियाकलापों और कर पूर्व लाभ		3,315.99	2,911.38
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		827.41	816.11
ii) आस्थगित कर		496.21	(561.22)
कुल कर व्यय		1,323.62	254.89
वर्ष हेतु नियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		1,992.37	2,656.49
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	843.42	128.21
वर्ष के लिए लाभ (क)		2,835.79	2,784.70
अन्य व्यापक आय (ख)			
i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) रोजगार पश्चात परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		1.52	45.26
घटाएं - रोजगार पश्चात परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनः मापन पर आय कर		0.53	14.97
घटाएं - परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनः मापन पर आस्थगित कर देयताओं के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन		(0.46)	(14.01)
- विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलन - रोजगार पश्चात परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		-	(23.68)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	2.5.3	(0.01)	0.01
उप जोड़ (क)	-	1.44	20.63
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		(16.48)	(7.30)
उप जोड़ (ख)		(16.48)	(7.30)
कुल (i) = (क)+(ख)		(15.04)	13.33

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

		(करोड़ रुपये में)	
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
- ऋण दस्तावेज में निवेश		3.09	(9.09)
घटाएं - ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर		0.72	(2.12)
कुल (ii)		2.37	(6.97)
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		(12.67)	6.36
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		2,823.12	2,791.06
निम्न पर आरोप्य लाभ :			
मूल कंपनी के स्वामी		2,595.61	2,513.90
गैर-नियंत्रक हित		240.18	270.80
		2,835.79	2,784.70
निम्न पर आरोप्य अन्य व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		(12.55)	6.13
गैर-नियंत्रक हित		(0.12)	0.23
		(12.67)	6.36
निम्न पर आरोप्य कुल व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		2,583.06	2,520.03
गैर-नियंत्रक हित		240.06	271.03
		2,823.12	2,791.06
निम्न से उत्पन्न मूल कंपनी के स्वामी पर आरोप्य कुल व्यापक आय :			
जारी प्रचालन		2,583.06	2,520.03
बंद किए गए प्रचालन		-	-
		2,583.06	2,520.03
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया)	34 (14)		
(इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलन से पूर्व		1.71	2.33
विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलन के पश्चात		2.54	2.45
समेकित वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें	1-35		
ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2018 को आंकड़े पुनः उल्लिखित किए गए हैं (टिप्पणी संख्या 35)			

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

महेश कुमार मित्तल

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)

साझेदार

सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

कृते लोढ़ा एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 052438

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	4,159.41	3,039.59
घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	843.42	128.21
कर पूर्व लाभ	3,315.99	2,911.38
जोड़े :		
मूल्यहास एवं परिशोधन	1,657.96	1,468.72
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	895.14	922.64
प्रावधान (निवल हानि)	110.46	76.26
कर समायोजन (हानि)	65.37	86.26
एफईआरवी के कारण बिक्री समायोजन	92.34	66.37
	2,821.27	2,620.25
	6,137.26	5,531.63
घटाएं :		
परच लिखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम	65.23	60.68
प्रावधान (निवल लाभ)	31.43	86.40
हानि की परिसंपत्तियां/ वसूली की बिक्री पर लाभ	1.15	6.85
लामांश आय	4.80	3.60
ब्याज आय	309.04	413.78
विनिमय दर अंतर	3.18	(2.88)
अन्य समायोजन	0.76	(1.38)
उचित मूल्य समायोजन	(3.59)	(3.93)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	92.17	79.20
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ (हानि) का अंश (इविटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित)	5.24	(0.08)
	509.41	642.24
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह	5,627.85	4,889.39
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
माल-सूची	(20.63)	(4.08)
व्यापार प्राप्त	(1,951.62)	850.15
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(1,190.91)	(235.29)
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	1,958.76	25.80
	(1,204.40)	636.58
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4,423.45	5,525.97
घटाएं : कर	877.17	829.85
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)	3,546.28	4,696.12
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल	(1,085.32)	(1,563.50)
निवेश/बॉण्ड/बैंक जमा हेतु वसूली/ (भुगतान)	(35.46)	382.98
संयुक्त उद्यम में निवेश	(100.00)	(122.36)
लामांश आय	4.80	3.60
ब्याज आय	307.66	413.06
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	(908.32)	(886.22)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
इविटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(606.20)	-
लामांश और अदा किए गए लामांश पर कर (गैर-नियंत्रक हितों सहित)	(1,526.74)	(2,231.03)
ऋण	2,588.00	4,354.99
ऋण की चुकोती	(1,877.16)	(4,855.88)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,215.12)	(1,143.98)
प्राप्त सरकारी अनुदान	22.44	12.97
वित्त-पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी (ग)	(2,614.78)	(3,862.93)
घ. नकदी तथा नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	23.18	(53.03)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकद समतुल्य (टिप्पणी सं 8 देखें)	20.54	73.57
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकद समतुल्य (टिप्पणी सं 8 देखें)	43.72	20.54

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह के समेकित विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकद समतुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अत्यावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकद समतुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
नकदी तथा नकद समतुल्य	43.72	20.54

नकदी तथा नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है :-

- अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखे गए 18.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.22 करोड़ रुपये)।
- सिक्किम के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि 0.50 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में शून्य रुपये)।
- वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्तीय प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के निमित्त पूंजीकृत 365.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 371.10 करोड़ रुपये) की ऋण लागत शामिल है।
- 31.3.2019 को न लिए गए ऋण की राशि - 819.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 25.00 करोड़ रुपये)।
- कंपनी ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के निमित्त नकद 44.60 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में 56.88 करोड़ रुपये) खर्च किए।
- नकदी एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, बैंक शेष में अल्पकालिक उधार लेने के लिए बैंकों में लियन के तहत 10.00 करोड़ रुपये (31.03.2018 को शून्य) की राशि शामिल है जो उल्लिखित राशि में शामिल कंपनी के व्यापार के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।
- नकदी और नकद शेषों में ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के लिए भूमि के निमित्त विस्थापित द्वारा जमा दर्शाने वाली 2.64 करोड़ रुपये (31.03.2018 को 2.64 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जो कंपनी के व्यापार के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।
- नकदी एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, बैंक शेषों में माननीय विधि न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में लियन के तहत 11.65 करोड़ रुपये (31.03.2018 को 11.12 करोड़ रुपये) की राशि है जो 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

8. निवल ऋण मिलान

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
नकदी और नकद समतुल्य	43.72	20.54
वर्तमान ऋण	(406.00)	(280.00)
गैर-वर्तमान ऋण	(19234.76)	(18894.59)
निवल ऋण	(19597.04)	(19154.05)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां		वित्त-पोषण क्रियाकलापों से देयताएं	
	नकदी और नकद समतुल्य	गैर-वर्तमान ऋण	वर्तमान ऋण	कुल
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	20.54	(18,894.59)	(280.00)	(19,154.05)
नकदी प्रवाह	23.18	(574.83)	(126.01)	(677.66)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(22.69)	-	(22.69)
ब्याज व्यय	-	(1,201.37)	(5.83)	(1,207.20)
अदा किया गया ब्याज	-	1,188.87	5.84	1,194.71
उचित मूल्य समायोजन	-	269.85	-	269.85
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	43.72	(19,234.76)	(406.00)	(19,597.04)

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(प्रेम सी. बंसल)

साझेदार

सदस्यता सं. 083597

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 006791एन

(संजय जैन)

साझेदार

सदस्यता सं. 084906

कृते लोढ़ा एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 301051ई

(आर. पी. सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 27 मई, 2019



31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपये में)
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (टिप्पणी सं. 15.1.6 देखें)	-	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय			कुल	नैर- निवृत्त हित (एनसी आई) (एनसी आई)	एनसी आई के पश्चात कुल			
	पूँजी मोहन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोहन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित निधि				अधिशेष प्रतिभूति अर्जन से इक्विटी दस्तावेज	ओ सीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	
1 अप्रैल, 2018 को शेष	2,041.42	242.81	2,129.55	23.29	16.97	10,224.43	4,982.91	27.71	19,781.87	2,934.91	22,716.78	
वर्ष हेतु लाभ							2,595.61		2,595.61	240.18	2,835.79	
अन्य व्यापक आय							1.56	(16.48)	(12.55)	(0.12)	(12.67)	
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय												
इक्विटी शेयरों के बाय बैक के लिए उपयोग												
इक्विटी शेयरों का बाय बैक संबंधी व्यव के लिए उपयोग												
प्रतिभूति अर्जन में अंतरण												
बॉण्ड मोहन आरक्षित में अंतरित राशि			(244.97)	(11.91)			244.97		-		-	
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से अंतरित राशि							6.09		(5.82)	5.82	-	
अनुसंधान और विकास निधि से अंतरित राशि					(16.97)	8.66			(8.31)	8.31	-	
सामान्य आरक्षित से/(में) अंतरित राशि	214.29					(214.29)	(1,547.44)		(1,547.44)		(1,547.44)	
प्रतिभूति अर्जन से अंतरण						1,547.44			1,547.44		1,547.44	
लाभान्ध							(1,000.46)		(1,000.46)	(265.95)	(1,266.41)	
लाभान्ध पर कर							(205.65)		(205.65)	(54.67)	(260.32)	
बॉण्ड मोहन आरक्षित में अंतरण			308.77				(308.77)		-		-	
31 मार्च, 2019 को शेष	2,255.71	-	2,193.35	11.38	-	11,417.14	4,768.82	76.30	30.08	20,752.78	2,888.47	23,621.25

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा बोहरा एण्ड कंपनी
(चाटर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (सित)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स
(चाटर्ड एकाउंटेंट)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(चाटर्ड एकाउंटेंट)

फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019



31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपये में)
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय			कुल	गैर- निष्पन्न हित (एनसी आई) के पश्चात कुल			
	पूँजी मोहन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोहन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित निधि	अविशेष प्रविधित अर्जन			ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज से प्राप्त दस्तावेज		
1 अप्रैल, 2017 को शेष	2,041.42	242.81	1,609.27	24.31	60.87	10,224.43	4,430.92	100.08	34.68	18,768.79	3,382.24	22,151.03
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	2,513.90	-	-	2,513.90	270.80	2,784.70
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	20.40	(7.30)	(6.97)	6.13	0.23	6.36
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	2,534.30	(7.30)	(6.97)	2,520.03	271.03	2,791.06
अन्य समावर्जन	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	(148.17)	-	-	-	148.17	-	-	-	5.71	5.71
प्रविधित आय में अंतरण	-	-	-	(1.04)	-	-	0.53	-	-	(0.51)	0.51	-
बॉण्ड मोहन आरक्षित से अंतरित राशि	-	-	-	-	(43.90)	-	43.90	-	-	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से वापस ली गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि में अंतरित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रविधित अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-	-	(102.80)	-	-	(102.80)	(227.56)	(330.16)
अंतिम लाभान्ना (2016-17)	-	-	-	-	-	-	(1,149.05)	-	-	(1,149.05)	(374.46)	(1,523.51)
अंतरिम लाभान्ना (2017-18)	-	-	-	-	-	-	(254.81)	-	-	(254.81)	(122.56)	(377.37)
लाभान्ना पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड मोहन आरक्षित में अंतरण	-	-	668.45	-	-	-	(668.45)	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को कुल	2,041.42	242.81	2,129.55	23.29	16.97	10,224.43	4,982.91	92.78	27.71	19,781.87	2,934.91	22,716.78

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(समन्ती लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 009487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 083597

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी एस पी एण्ड एसोसिएट्स
(समन्ती लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते लोधा एण्ड कंपनी
(समन्ती लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर.पी.सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

टिप्पणी संख्या - 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ('कंपनी') भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयरों की भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से बिक्री-खरीद की जाती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33 फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों (जिन्हें एक साथ 'समूह' कहा गया है) के वित्तीय विवरण तथा संयुक्त उद्यमों में समूह के हित शामिल हैं। समूह मुख्यतः बल्क विद्युत के उत्पादन तथा विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को इसकी बिक्री में लगा हुआ है। अन्य व्यापार में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार प्रदान करना शामिल है।

(II) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन के निम्नलिखित प्रोदभवन प्रणाली का पालन करते हुए चालू कंपनी के आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

समूह के समेकित वित्तीय विवरण 27 मई, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) नए एवं संशोधित मानकों को लागू करना

- (i) **भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व** 1 अप्रैल, 2018 से संचयी ग्रहण पद्धति का प्रयोग करके समूह में भारतीय लेखांकन मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' अपनाया है। तथापि, कोई वास्तविक समायोजन आवश्यक नहीं थे।
- (ii) **इंड एस 21 का परिशिष्ट ख** विदेशी मुद्रा लेन-देन तथा अग्रिम मूल्य और इंड एस 12 - आय कर 1 अप्रैल, 2018 से संशोधित हो गया है। तथापि, कोई वास्तविक समायोजन आवश्यक नहीं थे।
- (iii) अन्य मानकों में परिवर्तन/संशोधन न तो लागू हैं और न ही वित्तीय विवरणों पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपये (दो दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) समेकन के आधार

क) सहायक कंपनी

- (i) सहायक कंपनी एक ऐसा निकाय होता है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी निकाय को तब नियंत्रित करता है जब समूह के निकाय के साथ शामिल होने से इसके प्रतिफल परिवर्तनशील होते हों या उन पर इसका अधिकार हो तथा उसके पास निकाय के संगत क्रियाकलापों को निर्देशित करने की शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कंपनियां, समूह को नियंत्रण अंतरित किए जाने की तिथि से पूर्णतः समेकित की जाती हैं। वे नियंत्रण बंद होने की तारीख से असमेकित हैं।
- (ii) समूह मूल कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर एकीकृत करता है जिसमें परिसंपत्ति, देयताओं, इक्विटी, आय तथा व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़ा जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के इक्विटी अंश को समाप्त किया जाता है। अंतर-कंपनी लेन-देन, शेष तथा समूह कंपनियों के मध्य लेन-देन पर वसूल न किए गए लाभों को समाप्त किया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि लेन-देन में अंतरित परिसंपत्ति के क्षति का साक्ष्य मौजूद न हो। सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप होती हैं।
- (iii) गैर-नियंत्रित हितों को अधिग्रहण की तिथि को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य आस्तियों में उनके अनुपातिक अंश पर मापा जाता है। परिणामों में गैर-नियंत्रित हित और सहायक कंपनियों की इक्विटी को समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया जाता है।

- (iv) जिस सहायक कंपनी के स्वामित्व के हित में परिवर्तन से नियंत्रण की हानि नहीं होती है, उसे इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है।
- (v) यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देयताओं, किसी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचित परिवर्तन अंतरों को विमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखा गया कोई ब्याज नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से उचित मूल्य पर मापा गया है जिसके परिणामस्वरूप लाभ तथा हानि के विवरण में माना गया लाभ/हानि है।

ख) संयुक्त उद्यम

- (i) संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों के अधिकार होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात उन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।
- (ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात अधिग्रहण-पश्चात लाभों या हानियों तथा निवेश किए गए निकाय की अन्य व्यापक आय में समूह के अंश को समूह के लाभ एवं हानि विवरण तथा अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की जाती है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांशों को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- (iii) जब संयुक्त उद्यम में हानियों का समूह का अंश निकाय में इसके निवेश के समान या उससे अधिक हो जाता है, किसी अन्य अप्रतिभूत दीर्घावधि प्राप्य सहित, तो समूह आगे हानियों को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि इसने संयुक्त उद्यम की ओर से बाध्यताएं वहन की हो या भुगतान किए हों।
- (iv) समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के मध्य लेन-देन पर प्राप्त न किए गए लाभों का इन निकायों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त किया जाता है। प्राप्त न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि लेन-देन में अंतरित परिसंपत्ति की क्षति का कोई साक्ष्य मौजूद हो। जहां संयुक्त उद्यम की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेन-देनों तथा घटनाओं हेतु उचित समायोजन किए जाते हैं।
- (v) संयुक्त उद्यम ने कम किए गए हित पर उत्पन्न होने वाली किसी कमी के संबंध में किसी लाभ अथवा हानि, परन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।
- (vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रहता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह प्रतिधारित हित का मापन एक उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई वहन राशि में परिवर्तन के साथ करता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य एक संबद्ध अथवा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित हित हेतु लेखांकन के प्रयोजन हेतु प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता दी गई किसी राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

घ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में माने जाते हैं जिसमें अनुमानों में संशोधन किया जाता है और जिनमें कोई भावी अवधियां प्रभावित होती हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, इंड एस 17 यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल हैड में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है। समूह लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करता है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के

समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उपयोगी जीवनकाल तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपस्करों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप और मोबाइल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्य की वसूलयोग्य राशि तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में वास्तविक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमाकृत मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीतिदर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। समूह यह मानता है कि इसके दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

समूह विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एस 115 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां प्रशुल्क में लागत अनुमानों में संशोधन के कारण संशोधन लंबित हैं, वहां प्रशुल्क का परिकलन सीईआरसी प्रशुल्क नियमावली के तहत निर्धारित मानदंडों और पद्धति के आधार पर किया जाता है तथा राजस्व की अनुमानित राशि तब मानी जाती है जब जिस सीमा तक यह अत्यधिक संभव हो कि माने गए राजस्व में नीचे की ओर कोई समायोजन नहीं होगा, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सीईआरसी को आवेदन किया जाए।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को इंड एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूलयोग्य राशि

समूह के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन हैं जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यहास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और इंड एस 114 'विनियामक आस्थगित लेखे' किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) अचल परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता इंड एस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। समूह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आस्थगित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) व्यापार की क्षति

व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए समूह लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करता है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और समूह के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

नीचे दिए गए अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में निरंतर लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की गई हैं जिससे लेन-देनों, अन्य घटनाओं और जिन पर वे लागू होती हैं, उन शर्तों के संबंध में संगत एवं विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय परिणाम बनते हैं। इन नीतियों को उस समय लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अवास्तविक हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियां और निवेश संपत्ति भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन पत्र में दी गई थीं। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन की तारीख (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में उन राशियों को मानने के लिए “भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदत्त छूट को प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

- क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।
- ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो, समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।
- ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय, जो विद्यमान परिसंपत्ति के बढ़े हुए जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।
- घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचयी क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।
- ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।
- च) समूह का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही समूह का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
- छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपस्कर तथा सेवा उपस्कर को पूंजीकृत किया जाता है।
- ज) मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। मालसूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को ‘भंडार तथा कलपुर्जे’ माना जाता है।
- झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।
- ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य

- क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।

- ख) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को 'निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू होने से पूर्व निवल आय/व्यय को सीधे ही संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया गया है।
- ग) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर समूह का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें 'निर्माण पर आरोप्य व्यय' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा 'चल रहे पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एस 16- 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर' में 'आरोप्यता' और 'मापन की इकाई' को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यहास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तिओं तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति में अथवा उससे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्यों द्वारा समर्थित प्रयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

- क) अनुसंधान पर व्यय जब होता है तभी राजस्व में लगाया जाता है। विकास पर व्यय तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि व्यय विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद अथवा प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भावी आर्थिक लाभ संभव हो तथा समूह का इरादा विकास पूरा करने तथा परिसंपत्ति का प्रयोग अथवा बिक्री करने का इरादा हो तथा इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।
- ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। परिसंपत्तियों को उसके प्रत्याशित प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाले सीधी ही कोई आवश्यक व्यय लागत में शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।
- ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वंचितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।
- ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तिओं तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली लेन-देन की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्फोट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए लेन-देन से उत्पन्न होने वाले संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/ चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/ चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें 'आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।
- घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।
- ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां समूह ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम राशि दी है अथवा प्राप्त की है, वहां संबंधित परिसंपत्ति, व्यय अथवा आय (अथवा उसका भाग)

की आरंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनियम दर निर्धारित करने के प्रयोजन से लेन-देन की तारीख वह तारीख है जब समूह अग्रिम राशि के भुगतान अथवा प्राप्ति से होने वाली गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति अथवा गैर-मौद्रिक देयता को आरंभिक मान्यता देता है।

6.0 विनियामक आस्थगित लेखे

- क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चों की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात् इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार 'विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष' के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।
- घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।
- ड) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब समूह यह निर्धारित करता है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकों जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नहीं जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए समूह यह निर्धारित करता है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी दस्तावेज अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से समूह के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब समूह दस्तावेज के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकद समतुल्य, बैंक शेष, कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी दस्तावेज में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो समूह अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापता है।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

- परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण दस्तावेज

किसी 'ऋण दस्तावेज' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूल धन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, समूह ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश :

सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी दस्तावेज हेतु, समूह उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करता है। समूह दस्तावेज-दर-दस्तावेज आधार पर ऐसा चयन करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी दस्तावेज में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनः वर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि में अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य किसी महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

- समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
- वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां समूह ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, समूह द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर वहनीय राशि और प्राप्य/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ तथा हानि विवरण में माना जाता है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करता है -

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- इंड एस 115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के तहत संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य
- इंड एस 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे

समूह इंड एस 17 और इंड एस 115 के क्षेत्र के भीतर होने वाले लेन-देनों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा व्यापार प्राप्य के संबंध में आरंभिक मान्यता से जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानि के आधार पर क्षति की हानि के भत्ते की मान्यता के लिए इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' के अंतर्गत अनुमेय 'सरलीकृत पद्धति' का पालन करता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि की मान्यता हेतु समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु समूह दस्तावेज-दर-दस्तावेज आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करता है। बाद की अवधि में यदि दस्तावेज की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागतें हैं।

कचरे का मूल्यांकन निवल वसूलयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः समूह शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा समूह के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान का संविदात्मक दायित्व है।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन-देन लागतों को उचित मूल्य घटा ऐसी लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (लेन-देन लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से व्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है, यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

- क) बाजार दर से कम ब्याज पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगा। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।
- ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों के बहिर्प्राप्य दायित्वों के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हैं और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बहिर्प्राप्य अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्राप्य की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

- घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटनाक्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

समूह का राजस्व ऊर्जा की बिक्री तथा व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से होता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, इक्विटी में निवेश से लाभांश, बांडों में निवेश से ब्याज विलंब से भुगतानों के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, कचरे की बिक्री, अन्य विविध आय आदि हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

- राजस्व उस राशि के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्धारित है अथवा उत्पादों अथवा सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है तथा इसमें तीसरे पक्षकारों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। समूह राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह उत्पादों अथवा सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को अंतरित करता है।
- विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त/प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में माने गए विद्युत केंद्रों को छोड़कर) सीईआरसी (प्रशुल्क के निबंधन एवं शर्तों) विनियामवली, 2014 के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार लेखांकित किया जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के संबंध में अनंतिम/अंतिम प्रशुल्क अभी अधिसूचित किया जाना है अथवा जहां प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन सीईआरसी (प्रशुल्क के निबंधन एवं शर्तों) विनियामवली के अनुसार लगाए जाने योग्य/देय हैं, वहां राजस्व उस सीमा तक माना जाता है, जहां तक यह अत्यधिक संभव हो कि माने गये संचयी राजस्व की राशि काफी बदलाव नहीं होगा। शीघ्र भुगतान के प्रोत्साहनों के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूटें राजस्व की राशि से घटाई जाती हैं।
- तुलनात्मक अवधि में विद्युत की बिक्री से राजस्व प्राप्त एवं प्राप्य राशि के उचित मूल्य पर मापा गया था। राजस्व तब माना गया था जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और रिवाद क्रेता को अंतरित कर दिए गए थे, राशि की वसूली संभव थी, संबद्ध लागत विश्वसनीय रूप से अनुमानित की जा सकती थी, प्रबंधन निरंतर शामिल नहीं था और राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती थी।
- ग्राहकों के बिल आवधिक और नियमित आधार पर बनाए जाते हैं। चूंकि, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को दिए गए बिक्री के लिए प्रोद्घवन शामिल था, परंतु अभी तक बिल नहीं बनाया गया (बिल रहित राजस्व)।
- विदेशी मुद्रा ऋण और आय कर के निमित्त वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के निमित्त वसूली/वापसी विनियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर मानी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मानी गई आस्थगित कर मदों के निमित्त वसूली उसके वास्तविक होने पर लेखांकित की जाती है।
- क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने के कारण समायोजन यद्यपि वास्तविक नहीं है, संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावित किए गए हैं।
- 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय के रूप में मानी गई मूल्यहास के विरुद्ध आय (एएडी) विद्युत केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर बिक्री में शामिल है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों से राजस्व

- परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों से राजस्व उस आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है अथवा सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्य किए जाने की उम्मीद है तथा तीसरे पक्षकार की ओर से एकत्रित की गई राशि इसमें शामिल नहीं है। समूह इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व का मानता है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार कुल प्रत्याशित लागतों के संबंध में निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के निमित्त की गई लागतों के आधार पर राजस्व मानती है।
- तुलनात्मक अवधि में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों से राजस्व पूर्णतः पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर माना गया था। पूर्णतः की प्रतिशतता 'रिपोर्टिंग तारीख तक की गई लागत' से 'संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं एवं परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत' के अनुपात के अनुसार निर्धारित की जाती है।
- यदि कोई संविदा संशोधन होते हैं तो उनको तब लेखांकित किया जाता है जब उस संविदा के क्षेत्र अथवा कीमत (अथवा दोनों) में परिवर्तन हो जिसको संविदा में पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है और जब किसी संविदा का कोई पक्षकार ऐसा कोई संशोधन अनुमोदित करे जो संविदा के पक्षकारों के मौजूदा लागू होने योग्य अधिकारों और दायित्वों में नए अथवा परिवर्तन करे। संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में इस बात का मूल्यांकन करना शामिल होता है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं भिन्न हैं और क्या कीमत निर्धारण एकल बिक्री कीमत पर है। संविदा संशोधन एकल आधार पर रिकार्ड किए जाते हैं जब संविदा का क्षेत्र आश्वस्त सामानों अथवा सेवाओं के कारण बढ़ता हो अथवा संविदा की कीमत उस राशि तक बढ़ती हो जो अतिरिक्त आश्वस्त सामानों अथवा सेवाओं की समूह की एकल बिक्री कीमत दर्शाए और उस कीमत में कोई उपयुक्त समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियां दर्शाए। जोड़ी गई सेवाओं, जो भिन्न नहीं हैं, संचयी कैचअप आधार पर लेखांकित की जाती हैं, जबकि जो सेवाएं भिन्न हैं वे उसी समय के लिए या तो पृथक संविदा के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री कीमत पर रखी जाती हों, अथवा मौजूदा संविदा की समाप्त पर और यदि एकल बिक्री कीमत पर कीमत नहीं रखी गई तो नई संविदा के सृजन पर लेखांकित की जाती हैं।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

- i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लिए लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या समूह के लिए प्रमुख की क्षमता अथवा एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। समूह प्रमुख के स्वरूप में तब कार्य करता है यदि वह विद्युत का नियंत्रण उसे ग्राहक को अंतरित करने से पूर्व ले लेता है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी विद्युत प्रदान करने के लिए आश्वासन को पूरा करने हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, कीमत स्थापित करना उसका विवेकाधिकार है अथवा क्या वह मालसूची जोखिम रखता है जहां समूह ग्राहक को विद्युत अंतरित करने से पूर्व विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करता और उसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्षकार द्वारा विद्युत की आपूर्ति करने के लिए होता है, वहां वह एजेंट के रूप में कार्य करता है।
- ii) जहां समूह विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में प्रमुख के रूप में कार्य करता है, वहां निष्पादन दायित्व में आर्बिट्रि लेन-देन कीमत की राशि, जो कि संतुष्ट होती है, राजस्व के रूप में मानी जाती है।
- iii) जहां समूह विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एजेंट के रूप में कार्य करता है, वहां ग्राहक को दी गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद रखी गई निवल राशि प्रचालनों से राजस्व के रूप में मानी जाती है। इन लेन-देनों के कारण होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं पृथक नहीं की जाती हैं।

घ) अन्य आय

- i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, समूह वित्तीय दस्तावेज की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेता। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।
- iii) विद्युत के व्यापार के लिए संविदाओं से आने वाले ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज सहित ग्राहकों से वसूलयोग्य ब्याज/अधिभार तब माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि माने गए राजस्व की राशि में काफी विपरीत परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी लाभ
i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन एक छूटरहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमति देकर क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि समूह की कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यायों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अंशदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमति देकर हो तो किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है। किसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान उपलब्ध करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित परिभाषित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्चात लाभ योजना है। समूह की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। कर्मचारियों को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति/नियुक्ति संबंधी भत्ते और स्मृति चिह्न को छोड़कर ये सभी योजनाएं पृथक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमाकृत मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि समूह की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमाकृत लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांछित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूल परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यहास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यहास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (i) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पूर्व पांच वर्षों तक पूंजीकृत समूह की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यहास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

(ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यहास उस परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से सीईआरसी प्रयुक्त विनियमावली/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए सीधी लाइन पद्धति पर प्रभावित किया जाता है।

(iii) जहां पावर स्टेशन का जीवनकाल और/अथवा दक्षता आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार के कारण बढ़ाई जाती है, वहां उसके अपरिशोधित मूल्यहास योग्य राशि सहित उस पर व्यय संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल में सीधी लाइन पद्धति पर उसी तारीख से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) समूह की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यहास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी
- कम्प्यूटर तथा सहायक उपस्कर

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर मोबाइल फोनों पर मूल्यहास एक रुपये के शेष मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी पद्धति आधार पर प्रदान किया जाता है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रुपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः (100 प्रतिशत) मूल्यहासित किया जाता है।

- च) 5,000/- रुपये या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक की होने वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/- रुपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।
- छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/- रुपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।
- ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।
- झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यहास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।
- ट) भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।
- ठ) “अमूर्त परिसंपत्तियों” के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।
- ड) जहां विनियम बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यहास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।
- ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यहास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।
- ण) परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, मूल्यहास की पद्धति और शेष मूल्य, जहां मूल्यहास प्रबंधन के मूल्यांकन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, की समीक्षा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी अपेक्षित हो, वहां परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में उसी तारीख में समायोजित की जाती है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

- क. समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करता है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन-देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।
- ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।
- घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहें ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ड. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो तो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता है।

20.0 आय कर

आय कर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

- i) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है (अस्थायी अंतर) और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (स्थायी अंतर)।
- ii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसूची कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन-देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो लेन-देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।
- ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो समूह की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) आस्थगित आय कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आय कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आय कर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- vi) समायोजन लेखों से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।
- vii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की वहन राशि तथा कर आधार के मध्य अस्थायी अंतरों को वहां पर मान्यता नहीं प्रदान की जाती है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रत्यावर्तन के समय को नियंत्रित करने में समर्थ हो और यह संभव हो कि अंतरों को निकट भविष्य में वापिस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

- क) इंड एस 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एस 108 के अर्थ के भीतर समूह का 'मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता' अथवा 'सीओडीएम' है।
- ख) विद्युत उत्पादन समूह का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य इंड एस-108 'प्रचालन खंडों' के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।
- ग) समूह का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) समूह पट्टाधारक के रूप में :

- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पट्टे जहां समूह पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा परितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में जाना जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो लेन-देन मूल्य अर्थात् एकमुश्त भुगतान के समान होता है।
- पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में समूह को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया जाता है।

ख) समूह पट्टादाता के रूप में

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत आपूर्ति समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

- वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान किए गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल हैं और इन्हें आस्थगित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली वित्तीय पट्टा आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि पट्टा प्राप्य बकाया पर स्थिर आय दर प्राप्त की जा सके।
- प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यहास किया जाता है।

24.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियां

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

25.0 प्रति शेयर अर्जन

- प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- प्रति शेयर मूल और कम किए गए अर्जन को विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

26.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकद समतुल्य :

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकद समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

- नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एस 7 'नकदी प्रवाहों के विवरण' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

27.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

समूह तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है

- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकद समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह हेतु देयता के निपटान को आस्थगित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

28.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-वास्तविक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान समूह द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 30 मार्च, 2019 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2019 जारी की है। दोनों नियमावलियां 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगी।

मानक जारी किन्तु अभी प्रभावी नहीं

(क) **इंड एस 116 - “पट्टा”** : इंड एस 116 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 30 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू है। इंड एस 116 प्रमुख रूप से पट्टेदारों द्वारा लेखांकन प्रभावित करेगा और उसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र पर लगभग सभी पट्टों की मान्यता बनेगी। यह मानक प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पट्टों के बीच वर्तमान व्यय को समाप्त करता है और वास्तविक रूप से सभी पट्टा संविदाओं के लिए किराया देने हेतु वित्तीय देयता तथा परिसंपत्ति (पट्टे वाली मद का प्रयोग करने का अधिकार) की मान्यता की अपेक्षा रखता है। अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टों के लिए वैकल्पिक छूट विद्यमान है। लाभ तथा हानि विवरण भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि कुल व्यय पट्टे के पूर्व वर्षों में विशिष्ट रूप से अधिक और बाद के वर्षों में कम है। इसके अतिरिक्त, प्रचालनात्मक व्यय के स्थान पर ब्याज तथा मूल्यह्रास लग जाएगा। अतः प्रमुख मैट्रिक्स, यथा - ईबीआईटीडीए परिवर्तित हो जाएंगे। प्रचालनात्मक नकद प्रवाह उच्चतर होंगे क्योंकि पट्टा देयता का पुनर्भुगतान और संबंधित ब्याज वित्तपोषण क्रियाकलापों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। पट्टादाता द्वारा लेखांकन ज्यादा परिवर्तित नहीं होंगे। कुछ अंतर पट्टे की परिभाषा के संबंध में नए मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। इंड एस 116 के तहत संविदा एक पट्टा है अथवा उसमें पट्टा होता है, यदि संविदा धनराशि के लिए विनिमय में किसी समयावधि के लिए अभिज्ञात परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु अधिकार देती है।

समूह अपने वित्तीय विवरणों पर इंड एस 116 के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ख) **इंड एस 12, “आय कर” का परिशिष्ट ग** - यह परिशिष्ट यह स्पष्ट करता है कि जहां कर व्यवहार में अनिश्चितता है, वहां आस्थगित एवं वर्तमान आय कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कैसे माना तथा उनका मापा जाता है। विशेष रूप से यह निम्नलिखित पर चर्चा करता है:

- उपयुक्त लेखा यूनिट कैसे निर्धारित की जाती है और यह कि प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार अलग-अलग कर व्यवहार पर अलग-अलग अथवा समूह के रूप में एक साथ विचार किया जाना है जिसके आधार पर दृष्टिकोण अनिश्चितता के समाधान का बेहतर अनुमान लगाता है।
- कंपनी को यह मानना चाहिए कि कर प्राधिकारी अनिश्चित कर व्यवहारों की जांच करेगा और उसे सभी संबंधित सूचना की पूरी जानकारी है अर्थात् यह कि पता लगाने के जोखिम की अनदेखी की जानी चाहिए।
- यह कि कंपनी को अपने आय कर लेखांकन में अनिश्चितता का प्रभाव दर्शाना चाहिए जब यह संभव न हो कि कर प्राधिकारी उस व्यवहार को स्वीकार करेंगे।
- यह कि अनिश्चितता का प्रभाव सर्वाधिक संभावित राशि अथवा प्रत्याशित मूल्य पद्धति का प्रयोग करके मापा जाना चाहिए जिसके आधार पर दृष्टिकोण अनिश्चितता के समाधान का बेहतर अनुमान लगाता है; और
- यह कि लिए गए निर्णय तथा किए गए अनुमानों का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जब कभी परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हों अथवा कोई ऐसी नई सूचना है जिससे निर्णय प्रभावित होते हों।

मूल्यांकन के अनुसार, इस मार्गदर्शन को लागू करने से समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

- ग) **इंड एस 12 'आय कर' में संशोधन** - संशोधन स्पष्ट करते हैं कि इक्विटी के रूप में वर्गीकृत वित्तीय विवरणों पर लाभांश के आय कर परिणाम उसके अनुसार माने जाने चाहिए जिसने पूर्व लेन-देन अथवा घटनाएं, जिनसे वितरण योग्य लाभ सृजित हुआ, मानी गई थीं। ये अपेक्षाएं लाभांश के सभी आय कर परिणामों पर लागू होती हैं। पूर्व में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या लाभांशों के आय कर परिणाम लाभ अथवा हानि अथवा इक्विटी में माने जाने चाहिए और विद्यमान मार्गदर्शन का क्षेत्र अस्पष्ट था।
- इन संशोधनों से समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- घ) **इंड एस 28 'संबद्ध तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' में संशोधन** - ये संशोधन संबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में दीर्घावधि ब्याजों के लिए लेखांकन स्पष्ट करता है जो सारभूत रूप से संबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में निवल निवेश का भाग बनते हैं, परंतु जिनमें इक्विटी लेखांकन लागू नहीं किया जाता है। कंपनियों को हानि आबंटन लागू करने से पूर्व इंड एस 109 'वित्तीय विवरण' और इंड एस 28 में हानि अपेक्षाओं के तहत ऐसे ब्याज के लिए लेखांकन करना चाहिए।
- चूंकि, समूह के अपने संयुक्त उद्यमों में ऐसे दीर्घावधि ब्याज नहीं हैं, अतः इन संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- ङ) **इंड एस 19 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन**: इंड एस 19 में संशोधन परिभाषित लाभ योजना संशोधन/कटौती तथा निपटान के लिए लेखांकन स्पष्ट करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि कंपनियों को निम्नलिखित करना चाहिए:
- परिवर्तन की तारीख से अद्यतन अवधारणाओं का प्रयोग करके योजना संशोधन, कटौती अथवा निपटान के बाद शेष रिपोर्टिंग अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और निवल ब्याज का परिकलन करे।
 - अधिशेष में कोई भी कटौती विगत सेवा लागत के भाग के रूप में अथवा निपटान पर लाभ अथवा हानि के रूप में लाभ अथवा हानि में तत्काल माने जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिशेष में कटौती लाभ अथवा हानि में माने जाने चाहिए, यहां तक कि यदि वह अधिशेष संपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पूर्व में न माने गई हो; और
 - अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिसंपत्ति सीमा में कोई परिवर्तन अलग से माने जाने चाहिए।
- ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके बाद समूह के भावी योजना संशोधनों, कटौतियों अथवा निपटानों पर लागू होंगे।
- च) **इंड एस 111 'संयुक्त व्यवस्थाओं' में संशोधन**: - ये संशोधन स्पष्ट करते हैं कि व्यापार, जो कि एक संयुक्त प्रचालन है, का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करने वाले पक्षकार को संयुक्त प्रचालन में पूर्व में धारित अपने ब्याज का पुनः मापन नहीं करना चाहिए।
- ये संशोधन समूह के भावी लेन-देनों पर लागू होंगे जहां उसमें 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके बाद व्यापार का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त किया हो।
- छ) **इंड एस 23 'उधार लागत' में संशोधन** : ये संशोधन स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई विशेष सुधार उसके बाद बकाया रहते हैं, जब संबंधित अर्हक परिसंपत्ति उसके प्रत्याशित प्रयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार है, तो वह सामान्य उधार का भाग बनता है। समूह की वर्तमान परिपाटी इन संशोधनों के अनुरूप है और तदनुसार इन संशोधनों से उसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- ज) **इंड एस 103 'व्यापार संयोजन' में संशोधन** : ये संशोधन स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यापार, जो कि एक संयुक्त प्रचालन है, का नियंत्रण प्राप्त करना चरणों में प्राप्त व्यापार संयोजन है। प्राप्तकर्ता को प्राप्ति की तारीख को उचित मूल्य पर संयुक्त प्रचालन में अपने पूर्व निर्धारित ब्याज का पुनः मापन करना चाहिए।
- ये संशोधन समूह के भावी व्यापारिक संयोजनों पर लागू होंगे जिसके लिए अधिग्रहण की तारीख 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके बाद है।
- झ) **नकारात्मक मुआवजे वाली पूर्व भुगतान विशेषताएं** : इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' में संशोधन - इंड एस 109 में किए गए संकीर्ण क्षेत्र के संशोधनों से कंपनियां परिशोधित लागत पर नकारात्मक मुआवजे वाली कुछ पूर्व भुगतान योग्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन करने में सक्षम बनती हैं। इन परिसंपत्तियों, जिनमें कुछ ऋण तथा ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं, का अन्यथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किया जाना होगा। परिशोधित लागत मापन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु नकारात्मक मुआवजा 'संविदा की शीघ्र समाप्ति के लिए उपयुक्त मुआवजा' होना चाहिए और परिसंपत्ति को 'एकत्रित करने के लिए धारित' व्यापार मॉडल के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।
- इन संशोधनों का समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
	01.04.2018 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	319.40	12.16	0.01	6.16	337.71	-	-	337.71	319.40
भूमि-लीजहोल्ड	327.43	0.02	-	(24.86)	302.59	11.65	(24.86)	280.51	292.14
सड़क और पुल	215.84	6.67	0.15	0.22	222.58	10.20	3.06	181.47	187.99
भवन	2,019.98	331.94	0.74	0.88	2,352.06	94.27	0.67	1,997.62	1,760.48
भवन - पट्टे के अधीन	-	17.01	-	-	17.01	0.36	-	16.65	-
रेलवे साइट्स	16.58	-	0.01	-	16.57	5.68	-	3.48	9.17
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,925.66	4,025.59	3.44	1.54	16,949.35	965.12	(0.61)	13,482.46	10,423.28
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,213.74	1,017.32	9.24	(1.03)	8,220.79	481.48	(1.98)	6,473.88	5,946.33
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.49	2.04	0.01	(0.22)	51.30	2.43	(0.22)	39.86	40.26
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	68.93	1.61	-	0.17	70.71	4.59	0.17	53.25	56.23
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	32.82	3.39	0.11	(0.09)	36.01	2.06	(0.12)	25.91	24.66
निर्माण उपकरण	50.80	2.15	0.19	(0.20)	52.56	3.94	(0.20)	32.66	34.64
जलापूर्ति प्रणाली नालियां और सौर प्रणाली	47.09	5.29	0.06	0.12	52.44	2.18	0.11	44.00	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.34	0.42	0.05	0.07	4.78	0.31	0.05	3.88	3.80
वाहन	22.26	0.48	0.26	(0.03)	22.45	1.82	(0.09)	15.55	17.09
विमान / नौकाएं	0.89	1.05	0.01	(0.01)	1.92	0.13	(0.01)	1.61	0.70
फर्नीचर और फिक्सचर	33.28	2.77	0.16	0.22	36.11	2.43	0.19	26.54	26.33
कम्प्यूटर	33.93	5.83	0.46	(0.10)	39.20	6.45	(0.35)	14.96	15.79
संचार उपकरण	10.80	1.14	0.31	0.19	11.82	0.81	0.07	8.72	8.58
कार्यालय उपकरण	34.42	4.05	0.43	0.27	38.31	3.04	0.16	27.37	26.68
अनुसंधान और विकास	0.73	-	-	-	0.73	0.08	-	0.40	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	52.67	9.19	0.23	0.10	61.73	4.03	0.04	47.74	42.75
गैण मूल्य की मूल परिसंपत्तियां >750 रुपये और <5000 रुपये।	3.23	1.17	0.04	0.24	4.60	1.14	0.23	0.01	0.01
कुल	23,484.31	5,451.29	15.91	(16.36)	28,903.33	1,604.20	(23.69)	5,787.09	19,277.73
विवृत वर्ष	23,033.16	462.59	12.40	0.96	23,494.31	1,422.46	2.69	4,206.58	19,277.73

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (फिफ्टी) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएसपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में उपलब्ध कराए गए अनुसार है। अन्य विवरणत्मक टिप्पणियां हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का अतिरिक्त प्रकटन

विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
	01.04.2018 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	वर्ष के लिए	31.03.2019 को	31.03.2018 को	(करोड़ रुपये में)
भूमि-फ्रीहोल्ड (टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.2 देखें)	319.40	12.16	0.01	6.16	337.71	-	337.71	319.40	
भूमि-लीजहोल्ड (टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.3 देखें)	370.77	0.02	-	(54.79)	316.00	11.65	280.51	292.14	
सड़कें और पुल	313.07	6.67	0.26	(3.18)	316.30	10.20	181.47	187.99	
मकान	2,760.97	331.94	2.49	(11.41)	3,079.01	94.27	1,997.62	1,780.48	
मकान - पट्टे के अधीन (34/188) देखें)	-	17.01	-	-	17.01	0.36	16.65	-	
रेलवे साइटिंग्स	36.13	-	0.03	-	36.10	5.68	3.48	9.17	
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,876.49	4,025.59	8.00	1.84	22,895.92	965.12	13,482.46	10,423.28	
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,194.07	1,017.32	9.47	0.53	11,202.45	481.48	6,473.88	5,946.33	
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	101.19	2.04	0.10	(0.20)	102.93	2.43	39.86	40.26	
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	96.34	1.61	-	(0.05)	97.90	4.59	53.25	56.23	
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	49.80	3.39	0.43	(0.44)	52.32	2.06	25.91	24.66	
निर्माण उपकरण	113.37	2.15	1.67	(1.15)	112.70	3.94	32.66	34.64	
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	57.05	5.29	0.08	(0.02)	62.24	2.18	44.00	40.94	
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.64	0.42	0.07	-	5.99	0.31	3.88	3.80	
वाहन	34.78	0.48	1.06	(0.69)	33.51	1.82	15.55	17.09	
विमान / नौकाएं	1.15	1.05	0.01	-	2.19	0.13	1.61	0.70	
फर्नीचर और फिक्सचर	58.77	2.77	0.31	(0.50)	60.73	2.43	26.54	26.33	
कम्प्यूटर	67.97	5.81	3.11	(0.91)	69.76	6.45	14.96	15.79	
संचार उपकरण	17.13	1.16	0.65	(0.03)	17.61	0.81	8.72	8.58	
कार्यालय उपकरण	54.72	4.05	1.08	(0.20)	57.49	3.04	27.37	26.68	
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.08	0.40	0.48	
अन्य परिसंपत्तियां	76.94	9.19	0.86	(0.94)	84.63	4.03	47.74	42.75	
गैण मूल्य की मूर्त परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.77	1.17	0.54	(0.45)	18.95	1.14	0.01	0.01	
कुल	33,625.87	5,451.29	30.23	(66.13)	38,980.80	1,604.20	23,116.24	19,277.73	
वित्त वर्ष	33,190.52	4,62.59	28.19	0.95	33,625.87	1,422.46	19,277.73		

विवरणात्मक टिप्पणी :-

- 2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- ख) अन्य यूनितों के संबंध में, 109.75 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 125.03 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.73 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.52 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 519.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 870.87 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 251.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 306.08 करोड़ रुपये) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- ग) "पट्टे के अधीन भवन" वर्ष के दौरान अधिग्रहीत 17.01 करोड़ रुपये की राशि के किदवईनगर, नई दिल्ली में 5001 वर्गफीट का भवन स्थल दर्शाता है, उसका पट्टा विलेख अभी लम्बित है।
- 2.1.2 फ्री-होल्ड भूमि में किराये के रूप में 100 रुपये प्रति वर्ष की राशि के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा प्रयुक्त की जा रही भूमि का 8 हेक्टेयर (पूर्व वर्ष में 8 हेक्टेयर) शामिल है।
- 2.1.3 भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) इंडो-तिब्बतीन बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।
- 2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 10508.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6302.08 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 2.1.5 सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रसारित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।
- 2.1.6 सेवा- II, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, उड़ी, पार्वती-III और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.1.8 थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।
- 2.1.9 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(5), 34(19) और 34(33) देखें।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्याक			संचयी मूल्यहास			निवल ब्याक	
	01.04.2017 को	अभिबृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	308.04	11.72	0.32	(0.04)	319.40	-	-	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	327.18	0.25	-	-	327.43	23.38	11.91	303.80
सड़कें और पुल	213.65	4.90	0.24	(2.47)	215.84	17.44	10.76	196.21
महन	1,989.40	29.53	0.18	1.23	2,019.98	170.99	87.93	1,818.41
रेलवे साइडिंग्स	16.58	-	-	-	16.58	4.92	2.49	11.66
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	12,906.30	18.12	1.23	2.47	12,925.66	1,667.00	835.07	11,239.30
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,862.86	359.50	7.89	(0.73)	7,213.74	829.07	435.85	6,033.79
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.18	0.32	0.01	-	49.49	6.11	3.11	43.07
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	65.21	3.74	0.02	-	68.93	7.71	4.99	57.50
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	32.22	0.62	0.02	-	32.82	5.51	2.65	26.71
निर्माण उपकरण	48.27	2.57	0.23	0.19	50.80	10.45	5.70	37.82
जलापूर्ति प्रणाली नालियां और सीवर प्रणाली	42.49	4.61	0.01	-	47.09	4.11	2.04	38.38
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.23	2.12	0.01	-	4.34	0.28	0.26	1.95
वाहन	21.17	1.58	0.42	(0.07)	22.26	3.15	2.16	18.02
विमान / नौकाएं	0.79	0.10	-	-	0.89	0.11	0.08	0.68
फर्नीचर और फिक्स्चर	30.87	2.63	0.19	(0.03)	33.28	4.44	2.55	26.43
कम्प्यूटर	27.51	6.46	0.55	0.51	33.93	11.55	6.37	15.96
सवार उपकरण	10.16	1.15	0.35	(0.16)	10.80	1.55	0.89	8.61
कार्यालय उपकरण	32.03	2.84	0.45	-	34.42	5.00	2.88	27.03
अनुसंधान और विकास उपकरण	0.73	-	-	-	0.73	0.17	0.08	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	43.95	8.92	0.24	0.04	52.67	6.16	3.79	37.79
गैण मूल्य की मूल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	2.34	0.91	0.04	0.02	3.23	2.33	0.90	0.01
कुल	23,033.16	462.59	12.40	0.96	23,484.31	2,781.43	1,422.46	20,251.73
विवत वर्ष	22,084.19	948.06	11.61	12.52	23,033.16	1,383.99	1,418.55	20,251.73

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जोएसपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में उपलब्ध कराए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का अतिरिक्त प्रकटन

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल व्याक				मूल्यहास				(करोड़ रुपये में)	
	01.04.2017 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड (टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.2 देखें)	308.04	11.72	0.32	(0.04)	319.40	-	-	-	319.40	308.04
भूमि-लीजहोल्ड (टिप्पणी सं 2.1.1 और 2.1.3 देखें)	370.52	0.25	-	-	370.77	66.72	11.91	-	292.14	303.80
सड़कें और पुल	310.95	4.90	0.31	(2.47)	313.07	114.74	10.76	(0.42)	125.08	187.99
मगन	2,732.83	29.53	2.63	1.24	2,760.97	914.42	87.93	(1.86)	1,000.49	1,818.41
रेलवे साइट्स	36.13	-	-	-	36.13	24.47	2.49	-	26.96	11.66
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,857.18	18.12	1.28	2.47	18,876.49	7,617.88	835.07	0.26	8,453.21	11,239.30
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,848.85	359.50	13.54	(0.74)	10,194.07	3,815.06	435.85	(3.17)	4,247.74	5,946.33
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	100.88	0.32	0.01	-	101.19	57.81	3.11	0.01	60.93	43.07
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	92.62	3.74	0.02	-	96.34	35.12	4.99	-	40.11	56.23
तथा मशीनरी - अन्य	49.21	0.62	0.03	-	49.80	22.50	2.65	(0.01)	25.14	24.66
निर्माण उपकरण	111.14	2.57	0.53	0.19	113.37	73.32	5.70	(0.29)	78.73	34.64
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	52.46	4.61	0.02	-	57.05	14.08	2.04	(0.01)	16.11	40.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.55	2.12	0.03	-	5.64	1.60	0.26	(0.02)	1.84	3.80
वाहन	34.89	1.58	1.62	(0.07)	34.78	16.87	2.16	(1.34)	17.69	17.09
विमान / नौकाएं	1.05	0.10	-	-	1.15	0.37	0.08	-	0.45	0.70
फर्नीचर और फिक्सचर	56.55	2.63	0.38	(0.03)	58.77	30.12	2.55	(0.23)	32.44	26.33
कम्प्यूटर	66.01	6.46	5.02	0.52	67.97	50.05	6.37	(4.24)	52.18	15.79
संचार उपकरण	16.91	1.15	0.75	(0.18)	17.13	8.30	0.89	(0.64)	8.55	8.58
कार्यालय उपकरण	52.76	2.84	0.88	-	54.72	25.73	2.88	(0.57)	28.04	26.68
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.79	0.08	-	0.87	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	68.44	8.92	0.46	0.04	76.94	30.65	3.79	(0.25)	34.19	42.75
ग्रीन मूल्य की मूल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.20	0.91	0.36	0.02	18.77	18.19	0.90	(0.33)	18.76	0.01
कुल	33,190.52	462.59	28.19	0.95	33,625.87	12,938.79	1,422.46	(13.11)	14,348.14	20,251.73
निगत वर्ष	32,257.47	948.06	27.53	12.52	33,190.52	11,557.27	1,418.55	(37.03)	12,938.79	20,251.73

विवरणात्मक टिप्पणी :-

- 2.1.1 क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 125.03 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 153.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.95 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 870.87 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 627.25 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 306.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 310.04 करोड़ रुपये) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- 2.1.2 फ्री-होल्ड भूमि में किराये के रूप में 100 रुपये प्रति वर्ष की राशि के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा प्रयुक्त की जा रही भूमि का 8 हेक्टेयर (पूर्व वर्ष में 8 हेक्टेयर) शामिल है।
- 2.1.3 भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।
- 2.1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6302.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6299.38 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 2.1.5 सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभाषित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।
- 2.1.6 सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम- III, उड़ी- II, पार्वती- III और तीस्ता लो डैम- IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 2.1.7 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.1.8 परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (करोड़ रुपये में)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	-	(0.16)
भवन	-	(1.50)
जल वैज्ञानिक कार्य	-	(11.12)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(2.79)
संयंत्र एवं मशीनरी सब-स्टेशन	-	(0.02)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.01)
कुल	-	(15.60)

- 2.1.9 थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुबंधी कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

- 2.1.10 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(5) देखें।

टिप्पणी सं. 2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपये में)					
विवरण	01.04.2018 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2019 के अनुसार
सड़कें और पुल	98.56	4.23	-	9.80	92.99
भवन	1,157.35	52.72	(32.06)	266.97	911.04
भवन - पट्टे के अधीन	-	17.01	-	17.01	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,226.04	500.18	-	3,205.83	4,520.39
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,185.16	139.62	(0.09)	740.20	2,584.49
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	28.05	1.47	(10.08)	16.46	2.98
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	1.76	0.60	-	1.08	1.28
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.50	-	(0.49)	-	0.01
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.62	3.43	(0.12)	5.00	1.93
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	9.38	29.83	(0.02)	26.75	12.44
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	304.91	6.93	(0.24)	136.38	175.22
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	-	-	-	15.94
निर्माण पर आरोप्य व्यय (टिप्पणी सं 32 देखें)	7,516.80	850.17	-	1,085.42	7,281.55
उप जोड़	19,548.07	1,606.19	(43.10)	5,510.90	15,600.26
घटाएं : प्रावधान किए गए चल रहे पूंजीगत कार्य (टिप्पणी सं 2.2.2 देखें)	608.35	60.52	-	-	668.87
उप जोड़ (क)	18,939.72	1,545.67	(43.10)	5,510.90	14,931.39
	01.04.2018 के अनुसार		समायोजन		31.03.2019 के अनुसार
निर्माण भंडार	148.26		(40.44)		107.82
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.24		1.17		2.41
उप जोड़ (ख)	147.02		(41.61)		105.41
कुल	19,086.74	1,545.67	(84.71)	5,510.90	15,036.80
पिछले वर्ष	17,587.59	1,891.31	33.37	425.53	19,086.74

वाख्यात्मक टिप्पणी :-

- 2.2.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 365.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 371.10 करोड़ रुपये) शामिल हैं (टिप्पणी सं 32 भी देखें)।
- 2.2.2 सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1422.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1290.74 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लंबित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1379.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1247.22 करोड़ रुपये) के शेष में से 625.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 564.83 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 753.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 682.39 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेणीत किया गया है (टिप्पणी सं 34(25), 34(26) और 34(28) भी देखें)।
- 2.2.3 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोअर और सियांग जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- 2.2.4 अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 2172.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5177.50 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेणीत किया जाता है।
- 2.2.7 चल रहे पूंजीगत कार्य में सुबानसिरी लोअर परियोजना, जहां निर्माण क्रियाकलाप डैम विरोधी आंदोलनकारियों के विरोध के कारण 16.12.2011 से बाधित हो गए हैं और मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित है, के संबंध में 6638.37 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में 6317.39 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है (टिप्पणी सं 34(23क) देखें)।
- 2.2.8 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(5), 34(19), 34(27) और 34(29) देखें।

टिप्पणी 2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2017 के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2018 के अनुसार
सड़कें एवं पुल	92.92	10.57	-	4.93	98.56
भवन	1,103.71	82.34	-	28.70	1,157.35
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,671.84	579.49	(0.01)	25.28	7,226.04
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,062.74	442.94	-	320.52	3,185.16
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	11.82	13.25	2.98	-	28.05
संयंत्र तथा मशीनरी - पारेषण लाइनें	3.31	1.74	(2.98)	0.31	1.76
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0.74	1.03	(0.62)	0.65	0.50
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवररेज	3.92	4.37	(0.82)	3.85	3.62
संस्थापना के लिए प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	2.15	48.09	(1.59)	39.27	9.38
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	295.43	8.89	0.59	-	304.91
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	-	-	-	15.94
निर्माण पर व्यय (टिप्पणी - 32 देखें)	6,793.95	724.87	-	2.02	7,516.80
उप जोड़	18,058.47	1,917.58	(2.45)	425.53	19,548.07
घटाएं: प्रावधान किए गए चल रहे पूंजीगत कार्य (टिप्पणी - 2.2.2 देखें)	582.08	26.27	-	-	608.35
उप जोड़ (क)	17,476.39	1,891.31	(2.45)	425.53	18,939.72

	01.04.2017 के अनुसार	समायोजन		31.03.2018 के अनुसार	
निर्माण भंडार	112.48	35.78		148.26	
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.28	(0.04)		1.24	
उप जोड़ (ख)	111.20	-	35.82	147.02	
कुल	17,587.59	1,891.31	33.37	19,086.74	
पिछले वर्ष	16,741.60	1,804.59	(63.75)	894.85	17,587.59

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 2.2.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 371.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 377.54 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (टिप्पणी सं 32 भी देखें)
- 2.2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1290.74.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1181.14 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अस्पाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1247.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1134.80 करोड़ रुपये) के शेष में से 564.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 538.56 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 682.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 599.15 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है। (टिप्पणी सं 34(25), 34(26) और 34(28) भी देखें)
- 2.2.3 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडिल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी है और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- 2.2.4 इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 5177.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4923.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में निर्धारित समय के साथ संशोधन किए गए हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रणीत किया गया है।
- 2.2.7 चल रहे पूंजीगत कार्यों में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6317.39 करोड़ रुपये का एक संचयी व्यय (पिछले वर्ष में 5921.36 करोड़ रुपये) शामिल है जहां बांध विरोधी गतिविधियों के चलते 16.12.2011 से निर्माण कार्य बाधित है और यह मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित है। (टिप्पणी सं. 34(23क) भी देखें)
- 2.2.8 समेकित वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणी संख्या 34(5) देखें।

टिप्पणी संख्या 2.3 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यांकन परिशोधन			निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-

2.3.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपये में)

31.03.2019 को	53.58
31.03.2018 को	53.58

2.3.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.3.3 निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण समूह संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में रैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्फिल दरों के आधार पर निकाला गया है।

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास परिसोधन			निल ब्याक	
	01.04.2017 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49

2.3.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
भूमि - फ्रीहोल्ड	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
पिछले वर्ष	शून्य	शून्य
विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	53.58	53.58
कुल	53.58	53.58
पिछले वर्ष	53.58	53.58

2.3.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण समूह संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरिकल दरों के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास्य परिसोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,099.38	9.53	-	(5.44)	2,103.47	182.10	65.59	0.89	248.58	1,854.89
कम्प्यूटर सामटवेयर	9.50	0.85	-	-	10.35	8.09	1.25	-	9.34	1.01
कुल	2,108.88	10.38	-	(5.44)	2,113.82	190.19	66.84	0.89	257.92	1,855.90
पिछले वर्ष	2,110.50	1.88	-	(3.50)	2,108.88	126.30	63.89	-	190.19	1,918.69

टिप्पणी : अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचयी मूल्यहास्य इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।
अनुबंध-1 टिप्पणी सं. 2.4 का अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास्यपरिसोधन				निवल ब्लाक		
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,452.79	9.53	-	(6.33)	2,455.99	535.51	65.59	-	601.10	1,854.89
कम्प्यूटर सामटवेयर	47.68	0.85	0.33	(0.07)	48.13	46.27	1.25	(0.40)	47.12	1.01
कुल	2,500.47	10.38	0.33	(6.40)	2,504.12	581.78	66.84	(0.40)	648.22	1,855.90
पिछले वर्ष	2,502.11	1.88	0.02	(3.50)	2,500.47	517.91	63.89	(0.02)	581.78	1,918.69

(₹ in Crore)

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास परिसोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2018 को	वृद्धि	कमी	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,102.41	0.47	-	(3.50)	2,099.38	120.69	61.41	1,917.28
कम्प्यूटर सामग्री	8.09	1.41	-	-	9.50	5.61	2.48	1.41
कुल	2,110.50	1.88	-	(3.50)	2,108.88	126.30	63.89	1,918.69
पिछले वर्ष	1,971.14	139.41	0.04	(0.01)	2,110.50	61.81	64.51	1,984.20

टिप्पणी : अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संघीय मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।
अनुबंध-1 टिप्पणी सं. 2.4 का अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास परिसोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2017 को	वृद्धि	Deduction	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	31.03.2018 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,455.82	0.47	-	(3.50)	2,452.79	474.10	61.41	1,917.28
कम्प्यूटर सामग्री	46.29	1.41	0.02	-	47.68	43.81	2.48	1.41
कुल	2,502.11	1.88	0.02	(3.50)	2,500.47	517.91	63.89	1,918.69
पिछले वर्ष	2,362.83	139.41	0.12	(0.01)	2,502.11	453.50	64.51	1,984.20

टिप्पणी सं. 2.5.1 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश

संयुक्त उद्यमों में ब्याज

नीचे सूचीबद्ध किए गए निकायों की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम और संबंध	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	स्वामित्व ब्याज का				वहन राशि
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	26.08		27.83
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत	इक्विटी पद्धति	51.94%	55.39%	766.57		593.64
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					792.65		621.47

विवरणात्मक टिप्पणी :

- वर्ष के दौरान कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 165.19 करोड़ रुपये का और निवेश किया है और जेकेपीडीसी ने 222.55 करोड़ रुपये का निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता 55.39 प्रतिशत से घटकर 51.94 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

टिप्पणी सं. 2.5.2 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	(1.74)	(2.14)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	6.98	2.06
कुल	5.24	(0.08)

टिप्पणी सं. 2.5.3 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	(0.01)	0.01
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	-	-
कुल	(0.01)	-

विवरणात्मक टिप्पणी :

संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध करवाती है। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु अधिग्रहण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

1. सारबद्ध तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकद समतुल्य	12.77	6.05	259.82	174.25
अन्य परिसंपत्तियां	4.91	4.44	16.40	7.00
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	17.68	10.49	276.22	181.25
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	336.34	341.17	1,413.30	1,201.91
कुल परिसंपत्तियां (क)	354.02	351.66	1,689.52	1,383.16
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	58.58	24.00	118.74	123.37
अन्य देयताएं	2.07	55.57	89.50	115.52
कुल वर्तमान देयताएं	60.65	79.57	208.24	238.89
गैर-वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	162.81	132.81	0.72	0.14
अन्य देयताएं	0.17	0.12	3.08	2.26
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	162.98	132.93	3.80	2.40
कुल देयताएं (ख)	223.63	212.50	212.04	241.29
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	130.39	139.16	1,477.48	1,141.87
घटाएं : आवंटन लंबित रहते हुए शेयर अनुप्रयोग राशि	-	-	-	65.19
आवंटन लंबित रहने वाली शेयर अनुप्रयोग राशि के समायोजन के पश्चात निवल परिसंपत्ति	130.39	139.16	1,477.48	1,076.68

2. वहन राशि का मिलान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	139.16	149.84	1,076.68	945.37
वर्ष हेतु लाभ	(8.72)	(10.72)	13.06	3.95
अन्य व्यापक आय	(0.05)	0.04	-	-
इक्विटी अंशदान	-	-	387.74	127.36
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	130.39	139.16	1,477.48	1,076.68
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	51.94%	55.39%
समूह का अंश	26.08	27.83	767.39	596.36
साख/(पूंजीगत आरक्षित)	-	-	1.14	(1.34)
वहन राशि	26.08	27.83	768.53	595.02
घटाएं : अंतर समूह कारोबार पर वसूल न किया गया लाभ	-	-	1.96	1.38
निवल वहन राशि	26.08	27.83	766.57	593.64

3. सारबद्ध लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीबीपीटीएल	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
राजस्व	26.03	20.84	-	-
ब्याज आय	0.41	1.25	20.45	6.20
मूल्यहास और परिशोधन	8.37	6.28	-	-
ब्याज व्यय	15.83	14.80	-	-
अन्य व्यय	10.96	11.73	1.43	0.54
आय कर व्यय	-	-	5.96	1.71
सतत प्रचालनों से लाभ	(8.72)	(10.72)	13.06	3.95
वर्ष हेतु लाभ	(8.72)	(10.72)	13.06	3.95
अन्य व्यापक आय	(0.05)	0.04	-	-
कुल व्यापक आय	(8.77)	(10.68)	13.06	3.95

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर-वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कारपोरेट निकाय				
इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	360800	0.52	360800	0.62
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	88.14	12000000	104.52
कुल (क)		88.66		105.14
ख. उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	157.11	150000	154.21
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	12.90	12380	12.64
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	59.77	57000	59.17
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	18.76	17940	18.62
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	36.89	35000	36.66
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	35.99	34000	35.75
उप जोड़ (क)		321.42		317.05

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.89	120	13.89
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.83	100000	11.31
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त 22.11.2028 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	54.40	473	55.90
उप जोड़ (ख)		80.12		81.10
कुल (ख) (क + ख)		401.54		398.15
कुल (क + ख)		490.20		503.29
3.1.1 (i) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि		381.95		381.95
(ii) उद्धृत निवेशों का समग्र बाजार मूल्य		490.20		503.29
(iii) उद्धृत न किए गए निवेशों की समग्र राशि		-		-
3.1.2 165.50 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 150 करोड़ रुपये) की लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को 165.42 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 146.98 करोड़ रुपये) की तुलना में प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान परिपक्वता वाले डिबेंचर के कुल मोचन मूल्य का 15 प्रतिशत है।				
3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित निवेशों का विवरण ऊपर टिप्पणी 3.1 के तहत प्रकट किया गया है।				
3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिनके लिए उद्धरण उपलब्ध नहीं है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य पर विचार किया गया है।				

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	61.51	306.57
कुल	61.51	306.57

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिशोधित लागत पर		
क जमा		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	23.52	20.09
उप-जोड़	23.52	20.09
ख कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.3.1 देखें)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	123.85	133.15
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	2.71	2.26
उप-जोड़	126.56	135.41
ग अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.2 एवं 3.3.4 देखें)		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	620.00	568.81
कुल	620.00	568.81
कुल	770.08	724.31

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
3.3.1 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय	Nil	0.01
3.3.2 अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण इसमें शामिल है:		
- मूलधन	225.00	225.00
- ब्याज	395.00	343.81
3.3.3 ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। मूल कीमत दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है		
3.3.4 व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋणों को दर्शाता है।		
3.3.5 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) देखें।		

टिप्पणी संख्या 3.4 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	77.32	35.15
ख. प्राप्य पट्टा किराया (टिप्पणी 3.4.1 और 34(18(ग)) देखें)	5,355.41	5,399.44
ग. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विसड बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी 3.4.2 और 11(I) देखें)		
- मूलधन	2,017.20	-
घ. प्रोद्भूत ब्याज:		
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	3.61	1.37
ड. आबंटन लंबित होने के चलते शेयर अनुप्रयोग राशि (घिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) - संयुक्त उद्यम	-	65.19
कुल	7,453.54	5,501.15

- 3.4.1 प्रतिभूति के रूप में प्राप्य गिरवी/रेहन हेतु टिप्पणी संख्या 34(11) देखें।
- 3.4.2 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विसड बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें।
- 3.4.3 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी संख्या 4 गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	1,843.70	1,365.40
घटाएं: कर निर्धारण के लिए प्रावधान	1,697.83	1,150.87
कुल	145.87	214.53

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. पूंजी अग्रिम		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	1.22	12.20
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के बदले	255.49	280.73
- अन्य (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	244.00	357.49
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	42.68	2.17
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	4.50	4.50
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.2 देखें)	4.50	4.50
उप जोड़	458.03	648.25
ख. पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम		
i) जमा राशियां		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	0.53	15.51
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	-	15.29
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	0.04	0.04
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.3 देखें)	0.04	0.04
उप जोड़	0.53	0.22
ii) अन्य अग्रिम		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	0.83	0.49
उप जोड़	0.83	0.49
ग. अन्य		
i) पूंजीगत कार्य के संबंध में आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए अग्रिम राशि (अप्रतिभूत)		
ठेकेदारों को जारी - बैंक गारंटी के बदले	617.39	536.06
ठेकेदारों को जारी - अन्य	34.61	-
न्यायालय में जमा	334.24	-
उप जोड़	986.24	536.06
ii) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	398.56	432.68
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	130.91	133.02
उप जोड़	529.47	565.70
iii) दिए गए कर्मचारी ऋणों पर आस्थगित लागत		
प्रतिभूत - अच्छे माने गए	58.77	59.16
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	0.24	6.06
उप जोड़	59.01	65.22
TOTAL	2,034.11	1,815.94

5.1 पूंजीगत अग्रिम - अन्य में चमेरा- III पावर स्टेशन से पानी के रिसाव (लीकेज/सीवेज) के कारण मकानों/दुकानों को हुए नुकसान के लिए ग्रामवासियों को क्षतिपूर्ति के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जमा की गई 41.34 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
5.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	4.50	4.50
अंतिम शेष	4.50	4.50
5.3 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
अंतिम शेष	0.04	0.04

5.4 शेष राशि की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 (17) देखें।

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(न्यून लागत पर अथवा निवल वसूली मूल्य पर)		
भंडार तथा कलपुर्जे	123.51	102.39
परिवहन/निरीक्षण के लिए लंबित भंडार	2.06	2.81
खुले औजार	2.43	2.06
रद्दी मालसूची	0.43	1.49
स्थल पर सामग्री	4.96	-
ठेकेदार/निर्माता को जारी सामग्री	0.02	4.99
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)	8.23	9.06
कुल	125.18	104.68
6.1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	9.06	9.98
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)	0.87	0.40
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.38	1.11
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.32	0.21
अंतिम शेष	8.23	9.06
6.1.1 वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.87	0.40

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
- व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	2,838.00	1,346.04
- व्यापार प्राप्य - प्रभावित ऋण	37.71	37.71
घटाएं - व्यापार प्राप्य के लिए संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान (टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)	37.71	37.71
कुल	2,838.00	1,346.04

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
7.1 व्यापार प्राप्य के लिए संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.71	54.40
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	1.93
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	18.35
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.27
अंतिम शेष	37.71	37.71
7.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	Nil	Nil
7.3 उपरोक्त टिप्पणी 7.2 पर कंपनी के संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	Nil	Nil
7.4 व्यापार प्राप्य अप्रतिभूत - अच्छे माने गए में करार के तहत लागू ब्याज के साथ समान मासिक किश्तों में प्राप्य आस्थगन के लिए सहमत देयताएं शामिल हैं।	120.89	152.04
7.5 वर्तमान प्राप्तियों की अत्यावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।		
7.6 शेष राशि की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकद समतुल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. बैंकों के पास शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास		
i) चालू खाते में (टिप्पणी सं. 8.2 देखें)	43.70	19.05
ii) जमा खाते में		
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	-	1.46
ख. हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0.01	-
ग. हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)	0.01	0.03
कुल	43.72	20.54
8.1 इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	0.01
8.2 इसमें ऐसी शेष राशि शामिल है, जो कंपनी के लिए व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है		
(i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्य हेतु रखी गई है।	18.18	0.22
(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय, सिविकम के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आकस्मिक राहत कोष	0.50	-

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकद समतुल्य के अतिरिक्त अन्य शेष

		(करोड़ रूपए में)	
विवरण		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. 3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा (टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)		2,095.44	3,193.58
ख. जमा - भुगतान न किया गया लाभांश		19.17	18.16
ग. जमा - भुगतान न किया गया ब्याज		86.92	86.78
	कुल	2,201.53	3,298.52
9.1 इसमें ऐसी शेष राशि शामिल है, जो:			
i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्य के लिए रखी गई है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है		253.82	250.49
ii) अल्पावधिक उधारियों के लिए बैंकों के पास रखी गई है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है		10.00	-
iii) ऑकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के लिए विस्थापितों द्वारा की गई जमा राशि, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है		2.64	2.64
iv) माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में लियन पर रखी गई है और जो कंपनी के व्यापार हेतु उपलब्ध नहीं है।		7.89	11.12

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

		(करोड़ रूपए में)	
विवरण		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
जमा			
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)		0.62	1.17
	उप जोड़	0.62	1.17
संगत पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत - अच्छे माने गए (टिप्पणी सं. 34(10) देखें)			
- नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड		6.00	6.00
	उप जोड़	6.00	6.00
Employees Loan (including accrued interest) (Refer Note 10.2)			
- व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - प्रतिभूत		17.62	20.09
- व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत		24.57	25.35
- व्यापार प्राप्य, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई		0.01	0.03
घटाएं: ऐसे ऋणों के लिए संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (टिप्पणी संख्या 10.1 देखें)		0.01	0.03
	उप जोड़	42.19	45.44
	कुल	48.81	52.61
10.1 ऐसे ऋणों के लिए संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है			
प्रारंभिक शेष		0.03	0.03
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		0.02	-
अंतिम शेष		0.01	0.03
10.2 वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय ऋण और अग्रिम राशि		0.08	0.11
10.3 ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक कंपनी का निदेशक अथवा सदस्य है		Nil	Nil
10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया जा चुका है।			
10.5 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।			

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. प्राप्य दावे	543.11	619.93
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 11.1 देखें)	203.43	210.41
उप जोड़	339.68	409.52
ख. बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	60.16	116.21
ग. बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य (टिप्पणी सं. 11.2 देखें)	1,524.14	796.16
घ. सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य (टिप्पणी सं. 11.3 देखें)	95.46	104.75
ङ. लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	2.79	5.32
च. प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) - वर्तमान	213.86	178.63
छ. वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	18.92
ज. निवेश (बॉण्ड) पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	2.52
झ. भारत सरकार द्वारा सर्विसड बांडों पर प्रोदभूत ब्याज (टिप्पणी सं. 3.4(ग)) देखें	4.49	-
कुल	2,243.10	1,632.03
11.1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	210.41	209.26
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	4.84	3.36
समायोजन	(1.75)	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.22	0.01
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	9.85	2.20
अंतिम शेष	203.43	210.41
11.2 प्राप्य के कारण दर्शाते हैं		
इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	53.15	37.23
जल उपकरण	264.34	160.92
मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	455.15	389.50
संशोधन/अनुमोदन के कारण लंबित वार्षिक निर्धारित प्रभार - चमेरा-III पावर स्टेशन	2.83	2.83
संशोधन/अनुमोदन के कारण लंबित वार्षिक निर्धारित प्रभार - सेवा-II पावर स्टेशन	214.04	-
संशोधन/अनुमोदन के कारण लंबित वार्षिक निर्धारित प्रभार - पार्वती-III पावर स्टेशन	16.11	-
ऊर्जा कमी	151.75	-
पुनःवित्तपोषण और बांड इश्यू व्यय के कारण बचत	(58.77)	(18.14)
आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	128.10	138.70
संशोधन/अनुमोदन के कारण लंबित वार्षिक निर्धारित प्रभार - टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन	93.43	-
वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव	55.83	-
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन	93.67	66.05
प्रचालन एवं राजस्व - बैरास्यूल	40.14	-
अन्य	14.37	19.07
कुल	1,524.14	796.16
11.3 सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में किरूऔर कवार जलविद्युत परियोजनाओं पर कंपनी द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।		
11.4 उक्त (क) पर प्राप्य दावों में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्य 22.00 करोड़ रुपए (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 26.43 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जिसका ब्यौरा लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 34(7)) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राप्य टीडीएस के प्रति शून्य राशि (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 0.08 करोड़ रुपए) और भू-वंचितों से दोहरे भुगतान के प्रति प्राप्य 0.03 करोड़ रुपए (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 0.12 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जिसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है।		
11.5 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर (टिप्पणी सं.-23 देखें)	111.85	0.40
कुल	111.85	0.40

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	93.82	122.70
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के लिए रखा गया व्यय	0.10	0.10
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	0.01	-
घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए व्यय (टिप्पणी सं 13.1 देखें)	0.01	-
उप जोड़	93.72	122.60
ख) संविदाकार/आपूर्तिकार को अग्रिम		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	0.14	1.13
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के प्रति	13.30	15.43
- अन्य	25.64	26.16
घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	0.14	0.45
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	45.52	45.52
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.2 देखें)	45.52	45.52
उप जोड़	38.94	42.27
ग) अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	0.90	0.77
उप जोड़	0.90	0.77
घ) निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :		
अन्य		
- अच्छे माने गए	11.05	9.78
- संदिग्ध माने गए	108.90	104.11
घटाएं : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.3 देखें)	108.90	104.11
उप जोड़	11.05	9.78
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.4 देखें)	37.06	37.06
उप जोड़	-	-
ख) पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	39.25	38.96
घटाएं : लंबित जांच/पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.5 देखें)	39.25	38.96
उप जोड़	-	-
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	102.32	83.87
घ) कर्मचारी अग्रिम पर आस्थगित लागत		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	5.86	6.26
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	0.10	0.06

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ड) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	30.83	66.36
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	7.93	7.93
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.8 देखें)	3.66	1.81
छ) प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट	13.82	5.96
ज) प्रतिदेय आय कर	40.19	-
झ) अन्य (ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में मुख्यतः)	23.41	10.61
कुल	372.73	358.28
13.1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
अंतिम शेष	0.01	-
13.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	45.52	45.52
13.3 संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	104.11	84.32
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	19.44	19.79
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	14.65	-
अंतिम शेष	108.90	104.11
13.4 पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
13.5 जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	38.96	40.03
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.15	0.36
समायोजन	1.75	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.37	0.82
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.24	0.61
अंतिम शेष	39.25	38.96
13.6 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष/अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	Nil	Nil
13.7 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	Nil	Nil
13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बड़ी मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।		
13.9 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

		(करोड़ रूपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष			
प्रारंभिक शेष	3,172.81	2,697.99	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	94.53	474.82	
अंतिम शेष	3,267.34	3,172.81	
(ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन			
प्रारंभिक शेष	450.50	214.93	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (लाभ एवं हानि के माध्यम से) (टिप्पणी सं 31 देखें)	220.43	259.25	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	-	(23.68)	
अंतिम शेष	670.93	450.50	
(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के आधुनिकीकरण के कारण अंतरीय मूल्यहास			
प्रारंभिक शेष	-	-	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	171.98	-	
अंतिम शेष	171.98	-	
(घ) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर			
प्रारंभिक शेष	(0.40)	(2.50)	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	(0.57)	2.10	
अंतिम शेष	(0.97)	(0.40)	
(ङ) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के लिए समायोजन			
प्रारंभिक शेष	2,186.70	2,324.20	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	151.88	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	137.50	
अंतिम शेष	2,034.82	2,186.70	
(च) 2014-2019 की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियों के लिए समायोजन			
प्रारंभिक शेष	326.11	796.40	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	508.93	(470.29)	
अंतिम शेष	835.04	326.11	
अंतिम शेष (I) = (क+ख+ग+घ+ङ+च)	6,979.14	6,135.72	
घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	(340.62)	(100.77)	
जोड़ें : लाभार्थियों से आस्थगित कर वसूलियां	(340.62)	(100.77)	
कुल (II)	-	-	
विनियामक आस्थगित लेखा शेष आस्थगित कर का निवल (I&II)	6,979.14	6,135.72	

टिप्पणी: समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) देखें। साथ ही विनियामक आस्थगित लेखा शेष के पुनः विवरण के लिए टिप्पणी 35 देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	150000000000	15,000.00	150000000000	15,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32

15.1.1 रिपोर्ट अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का पुनर्मिलान:

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल को शेष	10259320519	10,259.32	10259320519	10,259.32
घटाएं : वर्ष के दौरान शेयरों की पुनः खरीद	214285714	214.29	-	-
31 मार्च को शेष	10045034805	10,045.03	10259320519	10,259.32

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर उनके लिए घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में है।

15.1.3 कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य (विगत वर्ष - शून्य)।
15.1.4 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
- भारत के राष्ट्रपति	7365964993	73.33%	7587481082	73.96%
- भारतीय जीवन बीमा निगम	734379599	7.31%	734379599	7.16%

15.1.5 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपये प्रत्येक के 811347977 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।
15.1.6 दिनांक 22 जनवरी, 2019 को कंपनी ने 10 रुपये प्रत्येक के 21,42,85,714 शेयरों की पुनः खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 28 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 600 करोड़ रुपये की कुल राशि पर पूरा किया है। इस पुनः खरीद के परिणामस्वरूप कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 214.29 करोड़ रुपये घट गई है और इतनी ही राशि का मोचन पूंजीगत मोचन रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के तहत सृजित किया गया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,041.42	2,041.42
जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरित	214.29	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,255.71	2,041.42
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	242.81	242.81
घटाएं : इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	242.81	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	-	242.81
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,129.55	1,609.27
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	-	668.45
जोड़ें : सामान्य आरक्षित में अंतरण	308.77	-
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	244.97	148.17
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,193.35	2,129.55
(iv) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	23.29	24.31
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	11.91	1.04
समायोजन	-	0.02
तुलन-पत्र की तारीख पर	11.38	23.29
(v) अनुसंधान एवं विकास निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.97	60.87
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	16.97	43.90
तुलन-पत्र की तारीख पर	-	16.97
(vi) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,224.43	10,224.43
जोड़ें : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	1,547.44	-
जोड़ें : अनुसंधान और विकास निधि से अंतरित	8.66	-
घटाएं : पूंजीगत मोचन आरक्षित को अंतरित	214.29	-
घटाएं : इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद और संगत व्यय के लिए उपयोग (टिप्पणी सं. 15.1.6 और 29 देखें)	149.10	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	11,417.14	10,224.43

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(vii) अधिशेष/प्रतिधारित आय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4,982.91	4,430.92
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	2,595.61	2,513.90
जोड़ें - वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	1.56	20.40
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	244.97	148.18
जोड़ें - सीएसआर निधि से पश्च लेखित राशि	6.09	0.53
जोड़ें - अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्च लेखित राशि	-	43.89
घटाएं : लाभांश (अंतिम और अंतरिम) (टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)	1,000.46	1,506.46
घटाएं : लाभांश पर कर (अंतिम और अंतरिम) (टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)	205.65	-
घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित में अंतरण	308.77	668.45
घटाएं - सामान्य आरक्षित में अंतरण	1,547.44	-
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	4,768.82	4,982.91
(viii) (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	92.78	100.08
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(16.48)	(7.30)
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	76.30	92.78
(ix) (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	27.71	34.68
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.37	(9.09)
घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर आस्थगित कर	-	(2.12)
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	30.08	27.71
कुल	20,752.78	19,781.87

आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- पूंजी मोचन आरक्षित** - यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित है।
- प्रतिभूति प्रीमियम** - प्रतिभूति प्रीमियम प्रतिभूतियों के समान मूल्य से अधिक प्राप्त की गई राशि को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 प्रतिभूति प्रीमियम की सीमा और उपयोग को विनिर्दिष्ट करती है।
- बॉण्ड मोचन आरक्षित** - कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि** का सृजन पूर्व वर्षों के सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में अप्रयुक्त बजट के वित्तपोषण के लिए समूह की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- अनुसंधान और विकास आरक्षित** - आर एण्ड डी बजट के वित्तपोषण हेतु अनुसंधान एवं विकास निधि को रखा गया है। वर्ष के दौरान समूह की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा सृजित अनुसंधान एवं विकास कोष को अधिशेष/प्रतिधारित आय के साथ मिलाया गया है।
- सामान्य आरक्षित**: सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय-समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए रखी गई आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है।
- अधिशेष/प्रतिधारित आय**: सामान्यतः अधिशेष/प्रतिधारित आय कंपनी की संचयी आय की अवितरित लाभ/राशि को दर्शाती है और इसमें परिभाषित लाभ दायित्वों पर लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।
- एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत** - कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत** - कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनियों के नाम	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,827.02	2,893.56
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	35.74	35.64
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	5.71	5.71
कुल	2,868.47	2,934.91

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

क) अन्य निकायों में ब्याज

31 मार्च, 2019 के अनुसार समूह की सहायक कंपनियां नीचे दिए अनुसार है। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल है जो सीधे समूह द्वारा धारित है, और स्वामित्व ब्याजों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रधान स्थान है।

कंपनी का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज		गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज		प्रमुख क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
			%	%	%	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	74.00	74.00	26.00	26.00	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99	99.99	0.01	0.01	विद्युत उत्पादन

ख) गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

नीचे प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर-नियंत्रक ब्याज है। प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर-कंपनी समाप्ति से पूर्व की हैं।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान परिसंपत्तियां	2,397.60	2,359.75	5.05	13.00	11.89	11.57
वर्तमान देयताएं	358.87	408.45	7.16	7.72	12.85	1.66
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	2,038.73	1,951.30	(2.11)	5.28	(0.96)	9.91
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5,155.99	5,463.30	139.58	131.80	9.56	8.88
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	486.53	466.51	-	-	-	-
गैर-वर्तमान देयताएं	1,891.41	1,926.36	-	-	-	10.00
निवल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	3,751.11	4,003.45	139.58	131.80	9.56	(1.12)
निवल परिसंपत्तियां	5,789.84	5,954.75	137.47	137.08	8.60	8.79
आवंटन हेतु लंबित प्रजी शेयर अनुप्रयोग राशि	-	-	-	-	5.71	5.71
निर्दिष्ट आरक्षित	11.38	40.27	-	-	-	-
गैर नियंत्रक ब्याज का कुल	2,827.02	2,893.56	35.74	35.64	5.71	5.71

ग) सारबद्ध लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचपीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
राजस्व	1,037.30	1,056.68	0.93	1.00	0.02	0.04
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	470.69	487.31	0.39	0.64	(0.20)	(0.52)
विनियामक आस्थगित आय	20.02	65.87	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	(0.25)	0.47	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	490.46	553.65	0.39	0.64	(0.20)	(0.52)
एनसीआई को आबंटित लाभ	240.08	270.64	0.10	0.17	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश (डीडीटी सहित)	320.63	724.58	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचपीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	403.91	916.46	(0.44)	(0.02)	0.98	(1.54)
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	230.50	563.97	0.57	(0.02)	(0.66)	(1.26)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(635.44)	(1,480.69)	-	-	-	3.00
नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(1.03)	(0.26)	0.13	(0.04)	0.32	0.20

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिशोधित लागत पर		
- प्रतिभूत ऋण		
● बाण्ड	11,635.59	11,238.39
● सावधि ऋण	-	-
- बैंकों से	200.00	20.00
- अन्य से	840.34	1,206.67
- अप्रतिभूत ऋण		
● सावधि ऋण		
- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,352.83	3,163.79
- अन्य से	1,015.87	1,099.35
कुल	17,044.63	16,728.20

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं - पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

		(करोड़ रूपए में)	
16.1.2.ए मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत			
i) कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07	
ii) कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62	
iii) बॉण्ड - यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(2 व 7) देखें) (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00	
iv) बॉण्ड - यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(2 व 7) देखें) (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00	
v) कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12	
vi) कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61	
vii) कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81	
viii) कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3 व 6) देखें) (1,000/- रूपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77	
ix) बाण्ड-डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(10) देखें) (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचन योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	750.00	750.00	
x) बाण्ड-वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3) देखें) (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	1,475.00	1,475.00	

(करोड़ रुपए में)

16.1.2.ए मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
xi) बाण्ड-एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(2) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बाण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रुपये की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ है। (मोचन की तिथि 08.02.2029)	1,500.00	-
xii) बाण्ड - टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(1, 2 व 7) देखें) (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 वर्षीय मोचन)	1,474.92	1,474.92
xiii) बाण्ड - आर-3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बाण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपये के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2019 को 89.20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 9 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	802.80	892.00
xiv) बाण्ड - एस-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(7) देखें) (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2019 को 55.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की 11 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	605.00	660.00
xv) बाण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(10) देखें) (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपये प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2019 को 300 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	1,200.00	1,500.00
xvi) बाण्ड - वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3) देखें) (5,00,000/- रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बाण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपये के 5 वार्षिक मोचन। 31.03.2019 को 155 करोड़ रुपए की तीन वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	465.00	620.00
xvii) बाण्ड - क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(4 व 8) देखें) (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2019 के अनुसार 105.50 करोड़ रुपए प्रत्येक की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	844.00	949.50

(करोड़ रुपये में)

16.1.2.ए मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
xviii) बॉण्ड - आर-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3) देखें) (12,00,000/- रुपये प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ हुई है। 31.03.2019 के अनुसार 31.84 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	254.72	286.56
xix) बॉण्ड - पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(3, 5 व 6) देखें) (10,00,000/- रुपये प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिन्हें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ हो गई है। 31.03.2019 के अनुसार 200 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	1,200.00	1,400.00
xx) बॉण्ड -एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(7) देखें) (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 10,00,000/- रुपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है।) (365 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ हो गई है। 31.03.2019 के अनुसार 36.50 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	219.00	255.50
xxi) बॉण्ड -आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(7) देखें) (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है।) (82.20 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ हो गई है। 31.03.2019 के अनुसार 6.85 करोड़ रुपये प्रत्येक की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	47.95	54.80
कुल बॉण्ड	12,738.39	12,218.28
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	1,102.80	979.89
बांड-वर्तमान परिपक्वता के निवल (क)	11,635.59	11,238.39
(ख). सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)		
i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(2) देखें) (7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ 3 वर्ष की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुनर्निर्धारण खंड है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यह 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष है।) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	20.00	30.00
ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(11) देखें) (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 8.50 प्रतिशत की वार्षिक फ्लोटिंग ब्याज दर (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ एमसीएलआर) पर 31.08.2029 तक 6.7857 करोड़ रुपये की 28 समान तिमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	190.00	-
कुल सावधि ऋण - बैंक	210.00	30.00
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	10.00	10.00

(करोड़ रुपए में)

16.1.2.ए मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कुल सावधि ऋण - बैंक - वर्तमान परिपक्वता के निवल (ख)	200.00	20.00
(ग) सावधि ऋण - बैंक - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) डच बैंक और अन्य (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(9) देखें) (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 52.39 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	-	113.45
कुल सावधि ऋण - बैंक	-	113.45
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	-	113.45
सावधि ऋण - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	-	-
(घ) सावधि ऋण - अन्य से (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख (3 व 5) देखें) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 16.67 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.16667 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	416.67	625.00
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख (4 व 8) देखें) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	790.00	948.00
कुल सावधि ऋण-अन्य (प्रतिभूत)	1,206.67	1,573.00
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	366.33	366.33
सावधि ऋण - अन्य वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	840.34	1,206.67
(त) भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूत)		
भारत सरकार से ऋण (अंकित मूल्य पर)		
i) निम्नो - बाजगो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 28.85 करोड़ की प्रत्येक 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	420.78	414.99
ii) चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रुपए की प्रत्येक 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	460.18	478.14
iii) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 315.50 करोड़ रुपये की 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,494.98	2,293.77
कुल सावधि ऋण - सरकार (अप्रतिभूत)	3,375.94	3,186.90
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	23.11
सावधि ऋण - अन्य पक्षकारों से - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ड)	3,352.83	3,163.79

(करोड़ रुपए में)

16.1.2.ए मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(च) सावधि ऋण - अन्यो से - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी सीरीज़-I (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(9) देखें) (31.03.2019 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.68 करोड़ रुपए प्रत्येक की 14 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	107.47	120.69
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी सीरीज़-II (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(9) देखें) (31.03.2019 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 25.18 करोड़ रुपए प्रत्येक की 18 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	453.29	494.90
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी सीरीज़-III (टिप्पणी सं. 16.1.2 ख(9) देखें) (31.03.2019 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.60 करोड़ रुपए प्रत्येक की 30 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	558.03	584.89
कुल सावधि ऋण - अन्य (अप्रतिभूत)	1,118.79	1,200.48
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	102.92	101.13
सावधि ऋण - अन्य वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (च)	1,015.87	1,099.35
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ड+च)	17,044.63	16,728.20

16.1.2 ख प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रतिभूत।
- सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रतिभूत।
- उपरोक्त क्रमांक च(i), च(ii) और च(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के पार्वती-II पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन प्रक्रियाधीन है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रतिभूत।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय (टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें)		
- - मूलधन	2,017.20	-
प्रतिधारण राशि	42.24	39.87
TOTAL	2,059.44	39.87

16.2.1 वर्ष के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिबैंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूत गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय मोचनीय, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड - सीरीज-I" की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपये की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांडधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीय राशि भी टिप्पणी संख्या 3.4 के तहत गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

वर्ष के दौरान सृजित भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड-I सीरीज:	2,017.20	-
8.12 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूत गैर-संचयी, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय कर योग्य बांड, प्रत्येक 10,00,000/- रुपये (मोचन की तारीख 22.03.2029)		

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21.50	472.43
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	7.66	0.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.78	451.16
अंतिम शेष	27.38	21.50
ख. अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.25	15.16
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	13.65
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1.48
छूट की समाप्ति	0.12	0.98
अंतिम शेष	1.37	1.25
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.40	17.99
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.66	0.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.62	0.96
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.14	-
छूट की समाप्ति	0.36	0.33
अंतिम शेष	17.66	17.40
iii) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.51	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.05	0.51
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.03	-
अंतिम शेष	0.53	0.51
कुल	46.94	40.66

टिप्पणी : प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,370.64	3,846.11
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	17.74	8.46
ग) अन्य मदें	45.29	227.16
घ) अवितरित आय	400.63	386.89
आस्थगित कर देयता	4,834.30	4,468.62
घटाएं - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
क) संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	11.20	10.68
ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	11.24	9.39
ग) अन्य मदें	91.18	224.87
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	113.62	244.94
आस्थगित कर देयता (निवल)	4,720.68	4,223.68

18.1 आस्थगित कर देयताओं (निवल) के पुनः विवरण के संबंध में टिप्पणी संख्या 35

18.2 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

18.2 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2018-19				
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मद	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	3,846.11	8.46	227.16	386.89	4,468.62
प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)					
- लाभ या हानि को	524.53	8.57	(181.87)	13.74	364.97
- ओसीआई को	-	0.71	-	-	0.71
31 मार्च, 2019 को	4,370.64	17.74	45.29	400.63	4,834.30

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2018 को	10.68	9.39	224.87	244.94
प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)				
- लाभ या हानि को	0.52	1.84	(133.69)	(131.33)
- ओसीआई को	-	0.01	-	0.01
31 मार्च, 2019 को	11.20	11.24	91.18	113.62

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2017-18				
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	4,080.95	5.25	647.21	479.47	5,212.88
प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)					
- लाभ या हानि को	(234.84)	5.16	(420.05)	(92.58)	(742.31)
- ओसीआई को	-	(1.95)	-	-	(1.95)
31 मार्च, 2018 को	3,846.11	8.46	227.16	386.89	4,468.62

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	92.42	179.30	155.26	426.98
प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)				
- लाभ या हानि को	(81.74)	(160.67)	61.33	(181.08)
- ओसीआई को	-	(9.24)	8.28	(0.96)
31 मार्च, 2018 को	10.68	9.39	224.87	244.94

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	1,027.80	1,093.02
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेख से आस्थगित आय	48.51	54.72
सरकार से सहायता अनुदान - आस्थगित आय (टिप्पणी सं. 19.1 देखें)	1,909.75	1,705.63
कुल	2,986.06	2,853.37
19.1 सरकार से सहायता अनुदान - आस्थगित आय		
वर्ष के प्रारंभ में	1,797.16	1,637.77
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	309.67	238.59
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण में निर्मुक्त (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	92.17	79.20
अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	2,014.66	1,797.16
सरकार से सहायता अनुदान - आस्थगित आय (वर्तमान) (टिप्पणी सं 21 देखें)	104.91	91.53
सरकार से सहायता अनुदान - आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	1,909.75	1,705.63
19.1.1 अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :		
(i) सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	862.65	586.13
(ii) तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	23.98	24.98
(iii) मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान	1,118.03	1,176.05
(iv) राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	10.00	10.00

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
मांग पर ऋण देय		
बैंकों से - प्रतिभूत (टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)	116.00	279.99
बैंकों से - अप्रतिभूत	300.00	-
कुल	416.00	279.99

20.1.1 ऋणों का ब्यौरा (प्रतिभूत)

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं. प्रतिभूति के ब्यौरे के साथ-साथ बैंक का नाम	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
1 केनरा बैंक - बही ऋणों और स्टॉक से प्रतिभूत है	106.00	-
2 पंजाब एंड सिंध बैंक - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूति है	10.00	-
3 आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूति है	-	108.00
4 आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से प्रतिभूति है	-	171.99
कुल	116.00	279.99

टिप्पणी सं. 20.2 व्यापार देय - वर्तमान

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (टिप्पणी सं 20.2.1 देखें)	19.38	7.97
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	176.89	192.13
कुल	196.27	200.10

20.2.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)		
- बॉण्ड	1,102.80	979.89
- सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूति	10.00	10.00
- सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूति	-	113.45
- अन्य - प्रतिभूत	366.33	366.33
- अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
- अन्य - अप्रतिभूति	102.92	101.13
पूँजीगत कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता	348.89	438.70
पूँजीगत कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	5.27	1.58
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	584.99	572.49
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में देय ब्याज	4.49	-
अग्रिम/प्रतिधारण राशि	129.23	112.86
अदा न किया गया लाभांश (टिप्पणी सं 20.3.3 देखें)	19.17	18.16
अदा न किया गया ब्याज (टिप्पणी सं 20.3.3 देखें)	0.26	0.11
कर्मचारियों को देय	125.06	17.72
अन्य को देय	74.20	60.41
कुल	2,896.72	2,815.94

20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1.2 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

20.3.2 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.3.3 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	65.19	65.19
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	6.17	6.17
भुगतान योग्य सांविधिक देय	752.80	362.61
संविदा देयताएं - जमा कार्य	19.96	1.67
संविदा देयताएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	196.82	214.44
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	12.19	13.25
सरकार से सहायता अनुदान - आस्थगित आय (टिप्पणी सं 19 देखें)	104.91	91.53
कुल	1,158.04	754.86

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	142.89	254.22
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.13	151.69
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	141.82	263.02
अंतिम शेष	2.20	142.89
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 22.1 देखें)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	13.59	11.12
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	14.53	2.58
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	13.20	0.11
अंतिम शेष	14.92	13.59
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	13.09
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	14.92	0.50
iii) उत्पादकता सहयोजित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	283.86	131.62
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	198.37	235.84
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	202.92	83.34
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.06	0.26
अंतिम शेष	279.25	283.86
iv) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.63	5.95
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.10	0.79
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.63	3.11
अंतिम शेष	0.10	3.63
v) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	368.68	108.15
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	5.46	260.53
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	354.38	-
अंतिम शेष	19.76	368.68
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	242.56	149.91
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	68.69	92.65
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	87.80	
अंतिम शेष	223.45	242.56
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	200.51	274.07
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.81	25.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	37.85	99.50
छूट की समाप्ति	0.50	0.60
अंतिम शेष	163.97	200.51

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21.77	47.51
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16.65	1.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.33	21.68
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	9.55	5.61
अंतिम शेष	24.54	21.77
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	15.59	14.04
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.59	1.50
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.24	0.19
छूट की समाप्ति	0.05	0.24
उचित मूल्य समायोजन के पश्चात अंतिम शेष	15.99	15.59
v) प्रावधान - सीएसआर, धारणीय विकास और अनुसंधान एवं विकास		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	0.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.07
अंतिम शेष	-	-
vi) माध्यस्थ निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	392.56	385.91
वर्ष के दौरान वर्धन	22.22	20.19
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	32.03	8.72
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	9.53	4.82
अंतिम शेष	373.22	392.56
vii) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	331.30	360.10
वर्ष के दौरान वर्धन	108.71	42.00
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	21.20	33.54
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.82	37.26
अंतिम शेष	416.99	331.30
कुल	1,534.39	2,003.85

- 22.1 विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 29.01.2019 के पत्र संख्या 2/1/2014-एच.।(पार्ट) के तहत दिनांक 1 जनवरी, 1997 से कंपनी के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के वेतनमान नियमित कर दिए हैं जो कि विद्युत मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2006 और 1 सितंबर, 2006 के आदेशों के अनुसरण में अपनाए गए थे। तदोपरांत, वर्ष के दौरान कार्यपालकों को व्यक्तिगत वेतन समायोजन के लिए अग्रिम का समायोजन (जिनका कार्यपालकों को 31.12.2016 तक भुगतान किया गया था) करने के बाद दिनांक 01.01.2007 से वेतन एवं भत्तों के बकाया का भुगतान किया गया है।
- 22.2 प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	822.78	1,006.08
वर्ष के दौरान वर्धन	1,175.20	822.78
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(822.78)	(1,006.08)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	1,175.20	822.78
घटाएं : वर्तमान अग्रिम कर व स्रोत पर कर कटौती (ख)	1,287.05	816.07
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल) (क-ख)	(111.85)	6.71
(उपरोक्त टिप्पणी सं. 12 के तहत प्रकटन)	111.85	0.40
कुल	-	7.11

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
I प्रचालन राजस्व		
क. बिक्री (टिप्पणी संख्या 24.1.1, 24.1.3, 24.1.4 और 34(21) देखें)		
विद्युत की बिक्री	6,739.13	5,851.34
मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखित	65.23	60.68
निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/ (विनिवेश)	785.71	669.56
उप-जोड़ (i)	7,590.07	6,581.58
घटाएं :		
विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	92.34	66.37
टैरिफ समायोजन (टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)	65.37	86.26
विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	9.17	0.27
(निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)		
उपभोक्ताओं को छूट	44.62	34.74
उप जोड़ (ii)	211.50	187.64
उप जोड़ (क) = (i-ii)	7,378.57	6,393.94
ख वित्त-पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ग) देखें)	772.49	782.43
ग प्रचालन पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ग) देखें)	748.61	477.17
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	23.19	61.62
उप जोड़ (घ)	23.19	61.62
ङ विद्युत व्यापार से राजस्व		
विद्युत की बिक्री	12.96	-
उप जोड़ (ङ)	12.96	-
उप जोड़ - I (क+ख+ग+घ+ङ)	8,935.82	7,715.16
च. अन्य प्रचालन राजस्व		
स्वयं सृजित वीडिआर/आरईसी की बिक्री से आय	14.23	-
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	3.21	4.19
लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	29.61	36.08
उप जोड़-II	47.05	40.27
कुल (I+ II)	8,982.87	7,755.43

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.1 विद्युत की बिक्री में शामिल है:-		
(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीय राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	233.46	236.63
(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमत्य माना गया उत्पादन	105.48	131.60
(iii) टैरिफ को अंतिम रूप देना लंबित रहने के चलते पूर्व वर्ष की बिक्री की राशि (टिप्पणी संख्या 34(21) देखें)	411.47	42.47
(iv) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा प्रभाग उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया है:		
- विद्युत शुल्क	0.30	0.21
- ऊर्जा विकास उपकर	28.75	19.86
24.1.2 टैरिफ समायोजन :- दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसार, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	65.37	86.26
24.1.3 पार्वती-III पावर स्टेशन की सभी 4 यूनिटों के टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान सीईआरसी में सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श तथा उसके बाद के घटनाक्रमों के आधार पर प्रबंधन वर्तमान जल उपलब्धता तथा निर्माणाधीन पार्वती-II के चालू किए जाने के लंबित रहने को देखते हुए यह आशा करता है कि अनुमानित आधार पर मान्यता प्रदान की गई चौथी यूनिट का राजस्व वसूली योग्य नहीं हो सकता है। तदनुसार, 31.3.2017 तक मान्यता प्रदान किए गए बिल को अनुमानों में परिवर्तन के कारण 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बहियों में प्रत्यावर्तित किया गया है।	-	(244.86)
24.1.4 बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,599.38	858.90

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क) ब्याज आय		
- एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेश - गैर कर योग्य	5.68	5.68
- एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेश - कर योग्य	25.81	25.77
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	51.19	46.97
- जमा खाता	213.06	298.67
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	18.19	16.00
- संविदाकारों को अग्रिम	24.62	38.97
- अन्य	10.74	-
ख) लाभांश आय		
- लाभांश - अन्य	4.80	3.60
ग) अन्य गैर-प्रचालन आय		
विलंब भुगतान अधिभार	303.15	390.36
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	48.77	59.41
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	1.20	6.89

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
बीमा दावे से आय	5.02	0.36
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान (टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)	31.80	24.50
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण बिक्री	27.47	24.05
(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(42.44)	(36.48)
(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	14.98	12.43
सहायता अनुदान का परिशोधन	92.17	79.20
विनिमय दर अंतर (निवल)	3.18	-
अन्य	44.65	60.35
उप जोड़	884.04	1,056.73
घटाएं - निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित आय	13.12	21.17
घटाएं - अग्रिम में अंतरित आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	6.98	5.33
कुल	863.94	1,030.23

24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधानों का ब्यौरा

क) अप्रचलन के लिए प्रावधान और मालसूची के मूल्य में कमी	1.20	0.21
ख) व्यापार प्राप्य के लिए हानि का प्रावधान	-	0.27
ग) ऐसे ऋण के लिए हानि का प्रावधान, जिससे ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई	0.02	-
घ) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान	8.00	2.20
ङ) लंबित जांच/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान	1.18	0.61
च) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(iii))	-	0.26
छ) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान	-	1.48
ज) आजीविका सहायता के लिए प्रावधान	0.14	-
झ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	9.55	5.61
ञ) अन्य	11.71	13.86
कुल	31.80	24.50

24.2.2 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 24.71 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 25.84 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 21.24 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 25.82 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये की राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एस 114-"विनियामक आस्थगित लेख" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 25.1 : विद्युत की खरीद - व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत कर खरीद	12.94	-
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	0.26	-
कुल	12.68	-

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	775.31	691.80
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	25.44	29.38
कुल	800.75	721.18

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,776.33	1,576.28
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	280.47	242.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	93.66	91.34
उप जोड़	2,150.46	1,909.63
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित कर्मचारी लागत	300.08	250.26
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.45	1.44
कुल	1,849.93	1,657.93

26.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 34(18क) में दिए गए हैं।

26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल हैं :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति

(ii) कर्मचारी परिभाषित योगदान अधिवर्षिता योजना

26.3 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 103.90 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 85.01 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 20.68 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 84.81 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एस 114 - "विनियामक आस्थगित लेखों" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

26.4 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(29) देखें।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
बॉण्ड	996.02	947.97
सावधि ऋण	128.31	252.84
विदेशी ऋण	21.37	22.55
भारत सरकार ऋण	61.52	33.92
छूट शुरु करना - भारत सरकार ऋण	29.87	17.73
उप जोड़	1,237.09	1,275.01
ख. अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.02	0.54
प्रतिबद्धता शुल्क	-	0.04
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	18.61	19.93
अन्य वित्त प्रभार	0.78	10.12
छूट शुरु करना - प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.75	5.71
उप जोड़	26.16	36.34

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल लाभ/हानि		
विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	22.69	71.65
आस्थगित विदेशी मुद्रा विपर्यय परिसंपत्तियों में अंतरित	(22.69)	(71.65)
उप जोड़	-	-
कुल (क+ख+ग)	1,263.25	1,311.35
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित वित्त लागत	368.11	388.71
कुल	895.14	922.64

27.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 302.72 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 331.39 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 76.78 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 331.39 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114-"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,604.20	1,422.46
परिशोधन- अमूर्त परिसंपत्तियां	66.84	63.89
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी संख्या 5xii) और 19 देखें	(4.09)	1.76
उप जोड़	1,666.95	1,488.11
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	8.99	19.34
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	-	0.05
कुल	1,657.96	1,468.72

28.1 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 8.54 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 6.85 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 1.77 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 6.85 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एएस 114-"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	70.28	72.60
- मशीनरी	65.41	60.47
- अन्य	173.38	166.43
ख. प्रशासनिक व्यय		
किराया और हायर प्रभार	57.03	52.60
दरें और कर	43.32	28.17
बीमा	136.30	139.79
सुरक्षा व्यय	340.48	277.88
विद्युत प्रभार	56.09	43.76
यात्रा एवं वाहन	28.69	26.59
वाहनों पर खर्च	8.85	9.77

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	16.86	18.20
विज्ञापन एवं प्रचार	17.21	15.59
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.74	0.48
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.25	5.82
परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	17.91	19.43
लेखा परीक्षा खर्च	2.15	2.36
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	116.36	3.40
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	9.59	1.30
परिसम्पत्तियों पर हानि (निवल)	0.05	0.04
बीमा दावों से हानियां	72.89	1.77
पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.03	-
चंदा	1.00	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व/धारणीय विकास	47.98	59.65
सामुदायिक विकास व्यय	0.11	0.10
निदेशकों को बैठक शुल्क	0.28	0.22
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.33	-
माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	1.01	0.04
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-	1.79
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.27	0.01
विनियम दर अंतर (निवल)	-	2.88
प्रशिक्षण व्यय	7.29	11.00
याचिका शुल्क/ पंजीकरण शुल्क/ अन्य शुल्क - सीईआरसी/ आरएलडीसी/ आरपीसी/ आईईएक्स/पीएक्सआईएल को	9.14	7.69
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	31.80	29.40
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	3.03	3.46
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	20.55	19.28
डीजी सेट के प्रचालन व्यय - आवासीय के अतिरिक्त	7.16	5.91
अन्य सामान्य व्यय	39.59	27.51
उप जोड़	1,408.41	1,115.39
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	193.04	86.52
घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	0.04	1.41
घटाएं : पुनः खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित राशि का अंतरण	6.20	-
उप जोड़ (i)	1,209.13	1,027.46
ग. प्रावधान/हानि का प्रावधान		
व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान	-	1.93
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.01	-
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	2.99	3.36
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	4.79	19.79
भण्डार तथा कलपुर्जा/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	2.99	0.40

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	60.52	26.27
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	0.10	0.36
लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 29.2 देखें)	41.31	22.84
अदालती/माध्यस्थम निर्णय के प्रति ब्याज का प्रावधान	-	2.79
अन्य	-	0.01
उप जोड़	112.71	77.75
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित राशि	2.24	1.48
उप जोड़ (ii)	110.47	76.27
कुल (i+ii)	1,319.60	1,103.73
29.1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34(18क) में दिए गए हैं।		
29.2 कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।	41.31	22.84
29.3 कुल में टिप्पणी संख्या 34(23) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 58.83 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 99.11 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 16.54 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 77.59 करोड़ रुपये) की एक समतुल्य राशि हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष को इंड एस 114- "विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
आय कर के लिए प्रावधान	873.71	823.02
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(46.30)	(6.91)
कुल वर्तमान कर व्यय	827.41	816.11
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	131.23	179.27
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	1.81
आस्थगित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	351.24	(649.34)
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	(0.38)
- अवितरित आय के संबंध में	13.74	(92.58)
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	496.21	(561.22)
निवल आस्थगित कर	496.21	(561.22)
कुल	1,323.62	254.89

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
30.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान		
आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि व विनियामक आस्थगित लेखा शेष में स्थानांतरित	4,431.34	3,669.80
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.6080
गणना किए गए कर व्यय	1,548.49	1,270.04
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	69.85	51.31
कर छूट आय	(141.28)	(255.48)
कर छूट (80% कटौती)	(714.38)	(872.70)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(46.30)	(6.91)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	593.35	159.54
अवितरित लाभ	13.74	(92.58)
कर की दर में परिवर्तन	-	1.42
अन्य	0.15	0.25
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	1,323.62	254.89
30.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/ (क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
आस्थगित कर	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
30.3 कर हानियां तथा क्रेडिट		
(i) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
(ii) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मेट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है (टिप्पणी सं. 30.5 देखें)	3,122.92	2,135.24
30.4 मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर		
सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2018-19	705.33	2033-34	-	
2017-18	328.67	2032-33	-	2032-33
2016-17	234.26	2031-32	234.26	2031-32
2015-16	280.94	2030-31	280.94	2030-31
2014-15	219.13	2029-30	219.13	2029-30
2013-14	686.67	2028-29	686.67	2028-29
2012-13	376.94	2027-28	376.94	2027-28
2011-12	24.45	2026-27	24.45	2026-27
2010-11	76.81	2025-26	76.81	2025-26
2009-10	64.13	2024-25	64.13	2024-25
2008-09	125.59	2023-24	171.91	2023-24
कुल	3,122.92		2,135.24	

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	20.68	84.81
ख) अन्य व्यय	16.54	77.59
ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1.77	6.85
घ) वित्त लागत	76.78	331.39
ङ) अन्य आय	(21.24)	(25.82)
उप जोड़ (i)	94.53	474.82
(ii) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	220.43	259.25
(iii) किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के आधुनिकीकरण के कारण मूल्यह्रास	171.98	-
(iv) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	(0.57)	2.10
(v) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली के लिए समायोजन	(151.88)	(137.50)
(vi) 2014-2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली के लिए समायोजन	508.93	(470.46)
कुल (क) = (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	843.42	128.21
विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
घटाएं :- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन पर आस्थगित कर व्यय	(250.35)	(18.83)
जोड़ें - लाभार्थियों से आस्थगित कर वसूली	(250.35)	(18.83)
कुल (ख)	-	-
कुल (क-ख)	843.42	128.21

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 14 देखें। साथ ही, विनियामक आस्थगित लेखा शेष के पुनः विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 35 भी देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण पर आरोप्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	133.91	144.44
भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए अंशदान	21.61	12.76
कर्मचारी कल्याण व्यय	4.79	8.37
उप जोड़	160.31	165.57
ख. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी संख्या 2.2.1 देखें)		
बॉण्ड	349.92	318.66
सावधि ऋण	15.41	52.44
	365.33	371.10
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	0.16
अन्य वित्त प्रभार	-	6.31
ईएसी को व्यय का अंतरण - केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.44	10.41
ईएसी में व्यय का अंतरण - प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.18	0.70
उप जोड़	367.95	388.68
ग. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	7.27	17.74
उप जोड़	7.27	17.74
घ. अन्य व्यय		
भवन	4.39	6.19
मशीनरी	0.03	0.02
अन्य	3.70	3.03
किराया	8.11	10.58
दरें और कर	1.40	0.90
बीमा	0.26	0.12
प्रतिभूति व्यय	22.97	28.81
विद्युत प्रभार	3.19	3.78
यात्रा एवं वाहन	2.67	3.33
वाहनों पर व्यय	0.78	1.22
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.16	2.45
विज्ञापन एवं प्रचार	0.27	0.44
मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय	-	0.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.37	0.70
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार:	2.24	4.44
क्षतिपूर्ति वनरोपण/कैचमेंट एरिया उपाय/पर्यावरणीय व्यय	115.72	2.21
कंपनी से संबंधित भूमि नहीं है, उस पर व्यय	6.94	1.09

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
पश्चलेखन परिसंपत्तियां/दावे	-	0.12
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	0.15	0.16
अन्य सामान्य व्यय	8.53	9.71
उप जोड़	183.88	79.31
ड. प्रावधान	2.24	1.48
उप जोड़	2.24	1.48
च. कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(0.97)	(2.32)
अन्य व्यय	9.18	7.21
कर्मचारी लाभ व्यय	139.77	84.69
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.71	1.60
वित्त लागत	0.16	0.03
उप जोड़	149.85	91.21
छ. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	9.17	0.27
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	7.19	12.78
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	0.35	4.36
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउटटर्न	-	0.12
विविध प्राप्तियां	4.62	1.59
उप जोड़	21.33	19.12
कुल (क+ख+ग+घ+ड+च-छ) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	850.17	724.87

32.1 कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(29) देखें।

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिगोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिगोधित लागत
(i) गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	88.66	-	105.14	-
ख) ऋण दस्तावेज में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	401.54	-	398.15	-
		490.20	-	503.29	-
उप जोड़					
(ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	61.51	-	306.57
(iii) ऋण					
क) जमा	3.3	-	23.52	-	20.09
ख) कर्मचारी	3.3	-	126.56	-	135.41
ग) अस्वाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3	-	620.00	-	568.81
(iv) अन्य					
- ब्याज सहित प्राप्य पट्टे	3.4	-	5,355.41	-	5,399.44
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलियां	3.4	-	2,017.20	-	-
- शेयर अनुपयोग राशि - फिनब बैंकी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि. (लंबित आबंटन)	3.4	-	-	-	65.19
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4	-	80.93	-	36.52
		490.20	8,285.13	503.29	6,532.03
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	7	-	2,838.00	-	1,346.04
(ii) नकदी और नकद समतुल्य	8	-	43.72	-	20.54
(iii) नकदी और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9	-	2,201.53	-	3,298.52
(iv) ऋण	10				
- कर्मचारी ऋण		-	42.19	-	45.44
- संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण		-	6.00	-	6.00
- जमा		-	0.62	-	1.17
(v) अन्य (प्राप्य पट्टे को छोड़ कर)	11	-	2,029.24	-	1,434.48
(vi) अन्य (ब्याज सहित प्राप्य पट्टे)	11	-	213.86	-	197.55
		-	7,375.16	-	6,349.74
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		490.20	15,660.29	503.29	12,881.77
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां					
वित्तीय देयताएं					
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1	-	17,044.63	-	16,728.20
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए भुगतान सहित)	16.2	-	2,059.44	-	39.87
(iii) ऋण - अल्पावधि	20.1	-	416.00	-	279.99
(iv) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2	-	196.27	-	200.10
(v) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं					
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3	-	1,605.16	-	1,593.91
ख) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3	-	584.99	-	572.49
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3	-	706.57	-	649.54
		-	22,613.06	-	20,064.10
कुल वित्तीय देयताएं					

ख) उचित मूल्य मापन

(i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : स्तर -1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवृत्ति उचित मूल्य मापन

टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2
एफबीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश -				
- इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)		3.1	88.66	105.14
- ऋण दस्तावेज में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत*		3.1	401.54	398.15
		कुल	490.20	503.29

टिप्पणी :

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर दरों को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएडीए) के तहत निकाला गया है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यय मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2018 को			(करोड़ रूपए में)
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	
वित्तीय परिसंस्थियां								
(i) व्यापार प्राप्य	3.2		61.51			306.57		
(ii) ऋण								
क) कर्मचारी	3.3		134.76			161.55		
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत व्याज सहित)	3.3		620.00			568.81		
ग) जमा	3.3			23.52				20.09
(ii) अन्य								
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत व्याज सहित)	3.4		80.93			36.52		
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.4	2,017.20						
		<u>2,017.20</u>	<u>897.20</u>	<u>23.52</u>	-	<u>1,073.45</u>	<u>20.09</u>	
कुल वित्तीय परिसंस्थियां								

विवरण	टिप्पणी सं.	(करोड़ रुपए में)		
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय देयताएं				
(i) दीर्घवधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्ध्युत ब्याज सहित	16.1 & 20.3	13,863.26	2,596.46	2,054.78
(ii) अन्य दीर्घवधि सावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों सहित)	16.2	2,017.20		42.98
कुल वित्तीय देयताएं		15,880.46	2,596.46	2,097.76
			12,833.88	3,001.81
				1,793.20
				40.41
				1,833.61

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

विवरण	टिप्पणी सं.	(करोड़ रुपए में)		
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
		वहन राशि	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य	3.2	61.51		61.51
(ii) ऋण				
क) कर्मचारी	3.3	126.56	135.41	161.55
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्ध्युत ब्याज सहित)	3.3	620.00	588.81	588.81
ग) जमा		23.52	20.09	20.09
(ii) अन्य				
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्ध्युत ब्याज सहित)	3.4	80.93	36.52	36.52
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.4	2,017.20	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		2,929.72	1,067.40	1,093.54
वित्तीय देयताएं				
(i) दीर्घवधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्ध्युत ब्याज सहित	16.1 & 20.3	19,234.78	18,894.60	17,628.89
(ii) अन्य दीर्घवधि सावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,059.44	39.87	40.41
कुल वित्तीय देयताएं		21,294.22	18,934.47	17,669.30

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकद समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, देय व्यापार और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।
 - उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।
- (घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया**
- कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -
 - उद्भूत बाजार मूल्य अथवा समान दस्तावेज हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छुट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
 - स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छुट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है। सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
 - इंड एसएस 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है। चूंकि दीर्घवधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत वास्तविक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभाव	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूत मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं - 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्य तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेख में संदर्भित किए अनुसार इंड एस 17 "पट्टों" के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात् पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किस्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा : कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेड रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (संयुक्त उद्यमों के अलावा)	490.20	503.29
ऋण-गैर-वर्तमान (ब्याज सहित)	770.08	724.31
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,098.13	101.71
नकदी और नकद समतुल्य	43.72	20.54
बैंक शेष	2,201.53	3,298.52
ऋण - वर्तमान	48.81	52.61
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे के अतिरिक्त)	2,029.24	1,434.48
कुल (क)	7,681.71	6,135.46
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	2,899.51	1,652.61
पट्टे प्राप्य (ब्याज सहित)	5,569.27	5,596.99
कुल (ख)	8,468.78	7,249.60
कुल (क+ख)	16,150.49	13,385.06

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जो कंपनी के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारों/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी

क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्यक्ष ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी व्यापार प्राप्यकी गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था :

(करोड़ रूपए में)				
विवरण	प्राप्य व्यापार	वसूली योग्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2018 को शेष	37.71	210.41	0.03	248.15
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	(6.98)	(0.02)	(7.00)
31.03.2019 को शेष	37.71	203.43	0.01	241.15

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

(करोड़ रूपए में)		
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिवर्तनशील दरों पर	819.00	25.00
कुल	819.00	25.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

(करोड़ रूपए में)						
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1, 20.1 व 20.3	19,899.53	2,021.17	3,006.08	3,205.12	11,667.16
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 व 20.3	3,362.76	1,287.92	10.92	6.88	2,057.04
3. देय व्यापार	20.2	196.28	196.28	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		23,458.57	3,505.37	3,017.00	3,212.00	13,724.20

31 मार्च, 2018 को

(करोड़ रूपए में)						
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1, 20.1 व 20.3	19,166.00	1,873.91	3,206.76	2,615.09	11,470.24
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 व 20.3	1,286.06	1,229.67	11.58	4.79	40.02
3. देय व्यापार	20.2	200.12	200.12	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,652.18	3,303.70	3,218.34	2,619.88	11,510.26

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण बाध्यताओं से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रूपए में)	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)	8.50	190.00	-	-
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	-	-	0.57	113.48
स्थिर दर ऋण (भारतीय रूपए)	8.30	17,340.99	6.82	17,008.18
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.97	1,118.79	1.81	1,200.48
कुल		18,649.78		18,322.14

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के अधिकांशतः ऋण स्थिर दर पर होते हैं। यदि परिवर्तन दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय है।

(ii) मूल्य जोखिम :

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	22.06	19.46	22.45	23.55
इंडियन ओवरसीज बैंक	15.75	0.08	15.65	0.10

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
सरकारी प्रतिभूति	0.57	1.84	(0.08)	(0.25)
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	1.48	1.20	1.20	0.98

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण	1,118.79	1,313.93
अन्य वित्तीय देयताएं	62.53	67.47
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,181.32	1,381.40

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	20,666.99	18,322.11
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	30,797.81	30,041.19
ऋण : इक्विटी अनुपात (क/ख)	0.67	0.61

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

- 5- कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
- 6- निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगी।
- 7- ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज - गैर नकदी आय)/ देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
- 8- समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश (टिप्पणी 15.2 देखें)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.28 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2017-18 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2018 में अनुमोदित और अक्टूबर 2018 में अदा किया गया (31 मार्च, 2018 को - वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 भारतीय रुपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	287.26	102.60
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	1.97 *	-
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु 0.71 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2018 - 1.12 रुपए)	713.20	1149.05
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	146.60	126.86
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.75 रुपए (31 मार्च, 2018 - 0.28 रुपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	753.38	287.26
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	154.86	59.05

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ समायोजित।

टिप्पणी सं. - 34

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2019	31.03.2018
क. सहायक कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.00%	74.00%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) *	भारत	99.99%	99.99%
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)**	भारत	51.94%	55.39%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) *	भारत	20.00%	20.00%

**वर्ष के दौरान कंपनी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत से घटकर 51.94 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

*वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित हैं। वित्तीय विवरणों में आने वाले आंकड़े लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर बदल भी सकते हैं।

2. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं-

(क) समूह के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते समूह के प्रति कुल **11245.90 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **10126.89 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **4580.80 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **3840.16 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **419.44 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **443.27 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **10699.43 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9582.90 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों / दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **495.90 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **351.86 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **23.02 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **29.55 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **472.88 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **322.31 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों /बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **640.42 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **455.19 करोड़ रुपये**) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **23.50 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **30.77 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **515.92 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **424.42 करोड़ रुपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे 797.65 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष **701.70 करोड़ रुपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर 18.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष **29.69 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **777.52 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **670.13 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)						
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को दावे	दावों/ अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन/ (कटौती) 01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi) (viii)
1.	पूँजीगत कार्य	11245.90	419.44	10699.43	9582.90	1116.53 1697.17
2.	भूमि मुआवजा मामले	495.90	23.02	472.88	322.31	150.57 71.00
3.	विवादित कर मामले	640.42	23.50	515.92	424.42	91.50 8.38
4.	अन्य	797.65	18.25	777.52	670.13	107.39 41.42
	कुल	13179.87	484.21	12465.75	10999.76	1465.99 1817.97

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **396.38 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **235.73 करोड़ रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **617.39 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **536.06 करोड़ रुपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां मध्यस्थम अधिकरणों ने मध्यस्थम कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **456.59 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **82.39 करोड़ रुपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/वर्तमान परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2019 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को दावे	दावों / अदा किए गए के प्रति अद्यतन	31.03.2019 को आकस्मिक देयता	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन / कटौती	01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	154.79	-	53.79	34.18	19.61	-
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	572.10	40.57	531.53	466.00	65.53	8.11
3	सीपीएसई	101.67	0.16	100.93	102.73	(1.80)	-
4	अन्य	12351.31	443.48	11779.50	10396.85	1382.65	1809.86
	कुल	13179.87	484.21	12465.75	10999.76	1465.99	1817.97

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां: समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियों के निम्नलिखित कारण हैं:

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **875.05 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **603.86 करोड़ रुपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **28.16 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **446.53 करोड़ रुपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **780.09 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **603.62 करोड़ रुपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014-19 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिवस के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने **109.35 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **188.42 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III तथा तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संबंध में संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन लंबित होने के चलते 2009-14 के टूइंग-अप आदेश और/अथवा 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि **1246.79 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **694.94 करोड़ रुपये**) का अतिरिक्त राजस्व इन व्ययों पर उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी अनुमोदन की महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) व्यापार बाधा हानि :

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **202.26 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **195.04 करोड़ रुपये**) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन-वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों की राशि **175.79 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **60.34 करोड़ रुपये**) अनुमानित है जिसकी पहचान नहीं की गई है।

4. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है):

(क) पूंजी लेखों पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	2709.17	2725.10
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	18.95	21.82
	कुल	2728.12	2746.92

- (ख) कंपनी की 31 मार्च, 2019 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **99.33 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **653.49 करोड़ रुपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।
- (ग) कंपनी की 31 मार्च, 2019 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **1284.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **577.65 करोड़ रुपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।
5. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **4.06 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **7.25 करोड़ रुपये**) है, जिसे चल रहे पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल किया गया है।
6. भारतीय लेखांकन मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के तहत परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य/जमा कार्य के संबंध में प्रकटन निम्नलिखित है:

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(क)	संविदा देयताओं से माना गया राजस्व	5.84	6.99
(ख)	कीमत परिवर्तन के कारण या अन्य संविदा अंतर के कारण माना गया राजस्व जिन्हें पहले नहीं माना गया था,	-	-

7. मध्य प्रदेश सरकार ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखों में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) :-

		(करोड़ रुपये में)		
(क)	नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2018 तक संचयी	वित्तीय वर्ष 2018 - 19 के दौरान	31.03.2019 तक संचयी
i.	एनवीडीए द्वारा परियोजना पर किया गया व्यय	1,356.23	7.72	1,363.95
ii.	प्राप्त नकदी	669.71	-	669.71
iii.	ओएसपी लेखों से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
	(क) का कुल	2,034.50	7.72	2,042.22
(ख)	निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i.	इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii.	सिंचाई घटक	405.56	0.78	406.34
iii.	एसएसपी घटक	518.23	1.00	519.23
iv.	अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	412.68	5.66	418.34
v.	विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi.	ओएसपी पर इक्विटी	33.08	-	33.08
	(ग) का कुल	2,034.59	7.44	2,042.03
(ग)	एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख-क)	0.09	-0.28	-0.19

ऑकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :-

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2018 तक संचयी	वित्तीय वर्ष 2018 - 19 के दौरान	31.03.2019 तक संचयी
i. एनवीडीए द्वारा परियोजना पर किया गया व्यय	126.11	1.65	127.76
ii. प्राप्त नकदी	646.41	5.00	651.41
iii. ओएसपी लेखे से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	805.60	6.65	812.25
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय / समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.33	0.31	239.64
iii. अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	76.06	1.84	77.90
iv. आईएसपी लेखे को अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एवं आर पैकेज	207.83	0.35	208.18
(ङ) का कुल	831.94	2.50	834.44
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ-घ)	26.34	(4.15)	22.19
(छ) कुल वसूलनीय राशि (ग+च)	26.43	(4.43)	22.00

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान आरक्षित का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2018	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2019
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	237.60	0.78	12.99	-	225.39
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	303.64	1.00	16.60	-	288.04
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	277.60	5.66	16.26	-	267.00
4.	ओएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	138.92	0.31	10.77	-	128.46
5.	ओएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	218.30	2.19	11.35	-	209.14
	कुल	1,176.06	9.94	67.97	-	1,118.03

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(3.18)	2.88
(ii)	ऋण लागत के रूप में मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	22.69	71.65
(iii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	(0.57)	2.10
(iv)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(0.02)	-

तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014-19 के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को समूह द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष हेतु विनिमय दर अंतर को आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है।

9. प्रचालन खंड :

- क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार 'प्रचालन खंड' के संबंध में इंड एस-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।
- ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।
- ग) समूह ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत व्यापार के कारोबार में प्रवेश किया है।
- घ) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना : निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **5436.57 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष हेतु **4618.43 करोड़ रुपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रूपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1476.40	1132.45	16.46%	14.60%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1380.28	1274.86	15.39%	16.44%
3	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	908.55	650.93	10.13%	8.39%
4	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	866.80	775.28	9.66%	10.00%
5	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	804.54	784.91	8.97%	10.12%
	कुल	5436.57	4618.43	60.61%	59.55%

- ड) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि को ग्राहकों की अवस्थिति के अनुसार निम्नवत विभाजित किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु
1	भूटान	6.16	15.28
	कुल	6.16	15.28

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

10. इंड एस-24 “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के अंतर्गत प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची

(i) संयुक्त उद्यम

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)
3	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
4	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
5	श्री जनार्दन चौधरी	निदेशक (तकनीकी)
6	श्री अनिरुद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक 28.05.2018 से
7	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सरकारी नामिति निदेशक 30.07.2018 तक
8	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
10	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक
12	प्रो. नलिनी कांत झा	स्वतंत्र निदेशक 05.11.2018 तक
13	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव

(iii) रोजगार-पश्चात लाभ योजनाएं :

संबंधित पक्षकार का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(iv) समूह पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनियां:

समूह बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की राज्य सरकार	एनएचपीसी की सहायक कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3	जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार	संयुक्त नियंत्रित निकाय में संयुक्त उद्यम में शामिल
4	ईईएसएल, एमटीएनएल, एसजेबीएनएल, एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, आईआईटी, वीएसएनएल, पोस्को, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी, केवी, एचपीसीएल, आईओसीएल आदि	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए :

(i) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
• सीवीपीपीएल	19.13	16.44
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान		
• सीवीपीपीएल	100.00	187.55
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति		
• सीवीपीपीएल	2.84	5.45
कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण		
• एनएचपीटीएल	-	6.00
दिए गए ऋण पर ब्याज		
• एनएचपीटीएल	0.06	-

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति:

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.70	2.17
रोजगार-पश्चात लाभ	0.77	0.34
अन्य दीर्घावधिक लाभ	0.18	0.45

(करोड़ रूपए में)		
केएमपी के साथ अन्य लेन-देन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.44	0.31
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.02

(iii) अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन - रोजगार पश्चात लाभ योजनाएं

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	342.47	288.73
उपदान ट्रस्ट में अंशदान	99.88	116.79
उपदान ट्रस्ट से रिफंड (भुगतान)	159.08	64.63
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान	27.69	47.20
आरईएचएस ट्रस्ट से रिफंड (भुगतान)	25.96	18.97
सामाजिक सुरक्षा स्कीम ट्रस्ट में अंशदान	7.46	8.07
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	131.91	96.16
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट में अंशदान	98.99	369.27
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट से रिफंड (भुगतान)	71.87	20.77

- (iv) सरकार के वे लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है - केंद्र सरकार/राज्य सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ लेन-देन शामिल हैं)

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं (इसमें जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 504.44 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 367.97 करोड़ रुपए) शामिल है)	813.93	609.82
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	31.66	21.20
समूह द्वारा वस्तु/माल-सूची की बिक्री (जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 1295.42 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1407.60 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित 1367.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1239.35 करोड़ रुपए) शामिल है)	2758.03	2743.36
संपत्ति / अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	1.83	0.69
वस्तुओं / माल-सूची की खरीद	5.87	6.57
वर्ष के दौरान भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	738.15	926.23
वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अदा किया गया लाभांश	265.96	602.02
समूह द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	482.00	350.00
भारत सरकार को गारंटी शुल्क का भुगतान	18.61	19.93
भारत सरकार द्वारा कंपनी के शेयरों की पुनः खरीद	142.27	-
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	12.50	12.50
8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा बांड (लगाए गए ब्याज सहित)	2021.69	-

- (v) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति / अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	52.52	53.01
वस्तुओं / मालसूची की खरीद	32.66	40.09
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	120.19	236.75
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	16.20	0.41
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	880.21	860.87
बीमा दावों के विरुद्ध समूह द्वारा प्राप्त निपटान राशि	52.92	52.20

(ग) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रुपये में)		
विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i)	(ii)	(iii)
संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	95.46	104.76
• बकाया ऋण (बढ़े हुए ब्याज सहित)	6.00	6.00
केएमपी के पास शेष		
• प्राप्य	0.05	0.04
एनएचपीसी की रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के पास शेष प्राप्य		
• उपदान ट्रस्ट	78.45	1.65
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	-	20.77
देय		
• उपदान ट्रस्ट	-	86.05
• ईपीएफ ट्रस्ट	143.92	23.88
• आरईएचएस ट्रस्ट	2.40	4.54
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.62	0.77
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	83.24	22.15
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	38.51	-
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, के पास शेष - केन्द्र सरकार / राज्य सरकार		
• देय	86.36	170.30
• प्राप्य	3828.87	917.29
• सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	4209.69	3750.80
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1118.79	1313.93
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित कंपनियों के पास शेष		
• देय	46.27	52.69
• प्राप्य	365.85	548.04
• समूह द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से शेष	-	3.48

(घ) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां
(i) (iv) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

(क) e-राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटीरी मर्चें के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्ज / सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्चों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिये गये 6.00 करोड़ रुपये के प्रतिभूतिरहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।

(ग) इस समूह द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

घ. सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कंपनी की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

(ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(4) में प्रकट किया गया है।

(iii) सेवानिवृत्त पश्चात लाभ योजनाओं में अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल होता है।

11. प्रतिभूति का विवरण: ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रूपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	10190.38	10785.78
2	चल रहे पूंजीगत कार्य	7429.43	6827.57
	कुल	17619.81	17613.35

12. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत “कर्मचारी लाभों” के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना:

अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। समूह प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान भी करता है और यह अंशदान योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाने के लिए 8 वर्षों तक किया जाना था जिसे 2 और वर्ष के लिए अर्थात् 31.05.2017 तक बढ़ाया गया है तथा इसे आगे और 3 वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुल्कात की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **3.81 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **4.13 करोड़ रूपए**) है।

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस):

समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियुक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **127.36 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **72.46 करोड़ रूपए**) है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं: समूह के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व हैं :

(क) योजनाओं का विवरण

(i) भविष्य निधि :

यह समूह पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) उपदान :

समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन $(15/26 \times \text{अंतिम आहरित मूल वेतन} + \text{महंगाई भत्ता})$ पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमाकृत मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

समूह की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है।

(iv) सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर भत्ता :

समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह :

समूह की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/- रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण

(i) भविष्य निधि: वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए हैं :

विवरण	(करोड़ रुपये में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2502.67	2522.49	(19.82)
वर्तमान सेवा लागत	95.73	-	95.73
ब्याज व्यय / (आय)	192.71	186.74	5.97
कुल	288.44	186.74	101.70
पुनर्मापन			0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	7.08	(7.08)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
अनुभव (लाभ)/हानि	(28.03)	22.80	(50.83)
कुल	(27.99)	29.88	(57.87)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	95.73	(95.73)
- योजना प्रतिभागी	268.97	268.97	-
लाभ भुगतान	(385.02)	(385.02)	-
31.03.2019 को अंतिम शेष	2647.07	2718.80	(71.73)

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2392.58	2419.45	(26.87)
समायोजन	-	(0.09)	0.09
वर्तमान सेवा लागत	76.07	-	76.07
ब्याज व्यय / (आय)	179.45	179.45	-
कुल	255.52	179.36	76.16
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	1.11	(1.11)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव (लाभ)/हानि	30.67	22.63	8.04
कुल	30.70	23.74	6.96
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	76.07	(76.07)
- योजना प्रतिभागी	228.80	228.80	-
लाभ भुगतान	(404.93)	(404.93)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	2502.67	2522.49	(19.82)

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,647.07	2502.67
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,718.80	2522.49
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा / (अधिशेष)	(71.73)	(19.82)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा / (अधिशेष)	(71.73)	(19.82)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार समूह का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 71.73 करोड़ रूपए के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय या भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन		परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव			
			मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.005%	इससे वृद्धि	0.005%

- (ii) **उपदान :** 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	724.52	608.33	116.19
समायोजन	-	(0.10)	0.10
वर्तमान सेवा लागत	22.50	-	22.50
ब्याज व्यय / (आय)	55.79	46.84	8.95
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	78.29	46.84	31.45
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	4.01	(4.01)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.27)	-	(0.27)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	5.92	-	5.92
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.97)	-	(13.97)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(8.32)	4.01	(12.33)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	200.66	(200.66)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(98.60)	(95.83)	(2.77)
31.03.2019 को अंतिम शेष	695.89	763.91	(68.02)

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	775.53	630.01	145.52
समायोजन	-	0.13	(0.13)
वर्तमान सेवा लागत	25.15	-	25.15
ब्याज व्यय / (आय)	58.16	47.26	10.90
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	83.31	47.26	36.05
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	3.05	(3.05)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(10.46)	-	(10.46)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.94)	-	(0.94)
अनुभव (लाभ)/हानि	(57.99)	-	(57.99)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(69.39)	3.05	(72.44)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	6.05	(6.05)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.93)	(78.17)	13.24
31.03.2018 को अंतिम शेष	724.52	608.33	116.19

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	695.89	724.52
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	763.91	608.33
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(68.02)	116.19
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(68.02)	116.19

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन		परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			मान्यताओं में वृद्धि				मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	Decrease by	2.96%	2.96%	Increase by	3.16%	3.12%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	Increase by	0.63%	0.86%	Decrease by	0.73%	1.00%

- (iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	793.62	791.62	2.00
वर्तमान सेवा लागत	16.12	-	16.12
ब्याज व्यय / (आय)	61.11	60.47	0.64
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	77.23	60.47	16.76
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	7.52	(7.52)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.92)	-	(0.92)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	16.23	-	16.23
अनुभव (लाभ)/हानि	3.16	-	3.16
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	18.47	7.52	10.95
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	27.63	(27.63)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(23.79)	(23.76)	(0.03)
31.03.2019 को अंतिम शेष	865.53	863.48	2.05

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में)
			निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	704.41	667.85	36.56
वर्तमान सेवा लागत	15.56	-	15.56
ब्याज व्यय /(आय)	52.83	50.09	2.74
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	68.39	50.09	18.30
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय /(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	10.67	(10.67)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.07	-	2.07
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	33.77	-	33.77
अनुभव (लाभ)/हानि	3.37	-	3.37
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	39.21	10.67	28.54
अंशदान :-			
- नियोज्यता	-	81.37	(81.37)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(18.39)	(18.36)	(0.03)
31.03.2018 को अंतिम शेष	793.62	791.62	2.00

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तपोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	865.53	793.62
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	863.48	791.62
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	2.05	2.00
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	2.05	2.00

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.77%	इससे वृद्धि	6.85%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.91%	इससे कमी	6.78%

- (iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता : 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2018-19			
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	5.75	-	5.75
वर्तमान सेवा लागत	0.27	-	0.27
ब्याज व्यय/(आय)	0.44	-	0.44
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.71	-	0.71
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.02)	-	(0.02)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.66)	-	(0.66)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.61)	-	(0.61)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.07)	-	(0.07)
31.03.2019 को अंतिम शेष	5.78	-	5.78

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	5.56	-	5.56
वर्तमान सेवा लागत	0.26	-	0.26
ब्याज व्यय/(आय)	0.42	-	0.42
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.68	-	0.68
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.16	-	0.16
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.52)	-	(0.52)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.35)	-	(0.35)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.14)	-	(0.14)
31.03.2018 को अंतिम शेष	5.75	-	5.75

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.93%	3.96%	इससे वृद्धि	4.00%	4.15%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	4.05%	3.97%	इससे कमी	3.81%	3.71%

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह: 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में)	
			निवल राशि	
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)	
2018-19				
01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2.19	-	2.19	
वर्तमान सेवा लागत	1.72	-	1.72	
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17	
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	1.89	-	1.89	
पुनर्मापन				
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-	
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03	
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.18)	-	(0.18)	
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.16)	-	(0.16)	
अंशदान :-				
- नियोक्ता	-	-	-	
- योजना प्रतिभागी	-	-	-	
लाभ भुगतान	(0.29)	-	(0.29)	
31.03.2019 को अंतिम शेष	3.63	-	3.63	

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में)	
			निवल राशि	
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)	
2017-18				
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2.46	-	2.46	
वर्तमान सेवा लागत	0.09	-	0.09	
ब्याज व्यय/(आय)	0.18	-	0.18	
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.27	-	0.27	
पुनर्मापन				
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-	
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04	
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.34)	-	(0.34)	

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.29)	-	(0.29)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.25)	-	(0.25)
31.03.2018 को अंतिम शेष	2.19	-	2.19

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.90%	इससे वृद्धि	5.19%
				5.68%		6.07%

(ग) परिभाषित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
छूट दर	7.56%	7.70%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1384.45	-	1384.45	54.88
कारपोरेट बॉण्ड	998.56	-	998.56	39.59
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	50.56	-	50.56	2.00
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	19.66	19.66	0.78
प्रोद्भूत ब्याज	-	69.26	69.26	2.75
कुल	2433.57	88.92	2522.49	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1557.03	-	1557.03	57.36
कारपोरेट बॉण्ड	1012.64	-	1012.64	37.31
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	60.68	-	60.68	2.23
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	10.78	10.78	0.40
प्रोद्भूत ब्याज	-	73.23	73.23	2.70
कुल	2630.35	84.01	2714.36	100.00

उपदान:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	608.20	608.20	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.13	0.13	0.02
कुल	-	608.33	608.33	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	763.90	763.90	100.00
नकदी और नकदी तुल्य	-	-	-	-
कुल	-	763.90	763.90	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	738.69	-	738.69	93.31
एलआईसी योजना	-	18.79	18.79	2.37
सावधि जमा	-	5.71	5.71	0.72
नकदी और नकदी तुल्य	-	9.44	9.44	1.19
प्रोद्भूत ब्याज	-	18.99	18.99	2.40
कुल	738.69	52.93	791.62	100.00

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2019			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	4.72	0.55
कारपोरेट बॉण्ड	739.05	-	739.05	85.62
एलआईसी योजना	-	88.69	88.69	10.28
सावधि जमा	-	2.77	2.77	0.32
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.47	0.47	0.05
प्रोद्भूत ब्याज	-	27.47	27.47	3.18
कुल	743.77	119.40	863.17	100.00

(ड) **जोखिम प्रभाव:** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से यह समूह कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जोखिम प्रभाव का विवरण:

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के प्रभाव में आती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ड) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

(च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान:** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानता है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान **125.91 करोड़ रूपये** (31 मार्च, 2019 को **139.53 करोड़ रूपये**) है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की औसत अवधि **10.14 वर्ष** है (2018 - 10.38 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2019	430.95	916.17	443.34	856.61	2647.07
31.03.2018	322.67	301.31	474.44	1404.25	2502.67

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2019					
उपदान	106.75	75.39	100.40	413.35	695.89
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	36.31	38.51	128.68	662.00	865.50
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.65	0.65	1.40	3.10	5.80
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.56	0.51	1.00	1.56	3.63
कुल	144.27	115.06	231.48	1080.01	1570.82
31.03.2018					
उपदान	96.72	132.57	91.08	404.15	724.52
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	31.93	34.99	113.05	613.65	793.62
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.55	1.62	3.01	5.75
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.27	0.21	0.72	0.99	2.19
कुल	129.49	168.32	206.47	1021.80	1526.08

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ):** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
i)	ब्याज	21.37	22.55
ii)	अन्य विविध मामले	83.60	60.89
ख)	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
i)	आयातित	-	-
ii)	देशीय	25.43	29.38
ग)	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
-	अन्य	-	-

14. प्रति शेयर अर्जन:-

- क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	1.71	2.33
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	2.54	2.45
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

(ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	1752.19	2385.69
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2595.61	2513.90

(ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारत औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारत औसत संख्या	10218811713	10259320519

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी								
एनएचपीसी लिमिटेड								
31.03.2019	81.21	27343.27	82.99	2353.39	97.94	(12.41)	82.92	2340.98
31.03.2018	80.80	26645.58	76.72	2138.91	92.45	5.88	76.84	2144.79
सहायक कंपनी								
एनएचडीसी लिमिटेड								
31.03.2019	7.61	2562.20	8.35	236.90	1.03	(0.13)	8.39	236.77
31.03.2018	8.12	2674.29	13.47	375.13	3.77	0.24	13.46	375.37
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2019	0.29	96.80	0.01	0.29	-	-	0.01	0.29
31.03.2018	0.29	96.77	0.02	0.47	-	-	0.02	0.47
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2019	0.01	2.89	(0.01)	(0.20)	-	-	(0.01)	(0.20)
31.03.2018	0.01	3.08	(0.02)	(0.53)	-	-	(0.02)	(0.53)
सभी सहायक कंपनियों में गैर-नियंत्रक ब्याज								
31.03.2019	8.52	2868.47	8.47	240.17	0.95	(0.12)	8.50	240.05
31.03.2018	8.90	2934.91	9.72	270.80	3.62	0.23	9.71	271.03
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2019	0.08	26.08	(0.06)	(1.74)	0.08	(0.01)	(0.06)	(1.75)
31.03.2018	0.08	27.83	(0.08)	(2.14)	0.16	0.01	(0.08)	(2.13)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)								
31.03.2019	2.28	766.57	0.25	6.98	-	-	0.25	6.98
31.03.2018	1.80	593.64	0.07	2.06	-	-	0.07	2.06
कुल								
31.03.2019	100.00	33666.28	100.00	2835.79	100.00	(12.67)	100.00	2823.12
31.03.2018	100.00	32976.10	100.00	2784.70	100.00	6.36	100.00	2791.06

16. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
क. आकस्मिक देयताएं	2.89	1.54
ख. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	1998.39	586.53

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2018 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2018 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2019 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2018 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2019 को बकाया राशि
व्यापार से प्राप्य	2831.28	2666.47	2901.11
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को अग्रिम	1079.91	654.40	1058.44
व्यापार/अन्य देय	289.69	64.08	366.15
सुरक्षा जमा/देय प्रतिधारण राशि	115.88	16.17	123.18

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

18. भारतीय लेखांकन मानक-17 “पट्टे” के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण:
क) प्रचालन पट्टे - समूह पट्टेधारी के रूप में

- क) समूह की प्रमुख पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरस्त नहीं की जा सकती, आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **13.84 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **44.33 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 26** में वेतन, मजदूरी, भत्ते के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ख) समूह ने कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों को प्रचालन पट्टों पर लिया है जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **8.18 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **7.55 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ग) समूह ने वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते। वाहनों को किराए पर लिए जाने के संबंध में पट्टा भुगतानों की **41.30 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **37.73 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) वित्तीय पट्टा - पट्टेदार के रूप में समूह

समूह ने किदवईनगर, नई दिल्ली, शहरी विकास मंत्रालय की भवन निर्माण परियोजना में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर कार्यालय स्थान लिया है। 17.01 करोड़ रुपये की पहले भुगतान की गई राशि इस संपत्ति, जिसे भवन पट्टे के अधीन, टिप्पणी 2.1 - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाना है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के उचित मूल्य के काफी हद तक समतुल्य है। न्यूनतम पट्टा भुगतान 100 रुपये प्रति वर्ष के मामूली भूमि लगान के रूप में है जो लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

ग) वित्त पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन पावर स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समान है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। समूह ने इन पावर स्टेशनों को इंड एस 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो समूह द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

(i) पट्टों में सकल निवेश :

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
एक वर्ष के भीतर	968.69	941.84
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	3409.82	3433.90
पांच वर्ष से अधिक	13738.83	14798.92
कुल	18117.34	19174.66

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31.03.2018	31.03.2017
एक वर्ष के भीतर	213.86	178.62
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	617.04	614.50
पांच वर्ष से अधिक	4738.37	4784.93
कुल	5569.27	5578.05

(iii) पट्टे में सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
पट्टे में सकल निवेश	18117.34	19174.66
समायोजन :		
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	11759.68	12826.30
घटाए : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	788.39	770.31
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	5569.27	5578.05

(घ) प्रचालन पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। इन करारों के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, समूह ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

	(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31.03.2019	31.03.2018
एक वर्ष के भीतर	211.02	188.15
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	198.34	320.93
कुल	409.36	509.08

19. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस समूह की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तदनुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवधि के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस समूह के आठ सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस समूह के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस समूह की सीजीयू की वहन राशि की हानि को इंगित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समूह की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के संबंध में कोई हानि नहीं हुई है।

20. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंस की माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट पावर की तदनुसूची ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि, किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
21. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के अनुमोदन और/अथवा संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन के लंबित रहने तक, बिक्री की पहचान चमेरा-III, टीएलडीपी-III, सेवा-II एवं टीएलडीपी-IV, पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ विनियमों/आदेशों पर आधारित प्रबंधन अनुमान के अनुसार की गई है। इसके अलावा, ऊर्जा की कमी एवं कानून में परिवर्तन के कारण जीएसटी के अतिरिक्त भार की प्रतिपूर्ति के प्रति भी की गई है। तदनुसार, प्रचालन से राजस्व में **515.05 करोड़ रुपये** (पूर्व के वर्षों के संबंध में **409.51 करोड़ रुपये** सहित) शामिल हैं।
22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

- (ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेख में वर्ष (पिछले वर्ष 2017-18) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :

समूह के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लेख में मान्यता दी गई है।

(iii) अन्य प्रावधान:

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेख में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

- i) रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ii) ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान:

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के लिए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान:

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) माध्यस्थ निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें माध्यस्थ निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

- संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- समूह द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।
- वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूल गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण :

समूह प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगा हुआ है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आशवासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखेड के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु 'दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकनड के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित है। तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी हैं। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप **2578.00 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **2275.28 करोड़ रुपये** तक) की ऋण लागत, **1318.03 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष तक **1151.97 करोड़ रुपये**) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, **279.06 करोड़ रुपये** की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक **254.44 करोड़ रुपये**) की प्रशासन तथा अन्य लागत को 31.03.2019 तक लाभ एवं हानि विवरण में

प्रभारित किया गया है।

समूह ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो 'विनियामक परिसंपत्ति' और तदनुरूपी 'विनियामक आय' की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को 'दर नियंत्रित क्रियाकलापों' हेतु लेखांकन के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

दर विनियमित कार्यकलापों के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पणी (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पूर्व जीएएपी) में यह अपेक्षित है कि निकाय के वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस राशि के अनुमानों की समीक्षा करनी चाहिए जिसे वसूले जाने, वापस किए जाने अथवा समायोजित किए जाने की आशा है। यदि आशा पूर्व के अनुमानों से भिन्न हो, तब लागू लेखांकन मानक की संगत आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन मानक में परिवर्तन के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना में पहचान किए गए विनियामक आस्थगित लेखा शेष का आकलन किया है। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन यह मानता है कि 30.06.2018 से आगे सुबानसिरी लोअर परियोजना में आरडीए शेष में बढ़े हुए योग की वसूली नहीं की जा सकती है। तदनुसार, 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान परियोजना पर खर्च की गई 349.63 करोड़ रुपये की राशि के उधार और प्रशासनिक लागत को लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है और आरडीए शेषों के सृजन के लिए मान्यता नहीं दी गई है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष नीचे दिए गए अनुसार है:

(करोड़ रूप में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2019 तक
ऋण लागत	2275.28	76.78	2352.06
कर्मचारी लाभ व्यय	572.45	20.68	593.13
मूल्यहास	49.50	1.77	51.27
अन्य व्यय	530.02	16.54	546.56
अन्य आय	(254.44)	(21.24)	(275.68)
कुल	3172.81	94.53	3267.34

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में बढ़े हुए योग इंड एस 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में उसमें मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित इस परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल **6317.39 करोड़ रुपये** की राशि (जैसा कि टिप्पणी संख्या 2.2.7 में दिया गया है) को कोई क्षति नहीं हुई है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यहास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 35 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019-2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014-19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार स्कावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबानसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिम: विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती है जैसे दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई आदि।

ख) विनियामक जोखिम: टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह पर आरोप नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेष्य किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेष्य न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के वेतन संशोधन हेतु तीसरे वेतन संशोधन की सिफारिशों के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेष किया था। वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक-114-“विनियामक आस्थगित लेखा” के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए विनियामक आस्थगित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	465.13
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	220.43
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	220.43
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	685.57

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	(14.63)
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	-
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	(14.63)

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **विनियामक जोखिम** के अध्वधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने में सतर्कता की जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। निर्णय लेने में सतर्कता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है।

ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर हास टैरिफ के संघटकों में से एक है। हास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014-19 में दी गई दरों के अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष हास को शेष 23 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि हास के रूप में पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, जल विद्युत केंद्र का प्रचालनात्मक जीवनकाल 35 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, उत्पादक समूह द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 17 मई, 2018), समूह ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्ष तक 1.5 प्रतिशत हास द्वारा शेष 25 वर्ष तक तथा 11 से 35 वर्ष तक 3 प्रतिशत हास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए हास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर हास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित हास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से हास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष 23 वर्षों के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों में टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 “विनियामक आस्थगित लेखा” के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2014-19 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित हास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया हास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का सृजन वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान किया जाएगा और पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान अर्थात् 23 वर्षों की अवधि के दौरान टैरिफ के संघटक के रूप में लाभार्थियों से वसूला जाएगा।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	171.98
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	171.98
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	171.98

समूह के किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (35 वर्ष) है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः समूह किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करता है।

हालांकि, खाते में हास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 - “उधार लागत” के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - “विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव” में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रूपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रूपांतरण के कारण होने वाले विनियम अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक - “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना” में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण के कारण विनियम अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनियम अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रूपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनियम अंतरों को लाभ और हानि विवरणों में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनियम जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान

आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनियम अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में 'विनियामक आस्थगित लेखाड और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण/निपटान के कारण विनियम अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	(0.40)
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	(0.57)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	0
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(0.57)
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	(0.97)

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनियम दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्वधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

ड) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनःवर्गीकरण के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तदनुसार, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में:

		(करोड़ रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2186.70
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	151.88
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(151.88)
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	2034.82

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (टैरिफ अवधि 2014-19 के संबंध में) के संबंध में:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	326.11
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (-))	508.93
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	508.93
ङ	31.03.2019 को अंतिम शेष (क+घ)	835.04

टैरिफ अवधि 2004-2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता तथा टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन समूह के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यक्षीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है। हालांकि, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014-19 में यथा प्रदत्त आस्थगित कर और वर्तमान कर की वसूली के तरीके में कोई अंतर नहीं है।

- 24 (i) उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उसे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण की प्रभासित राशि की तारीख तक	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	66.11	47.40	5.12	13.59	13.61
व्यापार बाधा हानि	276.27	74.01 [#]	-	202.26*	146.27
कुल	342.38	121.41	5.12	215.85	159.88

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

[#] वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय (55.99) करोड़ रुपये है (अद्यतन तिथि को संचयी 74.01 करोड़ रुपये है)।

- (ii) चुटक पावर स्टेशन जो विद्युत गृह में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण की प्रभासित राशि की तारीख तक	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	7.18	2.20	2.00	2.98	3.53
व्यापार बाधा हानि	16.22	16.22	-	-	14.42
कुल	23.40	18.42	2.00	2.98	17.95

- (iii) धौलीगंगा पावर स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पवार स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2019 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति

निम्नवत है

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	160.71	158.71	2.00	-	52.92
व्यापार बाधा हानि	263.77	215.00	0.00	48.77	48.77
- उत्पादन हानि के कारण#					
कार्यकरण की बढ़ी हुई लागत के कारण	4.28	0.00	1.93	2.35	2.35
कुल	428.76	373.71	3.93	51.12	104.04

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **48.77 करोड़ रूपये** है (अद्यतन तिथि को संचयी **263.77 करोड़ रूपये** है)

- (iv) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2019 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 24 (i), (ii) तथा (iii) में प्रकट किए गए उड़ी-II, चुटक और धौलीगंगा के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	43.34	4.00	18.79	20.55	21.65

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने **बरसर परियोजना** को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.32 करोड़ रूपये** का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
26. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2019 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **255.40 करोड़ रूपये**, **42.95 करोड़ रूपये** और **51.42 करोड़ रूपये** की राशि के लिए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, 31.03.2019 तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल **349.77 करोड़ रूपए** की राशि हेतु लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है।
27. क) तवांग चरण-I जल विद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति (चरण-I) प्रक्रियाधीन है। तवांग चरण-II जल विद्युत परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति के बाद परियोजना शुरू की जाएगी। इसके लंबित रहने तक, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई **217.35 करोड़ रूपये** की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया जा रहा है।
- ख) 5.2.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बोर्ड संकल्प के संदर्भ में तवांग-I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य सरकार को समानुपातिक आधार पर अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए **2.49 करोड़ रूपये** की राशि का भुगतान किया गया है। इसके लंबित रहने तक, **2.49 करोड़ रूपये** का व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया जा रहा है।
28. धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.61 करोड़ रूपये** की राशि का 31.03.2019 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.61 करोड़ रूपये** का प्रावधान किया गया है।
29. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने दिनांक 29.01.2019 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के द्वारा 1 जनवरी, 1997 से बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान को नियमित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि (विगत अवधियों के लिए

बकाया राशि सहित) के कारण कर्मचारी लाभ खर्च पर प्रभाव **290.49 करोड़ रुपये** है जिसमें से **92.90 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष की उसी अवधि में शून्य) पूंजी में परिणत की जा चुकी है और **197.59 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष की उसी अवधि में शून्य) लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

30. सेबी (सूचिबद्ध दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन:

(क) ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम:

- (i) सहायक कंपनियां: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
- (ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2019	31.03.2018	2018-19	2017-18
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (पी) लि.	6.00	6.00	6.00	6.00

(iii) (vi) उन फर्म और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

31. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	मात्रा
1	जारी आरईसी की संख्या	125386
2	प्रमाणीकरण के अधीन आरईसी की संख्या	4020
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी की संख्या	125386

अंतिम वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर जारी किए गए/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अधीन आरईसी को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

32. समूह ने वर्ष के दौरान 330 मेगावाट किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को चालू किया है और पूंजी में परिणत किया है।

33. सीईआरसी टैरिफ विनियम/आदेशों के अनुरूप, समूह ने एक पावर स्टेशन के अंतिम कुछ वर्षों (पिछले 5 वर्षों) के प्रचालनात्मक जीवनकाल के दौरान खरीदी गई परिसंपत्ति पर ऋण प्रभारित करने के लिए वर्ष के दौरान अपनी लेखांकन परिसंपत्तियों पर ऋण जिन्हें पावर स्टेशन के शेष मूल प्रचालनात्मक जीवनकाल के दौरान पूर्व में प्रभारित किया जा रहा है, उस तिथि जब ऐसी परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता हो, से 25 वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात् पावर स्टेशनों की बढ़ी हुई अवधि के दौरान अब प्रभारित की जा रही है। लेखांकन नीति में परिवर्तन बैरास्यूल एवं लोकतक पावर स्टेशनों के संबंध में लागू है जो जीवन विस्तार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अध्वधीन है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्रभार **1.52 करोड़ रुपये** कम है। हालांकि, भावी अवधियों में बैरास्यूल एवं लोकतक पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक ऋण प्रभार **1.15 करोड़ रुपये** अधिक होगा।

इसके अलावा, पूर्व के वर्षों के संबंध में **23.67 करोड़ रुपये** का आधिक्य ऋण “अन्य इक्विटी” में परिणामी वृद्धि के साथ वापस लिख दिया गया है। इस संबंध में पृथक प्रकटीकरण स्वतंत्र वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 35 के अंतर्गत दिया गया है।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझीदार
सदस्यता सं. 083597

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोद्धा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर. पी. सिंह)
साझीदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 27 मई, 2019

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 35

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, पञ्चगामी पुनर्वर्गीकरण/पुनर्कथन पिछली अवधियों की वित्तीय विवरणों में कुछ मदों के संबंध में किया गया है। तदनुसार, भारतीय लेखांकन मानक 1 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, कंपनी ने पिछली अवधि के आरंभ में अर्थात् 01.04.2017 को तीसरा तुलन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमुख पुनर्कथन/पुनर्वर्गीकरण का उल्लेख नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

(क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार पुनःउल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार पुनःउल्लिखित समेकित तुलन-पत्र

विवरण	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरणीकृत/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)
(करोड़ रूपए में)								
परिसंपत्तियां								
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां								
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	35.3.1	19,254.06	23.67	19,277.73	20,238.44	13.29	20,251.73
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	35.3.2	19,087.12	(0.38)	19,086.74	17,587.59	-	17,587.59
ग) निवेश संपत्ति	2.3		4.49	-	4.49	4.49	-	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4		1,918.69	-	1,918.69	1,984.20	-	1,984.20
ड) इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश	2.5.1	35.8	621.47	-	621.47	500.57	-	500.57
च) वित्तीय परिसंपत्तियां								
i) निवेश	3.1		503.29	-	503.29	519.41	-	519.41
ii) प्राय व्यापार	3.2		306.57	-	306.57	275.82	-	275.82
iii) ऋण	3.3	35.5	360.41	363.90	724.31	381.87	326.90	708.77
iv) अन्य	3.4	35.5	5,844.95	(343.80)	5,501.15	6,186.62	(296.83)	5,889.79
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		214.53	-	214.53	115.49	-	115.49
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	35.5	1,299.98	515.96	1,815.94	1,143.58	(30.07)	1,113.51
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			49,415.56	559.35	49,974.91	48,938.08	13.29	48,951.37
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां								
क) माल-सूची	6		104.68	-	104.68	100.80	-	100.80
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां								
i) व्यापार प्राय	7		1,346.04	-	1,346.04	1,854.01	-	1,854.01
ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8		20.54	-	20.54	73.57	-	73.57
iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9		3,298.52	-	3,298.52	3,398.89	-	3,398.89
iv) ऋण	10	35.5	51.45	1.16	52.61	31.43	117.40	148.83
v) अन्य	11	35.5	2,168.09	(536.06)	1,632.03	2,238.17	-	2,238.17
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		0.40	-	0.40	78.30	-	78.30
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	35.5	359.44	(1.16)	358.28	553.46	(117.40)	436.06
कुल परिसंपत्तियां			7,349.16	(536.06)	6,813.10	8,328.63	-	8,328.63

(करोड़ रुपए में)

विवरण	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2018 को (पूर्व में सूचित)	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2017 को (पूर्व में सूचित)
(3) विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	14	35.1	3,622.91	2,512.81	6,135.72	2,910.42	3,120.61	6,031.03
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक लेखा डेबिट शेष			60,387.63	2,536.10	62,923.73	60,177.13	3,133.90	63,311.03
इक्विटी तथा देयताएं								
(1) इक्विटी								
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1		10,259.32	-	10,259.32	10,259.32	-	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2		19,768.58	23.29	19,781.87	18,755.50	13.29	18,768.79
कुल इक्विटी			30,017.90	23.29	30,041.19	29,014.82	13.29	29,028.11
(2) गैर-नियंत्रणकारी हित			2,934.91	-	2,934.91	3,382.24	-	3,382.24
(3) देयताएं								
गैर-वर्तमान देयताएं								
क) वित्तीय देयताएं								
i) ऋण	16.1		16,728.20	-	16,728.20	17,245.64	-	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		39.87	-	39.87	25.84	-	25.84
ख) प्रावधान	17		40.66	-	40.66	505.58	-	505.58
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	35.1	1,710.87	2,512.81	4,223.68	1,665.29	3,120.61	4,785.90
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19		2,853.37	-	2,853.37	2,777.96	-	2,777.96
कुल गैर-वर्तमान देयताएं			21,372.97	2,512.81	23,885.78	22,220.31	3,120.61	25,340.92
(4) वर्तमान देयताएं								
क) वित्तीय देयताएं								
i) ऋण	20.1		279.99	-	279.99	302.50	-	302.50
ii) देय व्यापार	20.2		7.97	-	7.97	6.32	-	6.32
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय								
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय								
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	35.5	175.81	16.32	192.13	151.27	19.77	171.04
अन्य वर्तमान देयताएं	21	35.5	2,832.26	(16.32)	2,815.94	2,575.67	(19.77)	2,555.90
ख) प्रावधान	22		754.86	-	754.86	791.62	-	791.62
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23		2,003.85	-	2,003.85	1,732.38	-	1,732.38
कुल वर्तमान देयताएं			6,061.85	-	6,061.85	5,559.76	-	5,559.76
कुल इक्विटी तथा देयताएं			60,387.63	2,536.10	62,923.73	60,177.13	3,133.90	63,311.03

(ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

विवरण	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/ पुनर्वर्गीकरण की प्रभाव	(करोड़ रुपए में) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)
आय					
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	35.5	7,751.24	4.19	7,755.43
ii) अन्य आय	24.2	35.5	1,101.36	(71.13)	1,030.23
कुल आय			8,852.60	(66.94)	8,785.66
व्यय					
i) उत्पादन व्यय	25		721.18	-	721.18
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	35.4	1,708.06	(50.13)	1,657.93
iii) वित्त लागत	27		922.64	-	922.64
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	35.3	1,479.10	(10.38)	1,468.72
v) अन्य व्यय	29	35.4	1,120.16	(16.43)	1,103.73
कुल व्यय			5,951.14	(76.94)	5,874.20
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ			2,901.46	10.00	2,911.46
इविट्टी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा	2.5.2		(0.08)		(0.08)
अपवादात्मक मदें			-		-
विनियामक क्रियाकलाप दर और कर पूर्व लाभ			2,901.38	10.00	2,911.38
कर व्यय					
i) वर्तमान कर	30		823.02	(6.91)	816.11
ii) आय कर हेतु समायोजन			(6.91)	6.91	-
iii) आस्थगित कर		35.2	46.74	(607.96)	(561.22)
कुल कर व्यय			862.85	(607.96)	254.89
वर्ष हेतु विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व लाभ			2,038.53	617.96	2,656.49
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)			736.17	(607.96)	128.21
वर्ष हेतु लाभ (क)	31	35.2	2,774.70	10.00	2,784.70
अन्य व्यापक आय (ख)					
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			45.26	-	45.26
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन			14.97	-	14.97
घटाएँ - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर			(14.01)	-	(14.01)
घटाएँ - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन			(23.68)	-	(23.68)
विनियामक आस्थगित लेखे में संचलन - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन			0.01	-	0.01
इविट्टी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	2.5.3			-	
उप जोड़ (क)			20.63	-	20.63

विवरण	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पूर्व में सूचित)	पुनःविवरण/पुनर्वर्गीकरण की प्रभाव	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःउल्लिखित)
(ख) इक्विटी दस्तावेज में निवेश का उचित मूल्य		(7.30)	-	(7.30)
		(7.30)	-	(7.30)
		13.33	-	13.33
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				-
- ऋण दस्तावेज पर निवेश		(9.09)	-	(9.09)
घटाएं - ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर		(2.12)	-	(2.12)
		(6.97)	-	(6.97)
		6.36	-	6.36
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ ii)		2,781.06	10.00	2,791.06
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)				
निम्न पर आरोप्य लाभ :				
मूल कंपनी के स्वामी		2,503.90		2,513.90
गैर-नियंत्रक हित		270.80		270.80
		2,774.70		2,784.70
निम्न पर आरोप्य अन्य व्यापक आय :				
मूल कंपनी के स्वामी		6.13		6.13
गैर-नियंत्रक हित		0.23		0.23
		6.36		6.36
निम्न पर आरोप्य कुल व्यापक आय :				
मूल कंपनी के स्वामी		2,510.03		2,520.03
गैर-नियंत्रक हित		271.03		271.03
		2,781.06		2,791.06
निम्न से उत्पन्न मूल कंपनी के स्वामी पर आरोप्य कुल व्यापक आय :				
जारी प्रचालन		2,510.03		2,520.03
बंद किए गए प्रचालन		-		-
		2,510.03		2,520.03
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया हुआ) (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालन से पूर्व	35.6	1.72	0.61	2.33
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालन के पश्चात	35.6	2.44	0.01	2.45

ग. 31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (निष्कर्ष)

विवरण	आरक्षित एवं अक्षिप					अन्य व्यापक आय	कुल	गैर-नियंत्रित बाज (एनसीआई)	एनसीआई के बाद कुल
	टिप्पणीयां	पूँजीगत मोवन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉन्ड मोवन आरक्षित	करपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज से ऋण दस्तावेज
1 अप्रैल, 2017 को शेष (जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है)		2,041.42	242.81	1,609.27	24.31	60.87	10,224.43	4,417.63	18,755.50
गतिविधियों का खुदवार (कर का निवल)	35.3							13.29	13.29
1 अप्रैल, 2017 को पुनःउत्प्रेक्षित शेष		2,041.42	242.81	1,609.27	24.31	60.87	10,224.43	4,430.92	18,768.79
वर्ष के लिए लाभ		-	-	-	-	-	-	2,513.90	2,513.90
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	20.40	6.13
कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	2,534.30	2,520.03
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग सांश									
अन्य समावोजन									5.71
प्रतिधारित आय में अंतरण									0.02
बॉन्ड मोवन रिजर्व से वापस ली गई राशि				(148.17)				148.17	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से वापस ली गई राशि					(1.04)			0.53	0.51
अनुसंधान एवं विकास निधि से वापस ली गई राशि						(43.90)		43.90	-
प्रतिधारित आय से अंतरण									
लाभशे								(1,251.65)	(1,853.67)
लाभशे पर कर								(254.81)	(377.37)
बॉन्ड मोवन रिजर्व में अंतरण				668.45				(668.45)	-
31 मार्च, 2018 को शेष		2,041.42	242.81	2,129.55	23.29	16.97	10,224.43	4,982.91	19,781.87
									2,934.91
									22,716.78

टिप्पणी:

- 35.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए आस्थगित कर की वसूली उसी वर्ष में लाभार्थियों से की जाती है जिस वर्ष में वह चालू कर के रूप में परिणत होता है और टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किए गए कर के आधार पर प्रभावी कर दर के द्वारा इक्विटी पर लाभ को जोड़ा जाता है। 31 मार्च, 2018 तक भावी वर्षों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर का समायोजन आस्थगित कर देयता के निमित्त किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त किए गए विचार के अनुसार, कंपनी ने आस्थगित कर देयता से इसे समायोजित करने के निमित्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में वसूले जाने वाले आस्थगित कर का पुनर्वर्गीकरण किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 2014-15 से 2017-18 की अवधि से संबंधित कर देयता के कारण (-) 81.22 करोड़ रुपये के प्रभाव का समायोजन/उस पर विचार चालू वर्ष के लिए कर की गणना में किया गया है।

- 35.2 वित्तीय वर्ष 2017-18 की 607.96 करोड़ रुपये की सीमा तक आस्थगित कर व्यय का पुनर्वर्गीकरण/पुनःउल्लेख उपर्युक्त क्रम संख्या 35.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के रूप में किया गया है।
- 35.3.1 किसी विद्युत केंद्र के प्रचालनात्मक जीवनकाल के “अंतिम कुछ वर्षों” के दौरान (पिछले पांच वर्षों) सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 (पिछले 5 वर्षों) के अनुसार अर्जित और उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों पर हास सीईआरसी टैरिफ विनियमन/आदेशों (टिप्पणी सं 34(33) देखें) के अंतर्गत उत्पादन केंद्र के बढ़ाए गए जीवनकाल की तुलना में मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर प्रभारित किया गया था। इसके फलस्वरूप, पूर्व की अवधियों के संबंध में आधिक्य हास को ‘अन्य इक्विटी’ में परिणामी वृद्धि के साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वापस लिया गया है।
- 35.3.2 वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान, कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) को भुगतान की 0.38 करोड़ रुपये की राशि को पूंजी में परिवर्तित किया गया था। इस लेन-देन का पुनःउल्लेख वित्तीय वर्ष 2017-18 में उसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित करते हुए किया गया है। इसके फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017-18 की चल रह पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) आधिक्य की अन्य इक्विटी में परिणामी कमी से कटौती की गई है।
- 35.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, इन प्रावधानों के विपर्यय को “अन्य आय” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष के दौरान सृजित प्रावधानों की सीमा तक पूर्व के वर्षों के प्रावधानों के विपर्यय का समायोजन किया है और परिणाम के तौर पर ‘अन्य आय’ और संबंधित व्यय का भी समायोजन उस सीमा तक किया गया है। हालांकि, संबंधित वर्ष के लाभ पर ऐसे पुनर्वर्गीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 35.5 उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित पुनर्वर्गीकरणों/पुनर्कथनों का भी उल्लेख चालू वर्ष के वर्गीकरण के सट्टे रखने के लिए लाभ और हानि विवरण तथा तुलन-पत्र में किया गया है:
- क. शाश्वत प्रकृति की जमा राशि, जिसे पूर्व में “अन्य चालू परिसंपत्तियां”/“अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां” के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को “चालू वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण”/“गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण” के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- ख. अरुणाचल प्रदेश की सरकार को दिए गए ऋण पर बढ़ा हुआ ब्याज, जिसे “वित्तीय परिसंपत्ति - अन्य” के रूप में पहले वर्गीकृत किया गया है, का फिर का वर्गीकरण ऋण शेष राशि के साथ “वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण” के रूप में किया गया है।
- ग. “वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू - अन्य” के अंतर्गत पूर्व में प्रस्तुत किया गया टेकेदारों को किए गए भुगतानों का पुनःवर्गीकरण भीति आयोग के दिशानिर्देशों (वित्तीय विवरणी के टिप्पणी संख्या 34(1)(ड) देखें) के अनुसरण में ‘अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां’ के रूप में किया गया है।
- घ. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हुई कुछ देयताओं का फिर से वर्गीकरण “अन्य वित्तीय देयताएं - चालू” से “व्यापार देय राशि - चालू” तक किया गया है।
- ड. “अन्य आय” के रूप में पूर्व में प्रस्तुत की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) के कारण आय का फिर से वर्गीकरण “प्रचालनों से राजस्व” के रूप में किया गया है।
- च. कर व्यय में, आय कर के लिए समायोजन को वर्तमान करों से मिला दिया गया है।
- 35.6 वर्ष 2017-18 के लिए प्रति शेयर मूल एवं कम किये गये अर्जन का भी फिर से उल्लेख किया गया है। प्रति शेयर मूल और कम किया गया अर्जन विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के पूर्व 0.61 रुपये तक प्रति शेयर और विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के बाद 0.01 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ गया है।
- 35.7 वर्ष 2017-18 की नकदी के प्रवाह के विवरण पर उपर्युक्त पुनर्कथन/पुनःवर्गीकरण के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 35.8 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, समूह का इसके संयुक्त उद्यम, सीवीपीपीएल में निवल परिसंपत्तियों के हिस्से का निर्धारण सहयोगी उद्यम द्वारा उक्त वर्ष के दौरान 122.36 करोड़ रुपये के इक्विटी अंशदान पर विचार किए बिना किया गया था। उसे फिर से सहयोगी उद्यम द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान को लागू करने के बाद स्थापित किया गया है और तदनुसार, निवल परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से का फिर से उल्लेख किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 70.54 करोड़ रुपये की राशि की गुडविल में सट्टे रख कटौती हुई है। हालांकि, निवेश, कुल व्यापक आय अथवा अन्य इक्विटी के वहन मूल्य में ऐसे परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझीदार
सदस्यता सं. 083597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 084906

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07449990

कृते लोद्धा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर. पी. सिंह)
साझीदार
सदस्यता सं. 052438

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु
फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)

सहायक कंपनियों/एसोसिएट्स कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग 'क' - सहायक कंपनियां

1	क्रम सं.	1	2	3
2	सहायक कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	01.08.2000	23.10.2009	02.02.2015
4	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	धारक कंपनी के समान (01.04.2018-31.03.2019)	धारक कंपनी के समान (01.04.2018-31.03.2019)	धारक कंपनी के समान (01.04.2018-31.03.2019)
5	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	1,962.58	117.69	4.00
7	आरक्षित तथा अधिशेष	3,827.26	19.78	4.60
8	कुल परिसंपत्तियां	8,040.12	144.63	21.45
9	कुल देयताएं	2,250.28	7.16	12.85
10	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
11	कारोबार	804.54	0.43	शून्य
12	कराधान से पूर्व लाभ *	686.04	0.52	(0.01)
13	कराधान हेतु प्रावधान **	195.33	0.13	0.19
14	कराधान पश्चात लाभ	490.71	0.39	(0.20)
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51.08%	74.00%	99.99%

* विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर कर शामिल है।

टिप्पणिया:

1.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
2.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बेचा गया	2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड शून्य

भाग 'ख' - संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड
1 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
2 वह तिथि जब से संयुक्त उद्यम को अधिग्रहित किया गया	13.06.2011	22.05.2009
3 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर संख्या	747,550,000	30,400,000
संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	747.55	30.40
धारिता की सीमा	51.94%	20%
4 महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5 संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य निवल मूल्य	767.40	26.08
7 वर्ष हेतु लाभ/हानि		
i समेकन में ली गई	6.98	(1.75)
ii समेकन में न ली गई	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणिया:

1.	संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा विक्री की गई है	शून्य

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(प्रेम सी. बंसल)
साझीदार
सदस्यता सं. 083597

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 006791एन
(संजय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 084906

कृते लोन्डा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 301051ई
(आर. पी. सिंह)
साझीदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27 मई, 2019

अनुबंध-XIII
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 22.07.2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है जो दिनांक 27.05.2019 के उनकी पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-

(रीना अकोइजम)

प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 27.05.2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड और बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है परंतु चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-

(रीना अकोइजम)

प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई, 2019



44 मेगावाट चुटक पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - बांध



Follow NHPC at :



<https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited>



<https://twitter.com/nhpcLtd>



<https://www.instagram.com/nhpclimited>



CIN L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी लिमिटेड **NHPC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com

Tel. No.: 0129-2588110 Fax No. 0129-2278018